लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

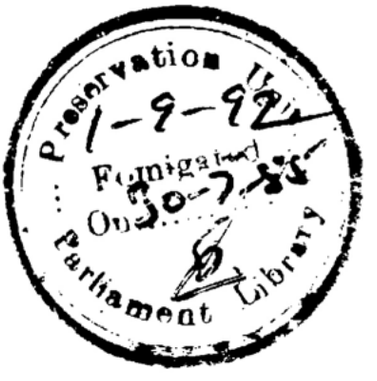

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं / Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

विषय सूची CONTENTS

अंक 46—मंगलवार, 6 मई, 1975/16 वैशाख, 1897 (शक)
No. 46—*Tuesday, May* 6, 1975/*Vaisakha* 16, 1897 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
*तारांकित प्रश्न संख्या 894, 895 और 901 से 904	*Starred Questions Nos. 894, 895 and 901 to 904 . .	1–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
*तारांकित प्रश्न संख्या 896 से 900 और 905 से 914	*Starred Questions Nos. 896 to 900 and 905 to 914 .	17–26
अतारांकित प्रश्न संख्या 8678 से 8830 और 8832 से 8877	Unstarred Questions Nos. 8678 to 8830 and 8832 to 8877 .	26–146
10 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 3912 में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting Answer to USQ. No. 3912 dated 10-12-1974.	146
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion	147
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
हिन्डलको के कर्मचारियों द्वारा हिन्डलको के प्रेसीडेन्ट को लिखा गया कथित पत्र	Letter Alleged to have been written by Employees of Hindalco to the President of Hindalco . . .	148–150
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	150–151
18 मार्च 1975 को इलाहाबाद में हुई घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Incident at Allahabad on March 18, 1975—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	151–153

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य की नियुक्ति	Appointment of a Member to Joint Committee	153
नियम समिति—	Rules Committee—	
छठां प्रतिवेदन—स्वीकृत हुआ	Sixth Report—*adopted*	154
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377 —	
मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों में व्याप्त कथित असंतोष	Reported Dissatisfaction amongst University and College teachers of Madhya Pradesh	154
कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन विधेयक—	Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Amendment Bill —	154–163
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	154–155
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	156–157
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	157–158
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	158–159
श्री वी० मायावन	Shri V. Mayavan	159
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxmi Narain Pandeya	159–160
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	160–161
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavlankar	161–163
खण्ड 2, 3, 4 और 1—	Clauses 2, 3, 4 and 1—	
विचार करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended—	
श्री सी० सुब्रहमण्यम्	Shri C. Subramananiam	163–164
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक—	Government of Union Territories (Amendment) Bill—	165–167
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	165
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	165–166
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	166
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	166–167

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
खण्ड 2 से 15 और 1—	Clauses 2 to 15 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	167–168
अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक—	All India Services (Amendment) Bill—	169–170
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	169
खंड 2, 3 और 1—	Clauses 2, 3 and 1—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	170
भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—	Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Amendment Bill—	170–172
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	170–171
खन्ड 2, 3 और 1—	Clauses 2, 3 and—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	171–172
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक—	Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill	172–176
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	172–173
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	173–175
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram	175–176
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	176
आध घण्टे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges of Supreme Court and High Courts	177–180
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	177–179
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokahle	179–180

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 6 मई, 1975/16 वैशाख, 1897 (शक)
Tuesday, May 6, 1975/Vaisakha 16, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की आस्तियां

*894. **श्री वयालार रवि** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड की कुल आस्तियां कितनी हैं तथा इसके कार्य आरम्भ करने पर इसकी आस्तियां कितनी थीं; और

(ख) इसे कितनी बार पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी गई है तथा प्रत्येक बार का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेंदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सदन के पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत है।

विवरण

(क) कम्पनी के दिनांक 31–12–1973 तक के नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार मैं० फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड को परिसम्पत्तियां 41.79 करोड़ रु० की राशि की थी। यह कम्पनी 1930 में निगमित हुई थी, एवं, विभाग में प्राप्त इसके सबसे पहले, अर्थात 31–12–1955 के तुलन-पत्र के अनुसार इसकी परिसम्पत्तियां 3.05 करोड़ रुपये की थी।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कम्पनी की पूंजी निर्गमन के नियंत्रक द्वारा, पूंजी वृद्धि के लिये नौ बार अनुमति प्रदान की गई थी। इनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	सी० सी० आई० की अनुमति की तारीख		अनुमति दी गई राशि
1	2		3
1	28–9–49	15,00,000 रु०	लाभांश निर्गमन के मार्ग से (अनुपात 3 : 2)
2	21–10–57	(1) 25,00,000 रु०	लाभांश निर्गमन के मार्ग से (अनुपात 1 : 1)
		(2) 1,20,00,000 रु०	10 रु० की दर के हिस्से 2–50 रु० की प्रव्याजी पर हालंड कम्पनी को नकद पर।
		(3) 50,00,000 रु०	2–50 रु० प्रति हिस्से को प्रव्याजी पर, भारतीय जनता को नकद पर।
3	13–11–64	(1) 10,00,000 रु०	हालैंड कम्पनी के लिये।
		(2) 30,00,000 रु०	भारतीय हिस्से धारियों के लिये अधिकार आधार पर (अनुपात 3 : 5) 40,00,000 रु० का कुल निर्गमन 6 रु० प्रति हिस्से की प्रव्याजि पर।
4	30–9–66	1,04,00,000 रु०	लाभांश निर्गमन के मार्ग से (अनुपात 2 : 5)
5	25–11–66	1,50,00,000 रु०	ऋणपत्र स्कन्ध निर्गमन
6	9–4–70	1,8 2,00,000 रु०	लाभांश निर्गमन के मार्ग से (अनुपात 1 : 2)
7	22–1–72	4,46,457 रु०	4,46,457 रु० के बराबर विदेशी मुद्रा ऋण के बारे में आई० सी० आई० सी० आई० के पक्ष में प्रथम कानून बन्धक सृजन करना।

1		2	3
8	5–2–72	1,33,00,000 रु०	(1) 29,40,000 रु० हालैंड कम्पनी के लिए ।
			(2) 42,00,000 रु० अधिकार के रू प में, विद्यमान भारतीय हिस्से धारियों को। (अनुपात 1 : 4)
			(3) 9,24,000 रु० कम्पनी के भारतीय निदेशकों तथा कर्म-चारियों के लिये ।
			(4) 52,36,000 रु० प्राधिकरण के माध्यम से भारतीय जनता को ।
9	4–11–74	6,79,00,000 रु०	लाभांश निर्गमन के मार्ग से (अनुपात 1 : 1)

कम्पनी की हिस्सा पूंजी अब 1358.00 लाख रु० की है जिसमें से 1,005.00 लाख रु० सुरक्षित के पूंजीकरण तथा लाभांश हिस्सों के निर्गमन के मार्ग से है ।

कुल पूंजी का 60 प्रतिशत हालैंड कम्पनी के पास है ।

श्री वयालार रवि : विवरण से स्पष्ट है कि कम्पनी की आस्तियां, जो 1965 में 3.05 करोड़ रुपए थीं, 1973 में 41.79 करोड़ रुपए हो गई । वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिये गये कुछ अन्य उत्तरों से पता चलता है कि नियंत्रक कम्पनी ने निर्धारित विनियमों को विफल करके, तथा अपनी आस्तियां और पूंजी भी बढ़ाकर प्रत्यक्ष तरीकों से अपना उत्पादन बढ़ा लिया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आपने हिस्सा पूंजी में वृद्धि या नये हिस्सों के निर्गम की अनुमति क्यों दी और क्या आपने उत्पादन क्षमता में और इस देश में सम्पत्ति के संकेन्द्रण में अनधिकृत वृद्धि की ओर ध्यान दिया है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : हिस्सा पूंजी का निर्गम आर्थिक कार्य मंत्रालय में पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा किया जाता है और 1949 से पहले तथा उसके बाद के वर्षों में इसकी अनुमति दी गई है । उन्होंने अपनी पूंजी बढ़ाई है और इसका उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उनके उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह काम औद्योगिक विकास मंत्रालय का है । मैंने गत सप्ताह श्री रवि को उत्तर देते हुए औद्योगिक विकास मंत्री को यह कहते हुए सुना था कि वे इस मामले पर विचार करेंगे और जो भी संभव होगा वह कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इसका मंत्रालय का आवेदन दिये जाने पर ही अनुमति से विस्तार से सम्बंध है । चूंकि यह लैम्पों तथा अन्य चीजों का उत्पादन करने वाली एक प्रमुख कम्पनी है, उनके आवेदन पत्र आते रहते हैं और उनका एक आवेदन पत्र विचाराधीन है ।

श्री वयालार रवि : उन्होंने एकाधिकारी निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का उल्लंघन किया है । क्या आपने हिस्सा पूंजी के बढ़ाने की अनुमति देते हुए इस पहलु पर विचार किया है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : एकाधिकारी निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उल्लंघन पर दंड का विधान है । यह मामला इस अधिनियम के लागू होने से भी पहले हुआ है । ऐसा अनेक वर्षों के दौरान हुआ है । उनके पास विस्तार के लिये बड़ी राशि में रिज़र्व हैं । नियमों और विनियमों

के अधीन जब भी उन्होंने अपने रिज़र्व को पूंजी में बदलना चाहा और बोनस शेयर देने चाहे, उन्हें इसकी अनुमति दी गई ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 80 लाख लैम्प थी और वह प्रभाग से 2 करोड़ लैम्प बना रही थी, जिसे सम्भवत: सरकार ने विनियमित कर दिया है ? मुझे नहीं मालूम कि कौनसा मंत्रालय इससे संबंधित है और किसने इसे विनियमित किया । क्या उसने अनुमति विस्तार का 75 प्रतिशत निर्यात करने का वचन दिया था और कोई निर्यात नहीं किया है जबकि "मज़दा" जैसी छोटी कम्पनी अपने 20 प्रतिशत सभी उत्पादों का निर्यात करती है ? फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को ये रियायतें क्यों दी गई हैं ? क्या इस फर्म द्वारा किये गये विभिन्न कदाचारों की जांच कराई जायेगी ? देश में उनके समर्थक सबसे अधिक सशक्त हैं । उनके द्वारा कोई निर्यात नहीं किये जाने के लिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री वेदव्रत बरुआ : यह सच है कि उन्होंने उत्पादन क्षमता 80 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 8 लाख लैम्प कर ली है । फ्लोरोसेंट लैम्पों की अधिष्ठापित क्षमता केवल 15 लाख है परन्तु उनका उत्पादन बढ़ाकर 33 लाख कर दिया गया है । इस प्रकार 95 लाख लाइसेंस प्राप्त क्षमता के विरुद्ध उत्पादन 2 करोड़ 40 लाख है । माननीय सदस्य श्री रवि और श्री बनर्जी को मालूम है कि यह मामला औद्योगिक विकास मंत्रालय से संबंधित है । मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका और औद्योगिक विकास मंत्री भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब उस दिन श्री रवि के प्रश्न के उत्तर के समय यह कहा गया कि कुछ सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी इस फर्म से वेतन पा रहे हैं, तो आपने कहा था कि इसका उस मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है । हम कहां जायें उनकी देश में सबसे शक्तिशाली लॉबी है । उसने कुछ प्राधिकारियों की सांठगांठ से विधि विरुद्ध प्रसार किया है । इसके लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : औद्योगिक विकास मंत्री यह कह चुके हैं कि वे इसपर विचार करेंगे कि किसी प्रकार की कार्यवाही की जाये ।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि इन कम्पनियों के प्रसार में इस गुप्त वृद्धि के कारण भारतीय कम्पनियों को हानि हो रही है और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि उत्पादन के लिये सक्षम कम्पनियां, जो इन कम्पनियों की क्षमता में गुप्त वृद्धि के कारण उत्पादन नहीं कर पाती हैं, उत्पादन कर सकें ?

श्री वेदव्रत बरुआ : इस प्रश्न का पहले भी उत्तर दिया जा चुका है । भारतीय लैम्प निर्माताओं ने एकाधिकार आयोग के समक्ष विरोध प्रकट किया था कि इस कम्पनी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है, इसलिए इसके विस्तार की अनुमति न दी जाए । विस्तार पर विचार करते समय हम इन सब बातों को ध्यान में रख रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय ने श्री वयालर रवि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के मामले में लाइसेंसप्राप्त क्षमता में विस्तार एकाधिकारी निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम तथा एकाधिकार आयोग बनने से पहले की अवधि से सम्बन्ध रखता है, जो ठीक भी है । क्या वे यह दलील दे सकते हैं कि चूंकि किसी विशिष्ट संस्थान के बनने से पहले कोई उल्लंघन किये गये, वे उनपर विचार नहीं कर सकते हैं ? ऐसी दशा में हम कह सकते हैं चूंकि उच्चतम न्यायालय 1950 में स्थापित हुआ, उससे पहले के उल्लंघनों पर उच्चतम न्यायालय विचार नहीं कर सकता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं नहीं समझता कि मेरे सहयोगी ने कोई ऐसी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुछ विस्तार की अनुमति दी गई और हम मानते हैं कि अनुमति क्षमता से अधिक विस्तार किया गया। औद्योगिक विकास मंत्री जिनका मंत्रालय इससे सम्बन्ध रखता है, कह चुके है कि वे इस पर विचार करेंगे। एकाधिकार आयोग की स्थापना से पूर्व अवधि का उल्लेख इस दृष्टि से किया गया था कि एकाधिकार आयोग द्वारा एकाधिकार के दृष्टिकोण से विचार करने का उस समय प्रश्न ही नहीं था। उसके बाद जब भी विस्तार का प्रस्ताव आया एकाधिकार के दृष्टिकोण से उस पर विचार किया गया। वास्तव में दो मामले एकाधिकार आयोग को सौंपे गये हैं; उनकी रिपोर्ट आ गई है और विचाराधीन है।

विदेशी औषध कम्पनियों संबंधी हाथी समिति की सिफारिशों के बारे में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के दृष्टिकोण

*895. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णरूपेण भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों के हितों की देखभाल करने वाले इण्डियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने शिकायत की है कि हाथी समिति की सिफारिशों के कारण विदेशी औषध कम्पनियों के हितों को बल मिलेगा,

(ख) यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों के लाभ सम्बन्धी तथ्य क्या हैं क्योंकि भारतीय कम्पनियों की अपेक्षा उनके संसाधन अधिक हैं; और

(ग) भारतीय कम्पनियां सुचारू रूप से चलती रहें, इस बात को प्रोत्साहन देकर भारत सरकार ने यदि कोई उपाय खोजा है, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) समाचार पत्रों में औषध एवं भेषज समिति की सिफारिशों के संबंध में प्रकाशित विभिन्न समाचारों पर प्रतिक्रियाओं की प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति भारतीय औषध निर्माता संघ के चेयरमन द्वारा भेजी गयी है। इस रिपोर्ट को चालू अधिवेशन के दौरान सभा पटल पर प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) विदेशी तेल कम्पनियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने तथा उद्योग के भारतीय क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने पहले ही से निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) निर्माण प्रयोजनाओं में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) और अधिक सख्या में प्रपुंज औषधों का सरकारी क्षेत्र में निर्माण ।

(iii) सामान्य रूप से विदेशी कम्पनियों को सूत्रयोगों के उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाते जब तक कि वे प्रपुंज औषध उत्पादन से जुड़े हुए नहीं हो।

(iv) विदेशी कम्पनियों से प्रपुंज औषधों का उत्पादन और अधिक मूल स्तर से आरम्भ करने के लिये कहा जा रहा है और क्षमता विस्तार तथा नई प्रक्रिया आरम्भ किये जाने के लिये प्रपुंज औषध उत्पादन का उचित मांग देश में असंबंध सूत्रयोगकों को देने की शर्त को लागू किया जाता है। उपयुक्त निर्यात दायित्व भी लगाया जाता है।

(v) और अधिक संख्या में प्रपुंज औषधों का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा सरणीबद्ध किया गया है जो प्रपुंज औषध और औषध मध्यवर्ती के कुल आयात का 60% से अधिक है।

(vi) निर्माण प्रक्रियाओं में विस्तार का अनुमोदन करते समय विदेशी पूंजी में निरन्तर कटौती तथा भारतीय शेयर होल्डींग की तदनुरूपी वृद्धि लागू की जाती है।

(vii) सभी अनावासियों, भारत में काम करने वाली विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा 40% से अधिक अनावासी शेयर होलडिंग वाली भारतीय कम्पनियों को नयी शाखाएं खोलने से पूर्व तथा नयी और वर्तमान प्रक्रिया को करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

श्री एन० ई० होरो : विवरण में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि हाथी समिति की सिफारिश से विदेशी भेषज कम्पनियों के हित सुदृढ़ होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समिति ने विदेशी कम्पनियों के अवैध सी० ओ० बी० लाइसेंसों और उन्हें दिये गये अनुमति पत्रों को नियमानुकूल करने की सिफारिश की है, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय फर्मों के हितों की रक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री के० डी० मालवीय : भारतीय सैक्टर के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले उपाय विवरण में बताये गये हैं लेकिन हाथी समिति की सिफारिश की अंतर्निहित बातें भी इतनी व्यापक तथा औषध और भषज उद्योग के विकास के लिये इतनी महत्वपूर्ण और मूलभूत हैं कि कतिपय सिफारिशों पर निर्णय करने से पहले सरकार को गहन अध्ययन करना होगा। इसीलिए हमारे सहयोगी ने कहा कि रिपोर्ट इस सत्र में सभा पटल पर रख दी जायेगी ताकि माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन कर सकें और उस पर विचार करने के लिये सरकार को कुछ और समय भी मिल सके तथा उसके बाद निष्कर्षों पर पहुँचने के लिये उसपर यहां चर्चा की जा सकेगी। उद्देश्य यह है पहले सरकारी क्षेत्र का विकास किया जाये--इसमें कुछ कठिनाइयां हैं जिनपर हम विचार कर रहे हैं--फिर भारतीय सैक्टर का विकास हो और उसके पश्चात् विदेशी सैक्टर पर जो निस्संदेह प्रपुंज औषधों में बहुत लाभ कमा रहा है और जिसकी हमें जानकारी है, यथासंभव और राष्ट्रीय हित में पाबन्दिया लगाई जायें। हमें इन सभी प्रश्नों पर सावधानी पूर्वक विचार करना है ताकि किसी विचारधारा के नाम पर हमें आवश्यक भेषजों की कमी का सामना न करना पडे। इसलिए हमें इन तीन क्षेत्रों के बीच एक स्वस्थ संतुलन करना है ताकि हम ऐसी स्थिति में हो कि देश में आवश्यक भेषजों की कमी न हो।

श्री एन० ई० होरो : क्या सरकार को मालूम है कि कुछ प्रमुख फार्मेसिस्टों और चिकित्सकों ने आशंका व्यक्त की है कि हमारे भेषज उद्योग पर सामाजिक नियंत्रण के इस प्रयास में किस्म नियंत्रण में विशेष रूप से अत्यावश्यक और प्राणरक्षक दवाइयों के मामले में, गिरावट आयेगी ? क्या सरकार को इस खतरे की जानकारी है ताकि हमारी जनता को बढ़िया किस्म की दवाये मिल सकें ?

श्री के० डी० मालवीय : बिल्कुल इन्हीं कारणों से मैंने कहा था कि माननीय सदस्यों और सरकार को भी रिपोर्ट का बहुत सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा और इसलिए हम रिपोर्ट सभा पटल पर रखने वाले हैं।

लेकिन अत्यावश्यक भेषजों पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में मैं कह चुका हूँ कि सरकार ने कुछ सामान्य निर्णय किये हैं जिनके आधार पर अनेक अत्यावश्यक भेषजों पर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को निमंत्रण देता हूं कि वे हरद्वार और ऋषिकेश जाकर हमारे संयंत्र देखें। उन्हें विश्वास हो जायेगा कि हमारे संयंत्र में नवीनतम उत्पादन साधन अपनाये गये हैं और वह इतनी कुशलता से काम कर रहा है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसकी प्रशंसा ही करेगा। हमारे संयंत्रों में बनाई जा रही भेषजों के कुशलता स्तर में गिरावट आने का कोई खतरा नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री जी को बधाई देते हुए और उनसे सहमत होते हुए कि ऋषिकेश स्थित संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, मैं जानता चाहता हूं कि सरकार सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्मित प्रपुंज भेषजों को अत्यावश्यक प्रपुंज औषधों से भिन्न औषधों के निर्माण के लिये विदेशी फर्मों के हाथ में क्यों जाने देती है? मंत्री महोदय हमसे क्या अध्ययन करने के लिये कहते हैं? क्या यह सच नहीं है कि ये विदेशी फर्में यूरोप में प्रचालित मूल्यों से आठ हजार गुना मूल्य ले रही है? क्या यह सच नहीं है कि अमरीका की उपभोक्ता संस्था ने इन विदेशी भेषज निर्माताओं के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली है? क्या यह सच है नहीं है कि वे भारी लाभ कमा रहे हैं? क्या हम इसका अध्ययन करें कि वे भारतीय उपभोक्ता को किस तरह लूट रहे हैं।

श्री के० डी० मालवीय : मैं अपने माननीय मित्र की भावना की सराहना करता हूं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कुछ निर्माता सरकारी क्षेत्र से ली गई प्रपुंज भेषजसे तैयार की गई दवाइयों के बहुत अधिक मूल्य ले रहे हैं। कुछ अन्य जटिल पहलू हैं। इस कारण से ही हाथी समिति गठित की गई थी और उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। रिपोर्ट पढ़ने पर बहुत सी रुचिकर सिफारिशें पता चलती हैं जिन्हें एकदम से स्वीकार किया जा सकता है। उनमें कुछ स्वीकार कर ली गई हैं। हाथी समिति की 200 से भी अधिक ऐसी सिफारिशें हैं जिनके व्यापक प्रभाव होंगे। मेरा सभा से अनुरोध हैं कि सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने और लोक एवं राष्ट्रीय हित में उपयोगी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कुछ समय दिया जाये ताकि विदेशी निर्माताओं को भारी लाभ कमाने से रोका जा सके।

Shri Nathuram Ahirwar : The hon. Minister said that the public sector plants are producing drugs of a very high quality. May I know from him whether production of low priced drugs was also planned so that the poor and the rural population might be benefitted and they might no more die as a result of spurious drugs?

Shri K. D. Malaviya : The public sector plants are producing very cheap drugs. A drug produced by a foreign formulator, which is priced at 40 paise, is produced in our plant at a rate of 10-15 paise only and is of the same standard. But the medicine is prescribed by a doctor, who are reluctant to go to rural areas. We are considering to make available some 117 drugs to villages in large quantities. But the medicines are prescribed by doctors and it will be dangerous to entrust it to others.

श्री वी० मायावन : क्या यह सच है कि आम जनता द्वारा खाई जाने वाली दवाइयों के मूल्य अधिक है? उनके मूल्य कम करने के लिए मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न हाथी समिति की शिफारिशों और विदेशी कम्पनियों के लाभ के में था और अब आप अन्य बातें पूछने लगे है।

सरकार द्वारा दायर अपीलें और लेखयाचिकाओं पर हुआ व्यय

*901. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत रेल हडताल के दौरान बर्खास्त किये गये अथवा सेवा से निकाले गये रेल कर्मचारियों के पक्ष में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपीलें दायर की हैं ;

(ख) रेलवे बोर्ड अथवा विभिन्न रेल प्रशासनों ने कर्मचारियों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर लेखयाचिकाओं और सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध दायर अपीलों के संबंध में कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) नियुक्त किये गये वकीलों के नाम क्या हैं और उनके लिये कितनी फीस स्वीकृत की गई तथा कितनी फीस अदा की जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के कर्मचारियों के मामलों को छोडकर ।

(ख) लगभग 88,000 रुपये ।

(ग) जिन वकीलो की सेवाएं ली गयीं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । अभी तक लगभग 62,000 रु० की फीस की मंजूरी दी गयी है भुतगान किया गया है ।

विवरण

वकील का नाम	रेल प्रशासन, जिसने वकील की सेवाए लीं
1. श्री एफ० एस० नारीमन, भारत के अपर महा न्यायाधिवक्ता	पूर्व रेलवे
2. श्री एस० डी० बनर्जी	पूर्व रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे पूर्वोत्तर सीमा रेलव चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना
3. श्री डी० एन० दास	पूर्व रेलव चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना
4. श्री पी० के० घोष	पूर्व रेलवे
5. श्री ए० के० बासु . .	दक्षिण पूर्व रेलवे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
6. श्री समर बनर्जी . .	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना
7. श्री बी० पी० बनर्जी .	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना
8. श्री सोमेन बोस . .	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न पिछले महीने की 15 तारीख की प्रश्न सूची से निकालकर आज के लिए रखा गया और इस बीच हमारा विचार था कि मंत्री जी द्वारा इस प्रश्न का पूरा पूरा जबाब दिया जायेगा किन्तु ऐसा हुआ नहीं है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि अपील के इन मामलों में कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं ?

श्री बूटा सिंह : प्रश्न का सम्बन्ध केवल अपीलों से है जो उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्णयों के विरुद्ध दायर की गई हैं और न कि कर्मचारियों की संख्या के बारे में है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : गुजरात उच्च न्यायलय के कर्मचारी केस जीत गये हैं। कलकत्ता के कर्मचारी जीत गये हैं। डेढ़ महीने बाद मंत्री जी आ रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का प्रश्न तो जरूर ही उठेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी प्रश्न से यही समझते हैं कि तुमने कर्मचारियों की संख्या नहीं पूछी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह स्पष्ट है। सरकार यह जानती है कि उसने कितनी राशि दी है किन्तु वह यह नहीं जानती कि मामले कितने हैं। यह एक अजीब बात है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री बूटा सिंह : मैं बाद में जानकारी देने के लिए तैयार हूं। किन्तु इस समय प्रश्न का सम्बन्ध उस खर्च से है जो सरकार को अपीलें दायर करने में उठाना पडा है और न कि कर्मचारियों की संख्या से यही मेरा निवेदन है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानता हू इन प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए असुविधाजनक है क्योंकि सभी उच्च न्यायालयों में सरकार को हार का मुंह देखना पडा है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि जब आप इतना अधिक धन (80,000 रुपए से अधिक) खर्च कर रहे हैं, तो आप इसके बजाय उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्णयों के आधार पर इन मामलों को निपटा क्यों नहीं लेते ? इसमें क्या हानि है ? आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर तथा वहां वकीलों को इस तरह पैसा देकर इतना अधिक लोक-धन क्यों व्यय कर रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : विभिन्न उच न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने का हमारा इरादा विवाद्य प्रश्न नहीं है, किन्तु जैसा कि आप देखेंगे कि विवाद्य प्रश्न यह है कि विभिन्न उच्च न्यायलयों ने जो निर्णय दिये हैं वे एक समान नहीं हैं और समान स्वरूप के नहीं हैं यही प्रश्न महत्वपूर्ण है, सरकार चाहती है कि निर्णय उस प्रक्रिया की वैधता के प्रश्न पर प्राप्त किया जाए जिसका अनुसरण नियम 14(2) लागू करने में किया जाना है। इसीलिए हम नियमों की वैधता के प्रश्न पर एक समान निर्णय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : नियम 14(2) की वैधता अन्तर्ग्रस्त नहीं है। आप अपने रिकार्ड देखिए।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको सही बात बता रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या यह सच नहीं है कि केरल, गुजरात और आन्ध्र उच्च न्यायालयों ने उसी किस्म के निर्णय दिये हैं और गुजरात में अपीली न्यायालय में भी कर्मचारियों का रेल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला मिला ? सरकार ने न्यायपालिका को कम से कम कुछ सम्मान तो करना चाहिए; वह ऐसा क्यों नहीं कर रही है ? सरकार इन निर्णयों के खिलाफ अपीलें दायर

करके न्यायपालिका का तनिक भी सम्मान नहीं कर रही है और जब कभी उसकी कार्यवाही संविधान के विरुद्ध घोषित की जाती है तो वह ऐसा ही करती है। सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को कैसे मजबूर कर सकती है जब वह खुद उच्च न्यायलय का फैसला नहीं मान रही है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी कर्मचारियों को नौकरियों में वापस ले लिया जायेगा और इस बारे में और आगे कोई खर्च नहीं किया जायेगा। मैं, मंत्रीजी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय से अपीले वापस ले लेगी और गुजरात, कलकत्ता, केरल तथा आन्ध्र उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों का आदर करेगी?

श्री बूटा सिंह : यह सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है जो रेलवे के खिलाफ है। प्रशासन के लिए उच्चतम न्यायालय में जाना असंभव नहीं है। मैं बता चुका हूं कि विभिन्न उच्च न्यायलयों ने अब तक भिन्न-भिन्न निर्णय दिये हैं और सरकार नियम 14(2) के एक समान प्रयोग के सम्बन्ध में एक निश्चित निर्णय चाहती है, जहां तक रेलवे कर्मचारियों को फिर से नौकरियों में वापस लेने का सम्बन्ध है, बोर्ड ने बहुत से मामलों में कर्मचारियों को फिर से नौकरियों में वापस ले लिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था।

लेकिन जैसा कि मैंने बताया है विवादय प्रश्न केवल यह है कि हम नियम 14(2) के प्रयोग के सम्बन्ध में न्यायालय का एक अन्तिम निर्णय चाहते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : रेलवे उप मंत्री जी के उत्तर से यही लगता है कि वे संभवत: सर्वोच्च न्यायालय में जायेंगे, इस खास मामले के बारे में मेरे प्रश्न का सम्बन्ध इस आश्वासन से है जो रेलवे मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा अपने बजट भाषण में दिया था कि सभी मामले बहुत शीघ्र निपटा दिये जायेंगे। सरकार इन मामलों के सम्बन्ध में श्री एस० डी० बनर्जी को 5,000 रुपए प्रतिदिन फीस देकर 8 2,000 रुपए खर्च कर रही है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह उन सभी मामलों पर फिर से विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि या तो उच्च न्यायालयों के निर्णय क्रियान्वित किये जायेंगे या फिर सरकार इन मामलों को वापस ले लेगी और उनका निपटारा करेगी। मेरा पक्का विश्वास है कि इनमें तोड-फोड का कोई मामला नहीं है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह त्रिपाठी जी द्वारा दिए गये आश्वासन के आधार पर जबाब दें।

श्री बूटा सिंह : मंत्री महोदय ने जो कुछ आश्वासन दिया उसे हम निश्चित रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारा रवैया रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, प्रश्न यह है कि हम उच्चतम न्यायालय से नियम 14(2) के सम्बन्ध में, जिसके अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, एक स्पष्ट निर्णय चाहते हैं। जहां तक मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस आश्वासन का सम्बन्ध है, जहां हिंसा तथा डराने धमकाने के मामले अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं, हम उनके प्रति ज्यादा साहनुभूति-पूर्ण रवैया अपना रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा रेलवे बोर्ड के विरुद्ध दिये गये निर्णयों के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जवाब आपके अनुकूल नहीं है। मैं समझता हूं सरकार उच्चतम न्यायालय से एक समान निर्णय चाहती है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय रेलवे मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में इस सभा में कहा था कि हिंसा के, जिसमें डराने धमकाने के मामले भी शामिल हैं, 440 मामले है जिससे स्पष्ट है कि बाकी मामले हिंसा, तोड-फोड व डराने धमकाने के नहीं हैं ।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, क्या श्री त्रिपाठी जी इस संबंध में एक बहुत सहानुभूति-पूर्ण रवैया अपना कर करीब-करीब सभी उत्पीडित कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की सिफारिश करेंगे कि जो सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप होगा और क्या वह आन्ध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के फैसले मानेंगे और सभी मामलें वापस लेकर इस विषय को पूरी तरह समाप्त करेंगे ?

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मामले उच्च न्यायालयों में गये कर्मचारी उच्च न्यायालयों मे गये और उन्होंने रिट याचिकाए दायर की हैं। इस विषय पर उनके निर्णयों में फर्क है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम नियम 14(2) के सम्बन्ध में क्या करें ?

हमने जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की है उसकी वैधता तथा उसकी प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। कुछ कहते है " तुम ऐसा कर सकते हो" और कुछ न्यायालय कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते ' कुछ कहते हैं 'तुम कारण क्यों नहीं बताते हो ?' इसलिए एक रुप निर्णय प्राप्त करने के लिए हमारा उच्च न्यायालय में जाना जरुरी हो जाता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव पडे बिना आप इन मामलों को खत्म कर सकते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : हम उच्च न्यायालय में नहीं गये । वे उच्च न्यायालय में गये और वहां उन्होंने अपनी रिट याचिकाएं दायर की ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ...

श्री एन० नरेन्द्र कुमार साल्वे : अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रश्न हजारों लोगों से सम्बद्ध है, श्री साल्वे को इतना अधैर्य क्यों हो रहा है, क्या आप चाहते हैं कि इन लोगों को नौकरी पर वापस न लिया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ही विषय से अधिक कानुनी जटिलताओं से उलझ रहे हैं । श्री साल्वे भी विधि विशेषज्ञ हैं। मामला दो वकिलों के बीच का हो गया है , हम क्या कर सकते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नितरंजन में, चितरंजन लोको वर्क्स के कर्मचारी उच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिका जीत गये । इन कर्मचारियों जिनकी संख्या लगभग 36 या 38 है, के विरुद्ध रेलवे ने अपील नहीं की । चितरंजन लोकों वर्क्स में अब बहुत बढिया माहौल है जिसे हर आदमी कबूल करता है वहां काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरह आप अन्य मामलों के सम्बन्ध में रेलवे में बढिया वातावरण बढाने के लिए इन कर्मचारियों को वापस क्यों नहीं लेते हैं? यदि आप नियम 14(2) के प्रयोग के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय लेना चाहते है, तो आप एक सांकेतीक (टोकन) मामला ले जाइये और किसी एक व्यक्ति को बली का बकरा बना लिजिए। सभी कर्मचारयों को कानूनी कार्यवाही मे अन्तर्ग्रस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आप इन मामलों को वापस ले लीजिए ।

श्री बूटा सिंह : यह सच नही है कि हम किसी को बली का बकरा बनाना चाहते हैं, प्रश्न यह है कि गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय भी, जो कि अद्यतन है हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबतक हम सभी तथ्यों से अवगत नहीं हो जाते, हमारे लिए वर्तमान स्थिति में यह कहना बहुत कठिन होगा कि हम इन मामलों को खत्म कर सकते हैं और न्यायालय में केवल एक टैस्ट केस ले जायेंगे । फिर भी , मैं इसे एक सुझाव के रूप में लेता हूं ।

हाथी समिति का प्रतिवेदन

*902. **श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है , और

(ख) क्या सरकार इस समिति का प्रतिवेदन इसी सत्र में सभा पटल पर रखेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सरकार का औषध एवं भेषज उद्योग समिति के रिपोर्ट की प्रति इस अधिवेशन के दौरान रखने का विचार है ।

श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार : इस प्रतिवेदन में एक मुख्य बात यह कही गई है कि अधिकारियों यथा डा० पी० आर० गुप्ता, डा० बी० शाह और श्री वी० राजगोपालन द्वारा, जो केवल भेषज सम्बन्धी मामलों से डील करते हैं और पिछले पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से इन अनुज्ञा पत्रों को जांच पडताल के बाद जारी करते आ र हैं, अनुज्ञापत्र तथा सी० ओ० बी; लाइंसेस गैर-कानूनी तौर पर जारी किए जाते हैं । क्या सरकार इस बारे में जाच करने का आदेश देगी और इन अधिकारियों को तुरन्त हटायेगी ? अन्यथा वे इस प्रतिवेदन (हाथी समिति की रिपोर्ट) को क्रियान्वित नहीं होने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि इस प्रतिवेदन की मुख्य बाते क्या हैं और उसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा । यह प्रश्न इस सभा में कई बार आ चुका है, लेकिन यदि आपके अनुपूरक प्रश्न पहले से ही बने-बनाये तैयार है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं । खैर कुछ भी हो, मैं तुम्हारे और मंत्रीजी के बीच में बाधा नहीं बनाना चाहता ।

श्री केशवदेव मालवीय : मैं सदैव वही करने की कोशीश करता हूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं आप जो चाहें वह करें ।

श्री केशवदेव मालवीय : किन्तु कुछ मजबूरीयां होती हैं जो आप और मुझे दोनों को ही बेबस कर देती हैं । मैं क्या कर सकता हूं ? प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि वह प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखे जाने तक का इन्तजार करे ।

श्री केशवदेव मालवीय : आप बिलकुल ठीक सलाह दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे मान लिया है ।

रेल में बिना टिकट यात्रा करने वालों के बारे में अनुमान लगाने के लिये सर्वेक्षण

*903. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वालों के बारे में अनुमान लगाने के लिये औपचारिक सर्वेक्षण कब किया था ।

(ख) उस समय राजस्व की कितनी हानि होने का पता लगा था ;

(ग) इसके पश्चात से कोई और सर्वेक्षण न किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) सरकार का आगामी सर्वेक्षण कब करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1967-68 में एक सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) 1967-68 में किये गये सर्वेक्षण के आधारपर यह पाया गया कि बिना टिकट यात्रा के कारण हुई अनुमानित हानी 20-25 करोड़ रुपए वार्षिक थी ।

(ग) और (घ) जून, 1973 से सितम्बर, 1974 तक दूसरा सर्वेक्षण किया गया जिससे यह पता चला कि बिना टिकट यात्रा में कमी हुई है । किंतु यह सर्वेक्षण देश के कुछ भागों में कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हूई स्थिति, गाड़ियों के रद्द होने और रेल कर्मचारियों के हड़ताल के कारण बकार हो गया । जल्दी ही एक नया सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है ।

श्री आर० एन० बर्मन : बिना टिकट यात्रा करनेवाले लोगों से 1974 के दौरान जुर्माने तथा किराये के रुप में कुल कितनी राशि वसूल की गई है और कुल कितने लोगों को दण्ड दिया गया है ?

श्री बूटा सिंह : यदि माननीय सदस्य भारत में सभी रेलवे के आकड़े चाहते है तो वर्ष 1973–74 के लिए उसकी कुल राशि 2,09,12,731 रुपए है ।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या सरकार का विचार कलकत्ता में उपनगरीय रेलवे में जहां प्रतिदिन लोग भारी संख्या में बिना टिकट सफर करते हैं, नियमित रुपसे चैकिंग स्टाफ तैनात करने का है ?

श्री बूटा सिंह : जी, हां, बिना टिकट यात्रा को निरुत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान चालू करने के लिए सरकार का विचार केन्द्रीय चैकिंग स्टाफ नियुक्त करने का है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस बात का पता लगाने के लिए कि बिना टिकट यात्रा से कितनी राशि की हानि हुई है, जो सर्वेक्षण किए गए है उनमें से प्रत्येकपर कितना खर्च आया है? पुराने सर्वेक्षणों के आधार पर , क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के अलावा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं, युवकों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि को नियुक्त करके बिना टिकट यात्रियों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है ? क्या देश के कुछ भाग ऐसे भी है, जहाँ लोग प्राय: हमेशा ही बिना टिकट सफर करते है ?

श्री बूटा सिंह : कोई विशेष खर्च नहीं आया है। विभिन्न रेलों से चुनकर रेलवे बोर्ड द्वारा केवल एक केन्द्रीय चैकिंग दस्ता गठित किया गया था। वे रेलवे के नियमित कर्मचारी है। इसलिए, इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष भर्ती नहीं की गई थी और कोई विशेष व्यय नहीं किया गया था।

जहां तक स्वैच्छिक सहायता का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड में पहले ही एक स्थायी समिति है जिसे स्वैच्छिक सहायता समिति कहा जाता है जो राज्य सरकारों तथा राज्य स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से बिना टिकट यात्रा की चैकिंग में रेलवे प्रशासन की मदद भी करती है।

अन्तिम अभियान प्रायः सभी रेल्वे में शुरु किया गया था। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक बेटिकट यात्रा होती है वे मध्य रेलवे, पूर्व रेलवें, और पूर्वोत्तर रेलवे के एक भाग के अन्तर्गत आते हैं।

यदि आप चाहे कि मैं उन सेक्शनों के नाम भी पढ़ दूं तो उनकी एक लम्बी सूची है। फिर भी जिन राज्यों के अन्तर्गत ये सेक्शन आते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं – असम, बिहार, उड़िसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या पिछले सर्वेक्षण में बिना टिकट यात्रा के कारण तथा उत्प्रेरक कमियां स्पष्ट रुप से बताई गई थीं और क्या सरकार ने इन त्रुटियों को दूर करने के लिए ठोस कार्यवाही की है ?

श्री बूटा सिंह : स्पैशल चैकिंग स्टाफ द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है, कार्यवाही निरन्तर जारी है, इसका कारण किसी विशेष राज्य में सामान्य विधि और व्यवस्था की स्थिति है और अलबत्ता, असामाजिक तत्व हैं जो बिना टिकट यात्रा करना चाहते हैं।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या बिना टिकट यात्रा में रेलवे कर्मचारियों का भी हाथ है ? इस सम्बन्ध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बूटा सिंह : ऐसी शिकायतें मिली है कि संगचल कर्मचारियों तथा ऐसे अन्य लोगों की सांठगांठ से जो बिना टिकट यात्रो करने में सहायता कर सकते हैं, बिना टिकट यात्रा की जाती है और इसका पता लगा है। जहां भी इसका पता लगा है हमने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जांच की है कि बिना टिकट यात्रा का काफी बड़ा हिस्सा तथा कथित लाभप्रद लाईनोंपर है और क्या इसका कोई विश्लेषण किया जाता है ? अलाभप्रद लाईनोंपर इस बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

श्री बूटा सिंह : किसी लाईन के अलाभप्रद होने का कारण लोगों द्वारा टिकट न खरीदा जाना ही नहीं होता बल्की इसके अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं। पर्याप्त यात्री नहीं है या माल नही भेजा जाता है और रेलगाड़ियों के चलने की अपेक्षित अंतरावधि नहीं है। अनेक अन्य कारण हैं। माननीय सदस्य के सुझाव पर निश्चित रूप में विचार किया जायेगा। इसी कारण हम अलाभप्रद लाइनों का इस संदर्भ में पुर्नविलोकन करते हैं।

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know the number of persons travelling without ticket with the help of railway employees, according to the survey? Will a survey be conducted to find out the extent of ticket less travelling in the company of railway employees and what action Government proposes to take against them ?

Shri Buta Singh : It is a vast country and it has a wide net work of railway lines. We do not have these statistics. If a complaint is received against an employee, strict action will be taken. There have been reports of attack on railway staff deputed to check ticketless travelling.

श्री दिनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि बड़ रेलवे स्टेशनों पर, जैसे हावरा, सियालदह, बम्बई, कानपुर आदि यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए लम्बी लाईन में घंटों खड़ा होना पड़ता है और रेलगाड़ियों में भी खास तौर पर स्थानीय गाड़ियों में—डिब्बे इतने छोटे होते है कि उसमें प्रवेश पाना कठिन हो जाता है। इस कारण से बहुत से व्यक्ति हालांकी उनमें से कुछ व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हैं – रेलवे अधिकारियों द्वारा उनसे जब भी किराया मांगा जाये किराया देने के लिये तैयार होते हैं।

श्री बूटा सिंह : जिन स्टेशनों का अर्थात हावडा, सियालदह, बम्बई, कानपुर, मद्रास और दिल्ली माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, वहां पर टिकटघर 24 घंटे खुले रहते हैं। वहां अधिकांश यात्रियों के पास सीजन टिकट पास होते हैं और वे प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इसलिए मेरे विचार में टिकट न मिलने के कारण बिना टिकट यात्रा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह निर्धारित करने के लिये क्या मापदण्ड अपनाये गये थे कि कितने लोगों ने किस स्थान से किस स्थान तक बिना टिकट यात्रा की और उससे कितनी हानि हुई, संभवतः मंत्री महोदय को मालूम नहीं है कि रेलवे कर्मचारियों के सहयोग से भी बिना टिकट यात्रा होती है। क्या यह पता लगाने के लिये कि रेलवे कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से किस हद तक बिना टिकट यात्रा होती है, सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री बूटा सिंह : मैं कह चुका हूं कि रेलवे कर्मचारियों की सांठगांठ के कुछ मामले हमारी जानकारी में आये हैं। इन आंकड़ों पर पहुंचने का मापदण्ड इस प्रकार है हम एक सैक्शन ले लेते हैं और कुछ समय तक प्रति दिन रेलगाड़ियों की चैकिंग करते हैं और पकड़े गये मामलों के आधार पर हम औसत निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिये सभी भारतीय रेलोंपर 1974–75 में फरवरी तक 1,62,221 व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये जिनमें से 99,189 व्यक्तियों को जेल भेजा गया और जुर्माने के रूप में 12,66,691 रुपए वसूल किये गये।

तेल से प्राप्त होन वाली आय में राज्य सरकारों की उनके भाग में वृद्धि करने की मांग

\+
***904. श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि तेल से प्राप्त होनेवाली आय में उनके भाग की प्रतिशत में वृद्धि की जाये,

(ख) क्या उन्होंने हाल ही में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ नए सिरे से बातचीत की थी,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है, और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री पी० गंगादेव : चूंकि तेल उत्पादक राज्यों ने रायल्टी के हिस्से में अधिक प्रतिशतता या कुल तेल से प्राप्त राजस्व में अधिक हिस्सा मांगना प्रारम्भ कर दिया है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में राज्यों में कच्चे तेल के निकालने की रायल्टी की वर्तमान शर्तें क्या है और क्या विशेष रुप से राज्यों के कोष को बढ़ाने के लिये अब उन शर्तों का पुनरिक्षण किया जायेगा ?

श्री सी० पी० माझी : राज्यों की रायल्टी की दर तेलक्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1948 के अधीन नियत की जाती है । इस विनियम के अधीन पहला पंचाट प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1962 में दिया गया था और इस वर्षों के दौरान इसमें अनेक बार परिवर्तन हुआ है । इन समझौतों के आधार पर प्रधान मंत्री ने 15 अक्टूबर, 1972 को पंचाट दिया जिसके अधीन कच्चे तेल पर रायल्टी की दर 1 जनवरी, 1972 से 31 मार्च, 1979 तक के लिये 15 रुपये प्रतिटन नियत की गई और यह कुछ समय तक चलेगी । रायल्टी की वर्तमान दरों में परिवर्तन करने का राज्य सरकारों का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री सी० पी० गंगादेव : मध्य-पूर्व तथा अन्य तेल उत्पादक देशों की तुलना में हमारे देश में रायल्टी की शर्तें कैसी है ? अपने देश के हित में अधिक रायल्टी के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : हम राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के प्रयत्न कर रहे हैं । वास्तव में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को मिलने वाले कच्चे तेल के मूल्य का अन्तराष्ट्रीय मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिए इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है । जहां तक वर्तमान बातचीत का सम्बन्ध है, मैं आशा करता हूं कि कुछ महीनों में समझौता हो जायेगा ।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने कहा कि रायल्टी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु वास्तविकता यह है कि जब कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1.5 डालर प्रति बैरल का तब रायल्टी 7.50 रुपए थी अब कच्चे तेल का मूल्य $10\frac{1}{2}$-11 डालर हो गया है परन्तु राज्यों को इतनी प्रतिशतता नहीं दी जा रही है और राज्य रायल्टी की दरों में वृद्धि की बराबर मांग करते रहे हैं । क्या मंत्री महोदय कच्चे तेल पर रायल्टी के बारे में, जो 1968 के बाद से नहीं बदली गई है, इस विलम्ब के सम्बन्ध में राज्यों के लोगों—चाहे आसाम हो या गुजरात—की भावनाओं के बारे में गंभीर हैं ? 1972 का पंचाट वैद्य नहीं है क्योंकि इस बारे में राज्य सरकारों की सहमति नहीं ली गई थी । क्या वे बम्बई हाई से निकाले गये कच्चे तेल पर गुजरात को रायल्टी देने पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन बम्बई हाई से निकाले गये तेल पर गुजरात को कोई रायल्टी मिल सके । जहां तक कच्चे तेल के मूल्य, जिसपर रायल्टी नियत की जाती है, का सम्बध है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आसाम और गुजरात से प्राप्त तेल के मूल्य कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से आधा है । इसलिए मैंने कहा था कि देशीय तेल और अंतर्राष्ट्रीय तेल के मूल्यों के बीच, जिसके आधार पर रायल्टी पर विचार किया जाता है, कोई सम्बन्ध नहीं है । हम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को मिलनेवाले तेल के मूल्य के आधारपर रायल्टी नियत करने का प्रयास करते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा अशोधित तेल का उत्पादन

*896. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (पश्चिमी क्षेत्र) ने अपने लक्ष्य से अधिक अशोधित तेल का उत्पादन कर एक रिकार्ड स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अशोधित तेल के 3.78 मिलियन मीटरी टन के अशोधित लक्ष्य के मुकाबले तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने पश्चिमी क्षेत्र में तेल क्षेत्रों में 1974–75 के दौरान 3.86 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन किया और भेजा ।

मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण

*897. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 की तुलना में , वर्ष 1974–75 में उनके मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कार्यकरण के परिणाम क्या रहे है, और

(ख) प्रत्येक उपक्रम में कर देने के बाद शुद्ध लाभ में कितनी वृद्धि/कमी हुई है और इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) क्योंकि सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के वर्ष 1974–75 के लेखे अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए उपक्रमों के उस वर्ष के कार्य निष्पादन परिणामों का वर्ष 1973–74 से तुलना करना संभव नहीं है । तथापि उपक्रमों का वर्ष 1973–74 के लिए लाभांश /हानि के रूप में कार्य निष्पादन परिणामों के बारे में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

विवरण

(रु० लाखों में)

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	कार्य निष्पादन परिणाम	
		शुद्ध लाभ (—)	हानि (+)
1	तेल और प्राकृतिक गस आयोग .	(+)	2,451.17
2	भारतीय तेल निगम . .	(+)	981.00
3	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड . . .	(+)	671.00

विवरण—जारी (रु० लाखों में)

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	कार्य निष्पादन परिणाम	
		शुद्ध लाभ (—)	हानि (+)
4	कोचीन रिफाइनरीज लि० .	(—)	594.60††
5	इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कं० . .	(+)	48.670@
6	लुब्रिजौल इण्डिया लि० . .	(—)	42.60
7	इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० . .	(+)	262.39
8	इन्जीनियर्स इण्डिया लि० .	(+)	44.16
9	भारतीय उर्वरक निगम	(+)	456.00
10	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लि० . .	(—)	196.63
11	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० . .	(+)	305.00
12	पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० .	(—)	15.90
13	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० .	(+)	127.87
14	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइडस लि० .	(+)	35.94
15	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० . .	(—)	182.28
16	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०	(—)	148.21

††शेयर होल्डरों द्वारा अपनाया जाएगा, कंपनी का वित्तीय वर्ष, सितम्बर से आरम्भ होता है।

@कंपनी का वित्तीय वर्ष जनवरी से आरंभ होता है।

नोट : 1. इसमें हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० जो 13–3–74 को एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम बन गया था, को सम्मिलित नहीं किया गया है।

2. इसमें बोंगाई गांव शोधनशाला और पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि० और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इनकी स्थापना 1973–74 के अंत में या उसके बाद की गई थी।

Representation for providing Halt at Madhya Bela on Bhagalpur Mandar Line

***898. Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received a representation for providing a halt midway between Dhauni-Sanjha at Madhya Bela on Bhagalpur-Mandar Railway line; and

(b) if so, the reaction of Government to the demand for this halt?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) Yes, Sir. The request was examined but could not be acceded to as opening of this halt would result in financial loss and the traffic expected is very meagre. Besides, the area is adequately served by other modes of transport.

लोकसभा के बारपेटा उपनिर्वाचन में गलत आचरणों की जांच

*899. **श्री समर गुह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने आसाम में हाल में हुए लोकसभा के बारपेटा उपनिर्वाचन मे कथित गलत आचरणों की जांच आरम्भ कर दी है जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विपक्ष के नेताओं को आश्वासन दिया था तथा जिससे सम्बन्धित तथ्य की विधि मंत्रालय ने भी पुष्टि की है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के विचारणीय विषय क्या हैं ;

(ग) जांच करने के लिये नियुक्त किये गये निकाय में कौन कौन अधिकारी हैं ; और

(घ) जांच पूरी करने के लिये क्या समय निर्धारित किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 20 मार्च, 1975 वाले पत्र द्वारा श्री समर गुह, संसद सदस्य को सूचित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के अधीन उनके और अन्य संसद सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों के उपचार के लिए निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93(1) के अधीन अभ्यावेदन में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों वाले पैकेटों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन के सिवाय न खोला जा सकता था, न उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जा सकता था और इसलिए उन दस्तावेजों में से किसी के संबंध में लगाए गए आरोपों का सत्यापन करना संभव नहीं है। तथापि, अभ्यावेदन में निर्दिष्ट अन्य विषयों के संबंध में जांच आरंभ हो चुकी है और वह अभी चल रही है। जांच पूरी करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट समय नियत नहीं किया गया है। पूरी रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

*900. **श्री गजाधर माझी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में इस समय कितने उर्वरक संयंत्र है,

(ख) क्या सरकार उडीसा में पांचवी या पंचवार्षीय योजना के दौरान एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उडीसा राज्य में उर्वरकों की भारी कमी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) निम्नलिखित उर्वरक कारखाने इस समय उडीसा राज्य में उत्पादन कर रहे है :—

कारखाने का नाम	वास्तविक स्थापित क्षमता (मी० टन)	
	नाइट्रोजन	पी० 2 ओ 5
1. हिन्दुस्तान स्टील लि०		
(क) अमोनियम सल्फेट उपोत्पाद		
(ख) सी ए एन संयंत्र	—	
2. उडीसा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स	5,000	

इसके अतिरिक्त 2,28,000 मीटर टन नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए एक कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना राज्य में तालघर पर कार्यान्वयनाधीन है ।

(ख) जी हां, सरकार ने उड़ीसा में पैरादीय पर उर्वरक संयंत्र की स्थापना को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है। जैसे ही वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थायें की जायेंगी संयंत्र को कार्यान्वित किया जायेगा ।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय राज्य में उर्वरक की कोई कमी नहीं है ।

महाद्वीपीय जलमग्न तटभूमि में ड्रिलिंग

*905. **श्री डी० के० पंडा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया गया है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट से दूर महाद्वीपीय जलमग्न तट भूमि में तेल के लिये ड्रिलिंग प्रारंभ की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल उडीसा से दूर महाद्वीपीय मगन्तर क्षेत्र में तेल के अन्वेषण के लिए अमेरिका के कार्लसवर्ग नाटोमस ग्रुप आफ आयल कंपनीज को ठेका दे दिया गया है । किए गए सर्वेक्षणों से संरचनात्मक संभावनाओं का पता चला है । पूर्ण किए गए सर्वेक्षणों को प्रक्रियान्वित और उनका विश्लेषण किया जा रहा है और इस कार्य के पूर्ण होने के बाद ही, व्यधन कूपों के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकेगा ।

रंगने वाले रसायनों का उत्पादन तथा आयात

*906. **सरदार स्वर्ण सिंह शोखी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनाये जाने वाले रंगनेवाले रसायन विदेशी रसायनों की तुलना में अभी भी घटिया किस्म के हैं;

(ख) क्या रंगनेवाले रसायनों का अभी तक पश्चिम योरोप अथा अन्य देशों से आयात किया जाता है;

(ग) ऐसे रसायनों का प्रति वर्ष कितनी मात्रा में आयात होता है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है; और

(घ) स्वदेशी रसायनों की किस्म में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है और इनका आयात कब तक बन्द कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) जी हां । विगत तीन वर्षों के दौरान किया गया आयात निम्न प्रकार है:—

वर्ष	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (रुपये/करोड)
1972–73	757.4	3.24
1973–74 . . .	756.2	3.77
1974–75 . . . (अक्तूबर, 1974 तक)	260.5	1.62

(घ) उन रंजक पदार्थों का आयात अधिक किया जाता है जिनकी आवश्यकता थोडी एवं विशिष्ट रूप में है । आत्मनिर्भरता तथा स्वाधीन रूप से अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने से प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

बम्बई के गहरे समुद्र में चौथें कुंए से प्राप्त तेल की किस्म

*907. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के गहरे समुद्र में पहले तीन कुओं की अपेक्षा चौथ कुयें में तेल की अधिक मोटी सतह पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इससे उत्पादन क्षमता एक वर्ष की ए क करोड़ टन की अनुमानित उत्पादन क्षमता से अधिक हो जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) चौथे कुंए न लगभग 41 मीटरों के तेल की मोटी गहराई दिखाई है । इस कुंए में तेल की अन्तवर्ती गहराई की मोटाई लगभग 19 मीटर थी । चौथे कुए में तेल प्राप्ति प्रथम 3 कुओं की तुलना में अधिक थी ।

(ग) और (घ) जब कि बम्बई हाई में अब तक खोदे गए सभी चारों कुओं में प्राप्त तेल में अच्छा बहाव पाया गया है, फिर भी वहां कुछ और कुओं की खुदाई अपेक्षित है ताकि संरचना के संभावित उत्पादन का ठीक मूल्यांकन किया जा सके ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के प्रतिवेदन की जांच

*908. **श्री बालकृष्ण वन्कन्ना नायक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के संबंधित प्रावधानों के अधीन आदेश जारी किये जाने से पूर्व उन के मंत्रालय द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के प्रतिवेदन की और आगे जांच की जानी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस जांच के दौरान एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को अपने प्रतिवेदन का औचित्य सिद्ध करने का अवसर दिया जाता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) आयोग द्वारा उसको धारा 21 (3) (ख) या धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत भेजे गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्टों का, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रस्तावों के विषय में कोई आदेश पारित करने से पूर्व धारा 21 (3) (ग) या धारा 22 (3) (ग) की शर्तों में परीक्षण किया जाता है ।

(ख) आयोग की इस प्रकार की रिपोर्टें लक्षण से परामर्शी है अतः आयोग को अपनी रिपोर्टों को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए कोई अवसर दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

बम्बई हाई से परे तटदूर ड्रिलिंग

*909. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई के अतिरिक्त अन्य तटदूर क्षेत्रों में ड्रिलिंग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) नई योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) बाम्बे अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषण के अतिरिक्त कच्छ की खाडी तथा बंगाल उड़ीसा ाड़ी के महाद्वीपी क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों जिनके साथ इन दो खाडीयों में अन्वेषण के लिये समझौते किये गये हैं, द्वारा अन्वेषण कार्य किया जा रहा है । कच्छ की खाडी तथा बंगाल उड़ीसा की खाड़ी में खुदाई इस वर्ष मानसून के बाद आरम्भ होने की आशा है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक भूकम्पीय सर्वेक्षण जहाज प्राप्त कर रहा जो है महाद्वीपीय क्षेत्र के शेष भाग में क्रमबद्ध भूभौतीय सर्वेक्षण करेगी । इन शेष क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक खुदाई का निर्णय भकम्पीय सर्वेक्षण के परिणामों के अध्ययन के उपरान्त किया जायेगा । अतः स समय लागत अनुमानों का संकेत देना संभव नहीं है ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का फार्म्यूलेशन बनाने का प्रस्ताव

*910. **श्री वाई० ईश्वर रेडडी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का नये फार्म्यूलेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन फार्म्युलेशन्ज को बनाया जायेगा और किस क्षमता पर; और

(ग) पांचवी योजनावधि में शुरु किये जाने वाले इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्रस्तावित अन्य विस्तार कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) पांचवीं योजना अवधि के अंत तक आई डी पी एल का प्रपुंज औषधों के अपने कुल उत्पादन के 60 भाग का सूत्र बद्ध करने का विचार है तथा इस दिशा में अपने सिंथैटिक ड्रग्ज़ प्लांट, हैदराबाद तथा एन्टिबायेटिक्स प्लांट, ऋषिकेश में वे उनका अपनी सूत्रयोग संबंधी विस्तार करने का विचार है, इसके अतिरिक्त एक नये फार्मुलेशन यूनिट की स्थापना करने का भी विचार है । आशा है कि परिकल्पित विस्तार के कार्यान्वयन के साथ इन्जैक्टेबलस, वायस, कैप्सूल, सिरप, आइन्टमेंट के उत्पादन के लिए नये क्षमता के सृजन के अतिरिक्त सिन्थटिक ड्रग्स प्लांट, हैदराबाद 2000 मि० से 5200 मि० तक उत्पादन में वृद्धि करेगा । एन्टिबायेटिक्स प्लांट, ऋषि केश में वायल्स एवं कप्सूल की क्षमता जो इस समय प्रतिवर्ष 120 मि० है, 5वीं योजना की अवधि के अंत तक दुगनी हो जायेगी इसी प्रकार आई डी पी एल के नये सूत्रयोग यूनिटों में निम्नलिखित क्षमताओं का सृजन करने का प्रस्ताव है :—

टेबलेट्स .	1500	मिलियन
कप्सूल . .	50	,,
वियल .	50	,,
एम्पूल्स .	50	,,
साइरप .	600	कि० ली०
आयन्टमेंन्ट . .	30	मी० टन

उपरोक्त के अतिरिक्त पांचवी योजना के दौरान विस्तार के लिए आई डी पी एल के प्रस्ताव में निम्नलिखित का उल्लेख कर संशोधित किया गया है :

प्रायोजना	प्रस्तावित क्षमता	पूंजी	लाख रुपयों में लागत
सिन्थैटिक ड्रग्स प्लांट विस्तार	38 औषध 1989 से 3307 मी० टन तक विस्तार		2,190.00
नियासिनामाइड प्लांट	300 मी० टन		838.00
एन्टिवायोटिक्स प्लांट विस्तार	85 टन से 120 टन तक		820.00
	स्टैप्टोमाइसीन 25 से 95 मी० टन तक	10 टन	
	ट्रैटासाइक्लीन एम्पिसिलीन		
	डाक्सी साइक्लीन	5 टन	

आई डी पी एल के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम के लिए 44.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना 40 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का प्रस्ताव है ।

औषधों के कुछ श्रेणियों, जिनका सूत्रयोग संबंधी कार्य आई डी पी एल द्वारा शीघ्र किये जाने का प्रस्ताव है, में विटामिन, मधुमेय अवरोधी, मलेरिया अवरोधी, प्रावसादक (डिप्रैसेन्ट) अवरोधी टी० बी० अवरोधी, सल्फा एंटिवायोटिकस आदि सम्मिलित हैं ।

धनबाद डिवीज़न में निष्ठावान कर्मचारियों के पुत्रों/आश्रितों की नियुक्ति

* 911. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनवाद डिवीज़न में कुल कितने रेल कर्मचारी हैं और मई, 1974 की रेल हडताल के दौरान तृतीय श्रेणी और चतूर्थ श्रेणी में, अलग-अलग कुल कितने तथाकथित निष्ठावान कर्मचारी थ ;

(ख) धनवाद डिवीज़न में तृतीय श्रेणी के संवर्ग में निष्ठावान कर्मचारियों के किन-किन पूत्रों और आश्रितो की सीधी नियूक्ति की गई और यह विशेष सुविधा दिये जाने का क्या आधार है ; और

(ग) मई, 1974 की हडताल के दौरान तथा उसके बाद कितने स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासियों, हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को तृतीय तथा चतुथ श्रेणियों के पदों पर नियुक्त किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) श्रणी III के 9,001 और श्रेणी IV के 16,349 कर्मचारियों में से श्रेणी III के 7,934 और श्रेणी IV के 11,372 कर्मचारी वफादार रहे ।

(ख) धनबाद मण्डल के वफादार रेल कर्मचारियों के लगभग 91 आश्रितों को अब तक तीसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया है क्योंकि हिंसा और डराये धमकाये जाने के वाबजूद भी कर्मचारियों ने कर्तव्य के प्रति अतूट निष्ठा दिखायी ; किन्तु उनके नाम तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) श्रेणी III के पदों पर नियुक्त सभी 91 व्यक्ति उन रेल कर्मचारियों के आश्रित हैं जो उसी क्षेत्र में काम करते हैं । अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों से तीन आवेदन पत्र मिले थे जिनमें से दो को तीसरी श्रणी के पदो पर नियुक्त किया गया है और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से अभी तक कोई आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

सराय रोहिल्ला में वैगनों रखे कुकिंग गैस सिलेंडरों का फटना

*912. **श्री शशि भूषण :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1975 के दूसरे सप्ताह में सराय रोहिला शन्टिंग यार्ड में 850 से अधिक कुकिंग गैस सिलेंडर फट गये थे और इसके भयानक आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा आहत हुए; और

(ग) इस दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 845 गैस सिलिन्डरों में आग लगने के कारण 10 अप्रैल, 1975 को विस्फोट हो गया था ।

(ख) कोई मरा नहीं लेकिन एक रेल कर्मचारी सहित 5 व्यक्ति घायल हो गये थे ।

(ग) घायल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का कोई भुगतान नहीं किया गया है । तथापि, रेल कर्मचारियों को उनकी झुग्गिया क्षतिग्रस्त होने के कारण 3,600 रुपये का अनुग्रह भुगतान किया गया है ।

सियालदाह डिवीजन में ई० एम० यू० सवारी डिब्बों (कोचों) की हालत

*913. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 9 अप्रैल, 1975 के "दैनिक वासुमती कलकत्ता डेली" के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित फोटो की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सियालदह डिवीजन में लगभग सभी ई० एम० यू० सवारी डिब्बों की हालत अच्छी नहीं है ;

(ग) सियालदह डिवीजन में ऐसे कितने ई० एम० यू० सवारी डिब्बे हैं जो ठीक हालत में है ; और

(घ) जनता के आराम के लिए सभी ई० एम० यू० सवारी डिब्बों को कब तक ठीक हालत में कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं, 56 रेकों में से 47 रेक ठीक हालत में हैं और बाकी 9 रेक भारी आवधिक ओवर-हाल तथा विशेष मरम्मत के लिए सर्क्युलेशन में हैं ।

(घ) समाज-विरोधी तत्वों की शरारतभरी गतिविधियों के कारण, परिचालन के दौरान उपस्कर/किटिंग को भारी क्षति हो जाती है । जब सवारी-डिब्बे कारखानों अथवा शेडों को भेजे जाते हैं, तब इस प्रकार हुई क्षति का काफी हद तक परिशोधन कर दिया जाता है । बिजली गाडी के डिब्बों को जनता के इस्तेमाल के लिए अच्छी हालत में रखने के लिए निरन्तर प्रयास किया जाता है और विशेष अभियान चलाये जाते हैं ।

उड़ीसा में पारादीप उर्वरक संयंत्र की प्रगति

*914. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पेट्रोलियम** और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में पारादीप में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त संयंत्र में कब तक उत्पादन आंरभ होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) प्रायोजना का सरकार द्वारा सिद्धान्त रुप में अनुमोदन कर दिया गया है और वित्तिय और अन्य प्रबन्ध की व्यवस्था पूर्ण हो जाने के पश्चात् इसे कार्यन्वित किया जायेगा ।

मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज द्वारा बिना अनुमति के उत्पादों का बनाया जाना

8678. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज (इण्डिया) लि० द्वारा की गयी अनियमितताओं के बारे में 8 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 5366 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना सही नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स ग्लैक्सो लेवोरेट्रीज (इन्डिया) लि० द्वारा बिना स्वीकृति के/औद्योगिक लाइसेंस के बहुत से उत्पाद बनाये जा रहे हैं और यह फर्म अधिक राशि/कम राशि के बीजक बना रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस फर्म द्वारा इस देश से बाहर भारी धनराशि भेजने के मामले में देश के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए फर्म के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

Quality of Sunlight Soap

8679. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the quality of the Sunlight soap presently available in the market is far inferior to that manufactured earlier, though its price has been increased;

(b) whether Government propose to conduct an enquiry into the matter and to issue directive to soap manufacturers to produce the same quality soap as was produced previously; and

(c) if so, the reasons for delay in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) There has been no report of deterioration in the quality of sunlight soap after the lifting of the informal control on prices in September, 1974. On the other hand according to M/s. Hindusthan Lever the quality of Sunlight soap has improved as there has been an increase in TFM content and the soap conforms to I.S.I. Specification.

(b) & (c) Do not arise.

सलाया में तटदूर टर्मिनल का निर्माण

8680. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालाया में तटदूर टर्मिनल तथा सलाया से कोचली एवं मथुरा के लिये स्थल माग पाइपलाईन पद्धति का निर्माण कार्य समयावधि के अनुरूप चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस कार्य की मूल अनुमानित लागत क्या थी और इस समय इसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) अपतटीय टर्मिनल तटीय टर्मिनल तथा सलाया-वीरमगाम कोयली/मथुरा पाइलाइन को 1 अप्रैल, 1977 तक विस्तृत कोयाली शोधनशाला और 1978 के मध्य तक मथुरा शोधनशाला के आरंभ होने से पहले पूरा करने के लिए 50 करोड रुपये के विदेशी मुद्रा संघटक सहित लगभग 120 करोड़ रुपये की कुल लागत पर, सरकार द्वारा अगस्त 1973 में स्वीकृति दी गई थी। अनुमानित लागत उपस्कर सामग्री आदि के मूल्य में वृद्धि के कारण लागत के अनुमानों में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। 1974 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार 68.58 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा संघटक सहित इन सुविधाओं पर 188.16 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। आयातित अशोधित तेल की लागत में तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखकर वीरहमगाम मथुरा क्षेत्र के पाईपलाईन सहित मथुरा शोधनशाला के पूरे होने का निश्चित समय इस समय सरकार के पुनरीक्षणाधीन है। सलाया वीरमगाम कोयाली क्षेत्र की पाइपलाइन सहित अपतटीय टर्मीनल, विस्तृत कोयाली शोधनशाला, जो अब 1977 के मध्य तक आरंभ हो जाएगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित समय में होने पूर्ण की संभावना है।

विलियमसन मेजर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का मैकनील एण्ड बैरी लिमिटेड, कलकत्ता के साथ एकीकरण

8681. **श्री श्रीकिशन मोदी** :

श्री अनादि चरण दास :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलियमसन मेजर एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का मैकनील एंड बैरी लिमिटेड कलकत्ता के साथ गलत एकीकरण हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो कम्पनीयों के ऐसे एकीकरण पर कोई निगरानी रखी गई थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एकीकरण योजना, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 391/394 के अन्तर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा तथा एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 28 में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये इस अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। गुणावगुण के आधार पर एकीकरण का अनुमोदन करते समय एक निबंधन लगाया गया है कि, इस एकीकरण के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अन्दर, इस सम्मेलित कम्पनी में विदेशी हिस्सेधारिता कम करके 27.53 प्रतिशत करनी होगी।

पश्चिम बंगाल में वैगन उद्योग के पास पड़े लम्बित क्रयादेश

8682. **श्री टुना उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वैगन उद्योग के पास गत तीन वर्ष से वैगनों के कई क्रयादेश लम्बित पडे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के पास वैगनों के लिये एकक-वार, अबतक लम्बित पड़ क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है और इन एककों द्वारा एकक-वार की गई सप्लाई का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन वैगनों का मूल्य बढ़ा दिया गया है जिसके कारण यह एकक क्रयादेशो की पूर्ति नहीं करना चाहते ;

(घ) यदि हां, तो एककवार अबतक की क्या स्थिति है ; और

(ड़) उद्योग द्वारा उत्पादन बनाए रखने के लिये और उद्योग को बचाने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9630/75]**

(ग) जी नहीं, लेकिन माल डिब्बा उद्योग ने यह अभ्यावेदन किया है कि 1973 के आखिर में और 1974 में मुद्रास्फीति के कारण तयशुदा मालडिब्बा ठेकों की कीमतें अलाभकर हो गयी है।

(घ) और (ड़) जो ठेके तय हो चुके हैं और अलाभकर हो गये बताये जाते हैं उन से सम्बन्धित कीमतों के उपयुक्त परिशोधन के लिए मालडिब्बों उद्योग के अभ्यावेदनों पर विचार करने के निमित्त रेल मंत्रालय, उद्योग और सिविल सप्लाई मंत्रालय तथा वैगन इंडिया (पी०) लि० के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की गयी है।

कानपुर स्टेशन पर साइकल स्टैंड के ठेके के लिए निविदायें

8683. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपूर रेलवे स्टेशन पर 'गुड्स शेड' तथा 'लोको शेड' के साईकल स्टैंड के ठेकों के लिए 10 जून, 1974 किम किन व्यक्तियों ने निविदायें दी तथा प्रत्येक निविदा भरनेवाले ने क्या दरें दीं;

(ख) क्या ठेकों की सामान्य शर्तों के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गयी दरें निविदाय खोली जानेवाली तिथि से 90 दिन तक के लिये अनिवार्य थीं ;

(ग) क्या वर्तमान ठेकेदारों को, जो निविदाओं में उच्चतम दर लेने वाले ठेकेदारों की दरों से बहुत कम लाईसेंस शुल्क दे रहा है, लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) निम्नलिखित सात टेंडर प्राप्त हुए थे :–

	पार्टी का नाम	टेंडर में उल्लिखित राशि रु०
1	मैं० एम० डी० एण्ड कं०, कानपुर .	1,31,000.00
2	मैं० रजा एण्ड कं०, कानपुर	1,29,000.00
3	श्री मोहम्मद फरीद इदरिशी, कानपुर .	99,999.99
4	मैं० निरंकारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, कानपुर . .	87,050.00
5	श्री कुदरत दीन, कानपुर . . .	82,000.00
6	मैं० पाटला ट्रेडर्स, कानपुर . .	77,101.00
7	श्री मोहम्मद साबिर, कानपुर	98,700.00

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधि विकास परिषद् का गठन

8684. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में औषधि विकास परिषद के सदस्यों के नाम क्या थे ;

(ख) क्या इसका नियंत्रण विदेशी औषध उद्योग द्वारा किया जाता था क्योंकि उक्त क्षेत्र, देश में औषधियों के उत्पादन तथा विक्री का नियंत्रण कर रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सदस्यों को विकास परिषद से हटाने का है जिनकी फर्मों ने औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय औषध के हित में सरकार का विचार उक्त भेदभाव को समाप्त करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) विवरण पत्र I, II और III जिनमें औषध और भेषज के लिये विकास परिषद का 17-8-1968, 10-9-1971 और वर्तमान संरचना दिखायी गयी है, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9631/75]**

औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा किसी अनुसूचित उद्योग अथवा अनसूचित उद्योगों के किसी समूह के लिये विकास परिषद कहलाये जाने वाले व्यक्तियों के निगम की स्थापना कर सकती है। जिसमें ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो केन्द्रीय सरकार के विचार से :

(i) अनुसूचित उद्योग अथवा अनुसूचित उद्योगों के समूह में औद्योगिक उपक्रमों के मालिकों के हितो की देख-रेख करने में समर्थ व्यक्ति है।

(ii) अनुसूचित उद्योग अथवा अनूसूचित उद्योगों के समूह के तकनीकी अथवा अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति है ;

(iii) अनुसूचित उद्योग अथवा अनुसूचित उद्योग समूह के औद्योगिक उपक्रमों में नियुक्त व्यक्तियों के हितो की देख-रेख करने में समर्थ व्यक्ति है ; और

(iv) वे व्यक्ति जो उपरोक्त श्रेणि यों से संबंध नहीं है तथा जो अनुसूचित उद्योग अथवा अनुसूचित उद्योगों के समूह द्वारा निर्मित अथवा उत्पादित माल के ग्राहकों के हितों की देखरेख करने में समर्थ है।

समिति का उक्त परन्तुक के अन्तर्गत प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात जैसा कि उपर बताया गया है, सदस्यों के रूपमें प्रतिनिधियों सहित गठन किया जाता है परिषद को सदस्य नियुक्ति की तिथि से ऐसी अवधि के लिये पदासतीन रहेगा जो कि 2 वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि नियुक्ति आदश में निर्दिष्ट किया जाय और वह पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

वर्तमान विकास परिषद का गठन करते समय पैरा 35 (पांचवी लोक सभा) में निहित डी-जीटीडी प्राकलन समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया था।

फालतू नैपथा का स्टोर करने के लिये उर्वरक उद्योग की अनुमति

8685. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फालतू नैफथा का स्टोर करने के लिये उर्वरक उद्योग की अनुमति देने का प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव किन परिस्थितियों में लाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये उद्योग को पर्याप्त ऋण देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में दिनांक 4 मार्च, 1975 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न सं० 2121 के दिए गए उत्तर को देखने की कृपा करें।

जनजातियों को कानूनी सहायता

8686. **श्री के० प्रधान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) क्या उक्त आबंटन राज्यवार किया जाता है ;

(ग) गत वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई थी ; और

(घ) इससे कितने व्यक्तियों का लाभ हुआ ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) से (घ) जानकारी गृह मंत्रालय से इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Wagons for transportation of oranges and vegetable from Nagpur and its adjoining stations

8687. **Shri Ram Hedaoo** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether railway wagons are not available in sufficient number and on a reggular basis for transporting oranges and vegetables from Nagpur and its adjoining stations; and

(b) the action being taken to remove this difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

उड़ीसा में बांसपानी–जखपुरा रेलवे लाइन के लिए आवंटित राशि पर्याप्त होना

8688. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसपानी–जखपुरा रेलवे लाइन के लिये बजट में 1 लाख रूपये की राशि का आबंटन पर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष और अधिक राशि आबंटित करने का है ताकि इस संबंध में किया जानेवाला निर्माण कार्य उद्देश्य के अनुरुप हो ; और

(ग) उड़ीसा में इस समय कुल कितनी मील रेलवे लाइन हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) निधि की बहुत सीमित उपलब्धता को देखते हुए चालू वर्ष में केवल नाम-मात्र निधि का आबंटन किया गया है ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

(ग) 31–3–1974 को उड़ीसा में रेलवे लाइन की मार्ग किलोमीटर दूरी 1960 किलो मीटर थी ।

राष्ट्रीय हित के लिए रलवे लाईनों की दलील पर रेलवे लाईनों का निर्माण

8689. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दस वर्षों के दौरान इस दलील पर नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया है कि ये राष्ट्रीय रेलवे लाइनें हैं अथवा इनका निर्माण राष्ट्रीय हित में किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलवे लाइनों के नाम क्या है तथा 'राष्ट्रीय लाइनों' (नेशनल लाइन्स) की ठीक ठीक परिभाषा क्या है जिसको इन मामलों के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखा गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री (बुटा सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रेलें एक सरकारी उद्यम हैं और तमाम लाइनों का निर्माण उनके द्वारा राष्ट्रीय हित में किया जाता है और वे सब राष्ट्रीय लाइनें हैं। एक विवरण संलग्न हैं जिसमें दिखाया गया है कि पिछले दस वर्षों में (1964–65 से 1974–75 तक) कौन-कौन सी नयी लाइनें पूरी हुई और यातायात के लिए खोली गयीं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9632/75]

Conductor on Duty in Delhi-Ahmedabad Jayanti Janta Train

8690. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is only one conductor on duty in the Delhi-Ahmedabad Jayanti Janta train with which two three tier coaches are attached between Ajmer and Ahmedabad;

(b) whether the trains stop for two to three minutes enroute and the passengers are unable to contact the conductor as a result of which they are deprived of certain facilities; and

(c) whether there is one conductor on duty in every three-tier coach in other trains and if so, the reasons why the passengers travelling by the Jayanti Janta train from Ajmer to Ahmedabad are deprived of this facility?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes. There is only one Travelling Ticket Examiner manning the two 3-tier sleeper coaches attached between Ajmer and Ahmedabad on Jayanti Janata Express.

(b) No. As the coaches are vestibuled, it is possible for the passengers of one coach to contact the Travelling Ticket Examiner even if he is in the other coach.

(c) On all trains each non-vestibuled II class sleeper coach is manned by one Travelling Ticket Examiner and in case of vestibuled sleeper coaches, two sleeper coaches are manned by one Travelling Ticket Examiner.

उच्च ग्रेड दिये जाने अथवा दर्जा बढ़ाने योग्य पद

8691. **श्री एम० दीवीकन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कर्मचारियों और अधिकारियों की उन श्रेणियों के नाम क्या हैं जिनके लिए तीसरे वेतन आयोग ने आंशिक अथवा पूरे तौर उपर उच्च ग्रेड दिया जाने अथवा दर्जा बढ़ाने की सिफारिश की है ;

(ख) इनमें से किन-किन श्रेणियों में सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सरकार एक तारीख निर्धारित करेगी जिससे पूर्व सिफारिशों को शब्दशः और भावना में क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) यदि तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) आशा है कि तीन चार महीने में कार्यान्वयन पूरा हो जाएगा ।

विवरण

रेलों के कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों की वे प्रमुख कोटियां जिनके लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों में आंशिक या पूर्ण रूप से ऊंचे ग्रेड का आबन्टन या ग्रेड का उन्नयन शामिल है ।

अधिकारियों/कर्मचारियों की कोटि	कार्यान्वयन हुआ या नहीं
उच्च ग्रेडों का आवन्टन :	
1. महाप्रबन्धक	हां
2. महानिदेशक, अ०अनि०मा स०	हां
3. निदेशक, स्वास्थ्य	कार्यान्वित किया जा रहा है ।
4. निदेशक, रेलवे बोर्ड (आंशिक)	हां
5. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक	हां
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे), दिल्ली, बम्बई और मद्रास	हां
7. मुख्य खनन सलाहकार	हां
8. प्रिन्सिपल, रेलवे स्टाफ कालेज, बडौदा	हां
9. संयुक्त निदेशक (रासायनिक और धातुकर्म)	नहीं
10. आर्थिक सलाहकार	नहीं
11. रासायनिक और धातुकर्मी	हां
12. मण्डल चिकित्सा अधिकारी	जी हां ।
13. सहायक चिकित्सा अधिकारी	कार्यान्वित किया जा रहा है ।
14. सहायक लेखा अधिकारी	हां
15. कारखाना अधीक्षक	हां

अधिकारियों/कर्मचारियों की कोटी	कार्यान्वयन हुवा या नहीं
16. लोको फोरमैन . .	कार्यान्वित किया जा रहा है
17. मुख्य नियंत्रक (क्षेत्रीय मुख्यालयों और मण्डलों पर)	हां
18. मुख्य नियंत्रक (बाहरी स्टेशनों पर) .	हां
19. बिजली नियंत्रक ग्रेड . .	हां
20. स्टेशन अधिक्षक (आंशिक) . .	नहीं
21. मुख्य यार्ड मास्टर (आंशिक) . .	नहीं
22. शंटिंग मास्टर 'ए' . .	हां
23. महाप्रबन्धक के आशुलिपिक .	हां
24. मुख्य अनुसन्धान सहायक . .	नहीं
25. कन्सोल आपरेटर . .	हां
सिलेक्शन ग्रेडों को लागू करना :	
26. स्थायी सेवाओं में अवर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी	नहीं
27. अधिक्षक, छपाई और लेखन सामग्री .	नहीं
28. दन्त चिकित्सक	नहीं
29. रेलवे बोर्ड सचिवालय में आशुलिपिक .	नहीं
30. स्वास्थ्य निरीक्षक	नहीं
31. औषधि विज्ञानी . . .	नहीं
32. रेडियोग्राफर	नहीं
33. मुख्य अध्यापक, उच्च और [उच्चतर माध्यमिक स्कूल	नहीं
34. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक . .	नहीं
35. स्नातकोत्तर शिक्षक . . .	नहीं
36. मुख्य अध्यापक मिडिल स्कूल . .	नहीं
37. प्रायमरी स्कूल शिक्षक . . .	नहीं

अलीपुर–दोहाड़ तथा तिनसुखिया स्टेशनों के बीच खानपान व्यवस्था संबंधी ठेकेदार

8692. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे तथा आसाम राज्य में पड़ने वाली उसकी शाखाओं में अलीपुर-दोआढ से तिनसुखिया के बीच आने वाली प्रत्येक जंक्शन तथा रेलवे स्टेशन पर खानपान व्यवस्था सम्बन्धी ठेकेदारों के नाम तथा उनके घर के पते क्या है ;

(ख) उपरोक्त ठेकेदार किन किन तिथियों से काम कर रहे हैं ; और

(ग) पूर्वोत्तर प्रदेश के स्थानीय लोगों से 1973–74 और 1974–75 वर्षों के लिए खानपान व्यवस्था सम्बन्धी ठेके के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय लोगों से 1973–74 और 1974–75 के वर्षों में खानपान सम्बन्धी ठेकों के आबन्टन के लिए क्रमश: 35 और 76 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

विवरण

स्टेशन का नाम	ठेकेदार के घर का पता	कब से काम कर रहा है
1	2	3
डिब्रुगढ़ टाउन	श्री एस० डी० फंकन, डाकघर डिब्रुगढ़, असम	1-12-69
जि० तिनसुखियाजंठ	श्री एव०के० सिंह, डाकवर तिनसुखियां, डिब्रुगढ़	1-4-66
	श्री जे०एन० शर्मा, डाकघर तिनसुखिया, डिब्रुगढ़	1-4-69
सियालगुडी जं०	श्री बकुलशर्मा, डाकघर सिपालगुड़ी, जिला शिवसागर	1-4-71
मरियानी	श्री पी० सी० घोष, डाकघर मरियानी, जिला शिवसागर	1-11-68
फरकटिंग	श्री ए० के० घोष, डाकघर मरियानी, जिला शिवसागर	21-11-68
डीफू	मेसर्स कमलादेवी पंडित, सारथी लाल कल्हन, डाकघर लमडिंग, जिला नौगांव, असम	1-1-74
लमडिंग जंक्शन	मैसर्स घोष एण्ड कम्पनी, डाकघर लमडिंग, जिला नौगांव	1-4-66

1	2	3
लमडिंग जंक्शन .	मैसर्स सलकिया ट्रेडिंग एण्ड कं० डाकघर, 3 लमडिंग, जिला नौगांव	1-4-66
लमडिंग जंक्शन .	मैसर्स कमलादेवी पंडित सारथीलाल कल्हण, लमडिंग, जिला नौगांव	1-4-67
लोअर हाफ्लांग .	मैसर्स घोष एण्ड कं० डाकघर, लमडिंग, जिला नौगांव	1-4-66
लोअर हाफ्लांग .	श्री बी० आर० घोष, डाकघर मरियानी, जिला शिवसागर	5-10-70
बदरपुर . .	श्री मनोरंजन घोष, डाकघर बदरपुर, जिला कछार	1-4-66
बदरपुर . .	श्री ए० के० चन्दा, डाकघर, बदरपुर, जिला कछार	1-4-66
बदरपुर . .	श्री बी० एन० घोष, डाकघर बदरपुर, जिला कछार	1-9-66
सिलचर . .	श्री के० एन० भट्टाचार्य, डाकघर सिलचर, सिलचर, जिला कछार	15-11-65
करीमगंज . .	मैसर्स गोहाटी केटरिंग इम्पलाई कोओपरेटिव सोसायटी लि०, गोहाटी	*
चापरमुख . .	मैसर्स सलकिया ट्रेडिंग एण्ड कं० डाकघर चापरमुख, जिला नौगांव	*
रंगिया जंक्शन .	श्री एच० आर० कालिटा, डाकघर रंगिया, जिला कामरुप	1-10-67
रंगापाड़ा नार्थ . .	श्री रुपेश्वर ककाटी, डाकघर रंगापाड़ा नार्थ, जिला दारांग	1-10-68
नार्थ लखीमपुर . .	श्री चम्पा गोहाई बरुआ, डाकघर, नार्थ लखीमपुर, जिला लखीमपुर	1-1-73
बारपेटा रोड . .	श्री के० एल० दास, डाकघर बारपेटारोड, जिला कामरुप	12-8-68
सोरभोग . .	छोटालाल प्रसाद, डाकघर सोरभोग, जिला कामरुप	1-5-70
वोगाईगांव . .	श्री पी० जी० गुप्ता, डाकघर, जिला गोवालपाडा	1-2-69
न्यूबोगाईगांव . .	श्री पी० गुप्ता, डाकघर बोगाईगांव, जिला गोवाल पाडा	11-466
फकीराग्राम . .	श्री बी० तिवारी, डाकघर फकीरागाम, जिला, गोवालपाड़ा	1-5-68

* उपलब्ध नहीं है ।

विभिन्न जोनों के ऊपरी रेल पुल और निचले पुल

8693. **श्री के० सूर्य नारायण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों में राज्य सरकारों ने विभिन्न रेलवे जोनों में कितने उपरी पुल और निचले पुल प्रस्तावित किये ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बांदा लखनऊ ऐक्सप्रेस से भरी हुई पिस्तौलें ले जाते हुए युवकों का गिरफ्तार किया जाना

8694. **श्री बरके जार्ज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 फरवरी, 1975 को बांदा लखनऊ ऐक्सप्रैस के प्रथम श्रेणी के डिब्बों से पुलिस द्वारा भरी हुई पिस्तौलें रखने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) क्या डाकुओं की गतिविधियों को रोकने के लिए अन्य मार्गों पर भी इसी प्रकार की सतर्कता व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं । लेकिन, 10-2-75 को 7/8 डाकुओं का एक गिरोह जो देसी पिस्तौलों, रिवालवरों और लोहे की छडों से लैस थे, 109 डाउन (बान्दा-लखनऊ ऐक्सप्रैस) के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में घुस गया और 2 यात्रियों पर आक्रमण करने के बाद लगभग 56,470 रु० के मूल्य की नकदी और अन्य सामान लूट कर ल गया । निर्बात को समाप्त करने के बाद वे बच निकले । सरकारी रेलवे पुलिस की सशस्त्र गार्द ने, जोकि गाड़ी में चल रही थी, उनका पिछा किया लकिन वे किसी भी अपराधी को न पकड़ सके । बाद में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया ।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सभी मार्गों पर अधिकतम सतर्कता रखी जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में छिद्रण कार्य

8695. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल के किसी भाग में छिद्रणकार्य आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तीन स्थलों, जिनमें से एक वाकूतला तथा दो गलसी में हैं, को व्यधन हेतु रखा है। इस वर्ष के दौरान वाकुतला संरचना पर कार्य आरम्भ किये जाने की आशा है ।

अलीपुर द्वार डिवीजन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के वफादार कर्मचारीयों को प्रोत्साहन

8696. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अलीपुर द्वार डिवीजन में वर्ष 1974 की रेलवे की हड़ताल में प्रशासन और रेलवे प्राधिकारियों की सहायता करने के कारण प्रोत्साहन के रूप में जिन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है उनकी संख्या तथा उनके नाम क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुरदुआर मण्डल में, तीसरी श्रेणी कितनी और चौथी श्रेणी के एक कर्मचारी को मई, 1974 की हड़ताल के दौरान वफादारी से काम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पदोन्नत किया गया था। इन का विवरण इस प्रकार है :—

(क) **तीसरी श्रेणी कर्मचारी**

1. श्री शचीन्द नाथ दत्त, मुख्य लिपिक से कार्यालय अधीक्षक ।

2. श्री डी० जी० बिस्वास, प्रधान लिपिक (वाणिज्य) से मुख्य लिपिक (परिचालन) ।

3. श्री चन्दन सरकार, अवर लिपिक से प्रवर लिपिक ।

(ख) **चौथी श्रेणी कर्मचारी**

1. श्री बी० घोष, पोर्टर से ब्रक्समन ।

तुगलकाबाद रेलवे यार्ड में पेट्रोलियम गैस में जाने वाले वैगनों में आग लगना

8697. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शीघ्रता से अग्नि पकड़ने वाली पैट्रोलियम गैस ले जाने वाले दो रेल डिब्बों में तुगलकाबाद रेलवे यार्ड में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ग) आग लगने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अनुमानित कुल हानि लगभग 10 लाख रुपये है ।

(ग) आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है । यद्यपि ऐसा प्रतित होता है कि टंकी माल डिब्बों से निकलते हुई गैस में, प्रज्वलन के किसी बाहरी साधन से आग लगी थी ।

Value of Imported Petroleum Products

8698. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the quantity of petrol, diesel, kerosene oil, furnance oil and cooking gas imported between July and December, 1974 and the value thereof in Indian currency?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : Approx. 1.5 million tonnes of HSD, Kerosene and Furnace oil were imported for approx. Rs. 102 crores during the period July to December, 1974. No Motorsprit (Petrol) was imported during this period.

विदेशी औषध कम्पनियों की इक्विटी पूंजी का कम किया जाना

8699. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी औषध कम्पनियों की इक्विटी पूंजी को वांछित सीमा तक कम नहीं कराया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम के अनुसार किन किन कम्पनियों ने अपनी इक्विटी पूंजी कम कर दी है और अभी कम की जानी है; और

(ग) ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सभी अनावासियों भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और 40% से अधिक शेयर धारण करने वाली भारतीय कम्पनियों को, व्यापार, वाणिज्यिक और औद्योगिक किस्म के किसी कार्य-कलाप को चालू रखने के लिये, कार्यालय, शाखा अथवा कारोबार के किसी अन्य स्थल की स्थापना के प्रयोजन के लिये, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है किन्तु अधिनियम अपने आप में ऐसी कम्पनियों पर उनकी विदेशी साम्य होल्डिंग का विलय करने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है। औषध कम्पनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। आवेदन पत्रों की जांच करने पर यदि किसी कम्पनी को विदेशी धारिता को एक विशिष्ट सीमा तक कम करने के लिये बचन बद्ध होने की शर्त पर अपने कार्य कलापों को चालू रखने की अनुमति देने का निर्णय किया जाता है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐसी कम्पनी को एक आशय पत्र जारी करेगा और उससे विदेशी साम्य पूंजी को कम करने के बारे में एक वचन पत्र प्राप्त करेगा। और इस बचत को कैसे कार्यान्वित किया जाये इसकी सूचना देने के बारे में उसकी योजना भी प्राप्त करेगा। अन्तिम अनुमति पत्र को, आवश्यक वचन प्राप्त करने और संबंधित योजना को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी किये जाने का प्रस्ताव है। 22-4-75 तक ऐसा कोई आशय पत्र किसी कम्पनी को जारी नहीं किया गया है।

Shares held by Family of Former Minister of foreign trade and by Black-listed companies in Maruti Limited

8700. **Shri Atal Bihari Bajpayee :**

Shri Hemendra Singh Banera :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Motherland', dated the 9th December, 1974 to the effect that the family of the former Minister of Foreign Trade, Shri Mishra hold 15670 shares in the

Maurti Limited and Vanijya Ydyog Private Limited an associate of Karnatak Exports Limited also hold 22500 shares in the Maruti Limited and that the Karnatak. Exports Limited had been blacklisted for bungling in stainless steel deal;

(b) the details in respect of shares of these shareholders, separately; and

(c) whether any other blacklisted companies hold shares in Maruti Limited and if so, the particulars thereof and the number of shares held by such company/companies?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) & (b) The 'motherland' had published the new item referred to in tne Question. But it is not possible to say whether the family members of the late Shri L.N. Mishra owned any shares in Maruti Ltd., unless the names and addresses of these members are made available. The late Shri Mishra did not own any shares in his name in Maruti Ltd. No company by the name of Vanijya Udyog Private Ltd., owns any shares in Maruti Ltd.

The Department has no information regarding the blacklisting of Karnatak Exports Ltd.

(c) The Department has no information.

अधिकांशतया विदेशी इक्वेटी वाली औषध कम्पनियों द्वारा विदेशों से औषधियां खरीदना

8701. श्री अनादिचरण दास : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकांशतया विदेशी इक्विटी वाली औषध कम्पनियों ने विदेशों में स्थित अपनी मूल कम्पनियों से अधिक मूल्य पर उसी छाप की औषधियां (प्रोप्राइटरी ड्रग्स) खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) वास्तविक उपयोग कर्ताओं, चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी, को कच्चे माल, औषधों, औषध मध्यवर्ती पदार्थों का जिनकों राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया है उनके अतिरिक्त, रुपया मुद्रा क्षेत्रों, आय मुद्रा क्षेत्रों और उत्तरदायी प्राधिकारी की सिफारिशों पर उपलब्ध ऋणों से आयात करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलों में कोई ऐसा दायित्व निर्धारित नहीं किया जाता है कि आयात किसी विशेष देश से ही होगा और वास्तविक उपयोगकर्ता किसी भी उपलब्ध स्रोत से आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

इस बात की सरकार को सूचना दी गयी है कि कुछ विदेशी औषध कंपनियां, कच्चे माल, प्रपुंज औषधों, औषध मध्यवर्ती पदार्थों का अपनी प्रमुख कंपनियों से, , अधिक मूल्यों पर आयात कर रही थी यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो गये थे। इस व्यवहार को बन्द करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रपुंज औषधों, औषध मध्यवर्ती पदार्थों का प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर अत्यधिक लाभप्रद स्रोत से आयात किया जा रहा है, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात सरणीबद्ध करने की पद्धति को 1-4-70 से प्रभावी किया गया। तब से प्रपुंज औषधों/औषध मध्यवर्ती पदार्थों की 36 मदों को, जो कुल आयात का 60% है, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात के लिए सरणीबद्ध किया गया है। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किये जाने वाले औषधों की सूची को और अधिक बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Seizure of Wagons Containing Rice at Narela Railway Station

8702. Ch. Ram Prakash : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether police seized a wagon loaded with 221 bags of rice at Narela (Harayana) railway station on the 10th April, 1975;

(b) whether any Railway employee was also arrested in this connecton; and

(c) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No. However, on 4-4-75 a wagon containing 216 bags rice, which had been booked ex-Narela to Thasra as containing 221 bags gram dal, was seized by the Police.

(b) Yes. One Goods Clerk of Railway Staton, Narela and 3 Commission Agents have been arrested by the Police.

(c) On 3-4-75, information was received by the R. P. F. of Delhi Division that wagon No. SEC. 33445 which had been booked on 1-4-75 ex. Nanrela to Thasra Station (Western Railway) as being 'said to contain' 221 bags gram dal, was actually loaded with rice. As the wagon was still awaiting despatch, it was detained and placed under an RPF armed guard for necessary checking and further action next day. Finding that the wagon had been detained by the RPF, the informaton was conveyed by station authorities of Narela to the Divisional Commercial Superintendent, Delhi Division, who in turn reported the matter to Food and Civil Supplies Department of the Delhi Administration for taking necessary action. The Goods Shed staff also conveyed the information to Delni Police, Subzimandi, who registered a case under Section 7 of the Essential Commoddities Act dated 4-4-75. On checking the wagon was found to contain 216 bags rice instead of 221 bags gram dalstated to have been loaded in it. One Railway Goods Clerk of Narela Station and 3 Commission Agent have been arrested by the Delhi Railway Police, who are making further invesitigation.

मैसर्स हौचेस्ट को जारी किये गये लाइसेंस

8703. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स होचेस्ट को गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन वस्तुओं के उत्पादन के लिये किस संख्या और तारीख का लाइसेंस, किस संख्या और तारीख का आशय पत्र, कितनी क्षमता जारी की गई;

(ख) इन औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों की शर्तें क्या हैं जैसी कि मूलत: निर्दिष्ट की गई थीं;

(ग) क्या इन शर्तों में से किसी शर्त में बाद में कोई संशोधन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा किन अधिकारियों की अनुमति से इन शर्तों में संशोधन किया गया; और

(घ) आरम्भ में क्या क्या शर्तें लागू की गई थीं तथा इस समय क्या-क्या शर्तें लागू हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) से (घ) एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें वर्ष 1972–73 और 74 के दौरान स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों, आशय पत्रों के अधीन मैसर्स होस्ट फार्मास्युटिकल्स लि० के पक्ष में अनुमोदित निर्माण की मदें/आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों में आरोपित शर्तों, यदि कोई संशोधन किया गया हो तो उसका विवरण दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-9635/75**]

औषधि मूल्य निर्धारक समिति की षड़यंत्रकारी अभियान की योजना

8704. **श्री भाऊसाहब धामनकर :**
श्री वसंत साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अप्रैल, 1975 के "ब्लिट्ज" में "ड्रग कार्टेल प्लान्स आपरेशन सेबोटेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें व्यक्त विचारों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) 12 अप्रैल, 1975 के "ब्लिट्ज" में ड्रग कार्टेल प्लान्स आपरेशन सेबोटेज" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था। रिपोर्ट बढ़ा चढ़ा कर विकृत चित्र देती है। यह सत्य नहीं है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा उनके पेनसिलिन संयंत्र के लिए आयातित स्ट्रेन्स जब पिम्परी में विकसित किए गए, कोटि में बिगड़ गए थे। इस के विपरित एच० ए० एल के अनुसंधान और विकास संयंत्र, 2000 संयंत्र एल० एल० की उत्पादकता देते हुए मूल स्टेनों से विकास करने में समर्थ था, नए स्ट्रेनों की उत्पादकता 10,000 संयंत्र/एल० एल० थी। स्ट्रैप्टोमाइसिन के लिए मैसर्स मर्क द्वारा सप्लाई किए हुए स्ट्रेनों में, उनके द्वारा किए दावे के अनुसार उत्पादकता दी। तथापि बाद में स्ट्रैप्टोमाइसीन के उत्पादन के लिए ग्लैक्सो के हाई युक्त स्ट्रैन निःशुल्क लागत से उपलब्ध हुए। वर्कस के साथ ठेके को समाप्त होने की मंजूरी की गई थी। इसके अलावा, कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार जैसा आरोप लगाया गया था, विटामिन सी० के उत्पादन के लिए किसी विदेशी कम्पनी को सारबीटोल नहीं बेचा गया था। 6 ए० पी० ए० के उत्पादन के लिए संयंत्र निर्माणाधीन है, अतः इस समय इस क्षमता के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। यह उत्पाद विश्व टेंडर के आधार पर कम्पनी द्वारा खरीदा गया था। जानवीय या किसी अन्य कम्पनी को कोई एम्पीसीलिज् प्रपुंज नहीं बेचा गया है। एच० ए० एल० में निर्मित प्रपुंज बिक्री के लिए स्वय एच० ए० एल० द्वारा सूत्रयोग में परिवर्तित किया जा रहा है। सारबीटोल का मूल्य, प्रतियोगिता मूल्यों और उत्पादन की लागत के आधार पर समय समय से 6 रुपये प्रति के० जी० से 12–50 रुपये प्रति के० जी० तक एच०ए० एल० द्वारा उत्तरोत्तर संशोधित किया गया है। श्रमिक अपनी असंतुष्टि मशीनरी से निकालते है के बारे में आरोप ठीक नहीं है। बिक्री प्रबन्धक के पदोन्नति के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री रांदे, बोर्ड द्वारा गठित प्रवरण समिति की सिफारिशों पर एच० ए० ए ल० बोर्ड द्वारा बिक्री अधिकारी के रूप में पदोन्नति किए गए है।

कम्पनी के कार्य में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार है :

(i) स्ट्रैप्टोमाइसिन के उत्पादन के लिए नए स्ट्रेन को जारी करना जिससे स्ट्रैप्टोमाइसिन संयंत्र की आर्थिक व्यवहारिता में सुधार हुआ है ।

(ii) जापान से पेनसीलिन के उत्पादन के लिए नए स्ट्रेन का प्रस्तावित प्रवेश जिसके लिए कम्पनी को सरकार की स्वीकृति पहले ही सूचित की गई है।

(iii) विटामिन सी के उत्पादन की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा कार्यकारी दल की नियुक्ति।

(iv) एच० ए० एल० आदि के निदेशक बोर्ड की समिति द्वारा प्रस्तुत की गई हुई रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षक तथा मुख्य इंजीनियर की पद्धति इन और अन्य लिए जाने वाले कदमों से एच० ए० एल० के कार्य निष्पादन में सुगमता की संभावना है।

रेलवे के पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का दिया जाना

8705. **श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पेंशनभोगियों को अभी तक बढ़ी हुई पेंशन नहीं दी गई है जैसा कि सरकार ने हाल ही में घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, रेलवे पेंशन लेने वाल को स मय समय पर मंजूर की गयी राहत दी गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन उद्योग के साथ हुए पुराने अलाभकर ठेकों के बारे अन्तर्मंत्रालयीय समिति

8706. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैगन उद्योग के बकाया पुराने अलाभकर ठेकों के प्रश्न की जांच करने के लिए कोई अन्तर्मंत्रालयीय समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जो ठेके तय हो चुके हैं और अलाभप्रद हो गय बताये जाते हैं उनसे स बंधित कीमतों के उपयुक्त परिशोधन के लिए माल डिब्बा उद्योग के अभ्यावेदनों पर विचार करने के निमित्त रेल मंत्रालय, उद्योग और सिविल सप्लाई मंत्रालय तथा वैगन इंडिया (पी) लि० के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की गयी है।

(ग) समिति ने अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

इंडियन एयरलाइन्स को घटिया किस्म के ईंधन की सप्लाई के बारे में शिकायतें

8707. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाईस ने शिकायत की है कि भारतीय तेल निगम द्वारा उसे सप्लाई किया गया एवीयेशन टर्बाईन फ्यूल और हाई आक्टीन फ्यूल घटिया किस्म का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं, इससे पूर्व कितनी बार इस प्रकार की शिकायत की गई थीं और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) इंडियन एयर लाईन्स को सप्लाई किये गये हाई आक्टीन इंधन के अफोमान होने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। दिसम्बर 1974 में पूर्वी क्षेत्र के कुछ स्थलों पर आई० ए० सी० द्वारा आई० ओ० सी० के स्टाक से लिए गए ए० टी० एफ० के सैम्पल, देहली में डी० जी० सी० ई० की प्रयोग शाला में सिलवर स्ट्रिप जंक परीक्षण में पूरे नहीं उतरे थे। यद्यपि वे निगम के स्थलों पर सामयिक जांच में पास किये गये थे। डी० जी० सी० ए० को परामर्श के आधार पर इन स्थलों से इंधन के रोलस रालस इंजन वाले विमानों में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाये गये थे।

मार्च 1975 में बरौनी शोधनशाला में उत्पादित ए० टी० एफ० का एक बैच जो सभी आवश्यक परीक्षण पास करने के बाद विपणन विभाग को सौंपा गया था, शोधनशाला की प्रयोग शाला में पुनः जांच पर सिलवर इंजंकनिरीक्षण में पूरा नहीं उतरा था। मार्केटिंग विभाग ने विभिन्न स्थलों पर इसकी जांच की और देखा कि इस विशेष निरीक्षण में यह पूरा नहीं उतरा। इस पर इसको विशेष विवरण से दूर ठहराया गया और डी० जी० सी० ए० तथा आई० ए० सी० से कहा गया कि वे इसे ए० टी० एफ० के रूप में प्रयोग न करें।

भारतीय तेल निगम द्वारा की गई जांच से पता चला कि यद्यपि बरौनी शोधनशाला में उत्पादित ईंधन उत्पादन और वहां से भेजे जाने के समय विशेष विवरण को पूरा करता था। यह डी० जी० सी० ए० की प्रयोग शाला में पूरा नहीं उतरता था, जहां कि इसका निरीक्षण लगभग एक सप्ताह के परिवाहन समय के बाद होता था। अतः आई० ओ० सी० ने बरौनी शोधनशाला में उत्पादित ए० टी० एफ० का अगले तीन महीनों में विक्रय न करने का निश्चय किया है। इस अवधि में प्रक्रिया एककों में तथा शोधनशाला की प्रयोगशाला में ए० टी० एफ० के अस्थाई होने के कारणों की विस्तृत और पूरी वैज्ञानिक जांच की जायेगी और उन्हें सुधारने के उपाय भी किये जायेंगे।

Completion of survey for Ratlam-Banswara Rrailway Line

3708. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the survey of the Ratlam Banswara Railway line has been completed and further work is in progress tnere;

(b) the time by which the proposed railline is likely to be constructed; and

(c) the estimated expenditure to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The survey work is in progress.

(b) The question of construction of the line would be considered after the survey work is completed and the reports thereon received from the Western Railway Administration.

(c) The estimated cost of the line would be known after the estimates are finalised on completion of the survey.

'सिथेटिक नाइट्रिक एसिड' बनाने वाले एकक

8709. श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अमोनिया गैस से विभिन्न सान्द्रता की सिथेटिक नाइट्रिक एसिड बनाने वाले कितने औद्योगिक एकक (राज्यवार) अब तक स्थापित किये गये और इन एककों में से किस-किस एकक में कन्सेन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड (98–100 प्रतिशत) बनाने के लिये सान्द्रण प्लांट मौजूद हैं ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी एककों में विभिन्न सान्द्रता (गेड्स) की "सिंथेटिक नाइट्रिक एसिड" की उत्पादन लागत क्या है तथा उनका इस एसिड का एकक पर विक्रय मूल्य क्या हैं ;

(ग) इन एककों द्वारा सिंथेटिक नाइट्रिक एसिड का कुल कितना उत्पादन किया जाता है तथा ये उर्वरक और आम उत्पाद बनाने में कितनी मात्रा में इस एसिड का उपयोग करते हैं और गत तीन वर्षों में वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं तथा व्यापारियों को कितनी मात्रा में यह एसिड सीधी बेची गई हैं ; और

(घ) क्या सिंथेटिक नाइट्रिक एसिड के एकक पर मूल्य में हाल ही में पर्याप्त वृद्धि की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या

8710. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनके पूरे नाम क्या हैं ;

(ग) क्या न्यायाधीशों के चयन तथा नामनिर्देशन के मामले में कार्यपालिका तथा न्याय-पालिका में भारी मतभेद है; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि अनिर्णित मामलों की संख्या बहुत अधिक है और इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1-5-1975 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यालय में न्यायाधिशों की संख्या 13 और विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधिशों की संख्या 296 है ।

(ख) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9634/75]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार उच्चतम न्यायालय में और विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों के लम्बित होने की स्थिति से अवगत है । लम्बित मामलों की संख्या कम करने के संबंध में की गई कार्य-वाहियां दर्शानेवाला विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9634/75]**

Law Commission's Suggestion to Abolish Court Fees

8711. Shri R. R. Sharma :
Shri Atal Bihari Bajpayee :
Shri Phool Chand Varma :
Shri Hemendra Singh Banera:
Shri R. V. Swaminathan :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether with a view to making justice available at low cost the Law Commission has suggested that court fees should either be abolished totally or reduced drastically ;

(b) when this suggestion was given;

(c) the action taken in this regard; and

(d) the reaction of State Governments thereto, separately?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) & (b) : The Law Commission, in their 14th Report on the reform of judicial administration, which submitted on 26-9-1958, recommended reduction and a broad measure of equality in the scales of court fees all over the country.

(c) & (d) : As the court-fees, except in regard to the Supreme Court and Union Territories, is a matter within the exclusive jurisdiction of the State Governments, the recommendation were forwarded to State Governments for implementation. Present position of rates of court-fees in the various States is being collected with a view to examining the possibility of making recommendations for rationalisation of court- fees.

बम्बई हाई में तेल प्राप्ति के बाद तेल की खोज संबंधी नीति में परिवर्तन

8712. **श्री मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में तेल प्राप्ति के बाद सरकार ने देश में तेल की खोज करने के संबन्ध में सरकारी नीति एवं दृष्टिकोण में कुछ आमूल परिवर्तन किये हैं ;

(ख) क्या पहले तेल भंडारों का पता लगाने और उन्हें निकालने में बीच में होने वाले विलम्ब को भी काफी हद तक समाप्त किया जा रहा है; और

(ग) भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विचार से इस संदर्भ में तथा वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिये अन्य क्या प्रमुख परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सरकार की यह नीति थी और है कि अधिक से अधिक देशीय कच्चे तेल की खोज की जाये विश्व-व्यापी वर्तमान तेल संकट के कारण, तेल की खोज तथा खोजे गए विद्यमान तेल संसाधनों के उपयोग संबंधी प्रयासों को संभावित सीमा तक गहन किया जा रहा है। सरकार का यह भी प्रयास है कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में तथा तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के संबंध में वित्तीय दबाव को न आने दिया जाये ।

दिल्ली में औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों पर छापे

8713. **श्री एच० के० एल० भगत :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष दिल्ली में औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों पर कितने छापे मारे गये ;

(ख) इन छापों में किस बात का पता लगा ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

केरल में रासायनिक उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदनपत्र

8714. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रासायनिक उद्योग स्थापित करने के लिये दिसम्बर, 1974 तक केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं; और

(ख) उनमें से कितने आवेदनपत्रों पर निर्णय कर लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) केरल में रसायन उत्पादन के लिए नए एककों की स्थापना के लिए 1971 और 1974 के बीच में 30 औद्योगिक लाइसेंस प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । उन पर की गई कार्यवाही नीचे बताई गई है :—

केसों की संख्या जिनमें आशय पत्र जारी किये गये थे . .	10
केसों की संख्या जिनमें लाइसेंस दिये गये थे	1
केसों की संख्या जिनमें प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये थे . .	16
केसों की संख्या जिनमें प्रार्थना पत्र और किसी तरीके से निपटाये गये थे .	2
विचाराधीन केसों की संख्या	1

Allotment of wagons on priority basis for coal supply to Nepal

8715. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that railway wogans are given on priority basis for coal supply to Nepal;

(b) whether these coal wagons bound for Nepal stop at Varni, Sohrat Garh and other stations of Basti district of Uttar Pradesh ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Yes. Some of the wagons programmed for movement of export-coal to Nepal are booked to Shohratgarh and Barhni among other stations.

(c) In order to facilitiate internal movement of coal Nepal Government receives coal at different rail heads on North Eastern Railway close to Indo-Neapal border.

सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिये "स्वीकृत मानक कसौटी" की मांग

8716. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन के बारे में दिसम्बर, 1973 में बातचीत करते समय प्रशासन ने सिगनल और दूरसंचार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया था कि "स्वीकृत मानक कसौटी" की उनकी मांग को पूरा किया जायेगा और उसे 6 महीने के भीतर ही क्रियान्वित कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने सिगनल और दूरसंचार कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी मानक कसौटी बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इस कसौटी का ब्यौरा क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) मुख्य सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियरों की समिति द्वारा दिये गये सुझाव का अध्ययन किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन हो जाने और परिष्कृत सामान के इस्तेमाल के कारण मानदण्ड में संशोधन करने पर बहुत अधिक समय लगेगा और यह एक कठिन प्रक्रिया होगी। इस बीच, वास्तविक कार्य-संचालन से मालूम होने वाली विभिन्न स्थितियों की आवश्यकताओं के आधार पर कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है।

Additional Facilities to Employees Categorised as "Running Staff"

8717. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the employees in Indian Railways categorised as running staff and the additional facilities provided to the employees of this category; and

(b) whether ticket checking staff also comes under this category and if not, whether Government propose to categories this staff also as running staff:

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Drivers (including Motormen and Rail Motor Drivers), Shunters, Firemen including Assistant Drivers (Electric) and Driver's Assistants (Diesel), Guards and Brakesmen are categorised as Running Staff and paid Running Allowance. Running Allowance is also treated as pay for certain purposes in varying proportions. Running Room facilities are also available to them.

(b) No. The Government do not propose to categorise ticket checking staff as running staff.

महाराष्ट्र में निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता तथा सलाह देने की स्कीम

8718. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता तथा सलाह देने के लिए बनाई गई स्कीम के बारे में महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने कानूनी सहायता के लिए कोई स्कीम बनाई है और यदि हां, तो उसका स्वरूप और उसके उपबंध क्या है और उसे कब से कियान्वित किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र राज्य में कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रारूप स्कीम भेजी है।

(ख) यह स्कीम भारत की विधिज्ञ परिषद तथा महाराष्ट्र सरकार को उनके विचार जानने हेतु भेज दी गई है।

(ग) जी नहीं।

सोवियत संघ की सहायता से भूमिगत रेल परियोजना में रुकावट डालने का अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) का प्रयास

8719. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 अप्रैल, 1975 के "ब्लिट्ज" में "सी० आई० ए० विड टू स्कटल सोवियत-एडिड ट्यूब रेलवे प्रोजेक्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गृह मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि दिल्ली के राजनैतिक और प्रशासनिक हलकों में अमरीकी गुप्तचर विभाग द्वारा प्रेरित रूस विरोधी एक मजबूत लाबी कलकत्ता में देश देश की पहली ट्यूब रेलवे को नष्ट करने पर तुली हुई है।

हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा साबुन के उत्पादन में वृद्धि

8720. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लि० नूडल्स को दी गई छूट का, बिक्री के लिए उपलब्ध अपने साबुन की मात्रा में निम्न प्रकार से चोरी छिपे वृद्धि करके, लाभ उठा रही है;

(एक) उत्पादन का कुछ भाग नूडल्स के रूप में बनाकर और चोरी छुपे लघु साबुन निर्माताओं से उसे टिकिया के रूप में बदलाकर,

(दो) उक्त टिकिया पर "सनलाइट" के अपने ब्राण्ड नाम की मोहर लगाकर उसकी बिक्री करके ; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) मसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० से पता लगा है कि उनके द्वारा निर्मित साबुन नूडिल्स और उनके मासिक साबुन उत्पाद विवरणों में यह लाए गए लघु उद्योग क्षेत्र में तीन संयंत्रों को सप्लाई किए जाते हैं जो मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर की विशिष्ट के अनुसार पैकिंगस, स्टेम्पिंग तथा लपेटने द्वारा साबुन को तैयार करते हैं। उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की व्यवस्थाओं का क्या सक्रिय रूप में उल्लंघन हुआ है के प्रश्न की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों से संबंधित विधि का क्रियान्वयन

8721. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित विधान की कोई प्रस्थापनाएं अथवा विधेयक विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ;

(ग) उन लोगों को न्याय दिलाने हेतु इन्हें लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन से अभिकरण बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उन अधिनियमों ने, जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है अपने लक्ष्यो और उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का पुनरीक्षण किए जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। जनजाति के लोगों की भूमियों का अंतरण रोकने के लिए, ऋणग्रस्तता और ऋण बंध श्रम जैसी अन्य आपत्तिजनक प्रथाओं के विरुद्ध राहत प्रदान करने के लिए साहूकारी पर अंकुश लगाने हेतु वर्तमान विधान की पर्याप्तता के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श भी किया जा रहा है। यदि किन्हीं विधायी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यों में या केन्द्रीय स्तर पर नए अभिकरण गठित करना और वर्तमान अभिकरणो को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक पाया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों में ऐसे अभिकरणों के ब्यौरे उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की उन वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है जिन्हें संसद के समक्ष रख दिया गया है ।

तामिलनाडु के रामनाथपुरम् जिले में समुद्र-तट से दूर तेल की खुदाई

8722. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र-तट से दूर तेल की कोई खुदाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिंसा तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों के लिये आरोपित रेल कर्मचारियों की बहाली

8723. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5452 के लिये दिये गये उत्तर के अनुसार, हिंसा तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों के आरोप में जिन 440 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले अदालतों में निर्णयाधीन थे उनमें से कितने व्यक्ति इन आरोपों के आधार पर दोषी पाये गये हैं ;

(ख) क्या शेष रेल कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो उन्हें कब तक बहाल कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई हाई में कार्य कर रहे रिग

8724. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में इस समय कुल कितने रिग कार्य कर रहे हैं तथा वहां कितने और रिग लगाये जायेंगी; और

(ख) नवीनतम संकेत के अनुसार बम्बई हाई का तेल कब तक बाजार में आ जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) एक रिग "सागर सम्राट" इस समय बम्बई हाई में कार्य कर रहा है । तथा इस वर्ष के सितम्बर नवम्बर तक 2 अन्य रिगों को कार्य में लगाए जाने की आशा है ।

(ख) जब कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई में उस संरचना की उत्पादन संभाव्यता की जानकारी के लिए कुछ और कूपों की खुदाई करनी है वह मध्यवर्ती चरण के उत्पादन की स्थापना के लिए कार्यवाही कर रहा है । ताकि वर्ष 1976–77 के अंतर्गत वहां से लगभग एक मिलियन मीटरी टन की दर से तेल का उत्पादन किया जा सके ।

भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के स्थान पर बड़ी रेल लाइन के निर्माण को स्थगित करने का प्रस्ताव

8725. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के स्थान पर बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण को स्थगित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य सम्भवत: कब आरम्भ होगा तथा कब पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जो लाइट रेलवे लाइनें पहले मार्टिन बर्न लि० के स्वामित्व में थीं और उनके द्वारा चलायी जाती थीं उनके बदले निम्नलिखित नयी बड़ी लाइनों के निर्माण की मंजूरी दी गयी है। प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :--

(1) **शाहदरा-सहारनपुर**--निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना के 1-4-1979 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) **हावड़ा-आम्ता और बड़गछिया-चम्पाडांगा लाइट रेलवे**--इस काम की मंजूरी दी जा चुकी है और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से रेलवे को भूमि मिलते ही यह काम शुरू कर दिया जायेगा। इस परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि 1-4-1979 है।

(3) **हवड़ा-शियाखाला बड़ी लाइन**--इस काम की मंजूरी इस आधार पर दी गयी है कि 50 प्रतिशत लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की लागत वहन करने के बारे में स्वीकृति मिल जाने के बाद इस लाइन का निर्माण शुरू कर दिया जायेगा।

ड्रग फार्मूलेशन्स के मूल्य नियंत्रण के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें

8726. **श्री एन० आर० बेकरिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नये फार्मूले के अधीन ड्रग तथा फार्मेस्यूटिकल्स संबंधी हाथी समिति की ड्रग फार्मूलेशन्स के मूल्य नियंत्रण के बारे में की तीन मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सरकार को औषध और भषज उद्योग समिति की रिपोर्ट दिनांक 6 अप्रैल, 1975 को मिली थी और उस पर विचार किया जा रहा है।

कम भाड़ा वसूल करने के मामलों का पता लगाना

8727. **वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे जोनों में अनेक मामलों में रेल द्वारा भेजे गये माल का कम भाड़ा वसुल किया गया है,

(ख) यदि ह तो गत तीन वर्षों में वर्ष वार प्रत्येक जोन में ऐसे कितने मामलों का पता लगा,

(ग) क्या यह, भी सच है कि कई मामलों में विभिन्न माल की खेपों पर कम दर से भाड़ा वसूल किया गया है,

(घ) यदि हां, त इसके कारण रेलवे को अनुमानत: कितनी हानि हुई है तथा राजस्व की इस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनिवार्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आवास

8728. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के अनिवार्य श्रेणी के 56 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों को आज तक सरकारी आवास प्रदान कर दिये गये है;

(ख) क्या अनिवार्य श्रेणी के कर्मचारियों को दिन अथवा रात्रि में किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है और इस प्रकार उनका अपने कार्य-स्थल के समीप ही रहना अपेक्षित होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार अनिवार्य श्रेणी के शेष 44 प्रतिशत कर्मचारियों को कब तक आवास प्रदान कर देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । भारतीय रेलों में लगभग 56 प्रतिशत अनिवार्य कर्मचारियों के पास सरकारी मकान हैं ।

(ख) अनिवार्य कर्मचारियों की उन कोटियों को, जिन्हें दिन में अथवा रात को बेवक्त ड्यूटी पर बुलाना अपेक्षित होता है, जहां तक हो सके, उनके ड्यूटी-स्थल के निकट क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है ।

(ग) कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है । क्वार्टरों का निर्माण निधि की उपलब्धता के अनुसार योजना-बद्ध आधार पर किया जाता है ।

बम्बई हाई में चौथे स्थल से एकत्रित किये गये तेल की किस्म

8729. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई के चौथे छिद्रणस्थल से एकत्रित किये गये 500 टन कच्चे तेल के नमूने पर हिन्दूस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी में परीक्षण किया गया है;

(ख) तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) पहले तीन स्थलों से एकत्रित किये गये नमूनो की तुलना में इस तेल के ढ़ांचे में क्या अंतर पाया गया हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) बम्बई हाई क्षेत्र के चौथे कूप से एकत्रित का गई कच्चे तेल की एक छोटी मात्रा को हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन रिफाइनरी में प्रक्रियान्वित किया गया था। क्योंकि तेल की मात्रा कम थी इसलिए पृथक परिणाम उपलब्ध नहीं है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चौथे कूप से विस्तृत परीक्षणों के लिए तेल के नमूने एकत्र किए गए है। परिक्षण कार्य चल रहा है और परिणामों की जानकारी होना अभी शेष है ।

मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड का मारुति लिमिटड, हरियाणा तथा मारुति टैक्नीकल कन्सलटेंसी सर्विसेज के साथ संबंध

8730. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड के बारे में 8 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5469 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उन कम्पनियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है जो कि मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड के साथ निदेशकों अथवा शेयरधारियों के रूप में सम्बद्ध हैं ;

(ख) मारूति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड तथा मारूति लिमिटेड, हरियाणा एवम् मारुति टेक्नीकल कन्सलटेन्सी सर्विसेज का परस्पर क्या सम्बन्ध हैं; और

(ग) 8 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5469 के (ख) भाग में उल्लिखित चार शेयरधारियों के नामों के अलावा मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड के अन्य आठ शेयरधारियों के नाम क्या हैं और इन 8 शेयरधारियों में से प्रत्येक के पास कितने मूल्यों के तथा कितने-कितने शेयर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) मै० मारुति हैवी व्हीकल्स (प्रा०) लि० ने अभी तक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अन्तर्गत अपनी प्रथम वार्षिक विवरणी, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के पास प्रस्तुत नहीं की है। अतः उन अन्य कम्पनियों के पूर्ण ब्यौरे देना संभव नहीं है, जिनमें मारुति हैवी-व्हीकल्स प्रा० लि० के निदेशक, निदेशकों अथवा हिस्सेधारियों के रुप में हितार्थी है।

(ख) मारुति हैवी व्हीकल्स प्रा० लि० का एक निदेशक, मारुति लिमिटेड तथा मारुति टैक्नीकल सर्विसेज प्रा० लि० का भी एक निदेशक है।

मारुति हैवी व्हीकल्स प्रा० लि० मारुति टैक्नीकल सर्विसेज (प्रा०) लि० की एक सहायक कम्पनी है। (मारुति टैक्नीकल कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लि० नाम की कोई कम्पनी नहीं है।)

(ग) ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

हिस्सेधारी का नाम	10 रु० की दर के धारित साम्य हिस्सों की संख्या
1. श्री संजय गान्धी	5,000
2. श्रीमती सोनिया गान्धी	5,000
3. श्री राजीव गान्धी	2,400
4. श्री किशन लाल जालान	6,000
5. श्री पवन कुमार जालान	3,500
6. श्री सुरेश कुमार जालान	2,500
7. श्रीमती लक्ष्मी देवी जालान	5,000
8. श्री शिव कुमार जालान	2,500

गाजियाबाद स्थित जलपानगृह की दशा

8731. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद स्टेशन स्थित जलपान गृह अत्यन्त गन्दी तथा स्वास्थ्य के लि हानिकर दशा में काम कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि भोजनालय इस समय एक अस्थायी जगह पर है और यह विचार है कि भूतपूर्व ठेकेदार के अनधिकृत कब्जे में जो कमरे हैं उनके खाली होते ही समुचित स्थानपर उक्त भोजनालय को ले जाया जाये।

मारुति लिमिटेड, ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड, मारुति टैकनीकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मारुति हैवी व्हीकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के शेयरधारी

8732. श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री आर० बी० बड़े :

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों परिवारों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके पास निम्नलिखित चार कम्पनियों में से किसी के दो सौ अथवा उससे अधिक शेयर हैं

(एक) मारुति लिमिटेड;

(दो) ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड;

(तीन) मारुति टैक्नीकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड; और

(चार) मारुति हैवी व्हीकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड;

(ख) इन में से उन शेयरधारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध आर्थिक अपराधों के आरोप हैं; और

(ग) इन में से किन-किन शेयरधारियों के पास देश के 30 सबसे बड़े व्यापार-गृहों के दो सौ से अधिक शेयर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत वर्मा) : (क) यह सूचना, कम्पनियों द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के पास प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणियों में उपलब्ध होगी। जनता इन विवरणियों का निरीक्षण कर सकती है।

(ख) किसी भी स्थान पर ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किये गये आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित, कोई अनिर्णीत मामले यदि हों, तो उन्हें देखा जा सके।

(ग) निदेशित कम्पनियों में हिस्सेधारिता के ब्यौरे, रजिस्ट्रारों के पास प्रस्तुत की ग वार्षिक विवरणियों में उपलब्ध होते हैं। ये विवरणियां जनता द्वारा निरीक्षण के लिये खुली हैं।

कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

8733. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम के कतिपय प्रावधानों के फलस्वरुप बहुत सी गैर-सरकारी कम्पनियां तथा उनमें लगी पूंजी सरकारी कम्पनीयां बन गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनीयों के नाम क्या है उनमें सरकार की तथा अन्य सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की कितनी पूंजी लगी हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो पूंजी निवेश की सुरक्षा तथा निवेश कर्ताओं को उचित लाभ का सुनिश्चय करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेद व्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) इस विभाग के पास इस विषय की कोई सुचना नहीं है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

हल्दिया-बरौनी पाईप लाइन परियोजना के बारे में ट्रकर आयोग की जांच

8734. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **पेट्रोलियम** और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रकर आयोग ने हल्दीया-बरौनी पाईपलाईन परियोजना के बारे में अपनी जांच के संबंध में अबतक कितनी प्रगति की है ;

(ख) यह आयोग अब तक कितना समय ले चुका है और इसके कार्य के पूरा होने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह आयोग प्रतिदिन दो या तीन घण्टे से अधिक कार्य नहीं करता है ; और

(घ) आयोग का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) आयोग ने सारी पार्टियों की गवाहियों को लिपिबद्ध किया है और दो बातों को छोड़ कर समस्त विचारार्थ विषयों के तर्कों को सुना है। शेष दो विषयों के तर्कों की सुनवाई लगभग एक महीने के अन्दर पूरी किए जाने की आशा की जाती है। साथ-साथ रिपोर्ट तैयार करने का काम भी चालू है ।

(ख) आयोग का गठन अगस्त 1970 में किया गया था। यह अब तक विभिन्न तथ्यों के कारण यथा पार्टी द्वारा लिखित वक्तव्य दाखिल करने में लिया गया समय, मामलो की व्यापक श्रेणो की प्रवृत्ति और सम्मिलित पार्टियों की अनेक संख्या, फाईलों/प्रलेखों की बडी संख्या का अवलोकन करना, गवाहियों की पूछताछ और परिक्षा में लिया गया संयंत्र तर्को की सुनवाई और गवाहियों का लिपिबद्ध करना तथा आयोग के अध्यक्ष की बिमारी के कारण अबतक इस कार्य को पूरा करने में समर्थ नहीं हुए हैं।

(ग) चिकित्सा सलाहों के प्रतिबन्धों के अधीन छोडकर आयोग पांच घंटे तक रोजाना आम तौर से बैठे रहे हैं।

(घ) शायद आयोग के अगस्त 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आशा है।

Scheme to set up a Corporation for Production and Distribution of Drugs

8735. Shri Shrikrishna Agrawal :

Shri Viyalar Ravi : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether after consulting the State Governments, Government have under consideration a scheme for setting up a corportion with a view to ensure smooth production and distribution of drugs among the people;

(b) if so, the broad features there of; and

(c) the reaction of the various State Governments to the proposals?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) to (c) The joint meeting of the Central Council o f Health and the Central Family Planning Council held at New Delhi from 5th to 7th April, 1974 adopted the following resolution in respect of Drugs for primary Health Centres in rural areas:

"Appreciating the suggestion of the Government of India regarding Drugs for the Massess programme, and realising the need to make available quality drugs at economical prices and taking note that maximum benefit arises out of bulking of requirements and better pilfor proof packaging techniques, the Joint meeting of the Central Council of Health and Family Planning recommends the setting up of a Committee to examine in detail the question of making available of a commonly agreed lists of Drugs for the requirements of the States and Union Territories through bulking of requirements quantative tendering regulating the raw material supplies to the selected manufacturers and finalising the rats. The State/Union Territories inturn will be responsible for guaranteeing the off-take and payment in respect of these listed drugs.

Purguant to said decision Government appointed and Task Force to look into the question and submit a detailed report. The Task Force after collecting relavent data from the State Govts. and Union Territories recommended interalia that the execution of the medicines for the million's programmes should be entrusted to the Central Organisation which should be restructured into a Government Company under Section 25 of the Companies Act, 1956 and that the Central Organisation will pool together the capacity of the medical Stores Deptt. factories, State Government pharmaceutical factories Central Government and State Governmnt's undertakings engaged in the manufacturing of common drugs and household remedies as per the list without overlapping individual capacities but with due regard to ultimate economy in cost and transportation.

The Committee on Drugs & Pharmaceuticals headed by Shri Jaisukhlal Hath have submitted their report on 6-4-75. The report covers various aspects of drugs industry including production and distribution thereof. The proposal of conversion of M.S Organisaton into a Government Company under Section 25 of the Companies' Act 1956 will also be examined in the context of the recommendations of the Committee

श्री आर० एन० गोयनका से संबद्ध कम्पनियों मे सरकारी निदेशक नियुक्त करने का निर्णय

8736. **श्री भागेन्द्र झा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री आर० एन० गोयनका तथा उनसे सम्बन्ध कम्पनियों के विरुद्ध जांच तथा उनके विरुद्ध निलंबित मामलों के बारे में 15 अप्रैल 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र प्रभा लिमिटेड, एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राईवेट लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रैस (मदुरै) प्राईवेट लिमिटेड और इंडियन एक्सप्रैस (बम्बई) प्राईवेट लिमिटेड में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करने के बारे में अन्तिम रुप से निर्णय कर लिया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : आंध्र प्रभा प्राईवेट लिमिटेड और इंडिया एक्सप्रैस न्यूजपेपर्स (बम्बई प्राईवेट लिमिटेड दोनों ही के मामलों में, दो निदेशक नामश: श्री आर० राजगोपालन , मुख्य लागत लेखा अधिकारी वित्त मंत्रालय और प्रोफेसर के० टी० मर्चेंट को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत क्रमश: 19 नवम्बर , 1973 और 4 दिसम्बर, 1972 से दो वर्ष की अवधिहेतु नियुक्त किया गया था ।

इंण्डियन एक्सप्रैस (मदुराई) प्राइवेट लिमिटेड और एक्सप्रैस न्यूज पेपर्स प्राईवट लिमिटेड के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे तथा उनका उत्तर भी प्राप्त हो गया । दो कम्पनीयों ने तथापि सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही के विरूद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में लिखित याचिकाएं दायर की तथा न्यायालय ने अन्तरिम व्यादेश दिया । इस प्रकार ये मामले निर्णयाधीन हैं ।

सरकार की उन भागरूप संस्थाओं मे जिनमे विचार विमर्श होता है (डलीबिरेट बिंग) मे पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव

8737. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि स्वाधीनता प्राप्ति के 28 वर्ष बाद भी पिछड़े वर्गों का देश के राजनैतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बिलकुल नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्गों से सम्बन्धित विधान सभा सदस्यो, विधान परिषद सदस्यों तथा संसद सदस्यों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार उन्हें सरकार की उन भागरूप संस्थाओं में जिनमें विचार विमर्श होता है, किस प्रकार कुछ प्रतिनिधित्व देने का विचार करती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अधीन लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में केवल अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध किया गया है । विधान मंडलों में "पिछड़े वर्गों" के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के वफादार रेल कर्मचारियों को रोजगार का लाभ

8738. **श्री ललजी भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 की हड़ताल में वफादार रहने वाले रेल कर्मचारियों के बच्चों को श्रेणी तीन की विभिन्न सेवाओं में भर्ती करने का लाभ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के रेल कर्मचारियों के लिये दिया गया था जिसके संघ ने हड़ताल का आह्वान किया था;

(ग) क्या हड़ताल का आह्वान श्रेणी एक तथा दो के अधिकारियों के संगठन ने भी किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो श्रेणी-एक तथा श्रेणी दो के अधिकारियों को भी उक्त प्रोत्साहन देने में क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) यह लाभ तीसरी और चौथी श्रेणी में रिक्त स्थानों का कुछ प्रतिशत, सभी श्रेणियों के उन वफादार रेल कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने हिंसा और डराने धमकाने का खतरा उठाकर स्पष्ट कर्त्तव्य-निष्ठा दिखायी।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय रेलों में डिवीजनल चिकित्सा अधिकारियों के रूप में काम कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के डाक्टर

8739. **श्री ए० एस० कस्तूरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में कुल कितने डिवीजनल चिकित्सा अधिकारी काम कर रहे ;

(ख) उनमें अनसूचित जाति तथा अनसूचित जनजाति के कितने डिवीजनल चिकित्सा अधिकारी हैं;

(ग) क्या अनसूचित जाति तथा अनसूचित जनजाति के डाक्टरों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार डिविजनल चिकित्सा अधिकारी के पदों पर पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) डिवीजनल चिकित्सा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति का निर्धारित प्रतिशत पूरा करने के लिए अनसूचित जाति तथा अनसूचित जनजाति के डाक्टरों की भर्ती हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 112।

(ख) अनसूचित जाति : 6 ;

अनसूचित जन-जाति : 3।

(ग) मण्डल चिकित्सा अधिकारियों के रूप में अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के डाक्टरों के प्रतिनिधित्व की यथेष्टता की सराहना इस तथ्य के संदर्भ में की जानी होती है कि अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 7.1/2 प्रतिशत का आरक्षण कोटा किसी वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से संबंध रखता है, किसी संवर्ग में कर्मचारियों की कुल संख्या से नहीं।

(ध) मण्डल चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में विचार करते समय योग्यतामानक में शिथिलीकरण कर देता है। आरक्षित रिक्तियों जो भरी नहीं जा पातीं अग्रानीत की जाति है और वर्तमान निर्देशों के अनुसरण में उनके लिए फिर से विज्ञापन दिये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण हाल ही में शुरू किया गया है और जब सहायक चिकित्सा अधिकारियो में से मण्डल चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति का अवसर आयेगा, इन निर्देशों का अनुसरण किया जायेगा।

रेलवे बोर्ड मे अनुभाग दो अधिकरियों के सेवाकाल मे वृद्धि

8740. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कार्यरत श्रेणी-दो के उन अनुभाग अधिकारियों के नाम क्या जिन्हें वर्ष 1974 से अब तक 58 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा काल में वृद्धि तथा । अथवा पुनर्नियुक्ति का नाम लाभ दिया गया है ; और

(ख) उन व्यक्तियो के नाम क्या है जो वर्ष 1975 के दौरान 59 वर्ष की आयु प्राप्त करके अपने सेवाकाल में वृथि तथा/अथवा पुनर्नियुक्ति की वर्तमान अवधि को पूरा कर लेंगे ?

रेल मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यद्यपि किसी अनुभाग अधिकारि को पुनर्नियोजित नहीं किया गया है, लेकिन निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों का 1974 से एक वर्ष का सेवा काल बढ़ाया गया है :--

(i) श्री वी० जे० पतकी

(ii) श्री आर० एस० सरोहा

(iii) श्री एस० के० दुबे

(ख) निम्नलिखित अनुभाग अधिकारि 59 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 1975 के दौरान सेवा-वृद्धि की वर्तमान अवधि पूरी करेंगे :--

(i) श्री वी० जे० पतकी

(ii) श्री आर० एस० सरोहा ।

दिल्ली तथा गढ़ी हरसरु और रेवाड़ी तथा खलीलपुर के बीच रेल पटरियों को दोहरा करना

8741. **श्री नुरुद्दीन सिंह मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-रेवाड़ी लाइन पर गढ़ी हरसरु जंक्शन तथा खलीलपुर रेलवे स्टेशन के बीच छ रेल गाडियां एक दुसरे को क्रास करती है और एक गाड़ी के लेट होने से दूसरी गाड़ि भी लेट हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग की रेल पटरियों को दोहरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय म उपमंत्री (श्री बूटा सिंहा) : (क) जी नहीं, समयसारणी के अुसार केवल 5 अप गाड़ियों का, दिल्ली-रेवाडी खण्ड पर गढी हरसरू जंक्शन और खलीलपुर स्टेशन के वीच के स्टशनों पर, 5 डाउन गाड़ियों से क्रास होता है। इकहरी लाइन वाले खण्ड पर दो गाड़ियों में से एक के विलम्ब से चलने की दशा में दूसरी गाड़ि को क्रास करने के लिए एक गाडी का रोकना अपरिहार्य हो जाता है ।

(ख) चूंकि दिल्ली से साबरमती तक सम्पूर्ण मीटर आमान वाले खण्ड का, जिसमें दिल्ली रेवाड़ी खण्ड भी शामिल है, बड़ी लाईन में परिवर्तन विचाराधीन है, अत : मीटर आमन के खलीलपुर-गढ़ी सरसरू इकहरी लाइन वाले पर दोहरी लाईन बिछाने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है ।

डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, इज्जतनगर (पूर्वोत्तर रेलवे) के अधीन श्रेणी-चार के कर्मचारियों की बरखास्तगी

8742. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिप्टी चीफ मैकैनिकल इंजीनियर, इज्जतनगर पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में श्रेणी-चार के कई व्यक्तियों को उसी अधिकारी ने बरखास्त कर दिया था जिसने अनुशासनात्मक अपील नियमों के अधीन उनके विरुद्ध जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के संविधान के सम्बिन्धित अनुच्छेदों के प्रावधानों तथा उक्त कार्यवाही को अवैध घोषित करनेवाले उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निदेशों का इन मामलों में उल्लंघन किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या प्रभावित हुए कर्मचारियों ने कोई अपील दायर की है ; यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया, और यदि नहीं, तो उनके मामलों को निबटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलवे को विश्व बैंक से ऋण

8743. श्री एस० एन० मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, रेलवे बोर्ड को विश्व बैंक से कितना ऋण मिला है ; और

(ख) क्या ऋण का उचित ढंग से उपयोग किया गया है और यदि हां, तो किन परियोजनाओं के लिये ऋण प्राप्त हुआ है ?

रेल मंत्रालय म उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख): 1 पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी, विश्व बैंक की सहयोजित संस्था अंतराष्ट्रीय विकास संघ से पिछले तीन वर्षों में भारतीय रेलों को कुल मिलाकर 1550 लाख डालर (लगभग 118.60 करोड़ रूपये के बराबर) के निम्नलिखित दो ऋण प्राप्त हुए हैं :—

करार सं० और तारीख	अमेरीकी डालरों में रकम (10 लाख में)	समानक रुपयो में रकम
280– आई ए० . . . . तारीख 24–1–72	75.00	54.60
448 आई० ए न० . . . . तारीख 21–12–73	80.00	64.00
	155.00	118.60

2 अन्तराष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाले ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता, केवल 0.75 प्रतिशत वार्षिक दर से सेवा-प्रभार देना होता है। ये ऋण 50 वर्षों में प्रतिदेय है और इन पर पहिले 10 वर्षों में अदायगी की छूट रहती है।

3 यह ऋण भारतीय रेलों के पुनःस्थापन, आधुनिकरण, विस्तार और क्षमता में वृद्धि के कार्यक्रमों के संदर्भ में प्राप्त किये जाते हैं और इन्हें चल स्टाक के निर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों और कच्चे माल, पट ी के नवीकरण और पुल सम्बन्धी काम, लाइन क्षमता के काम सिग्नल और बिजलीकरण योजनाओं और संयंत्र और मशीनों से सम्बन्धित सामान आयात के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

अपराध रोकने के लिये स्थानीय रेलगाड़ियों में गलियारा (कोरिडोर) व्यवस्था आरम्भ करने का प्रस्ताव

8744. **श्री रानेन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है कि अपराध रोकने के विचार से स्थानीय रेलगाड़ियों में गलियारा व्यवस्था आरम्भ की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों के पुनरीक्षित यात्रा भत्तों नियमों का प्रकाशन

8745. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून/जुलाई, 1974 में रेलवे के गजट में यह सूचना प्रकाशित की गई थी कि रेल कर्मचारियों के यात्रा भत्ता नियमों का पुनरिक्षण किया जा रहा है और कर्मचारियों को सलाह दी गई थी की यदि वे चाहे तो वे अपने यात्रा भत्ते सम्बन्धी बिल अभी अपने पास रख सकते हैं ;

(ख) क्या उन्हें अन्तिम रुप दे दिया गया है और लागू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त नियमों को कब तक अन्तिम रुप दे दिया जायेगा और लागू कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अप्रैल, 1975 में रेलों को इस बात के अनुदेश जारी किये गये थे कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में जब तक परिशोधित यात्रा भत्ता नियम जारी न किये जाय तब तक कर्मचारियों को वर्तमान नियमों के अनुसार और उस वेतन के संदभ में, जिसके वे 1-1-1973 से प्रारम्भ परिशोधित वेतनमान में आने से पूर्व हकदार थे यात्रा भत्ता लेते रहना चाहिए।

(ख) इस विषय में सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) अभी यह बताना इस समय संभव नहीं है कि परिशोधित आदेश कब जारी किये जायेंगे।

भारतीय रेल (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 के पारित होने के बाद हुई रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्ति

8746. **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद द्वारा 29 नवम्बर, 1974 को भारतीय रेल (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1973 पारित किये जाने के बाद हुई रेल दुर्घटनाओं में कुल कितने यात्री मारे गए;

(ख) मृतकों के परिवारों को कितने मामलों में मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) अन्य व्यक्तिओं के मुआवजे के भुगतान में कितना विलम्ब हुआ है और इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत की सरकारी रेलों पर 29-11-73 से 31-3-75 तक की अवधि में गाडियों की टक्कर होने, पट्टी से उतरने, समयार पर दर्घटना होने और गाडियों में आग लगने की दुर्घटनाओं में 145 यात्री मरे ।

(ख) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ।

(ग) जो दावे प्राप्त हो चुके हैं वे दावा आयुक्तों के पास पड़े ह जो ऐसे दावों की जांच और निपटारा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय मे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के अस्थायी कर्मचारी

8747. **श्री एस० एस० सिद्दय्या :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) 30 जून, 1974 को उनके मंत्रालय में तथा उससे सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति और अनुचूचित जनजाति के अस्थायी कर्माचारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) इनमें से उनकी संख्या कितनी थी जिन्होने उस तारीख को तीन साल की सेवा पूरी कर ली थी ; और

(ग) उक्त भाग (ख) में वर्णित व्यक्तियों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

कम्पनी विधि बोर्ड की पृथक् शाखाएं

8748. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड की पृथक शाखाओं की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेंदब्रत बरुआ) : (क) नहीं श्रीमान जी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

विद्यमान रिक्त स्थानों पर पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति (पश्चिम रेलवे)

8749. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री वाणिज्यिक लिपिकों द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक तथा मुख्य वाणिज्य अधीक्षक को ज्ञापन देने के बारे में 9 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 61 1के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि आश्वासन दिया गया था इस बीच सभी पात्र कर्मचारियों का उपयुक्तता परिक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षण कब किया गया उन प्रत्याशियों के नाम क्या हैं जिन्होंने परीक्षण में भाग लिया और जो सफल घोषित कर दिये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं , तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कबतक किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि उपयुक्तता परिक्षण में पात्र कर्मचारियों को अपने उपयुक्त अधिकारियों से वंचित रखने के लिए जानबूझ कर तो विलम्ब नहीं किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) उपयुक्तता परीक्षा अभी तक नहीं हुए है ।

(ग) और (घ) विलम्ब के कारणों का पता लगाया जा रहा है । फिर भी, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपयुक्तता परीक्षा बिना किसी अन्य अपरिहार्य विलम्ब के लेली जाये ।

एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन मैसर्स बंगूर एण्ड कम्पनी के विरुद्ध अनिर्णित मामले

8750. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन मैसर्स बंगूर एण्ड कम्पनी के विरुद्ध अनेक मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के तिथिवार , तथ्य क्या है और प्रत्येक मामलें में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) :(क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 के अन्तर्गत मैसर्स बांगुर एण्ड कम्पनी नामक किसी कम्पनी के विरूद्ध कोई मामला अनिर्णीत नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

गैर-बैंकिंग, तथा गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा-राशियां स्वीकार किये जाने के बारे में नये विनियमन

8751. **श्री मधु लिमये :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंकिंग तथा गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार किये जाने के बारे में कोई नए विनियमन जारी किये है;

(ख) यदि हां, तो जमा राशियों की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषाओं का तथा उनको स्वीकार किये जाने के संबंध में लगाये गय नय प्रतिबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने पर क्या दण्ड दिये गये है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) विभिन्न श्रेणियों की जमा राशियां, एवं सीमा, जहां तक ये स्वीकार की जा सकती है, से संबंधित उपबन्ध कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 में वर्णित है, जो 21 मार्च 1975 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये थे ।

(ग) कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 के नियम II के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 का (6) में किन्हीं उल्लंघनों के लिये दंड का प्राविधान है ।

आंध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना के लिये आवदन पत्र

8752. **श्री वाइ० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा की बढ़ती मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटड (क्रमांक संख्या सी० एल० पी० 2468/73) और दो दलों अर्थात् मैसर्स खंडेलवाल फरो-एलायूज लिमिटड, नई दिल्ली (क्रमांक संख्या 1475/सी०एल०पी०/71) और मैसर्स कंटोनेन्टल केमिकल्स, नेल्लोर (क्रमांक संख्या 2728 सी० एल० पी०/72 द्वारा कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित करने के लिये आशय पत्रों के आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि निर्णय लम्बित है तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कास्टिक सोडे की मांग और आंध्र प्रदेश में एक अतिरिक्त यूनिट की स्थापना की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हुए पर्याप्त क्षमता लाइसेंसो/आशयपत्रों को जारी कर स्वीकृत कर लिया गया है जिससे आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास कारपोरेशन लि० को जारी किया आशय पत्र भी शामिल है । मैसर्स खण्डेलवाल फरो-अलाय लि०, नई दिल्ली और मैसर्स कन्टिनेन्टल कैमिकल्स, नेल्लोर के दो अन्य आवदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया है क्यों कि पर्याप्त क्षमता शामिल की जा चुकी है ।

उड़ीसा के रसायन उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

8753. श्री अनादि चरण दास : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को वर्ष 1974–75 में रसायन उद्योगों के लिय पर्याप्त कच्चा माल सप्लाई किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) इस समय जब कि कच्चे माल और विशेष की उपलब्धता उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है उसमें सुधार करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। देशीय जहां उद्योग अपेक्षित कच्के माल, का देशीय उत्पादन पर्याप्त नहीं होता उस मामले में जहां तक सम्भव हो कमी के पूरा करने के लिये आयात की अनुमति दी जाती है। बशर्ते की विदेशी मुद्रा निर्बाध रूप से उपलब्ध हो।

गुजरात के उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

8754 श्री डी० डी० देसाई : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1974–75 में गुजरात में स्थित कृत्रिम कपड़ा, प्लास्टिक और भेषजस्य उद्योगों को पर्याप्त आयातित कच्चा माल सप्लाई किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) जब कि इस समय उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवेशों और कच्चे मालों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उसमें सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। जहां उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चे माल का देशीय उत्पादन पर्याप्त नहीं है वहां, जहां तक संभव हो, कमी को पूरा करने के लिए आयात की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में कोई बाधा न हो। जहां तक भेषज उद्योग का संबंध है, केन्द्रीय सरकार, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध प्रयुंज औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों के आयात की व्यवस्था करती है और उनका प्रत्येक निर्माण एकक की हकदारी के अनुसार राज्य व्यापार निगम और मेंसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा भेषज उद्योग में वितरण किया जाता है।

ग्लाईबेनक्लेमाईड का उत्पादन

8755. श्री नानूभाई एन० पटेल : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लाईबेनक्लेमाइड का उत्पादन देश में एक लघु क्षेत्र में स्थित एकक द्वारा किया जाता है और मामले की जांच हाथी समिति द्वारा की गई है। यदि हां, तो इस मामले में समिति की क्या सिफारिशें है ;

(ख) क्या नई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (देखियें खण्ड 1 अनुबन्ध 74, मद 104/4/II क्रम संख्या 23) के अनुसार इस मद का आयात 10 प्रतिशत तक सीमित है और यदि उक्त प्रतिबन्ध आगे नहीं उठाया जाता है और आयात पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो इसके अभिप्राय देश में बहु-राष्ट्रीय फर्मों को संरक्षण देना होगा;

(ग) क्या उक्त लघु एकक के अन्य उत्पादन जैसे थियोफीलिन एथनोएट आफ पीपराजिन को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके लिए भी 10 प्रतिशत आयात की अनुमति दी गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस वस्तु के आयात पर भी शिघ्र प्रतिबन्ध लगाने का है जिससे लघु क्षेत्र में स्थित एकक के हित की रक्षा की जा सकें, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) मैसर्स कार्डिला केमिकल्स प्रा० लि० द्वारा ग्लाइबेनक्लामाइड के उत्पादन को प्रारंभ कर देने की सूचना है। औषध एवं भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल 1975 को प्राप्त हो गई है तथा इसे इसी अधिवेशन के दौरान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) से (घ) पाइपेराजाइन के ग्लाइबेनक्लामाइड तथा थियोफाइलाइन एथोनयेट को परिशिष्ट 74, भाग 4 में सम्मिलित किया गया है। आइ० टी० सी० नीति के अनसार अप्रैल 1975 से मार्च, 1976 के दौरान लघु स्तर क्षेत्र में वास्तविक उपभोक्ताओं को प्रतिबंधित आधार पर व्यय में दिये जाने योग्य मदों के लिए हकदारी। मूल्य सीमा के लिए प्रतिबंधो प्रतिशतता वाली मदें। कथित नीति के अनुसार बताई गई सीमा 10 प्रतिशत हैं। मैसर्स कार्डिल केमिकल्स प्रा० लि० ने अभ्यावेदन दिया है कि प्रतिबंधित आधार पर इन मदों के आयात की अनुमति से कार्य नहीं चलेगा। सरकार पार्टी के अभ्यावेदन पर विचार कर रही है।

कुछ विदेशी औषध कम्पनियों का विलय

8756. श्री नानूभाई एन०पटेल : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ई० मैर्क और मैसर्स साराभाई को अलग अलग होने और मैसर्स बी० डी० एच० और मैसर्स सीबा के मैसर्स ग्लैक्सो तथा मैसर्स गैगी के साथ विलय की अनुमति किन किन शर्तों पर दी गई है ;

(ख) इन फर्मों के लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और तीन वर्षों में उनकी कितनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता मंजूर की गई और वास्तविक उत्पादन क्या था;

(ग) मैसर्स साराभाई से अलग होने के समय मैसर्स ई० मैर्क द्वारा कितनी धनराशि का वार्षिक प्रत्यावर्त्तन किया जा रहा था और गत तीन वर्षों में अलग अलग इसने कितनी धनराशि का प्रत्यावर्तन किया ;

(घ) क्या सरकार का विदेशी फर्मों के विलय अथवा अलग होने को एकदम रोकने का विचार है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मैसर्स बी० डी० एच० को ई० मैर्क के साथ इसके सभी लाइसेंसों सहित, विलय की अनुमति देने का है यदि हां, तो सरकार का यही वस्तुओं बनाने वाले उन भारतीय एककों के हितों को किस प्रकार संरक्षित करने का है जो इस समय विकासशील अवस्था पर है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) प्रयोगशाला रसायनों तथा विटामिन सी के उत्पादन के लिये सरकार ने 1957 और 1958 में मैसर्स साराभाई मेर्क लि० (अब साराभाई एम० केमीकल्स) का जर्मनी की मैसर्स मैर्क ए० जी० के साथ 26 प्रतिशत की साम्य भागीदारी वाले सहयोग समझौते का अनुमोदन किया था। मैसर्स मैर्क ए० जी० पश्चिम जर्मनी के साथ सहयोग समझौता 15 जुलाई 1969 को समाप्त किया गया था और तब से मैसर्स साराभाई एम० केमीकल्स पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व में हैं।

स्विटज़रलैंड में सीबा और गाइगी के विलयन के उपरान्त भारतीय कम्पनी मैसर्स सीबा आफ इण्डिया लि० ने अपना नाम बदल कर मैसर्स सीबा गाइगी आफ इण्डिया रखा है।

26 जुलाई 1968 को बम्बई उच्च न्यायालय ने बी० डी० एच० और गिलैक्सों के विलय योजना का अनुमोदन किया था और यह आदेश दिया कि 1 जुलाई 1968 से बी० डी० एच० (इण्डिया) प्राइवेट लि० के सभी भूसम्पत्ति अधिकार स्वामित्व सम्पत्ति अधिकार परमिट लाइसेन्स दायित्व दायता को बिना किसी और कार्य तथा दस्तावेज़ के गिलैक्सो लेबोरेट्रिज (इण्डिया) लि० को सौंपे जायें।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिये गये औद्योगिक लाईसेसों तथा इस अवधि में उत्पादन के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ग) साराभाई मर्क लि० (अब सारा भाई एम कैमीकल्स) की मैसर्स मर्क ए जी पश्चिम जर्मनी के साथ साम्य भागीदारी की अनुमति दी गई थी। मैसर्स साराभाई मर्क लि० द्वारा 1967, 1968 और 1969 के दौरान बाहर भेजे गये धन के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी। मैसर्स ई मर्क (इण्डिया) प्रा० लि० द्वारा पिछले तीन वर्षों में बाहर भेजी गयी धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रेषण (लाख रुपये)
1971	0.97
1972	1.73
1973	2.19

(घ) और (ङ) विलय/वियोजन के प्रश्न पर देश में सम्बन्ध कानून के अनुसार विचार किया जाता है। 1968 में गिलैक्सों लैबारेट्रिज (इन्डिया) लि० में विलय होने के बाद बी० डी० एच० एक अलग अस्तित्व के रुप में समाप्त हो चुकी है।

मैसर्स बी० डी० एच० का मैसर्स ग्लैक्सों के साथ विलय

8757. **श्री नानूभाई एन० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बी० डी० एच० के मैसर्स ग्लैक्सो के साथ विलय की अनुमति किस प्रकार दी गई, क्या देश के बाहर कम्पनियों के विलय का अर्थ देश के भीतर उनका विलय भी है ; हमारे देश में उनके विलय सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और उसकी शर्तें क्या है ;

(ख) क्या मैसर्स बी० डी० एच० द्वारा निर्मित सभी उत्पादन भारतीय फर्मों द्वारा भी बनाये जाते है और यदि हां, तो इसके मंत्रालय द्वारा किस आधार पर इस विलय के लिये अनुमति दी गई और यदि उनका मंत्रालय इस विलय के लिए सहमत नहीं हुआ तो इसके लिए अनुमति किस अन्य प्राधिकरण द्वारा दी गई ;

(ग) विलय के समय मैसर्स बी० डी० एच० और मैसर्स ग्लैक्सो की अलग अलग विदेशी साम्य पूंजी क्या थी और विलय के पश्चात् यदि साम्य पूंजी में यदि वृद्धिअथवा कमी हुई तो कितनी, विलय के समय इन फर्मों के अलग अलग लाभ क्या थे और इसकी स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इस प्रकार के विलय को रोकने का है, उक्त फर्मों का भारतीयकरण करने और उन्हें विलय की अनुमति न देने सम्बन्धी क्या प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) वर्ष 1968 में ब्रिटिश ड्रग हाऊस (इण्डिया) लि० द्वारा सूचना दी गई थी कि यू० के० में गिलेक्सो समूह ने हाल ही में यू० के० के बी० डी० एच० समूह में नियंत्रक अधिकार प्राप्त कर लिये थे और निकट भविष्य में बी० डी० एच विलय का प्रस्ताव है। 26 जुलाई 1968 को बम्बई उच्च न्यायालय ने बी० डी० एच०(इंडिया) प्राईवेट लि० के सभी भूसम्पत्ति अधिकार स्वामित्व, सम्पत्ति अधिकार परमिट लाईसेंस दायत्व दाता बिना किसी और कार्य या दस्तावेज के गिलेक्सो लैबोरेट्रीज को सौपे जाये।

(ग) भारत में विलय से पूर्व ब्रिटिश ड्रग हाऊस (इण्डिया) प्राइवेट लि० बम्बई तथा मैसर्स गिलैक्सो लैबोरेटरीज (इण्डिया) प्राइवेट लि० क्रम अनुसार ब्रिटिश ड्रग हाउस समूह लंदन तथा गिलैक्सो समूह यू० के० की 100% सहायक कम्पनी के रूप में काम कर रही थी। विलय के उपरान्त गिलैक्सो लबोरेटरीज (इण्डिया) प्राइवेट लि० में विदेशी साम्य पूंजी 75% है। दोनों कम्पनियों के विलय के समय लाभ के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी। पिछले तीन वर्षों में गिलक्सो द्वारा अर्जित लाभ निम्न प्रकार है :—

वर्ष	शुद्ध लाभ
1971/1971–72 . .	183 लाख रुपये
1972/1972–73	140 लाख रुपये
1973/1973–74	174 लाख रुपये

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विदेशी कम्पनियों में विदेशी साम्य पूंजी को कम करने के लिये सरकार ने निम्न उपाय किये है :—

(i) जब विदेशी कम्पनियां विस्तार के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो उनसे निम्न लिखित फार्मूले के अनुसार विदेशी साम्य पूंजी कम करने के लिये कहा जाता है :—

अनुमानित विस्तार लागत 40%	विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के केस में 75% से अधिक
अनुमानित विस्तार लागत 331/3%	विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के केस में 60% से अधिक पर 75% से अधिक नहीं।
अनुमानित विस्तार 25 %	विदेशी पूंजी वाले कम्पनियों के केस में 51% से अधिक पर 60% से अधिक नहीं।

(ii) सभी अनावासियों भारत में काम करने वाली विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा 40% से अधिक अनवासी शेयर होलडिंग वाली कम्पनियों के लिये नयी शाखाएं खोलना तथा वर्तमान कार्य को जारी रखने और भारत में किसी उपक्रम में पूर्ण या आंशिक प्राप्ति के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

वर्ष 1974–75 के दौरान गुजरात में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों में हुई दुर्घटनाएँ

8758. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान गुजरात में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों में हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुये ;

(ख) क्या गुजरात में रेलवे फाटकों पर चौकीदार रखने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) रेल दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवे वार संकलित की जाती है। पश्चिम रेलवे पर, जो गुजरात राज्य के क्षेत्र में सेर होकर गुजरती है, 1–4–74 से 31–3–1975 तक की अवधि में बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं में 12 व्यक्ति मारे गय और 41 घायल हुए।

(ख) जी हां।

(ग) गुजरात राज्य में बिना चौकीदार वाले आठ समपारों पर 1975–76 के दौरान चौकीदार रखने का कार्यक्रम बनाया गया है।

गुजरात में पेट्रोल पम्प

8759. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान पेट्रोल पम्प गुजरात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है;

(ख) क्या गुजरात में 1974–75 में कोई पेट्रोल पम्प आवंटित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) सभी तेल कम्पनियों के फुटकर बिक्री केन्द्रों के विद्मान तंत्र गुजरात में मांग को पूरा करने के लिये यथेष्ट है। गजरात में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये तेल कम्पनियां व्यापारिक विचार पर नये फुटकर बिक्री केन्द्रों की स्थापना करती है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा पेट्रोल पम्पों का कोई आवंटन नहीं किया जाता। 1974-75 के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा स्थापित फुटकर बिक्री निम्न प्रकार है :—

(i) **भारतीय तेल निगम** (1974–75) : कालटैक्स परिवर्तन विराम ग्राम, राजकोट, थोबा, भावनगर, सरदार पटेल कालोनी अहमदाबाद कोयाली एखियल रोड अहमदाबाद और जामनगर।

उपरोक्त में से विराम ग्राम, राजकोट, थोबा और जामनगर फुटकर केन्द्र 1974-75 के दौरान चालू किये गये थे। और एखियल रोड अहमदाबाद फुटकर बिक्री केन्द्र अप्रैल 1975 में चालू किया गया था। भावनगर म कालटेक्स से किया गया फुट कर बिक्री केन्द्र शीघ्र चालू किया जायेगा। सरदार पटेल कालोनी अहमदाबाद और कोयाली के शेष बिक्री केन्द्रों के लिए केवल नियुक्ति पत्र जारी किये गये है।

2. **एच० पी० सी० (1974-75)** : छनी और राजकोट में दो पेट्रोल पम्पों का अनुमोदन किया गया है।

3. **आई० बी० पी०** : सूरत, सरोली, पीपोद्रा, नवागांव, साइज, कोदीनार और मांग्रोल इन में से सूरत और साइज के फुटकर बिक्री केन्द्र पेट्रोल और एच० एस० डी० दोनों के लिये है और शेष केवल डीजल तेल के है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा ग्ल्यूकोनेट लिमिटेड को अपने अधीन लेना

8760. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स अॅण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करने वाली कलकत्ता स्थित एक कम्पनी, ग्ल्यूकोनेट लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या इस कम्पनी को अधिकार में लेना हाथी समिति की सिफारिशों के अनुरूप होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) मेसर्स ग्ल्यूकोनेट लि० द्वारा उत्पादन अक्तूबर 1974 से धीरे धीरे बन्द हो गया था। उत्पादन के समाप्त होने के कारण उत्पादन समस्या और कम्पनी के पुनर्वास के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ग) समिति की रिपोर्ट सरकार को 6 अप्रैल 1975 को प्रस्तुत की गई थी और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सोवियत संघ से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के बारे में समझौता

8761. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के दौरान सोवियत संघ से पेट्रोलियम उत्पादो का आयात करने के बारे में कोई समझौता किया गया; और

(ख) कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जायेगा तथा आयात किया जाने वाले इन उत्पादों के नाम क्या है; और

(ग) वर्ष 1974 के दौरान सोवियत संघ से कुल कितने मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां।

(ख) समझौते के 1970 के दौरान 6 लाख टन मिट्टी के तेल और 6 लाख टन हाई स्पीड डीजल तेल की आयात की व्यवस्था है।

(ग) यह सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

उड़ीसा में रेल वैगनों की कमी

8762. श्री पी० गंगादेव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रेल वैगनों की कमी है;

(ख) क्या वैगनों की कमी को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) माल डिब्बों की पूर्ति, जो कि पर्याप्त है, राज्य-वार आधार पर नहीं की जाती है। उड़ीसा में माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1974-75 में उड़ीसा में बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंगों पर दुर्घटनाएं

8763. श्री पी० गंगादेव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1974-75 में बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंगों पर हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ख) क्या उड़ीसा में रेलवे क्रासिंगों पर व्यक्तियों को रखने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) रेल दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेल-वार संकलित की जाती है। दक्षिण-पूर्व रेलवे पर, जो उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में से हो कर गुजरती है, 1-4-74 से 31-3-75 तक की अवधि के दौरान बिना चौकीदार वाले समाचारों पर हुई दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति मारा गया और 9 व्यक्ति घायल हुए।

(ख) जी हां।

(ग) चौकीदार रखने की आवश्यकता की जांच की गयी है और उड़ीसा में बिना चौकीदार वाले 26 समपारों पर चौकिदार रखने का औचित्य पाया गया है। इनमें से बिना चौकीदार वाले 5 समपारों पर 1975-76 में चौकीदार रखने का कार्यक्रम बनाया गया है। शेष 21 समपारों पर भी चौकीदार रखने के सम्बन्ध में भावी निर्माण कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से कारवाई की जा रही है।

उड़ीसा में पेट्रोल पम्प

8764. श्री पी० गंगादेव : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान पेट्रोल पम्प उड़ीसा की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) क्या वर्ष 1974-75 के दौरान उड़ीसा को पेट्रोल पम्पों का कोई आबंटन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) सभी तेल कम्पनियों के विद्यमान फुटकर बिक्री केन्द्रों से सम्मलित तन्त्र उड़ीसा में वर्तमान मांग को पूरा करने के लिये यथेष्ट है। उड़ीसा में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये तेल कम्पनीयां नये फुट कर बिक्री केन्द्रों की वाणिज्यिक विचार से स्थापना कर रही है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा किसी पेट्रोल पम्प के आवंटन नहीं किया जाता। परन्तु तेल कम्पनियों द्वारा 1973-75 के दौरान स्थापित फुटकर बिक्री केन्द्र निम्न प्रकार है :—

(1) **भारतीय तेल निगम** (1974-75) : *चौदोर वेदयास *कटक मुनीगेडा और बोधराज *बर्माशैल से परिवर्तन और यह चालू हो चुके हैं। अन्य तीन फुटकर बिक्री केन्द्रों के सम्बन्ध के नियुक्ति पत्र जारी किये है और इनके 1975-76 में चालू होने की आशा है।

(2) **बर्माशेल** (1974) : कोइरां

मैसर्स इंडोफिल द्वारा कीटनाशी औषधियों का निर्माण

8765. श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजनाओं में कुछ कीटनाशी औषधियों के मूल उत्पादक के आधार पर मैसस इंडोफिल को अधिकांश हिस्सा दिया गया था यदि हां, तो दिये गये लाइसेंस और उत्पाद और उनकी कीमत का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन महत्वपूर्ण कीटनाशी औषधियों के उत्पादन इस आधार पर इस फर्म को दिये गये अधिकांश प्रतिनिधित्व को कभी भी पूरा नहीं किया गया था ; और

(ग) उक्त फर्मों को उत्पादों के लिये दिये गये ऋण का ब्यौरा क्या है क्या उन्हें वापिस लोटाया गया था, यदि नहीं, तो उत्पादों के लिये दिये गये ऋणों को न लौटाने की छूट किस अधिकारी ने दी थी और इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) अमृतलाल एण्ड कंपनी प्राईवेट लि०, बम्बई ने जुलाई 1960 में मैसर्स रोहन एण्ड हैस, यू०एस० ए० के सहयोग से निम्नलिखित मदों के निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए एक नई कंपनी स्थापित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था :

उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता
(क) मैथाक्रिलिक शीटें, मोल्डिंग पाऊडर्स, रौड़े एंव ट्यूबें .	1000 टन
(ख) एक्रिलिक धोल (इमलशन्ज) .	1500 टन
(ग) फोनाइट रेजिन्स	500 टन
(घ) ट्राइटन नोनियोनिक सिंडैट्स एंव इमलसीफाईज एजैंट	1000 टन
(ङ) डिथेन फंजीसाईड्स . .	2500 टन
(च) एकनीलेट मोनोमर्स . .	2000 टन
(छ) मैथाक्रिलेट मोनोमर्स	4000 टन
(ज) प्लास्टीसाइजर्स	800 टन

उचित विचार के पश्चात् पार्टी को निम्नलिखित मदों के निर्माण के लिए मई 1961 में औद्योगिक लाइसेंस दे दिया गया :

डीयेन फंजीसाइड्स	2,500 मी०टन/वार्षिक
प्लास्टिसाइजर्स	800 मी०टन/वार्षिक

औद्योगिक लाइसेंस अन्य बातों के साथ साथ पूंजीगत मामलों एंव विदेशी सहायता की की शर्तों के सरकार की संतुष्टी के अनुसार होने की शर्त पर दिया गया था। अगस्त 1961 में विदेशी सहायता के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार प्रस्तावित निगमित की जाने वाली कंपनी की साम्य पूंजी का 57½% मैसर्स रोहन एण्ड हैस यू० एस० ए० द्वारा रखा जाएगा।

प्रयोजना पर 40 लाखों रुपये की पूंजीगत लागत का अनुमान था और पूंजी जारी करने के लिए पूंजीगत मामलों के नियंत्रक ने अगस्त 1962 में निम्नलिखित आकार पर अनुमति दे दी थी :

(i) 100 पये वाले 23,000 शेयर विदेशी सहायक मैसर्स रोहन एण्ड हैस कंपनी यू० एस० ए० को जारी करने के लिए, और

(ii) प्रति शेयर 100 पये वाले 17,000 शैयर्स मैसर्स अमृतलाल एण्ड कंपनी प्राइवेट लि० को जारी करने के लिए।

बाद में नई कंपनी अर्थात मैसर्स एण्डोफिल औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वियन के लिए निगमित की गई। पिछले तीन वर्षों में डीयेन और प्लास्टीसाइजर्स का उत्पादन नीचे दिया गया है।

वर्ष	मात्रा (टनों में) डीथेन		कारखाने पर मूल्य लाख रुपये प्लास्टीसाइजर्स	उत्पादन
1	2	3	4	5
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1972	1000	61	142.6	उपलब्ध नहीं
1973	1550	107	150.7	,, ,,
1974	1529	69	279.3	,, ,,

डाइथेल के औद्योगिक लाइसेंस के अतिरिक्त मैसर्स इण्डोफिल को नाजुक बी डी साईड्स के उत्पादन के लिए अर्थात स्टैम एण्ड टोक को 1500 टन क्षमता के लिए 16-3-74 को दिया गया और लाइसेंस कार्यान्वित किया जा रही है।

(ग) लाइसेंस देते समय मैसर्स अमृतलाल एण्ड कंपनी प्राइवेट लि० को परामर्श दिया गया था कि कवकनाशी (फंजीसाइड्स) के बाजार के विकास और उत्पादन आरंभ करने के लिए उन्हें उत्पादन ऋण व्यवस्था के अधीन निर्मित पदार्थों और कच्चे माल (एथिलीन-डायामीन) आयात करने की आज्ञा भी दे दी जाएगी। इस आयात का मूल्य कम्पनी द्वारा तयार उत्पादन के निर्यात के पश्चात विदेशी मुद्रा में चुकाना था। उत्पाद ऋण वापस लौटाने के बारे में स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स इंडोफिल द्वारा नियुक्त विदेशी तकनीशियन

8766. श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इंडोफिल ने कितने तकनीशिनों को नियुक्त किया है ; उनके नाम, वतनमान और उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) क्या इस फर्म में आशय-पत्र जारी करने से पूर्वदूसरी श्रेणी के पूंजीगत माल के आयात और विदेशी तकनीशिनों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई थी, यदि हां, तो किस की आज्ञा से और औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के किन उपबन्ध के अन्तर्गत ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस फर्म के लिस पर हमारे देश में इस समय मैसर्स रोहन एण्ड हैस एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय द्वारा नियंत्रण है, कार्य और नियमितताओं की जांच करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) मैसर्स इण्डोफिल के प्रबंध निदेशक जी ए०एल० वाल्शजुनियर ही एक मात्र विदेशी तकनीशियन है जिनको कम्पनी ने नियुक्त किया है, 7500 रुपये प्रतिमास वेतन पर प्रबन्ध निदेशक के रूप में उन की नियुक्ति सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, इसके अतिरिक्त कम्पनी के नियमों के अनुसार बोनस, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, ग्रेज्युटी, चिकित्सा लाभ, पारगमन लाभ, अवकाश यात्रा रियायत, सुसज्जित निवास-स्थान, कार का निःशुल्क उपयोग, निवास स्थान पर टेलीफोन और दो क्लबों की फीस की सुविधा दी गई है ।

टेकनीशियन के रूप में वह आयकर एक्ट की धाराओं के अधीन सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके आयकर से छूट प्राप्त कर सकता है ।

(ख) और (ग) कम्पनी को डीइथेन कवकनाशी (फंजीसाईड्स) के निर्माण के लिए मई 1961 में एक औद्योगिक लाईसेंस दिया गया था । डाइथेन कवकनाशी (फंजीसाईड्स) डाइथेन फन्जीसाईडस में जिनेब (जैड–72) और मीनेब जैसे रासायनिक समूह शामिल होते है । वायु द्वारा छिड़क ने के लिये कम्पनी एम–45 उत्पादन करना चाहिती थी तथा दिशा इस की आवश्यकताओं और इसकी सेवा योग्यता आदि की जाँच करने के बाद सैकण्ड है रोटरी बैकन ब्लैडर/ड्रायर को बिक्री न करने के आधार पर 1972 में उन्हें आयात करने की अनुमति दी गई थी केवल भाड़े और बीमे पर ही विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी ।

मैसर्स ई० मर्क को दिए गए लाइसेंस

8767. श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ई० मर्क को किन किन 'बल्क' औषधियों के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों की मुख्य शर्तें क्या हैं और क्या इस कम्पनी को 'बल्क' औषधियों का निर्माण मौलिक आवस्थाओं से करना था ; और

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी को मौलिक फार्म्युलेशन करने को क्यों नहीं कहा गया है और उन्हें माध्यमिक अवस्था से 'बल्क' औषधियों का निर्माण करने की अनुमति किस प्राधिकरण के अन्तर्गत दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) विटामिन ई और विटामिन पी ।

(ख) मेसर्स ई० मर्क (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड बम्बई को 25 सितम्बर 1971 को अन्य बातों के साथ 2 प्रपुंज औषध अर्थात विटामिन ई और विटामिन पी (रुटिन) के लिए अन्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित मुख्य शर्तों पर औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था :--

(i) यह कंपनी विटामिन ई और रूटिन के मूल चरणों से उत्पादन करने की संभाव्यता के बारे में खोज करेगी तथा 6 महिनों के भीतर एक संशोधित चरणबद्ध कार्य-क्रम प्रस्तुत करेगी ।

(ii) संयंत्र और मशीनरी का आयात सरकार की समय समय पर लागू नीति के अनुसार तथा उसके अनुमोदन से किया जायेगा । इस कार्य के लिए किसी रायल्टी, तकनीकी फीस, आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(iii) कच्चे माल को आयात के लिए स्वीकृति, समय 2 पर लागू आयात नियंत्रण नीति के अनुसार दी जानी चाहिए ।

(iv) कंपनी की विदेशी साम्य पूंजी 60% तक घटा दी जानी चाहिए ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मैसर्स ई० मर्क द्वारा बिना किसी वैध लाइसस के फार्म्यूलेशन का उत्पादन

8768. श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ई० मर्क द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के अनेक फार्म्यूलेशन्स का उत्पादन किया जा रहा है और 'डोलोन्यूरोवियन' इस प्रकार का एक फार्म्यूलेशन है ;

(ख) यदि हां, तो उन उत्पादों के उत्पादन के लिये जिसके लिये इस कम्पनी ने कोई अनुमति प्राप्त नहीं कर रखी, इसे किस प्राधिकरण के अन्तर्गत आयातित / केनेलाइन्ड, कच्चे माल का आबंटन किया जा रहा है ; और

(ग) क्या "डोलो-न्यूरोवियन" का अवैध उत्पादन पहले ही सरकार के ध्यान में है और यदि हां, तो सरकार ने औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, का उल्लंघन करने पर कम्पनी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) मैसर्स ई० मर्क द्वारा उनको 27-9-1971 को जारी किए गए औद्योगिक लाईसेंस के अंतर्गत निरोवियोन का उत्पादन किया जा रहा है। वे डोल न्यूरोवियोन, जो एक ऐसी मद है जिसे उपरोक्त औद्योगिक लाइसेंस में विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, का भी उत्पादन कर रहे है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) सरकार की अनुमति के बिना 'डोल न्यूरोबियोन' का उत्पादन करने के लिए , इस पार्टी को एक 'कारण बताओ' नोटिस भी जारी किया जा चुका है । कंपनी के उत्तर की प्राप्ति के बाद यदि यह पाया गया कि उसने औद्योगिक (विकास और प विनियमन) अधिनियम, 1951 की अवहेलना की है, तो कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

Flag Stations to be set up in Bhusawal Division

8769. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether flag stations are being set up in Bhusawal Division (Central Railway) and if so, the locations thereof ; and

(b) whether Government propose to convert the present flag stations into regular stations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b) There is, at present, no proposal either to set up new flag stations or to convert the existing flag stations into regular stations in Bhusawal Division.

Non-availability of Kerosene in Madhya Pradesh

8770. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whetner he is aware of non-availability and exorbitant price of kerosene oil in Madhya Pradesh ; and

(b) the action being taken by Government to meet the shortage of kerosene oil and to check blackmarketing thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) No such complaint has come to the notice of Government during the recent past.

(b) Kerosene oil quotas to the States were increased from November, 1974. Since then no serious complaints of shortage have been received from the States. Selling prices of Kerosene Oil are controlled statutorily under the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order 1970 issued under the Essential Commodities Act, 1955. State Governments have been fully empowered to determine the retail selling price at any point and to enforce it in terms of tne aforesaid Order and the Act.

Firms of Birla Group in Madhya Pradesh

8771. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of firms of Birla Group in various parts of Madhya Pradesh ; and

(b) whether Government is represented in every firm of Birla Group ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) The following companies having their registered offices in the State of Madhya Pradesh were listed under Birla House in the Industrial licensing Policy Inquiry Committee report. Out of tnese only those at Serial Number 2, 6 & 7 are registered under Sec. 26 of the M.R.T.P. Act so far.

1. Central India General Agents Ltd.
2. Central India Machinery Mfg. Co. Ltd.
3. Godavari Corporation Ltd.
4. Gwalior Commercial Co. Ltd.

5. Gwalior Finance Corporation Ltd.

6. Gwalior Rayon & Silk Mfg. (Wvg) Co. Ltd.

7. Jiyajeerao Cotton Mills Ltd.

8. Pilani Investment Corporation Ltd.

9. Sutlej Cotton Mills Supply Agency Ltd.

10. Central India Industries Ltd.

(b) No, Sir.

कडाकावूर रेल्वे स्टेशन का विकास

8772. **श्री बयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कडाकावुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए निर्माण कार्यों में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अभी भी किस प्रकार का कार्य पूरा किया जाना है और उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) तिरुवनंतपुरम-कोल्लम-एर्णाकुलम खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाईन में बदलने की योजना के अंतर्गत, काडाकावूर स्टेशन पर निम्नलिखित विकास कार्य शुरु करने का प्रस्ताव है :—

(i) लम्बी गाड़ियां खड़ी करने के लिए निचली सतह वाले वर्तमान प्लेटफार्म का विस्तार।

(ii) पटरी की सतहवाले और एक दिशा वाले एक नये द्वीप प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

(iii) माल गोदाम और माल प्लेट फार्म की व्यवस्था ।

(iv) प्लेटफार्म के ऊपर बड़े आमान के मानक का छत की व्यवस्था ।

(v) ऊंचे दर्जे के प्रतिक्षालय में महिलाओं के लिए अलग शौचालय ।

(vi) जल शीतक की व्यवस्था ।

उपर्युक्त 6 कामों में से 16 बोगी वाली गाड़ियां खड़ी करने के लिए प्लेटफार्म के विस्तार का काम पूरा हो चूका है । 18 बोगी वाली गाडियां खडी करने के लिए इस प्लेटफार्म के विस्तार का काम जारी है । उपर्युक्त मद (ii) से (vi) तक के शेष काम आमान परिवर्तन की योजना के साथ शुरु किये जायेंगे और आशा है कि वे मार्च 1976 तक पूरे हो जायेंगे ।

पाल्दी में तेल टैंकर में आग लगना

8773. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6,00,000 लिटर पेट्रोल ले जा रहे एक तेल टैंकर में हाल ही में पाल्दी में एक भारतीय तेल निगम पम्प पर आग लग गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भारतीय तेल निगम ठेकेदार का एक टैंक ट्रक जिसमें 8000 लिटर पेट्रोल था, पालदी, अहमदाबाद के निकट आनन्द नगर में आग के चपेट में आ गया था ।

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार जब उत्पाद मैसर्स डिप्टी मोटर्स के सर्विस स्टशन 'ए' स्थल पर छोडा जा रहा था, होज पाइप के अंत में आग दिखाई दी और उसके बाद ट्रक ड्राइवर डर से हौज़ पाइप को अलग करने या वाल्व बन्द किए बिना ट्रक को स्टेशन से बाहर निकाला और कैबिन में कूद पड़ा इसके कारण ट्रक के मार्ग सहित पेट्रोल बिखर गया और सारी ट्रक आग में फूंक गई । सारा उत्पाद और ट्रक पूर्ण रूप से नष्ट हो गए । डिस्पेसिंग पम्प को भी आग लग गई। अन्त में अहमदाबाद फायर ब्रिगेड द्वारा उनकी फायर इंजिनों से आग बुझाई गई थी ।

विदेशी औषध फर्मों के 'फार्म्यूलेशन्ज' का ट्रेड मार्क

8774. **श्री खेमचन्द भाई एस० चावडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27-5-1969 की अधिसूचना के जरीये 'बल्क ड्रग्स' पर आधारित विदेशी फर्मो द्वारा निर्मित किये गये 'फार्म्युलेशन्ज' की सभी मदों पर एक विशिष्ट ट्रेड माक अथवा पेटेंट होता हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम की किसी नई धारा के अन्तर्गत नहीं आयेगा ; और

(ग) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) दिनांक 27 मई 1969 की अधिसूचना सं० 3(3)/65-कैमि०-III के असर से I (आई और आर) अधिनियम, 1951 की धारा 10, 11, 11-क और 13 की प्रक्रिया को मुक्त करने की व्यवस्था है । और यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जबतक कथित अधिसूचना में निहित शर्तो को पूरा किया जाता हो, यद्यपि कथित अधिसूचना के अधीन निर्मित वस्तु/सूत्रयोगों नई वस्तुएं हो सकती हैं जैसाकि आई (आई और आर) अधिनियम 1952 की धारा 3 (घघ) के अर्न्तगत वर्णन किया गया हैं ।

मैसर्स "सीबा- गेगी लिमीटेड" द्वारा निर्मित फार्म्यूलेशन्स

8775. **श्री खेमचन्द भाई एस० चावडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मैसर्स सीबा-गैगी लिमिटेड" ने आयातित अधिक खपत वाली औषधियों पर आधारित औषधियों के लिये किन किन फार्मूलेशनों का निर्माण किया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में आयातित कच्चे माल की किस्म तथा मूल्य अनुसार लाईसेंस प्राप्त क्षमता/उत्पादन/प्रयोग क्या है ;

(ग) क्या इसी प्रकार की वस्तुओं के भारतीय फर्मों के प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिये गये थे ; और

(घ) क्या इन्हीं वस्तुओं के लिये भारतीय फर्मों के प्रस्तावों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक ढंग से विचार करेंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) मैसर्स सीबा गाइगी लि० द्वारा आयातित प्रपुंज औषधों पर आधारित गोलियों/एमपूल्स/तरल / मरहम जैसे बनाये जाने वाले सूत्रयोग निम्न प्रकार है :—

1. एन्टिस्टाइन
2. सिबालजन
3. सिवालजन कम्पोजिशन
4. कोरामाइन एडेनोसाइन
5. डोरीडन
6. पोरीस्टल लोन गोलिया
7. मिलीटोरटन
8. फिस्कोल
9. प्रिसकोफन
10. स्पास्मो सिवालमन
11. आट्रीतन
12. प्रीवाइन
13. ब्रेडेक्स वायोफार्म
14. नुपर नियालल
15. एटिस्टाइन प्रीविन
16. प्रीवीन एमलसन
17. फेरिस्टल

(ख) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

मैसर्स एस० के० एफ० को स्वीकृत उत्पादन क्षमताएं

8776. **श्री खेमचन्द भाई एस० चावडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एस० के० एफ० को किन किन वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा के लिये सी० ओ० बो० लाइसेंस दिये गये थे और लाइसेंसों की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या मैसर्स एस० के० एफ० ने सी०ओ० बी० आवेदनपत्र में "एसकेलाईन" के उत्पादन के लिये अनुमति नहीं मांगी थी और बाद में बिना वैध अनुमति के इसका उत्पादन करना शुरु कर दिया ;

(ग) 'एसकेलाइन' का उत्पादन किस तिथि को आरम्भ किया गया और कितने मूल्य की कितनी मात्रा के आयातित सम्पीसीलिया का उपयोग किया गया और आयातित मांगीकृत माल पर आबंटन किस प्राधिकरण पर किया गया ; और

(घ) क्या यह कम्पनी औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 13 का उपबन्धों का उल्लंघन करती रही है और यदि हां, तो इस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जानी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) 22-11-1973 को एस के पी को निम्न लिखित श्रेणियों को मदों तथा क्षमताओं के लिए एक सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी किया गया था ।

श्रेणी	क्षमता (वार्षिक)	
टेबलेट्स	918 लाख	मदों का विवरण संलग्न है ।
तरल	34000 लीटर	
आयन्टमेंट	155,300 कि० ग्राम	
कैपसूल	145 लाख	
पाउडर	43,310 कि० ग्राम	
इनहेलर	21,600 संख्या	
एन्जैक्टबिल्स	3 लाख संख्या	

लाईसेंस में अन्य बातों के साथ साथ निम्न लिखित मुख्य शर्तें थी :—

1. औद्योगिक उपक्रम का कोइ भी वर्ग, भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना उपरोक्त उल्लिखित क्षमता से (मात्रा में) क्षमता नहीं रखगा ।

2. वार्षिक उत्पादन 20% भाग को निर्यात किया जाना चाहिए और इसके लिए बोर्ड भरा जाना चाहिए ।

3. मूल औषधों के निर्माण संबधी प्रस्तावों को 6 महिनों के अतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. मूल औषधों के निर्माण विस्तार सबंधी प्रस्तावों के बारे में, कपनी को अपने विदेशी पूंजी नियंत्रण को वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) के दिनांक 19 फरवरी, 72 प्रस ज्ञापन के अनसार (कम) करना चाहिए । जसे भी हो, इस लाइसेंस की तिथि से 2 वर्ष के भीतर विदेशी पूंजी नियंत्रण को 60% के स्तर तक कम किया जाना चाहिए ।

5. इस कार्य के लिये प्लांट और मशीनरी के आयात को कोई स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

6. विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर ही कच्चे माल के आयात की अनुमति सरकार द्वारा समय समय पर लागू नीति के अनुसार दी जाएगी ।

(ख) एस्केसिलीन के निर्माणहेतु पार्टीने एक सी ग्रो बी लाइसेंस देने के लिए आवेदन नहीं किया था। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि एस्केसिलीन के प्रचलन किए जाने के समय, वे एक लघु एकक थे, जिन्हें दिनांक 19-7-69 के पंजीकरण संख्या 91-एन। 2/736/68 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और इसीलिए औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत उन्हें किसी लाइसेंन्स की आवश्यकता नहीं थी। यह सूचना मिली है कि उन्होंने सी० ग्रो० बी० लाइसेंस की स्वीकृति पूर्व उत्पादन आरंभ कर दिया था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

(घ) राज्य सरकारसे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है। कानूनी स्थिति की जांच की जा रही है।

विवरण

गोलीयाँ

1. डेप्रिसाल
2. डेक्साड्राइन
3. ड्राइनामाइल
4. डाईटाइड
5. इस्काजाइन (1 एमजी और 5 एमजी)
6. फयूराडेन्टीन (50 एमजी और 100 एमजी)
7. फयूराक्सीन
8. स्टेलेबिड (1 और 2)
9. बेफरिन
10. मेड्राईल
11. एमबीसाइड

तरल

1. फ्यूरासीन सस्पेंशन
2. न्यूरोफो स्फेटस
3. फेराडेन्ट मे सस्पेंशन

टीका

इस्काजीन

आएन्टमेंट

1. स्स्कामल
2. फयुरासीन
3. प्रागमेटर
4. फयुरासीन क्रीम
5. इन्डेक्स प्लेन
6. इन्डक्स मैथाइल
7. न्युफ्रन

कैप्सूल्स

1. फीसोफर
2. सरटेक्रो
3. फाफ्कल
4. इस्कोरमङ
5. स्पेनफ
6. कालवीन
7. प्राईडोनल
8. फेसरोविट

पाउडर

1. बिफरन स्पलीमेन्ट
2. नेफटिन (50 और 200)
3. फयुरासोल
4. फयुरासोनिकल पाउडर

इन्हेलर

बेन्जीड्राइन

रेलवे बोड द्वारा वर्ष 1974–75 के रेल डिब्बे प्राप्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वैगनों के लिए क्रयादेश

8777. **श्री टुना उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1974–75 के रेल डिब्बे प्राप्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वैगन उद्योगों को वैगनों के लिय क्रयादेश दे दिय थ ;

(ख) यदि हां, तो किन किन औद्योगिक एककों को यूनिटवार वगना के क्रयादेश मिले हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों के पास एककवार वैगनों के कितनें क्रयादेश विचाराधीन पडे हैं तथा कितने वैगने सप्लाई किए गए हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में हुए इन एककों में एककवार कितने माल डिब्बों का निर्माण किया गया ;

(ङ) उद्योगों द्वारा युनिट वार क्रयादेशों पर वैगनों को ठीक समय पर सप्लाई न करने के क्या कारण है ; और

(च) रेलवे बोर्ड ने ठिक समय पर वैगनों को प्राप्त करने के लिये अद्यतन क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह):(क) और (ख) जी, हां। 1974–75 के चल स्टाक कार्यक्रम में से, चौपहियो के हिसाब से 625 माल डिब्बो के लिए क्रयादेश, 1973-74 के चल स्टाक कार्यक्रम का ठेका मुल्य पर मेसर्स सेन्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्यूफक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, भारतपुर (राजस्थान) को दिया गया है। इसके अलावा, 1974–75 के चल स्टाक कार्यक्रम में अप्रैल, 75 के दौरान चौपहियों के हिसाब से 1750 माल डिब्बों के क्रयादेश भी निम्न-लिखित तीन फर्मों को दिये गये हैं :—

(1) मेसर्स बेयवेट, कलकत्ता ।

(2) मेसर्स टेक्समैको, कलकत्ता ।

(3) मेसर्स सिमको, भरतपुर (राजस्थान)

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है ।

(ङ) संविदात्मक सुपुर्दगी – तारीखों पर सप्लाई में विलम्ब होने के सम्बन्ध में यूनिटों ने सामान्यत: जो कारण बताये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) इस्पात तथा समानों की निर्बाध सप्लाई की अपर्याप्त उपलब्धता ।

(ii) श्रमिक आन्दोलन / तालाबन्दी ।

(iii) बिजली की कटौती ।

(च) जब सुपुर्दगी की तारीख मूलसंविदात्मक सुपुर्दगी की तारीखो से आगे बढ़ जाती है और जब ऐसे विलम्ब होने का कारण, फर्म के नियंत्रण के बाहर की बात नहीं होती तब सुपुर्दगी की तारीख बढ़ाते समय प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर, ठेके की शर्तों के अनुसार निर्णीत हर्जाना लगाने पर विचार किया जाता है ।

विवरण

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों में मैसर्स ब्रेथवेट, कलकत्ता, मेसर्स सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०, भरतपुर (राजस्थान) और मैसर्स टैक्समैको लि०, कलकत्ता के पास अनिर्णित क्रयादेशों तथा सुपुद किये गये माल डिब्बों का ब्यौरा :—

क्रम सं०	फर्म का नाम	1972–73		1973–74		1974–75	
		वर्ष के प्रारंभ में (1 अप्रैल को) बकाया क्रयादेश	वर्ष में सप्लाई किये गये माल-डिब्बों की संख्या	वर्ष के प्रारंभ में (1 अप्रैल को) बकाया क्रयादेश	वर्ष में सप्लाई किये गये माल डिब्बों की संख्या	वर्ष के प्रारंभ में (1 अप्रैल को) बकाया क्रयादेश	वर्ष में किये गये माल डिब्बों की संख्या
1.	मैसर्स ब्रेथवेट . .	3168.5	1950.5	4025.5	1761.5	5252	1365
2.	मैसर्स सिमको . .	3180.5*	1779.5	4632.2	2867.9	5203.5	2064
3.	मसर्स टेक्समैको .	5155	3280	5213.4	3209.2	7276	3428

*455 चौपहियों के क्रयादेश वापस ले लिये गये।

नोट :—1972–73 और 1973–74 में सी आर टी टाइप के माल डिब्बे 1.2 चौपहिया माल डिब्बों के बराबर माने जाते थे। 1–4–1974 के बाद से इन्हें एक चौपहिया के बराबर माना जाता है। अतः 1-4-1974 के बकाया क्रयादेश उस सीमा तक कम है।

चौथी योजना के दौरान सरकारी एजेन्सियों द्वारा आयात की गई औषधियों और भेषजों के कच्चे माल

8778. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कितनी औषधियों और भेषजों के कच्चे माल का सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा आयात किया गया उन के आयात मूल्य क्या थे और अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य क्या थे ; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करता रहा है और 'बल्क' औषधियों के लिये प्रवृत्त मूल्य लेता रहा है जिससे वस्तु सूचियों, लदान पत्तो और विक्रय वाउचरों पर भी लाभ कमाता रहा है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है अर्थात् चौथी योजनावधि में कितना कच्चा माल आयात किया गया, उसके लिये क्या मूल्य लगाया गया और उसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या था; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम विदेशी फर्मों को कच्चे माल का आबंटन करने में सहायता कर रहा है, यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण हैं और राज्य व्यापार निगम की इस अनुचित कार्यवाही को बन्द करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

मसर्स रोशे एण्ड बोरो वेलकम लिमिटेड की कुछ औषधियों की फार्म्यूलेशन क्षमता

8779. **श्री सोमचन्द सोलंगी**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री कतिपय विदेशी औषध फर्मों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों को लागू की गई शर्तों के बारे में 25 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4828 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मे सर्स रोशे एण्ड बोरो वेलकम को दी गई ट्रि मैथेप्रिया और सल्फामेथेक्जमोल की फार्मूलेशन क्षमता लाइसेंस क्षमता अधिक है ;

(ख) क्या मैसर्स रोशे मुलत: सल्फामेथेक्जामोल का उत्पादन नही करती, जैसा की लाइसेंस की शर्तों में अपेक्षित है और तत्सकरी के कच्चे माल से बने फार्म्यूलेशन को अभी भी बिक्री करता है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) मेसर्स रोशे पर अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम का प्रयोग करने पर प्रतिबन्द की शर्तों को लागू क्यों नही किया गया जैसा कि बोरोग वैलकम के मामले में किया गया है और बोरोग वेलकम को अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड का नाम का प्रयोग करने की अनुमति देने के क्या कारण है यद्यपि लाइसेंसों पर इस के विपरित शर्तें निर्दिष्ट है ; और

(घ) औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम की शर्तों और उपबन्धों का उल्लंघन करने वाली उन बहूराष्ट्रीय फर्मों के विरूद्ध सरकार का क्या दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) मैसर्स बोरो वैलकम एण्ड कम्पनी (इंण्डियां) प्रा० लि० तथा मेसर्स रोचे प्राडैक्ट्स लि० को क्रमश: दिये गये ट्रिमेथेप्रिम तथा सल्फामैथोजोल की क्षमता और दोनों प्रपुंज औषधों के सुत्रयोग तथा दोनों कम्पनियों को दिये गये औद्योगिक लाइसेंन्स की शर्तों के बारे में 25 मार्च, 1975 को लोकसभा अ० ता० प्रश्न सं० 4828 के भाग (क) के उत्तर में पहले ही बताया गया है। प्रत्येक मामले में स्वीकृत सूत्रयोग क्षमता सम्बन्धित प्रपुंज औषधों के उत्पादन के 50% तक सीमित करनी होगी। तरल पदार्थों के बारे में (ट्रीमैथोप्रीम 40 एम०जी० तथा प्रत्येक 5 एम०एल० पर 200 ग्राम जी सल्फामेथाइजोल) प्रत्येक कम्पनी को 65 की० ली० की क्षमता स्वीकृत की गई। किन्तु गोलियों के सम्बन्ध में (व्यस्क खुराक) (80 एम० जी० ट्रीमैथोप्रीम तथा 400 एम० जी० सल्फामेथाइजोल (बाल रोग खुराक) (20 एम० जी० ट्रीमैथाप्रीम तथा 100 एम० जी० सल्फामेथाइजोल) प्रत्येक कम्पनी को 260 लाख गोलियों की क्षमता हेतु स्वीकृति दी गई, तथा व बाजार की मांग के अनुसार प्रत्येक खुराक के अपने उत्पादन को समायोजन करने में स्वतंत्र है।

(ख) 23 अप्रैल, 1974 को मैसर्स रोश प्रोडैक्ट को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की शर्तों के अनुसार पार्टि को प्रारभ में दो वर्ष के लिये आयातित मध्यवर्ती पदार्थों, 3 एमीनों 5 मथाइल-आइसोजाजोल पर आधारित सल्फामेथइजोल प्रपुंज का उत्पादन कर सकती है। तीसरें वर्ष से पार्टी को टी बूटाईल एल्कोहोल हाइड्रोक्जाइलामाईन एसिड सल्फैट आदि से प्रारभ होने वाले मूल स्तर के प्रपुंज औषधों का उत्पादन करना होता है। सूत्रयोगों का उत्पादन सल्फामथइजोल के अपने उत्पादन पर आधारित होता था तथा ट्रिमेथेप्रीम के आयात की एक वर्ष की अवधि के लिए अनमति दी जाती थी। मई 1974 में पार्टी द्वारा बैकट्रिम गोलियों के उत्पादन शुरु किये जान की सूचना है किन्तु सल्फामेथोजाजोल का उत्पादन जनवरी, 1975 में प्रारंभ हुआ था। संक्रांति काल में सल्फामेडोजाथोल के प्राप्ति के स्त्रोतों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है व सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) मैसर्स बोरो वैलकम (इण्डिया) प्रा० लि० बम्बई, विश्व में कहीं भी प्रयोग न होने वाले सेंपट्रान व्यायरिक नाम के अन्तर्गत ट्रमेथीप्रीम तथा सल्फामे थोनाजोल के सूत्रयोगों का उत्पादन कर रही है क्या यह अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड नाम है, इस बारे मे स्थिति का पता लगाया जा रहा है औद्योगिक लाइसस देने के लिए 1 नवम्बर, 1974 से लागू सुगम पद्धति के अन्तर्गत मैसर्स रोचे प्रोडैक्ट लि०के सम्बन्ध में आशयपत्र को वदलने का कार्य उद्योग तथा सिविल पूर्ति मत्रालय (औद्योगिक स्वीकृत के सचिवालय) द्वारा की गई। इस कम्पनी को स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस में आन्तरिक बिक्री के कार्य के लिए विदेशी बाण्ड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस शर्त को न लागू करने की शर्त के कारणों का पता उस मंत्रालय से लगाया जा रहा है। तथा सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए तथा ट्रिमेथेप्रीम एवं सल्फामेथेजाजोल के उत्पादन के लिये स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस के संबंध में अन्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए यदि उन्हें, पाया गया तो उनके विरूद्ध यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बरौनी तेलशोधक कारखाने से निकलने वाले कुड़े कचरे से गंगा नदी के पानी का दूषित होना

8780. श्री एम० ई० हौरा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में बरौनी तेलशोधक कारखाने से निकलने वाले कूड़े कचरे से गंगा नदी का पानी निरंतर दूषित हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गंगा नदी के पानी को दूषित होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) शोधनशाला ने निर्यात के उपचार के लिए उचित कदम उठाये है और उसका गंगा में बहाव निर्धारित मानको के अनुरुप है ।

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र के नवीकरण पर व्यय

8781. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सिन्दरी उर्वरक संयंत्र के नवीनकरण पर कितनी धनराशि व्यय की जानी है ; और

(ख) उसमें से विदेशी मुद्रा का अंश कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) दो चरणों मे , 3.21 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अवयव सहित लगभग 10.45 करोड़ रूपय की लागत पर एक नवीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है । इसके अलावा ट्रिपल सुपर फास्फेट के 346,000 मी० टन के उत्पादन के लिए (39 करोड़ रूपये की लागत पर) युक्ति संगत कार्यक्रम और नाइट्रोजन के 128,000 मी० टन के उत्पादन के लिए (लगभग 89 करोड़ रुपये की लागत पर) एक नवीकरण कार्यक्रम साथ-साथ कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

पंजाब में पेट्रोल पम्प

8782. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान पेट्रोल पम्प पंजाब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है ;

(ख) क्या पंजाब में 1974-75 में कोई पेट्रोल पम्प आबंटित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) समस्त तेल कम्पनियों के वर्तमान में फैले हुए सब फुटकर बिक्री केन्द्र मिलकर पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं । बढ़ती हुइ मांग को पूरा करने के लिए तेल कंपनियां पंजाब में वाणिज्यिक आधार पर नए फुटकर बिक्री केन्द्रों की स्थापना भी कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों का आबंटन नहीं किया जाता । वर्ष 1974-75 के अंतर्गत तेल कम्पनियों द्वारा जिन फुटकर बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई थीं उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

(1) आ ई० ओ० सी० (1974–75) . . राजपुरा, मौर, गौनीआना, मुडकी ।

इसके अतिरिक्त इस अवधि में आइ ओ सी द्वारा कांल्टैक्स से 10 फुटकर केन्द्र भी हाथ में लि गए ।

(2) **एच० पी० सी० (1974–75)** . छेछरट्टा (पुनः स्थापना का मामला)

(3) आइ० बी० पी० (1974-75) . पटियाला, फरीदकोट, सरहिन्द अहमद गढ़, धाकोली, सुमराला ।

(4) बर्मा-शैल (1974) . . मलिकपुर ।

वर्ष 1974-75 के दौरान पंजाब में बिना कर्मचारीयों वाले रेल फाटकों पर हुई दुर्घटनाये

8783. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 और वर्ष 1975 की पहली तिमाही में पंजाब में बिना कर्मचारियों वाले रेल फाटकों पर हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए ; और

(ख) क्या पंजाब में रेल फाटकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गाड़ी दुघटनाओं के बारे में सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवे वार संकलित की जाती है । पूरी उत्तर रेलवे में, जो कि पंजाब सहित सात राज्यों से हो कर गुजरती है, 1-4-74 से 31-3-75 तक की अवधि में बिना चौकिदार वाले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं में 32 व्यक्ति मारे गये और 67 घायल हुए । 1-1-1975 से 31-3-1975 तक की अवधि में इस तरह की दुर्घटनाओं में 7 व्यक्ति मारे गये और 8 घायल हुए ।

(ख) जिन समपारों पर सड़क एवं रेल यातायात अधिक रहता है अथवा दृष्यता सीमित रहती है, उन्हें राज्य प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक निर्धारित कायक्रम के अनुसार चौकीदार वाले समपारों के रूप में बदला जा रहा है । 1974-75 में पंजाब में बिना चौंकीदार वाले 6 समपारों में चौकीदार की व्यवस्था की गयी ।

पंजाब में वैग नों की कमी

8784. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में वैगनों की कोई कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में वैगनों की मांग की पूर्ति के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धि तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) माल डिब्बों की पूर्ति, जो कि पर्याप्त है, राज्यवार आधार पर नहीं की जाती है । पंजाब में माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Late Running of Passenger Train between Patna and Gaya

8785. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether passenger train operating between Patna and Gaya in Bihar takes 5 hours instead of 3 hours mainly because the local people pull the chain of the train at ten to fifteen places on the way;

(b) if so, whether Government propose to take any action with a view to stop these practices after conducting an enquiry in this regard;

(c) whether the local people between Patna and Gaya stop the train on the way by delinking its vacuum and go to their homes and the train starts only when they return from their homes after long interval and put the vacuum in position; and

(d) if so, whether Government propose to enquire into it and punish the culprits?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sardar Buta Singh): (a) Passenger trains operating between Patna and Gaya are detained by local people by opening of clappet valves and disconnecting hose pipes. As a result, these trains run late by about 40 to 60 minutes and occasionally upto 2 hours also.

(b) Apart from blanking off alarm chain apparatus in the trains running between Patna and Gaya except in ladies' and postal compartments, special drives on a programmed basis are conducted with the help of Travelling Ticket Examiners, Railway Protection Force, Government Railway Police along with the Railway Magistrate. Cash awards have also been announced for members of the public and the Railway staff who apprehend or assist in apprehending such offenders. Educative campaigns are also conducted against this evil.

(c) No. However, local milkmen and students stop the trains sometimes to suit the convenience of entraining and detraining near their homes and sometimes to help fellow passengers arriving late and likely to miss the train.

(d) Special efforts are being made through ambush checks deploying Railway Protection Force squads and accompanied by the Railway Maigstrate, with the Police Force attached to him, to apprehend and punish such culprits.

इलाहाबाद में साईकल स्टैंड का ठेका देने के लिए टेंडर मांगना

8786. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद में साईकल स्टैण्ड के ठेके के लिए किन-किन पार्टियों ने 28 फरवरी, 1975 को टैण्डर भरे थे और प्रत्येक टेण्डर भरने वालें ने टैण्डरों में क्या दर भरी ;

(ख) टेण्डर सम्बन्धी अधिसूचना किन-किन अखबारों में प्रकाशित हुई और सरकार द्वारा विज्ञापनों पर क्या व्यय किया गया ;

(ग) क्या टेण्डर समिति ने टेण्डर भरने वालों के लिए अनुदेशों में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना यह सिफारिश की है कि श्री वासुदेव प्रसाद का टेण्डर सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाए ; और

(घ) क्या टेण्डर समिति ने 18 अप्रैल, 1975 से कानपूर के साईकिल स्टेण्ड के ठेके के लिए मंजूर टेण्डर की सिफारिश करते समय भी इसी प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) निम्नलिखित तीन टेंडर प्राप्त हुए थे : —

पार्टी का नाम	टेण्डर में उल्लिखित राशि रु०
1. मै० पाठक ट्रेडिंग एजेन्सी, इलाहाबाद	31,101.00
2. श्री वासुदेव प्रसाद, इलाहाबाद	46,105.01
3. रेलवे पार्सल तथा गुड्स पोर्टर्स को-आपरेटिव लेबर कन्ट्रक्ट सोसायटी लि०. अलीगढ़	42,501.00

(ख) कानपुर सैन्ट्रल माल गोदाम और इलाहाबाद स्टेशन दोनों के लिए एक ही टेंडर नोटिस निम्नलिखित समाचार पत्रों में छपा था :—

	विज्ञापन का खर्च रु०
1. हिन्दुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली, दिनांक 30-1-75	72.15
2. देशदूत, इलाहाबाद दिनांक 31-1-75	39.00
3. गणेश, कानपुर दिनांक 31-1-75	50.70
4. वीरभारत, कानपुर दिनांक 30-1-75	41.60
5. सियासत जदीद, कानपुर दिनांक 30-1-75	70.20

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कानपूर में साईकल स्टॅण्ड के ठेके के लिए 28 फरवरी, 1975 को प्राप्त टेंडर

8787. श्री ईश्वर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में साईकल स्टैंड का ठेका देने के बारे में किन-किन पार्टियों ने मंडलिय अधीक्षक उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के कार्यालय में 28 फरवरी, 1975 को टेण्डर पेश किये तथा प्रत्येक टेण्डर भरनेवाले ने क्या भाव भरे;

(ख) टेण्डर सम्बन्धी अधिसूचनाएं किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और सरकार द्वारा विज्ञापन के लिए क्या व्यय किया गया ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्थानीय ठेकेदारों ने एक समूह बना लिया है और वे अभ्यावेदन भेज कर टेण्डरों पर अन्तिम निर्णय लेने में जटिलताएं उत्पन्न करने में संलग्न थे जिससे कि वर्तमान ठेकेदारों को 15 अप्रैल, 1975 के पश्चात घटी हुई लाईसेंस फीस पर ठेकों की अवधि बढ़ाने का लाभ मिल सके; और

(घ) यदि हां तो सरकार को इस आवर्ती हानि से बचाने के लिए क्या का निवारक उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) निम्नलिखित चार टेंडर प्राप्त हुए थे :—

पार्टी का नाम	टेंडर की राशि रू०
1. एम० डी० एण्ड कं०, कानपुर	1,01,000.00
2. दिनेश एण्ड कं०	1,11,000.00
3. बन्ने एण्ड कं०	1,32,000.00
4. कुदरत दीन	63,000.00

(ख) कानपुर सेंन्ट्रल मालगोदाम तथा इलाहाबाद स्टेशन दोनों के लिए एक ही टेंडर नोटिस निम्नलिखित समाचार पत्रों में छपा था :—

	विज्ञापन पर खर्च रु०
1. हिन्दुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली, दिनांक 30—1—75 . .	72.15
3. देशदूत, इलाहाबाद, दिनांक 31—1—75	39.00
3. गणेश, कानपुर, दिनांक 31—1—75 . . .	50.70
4. वीरभारत, कानपुर, दिनांक 30—1—75. . .	41.60
5. सियासत जदीद, दिनांक 30—1—75 कानपुर . .	70.20

(ग) जी नही ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोका कोला निर्यात निगम में प्रबंधक निदेशक का पद

8788. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम में प्रबन्ध निदेशक का एक पद है ;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति का नाम तथा परिलब्धियां क्या है ;

(ग) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने उक्त पद बनाने के लिये अपनी सहमति दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (घ) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, भारत में व्यापार का स्थान रखने वाली एक विदेशी कम्पनी है । कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि न्यू दिल्ली में इसका प्रबन्ध निदेशक अवस्थित है । पुन: प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति तथा इसको दिय जाने वाले पारिश्रमिक का शासन करने वाली कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराये 269, 198 व 309, इस कम्पनी के मामले में लागू नहीं होतीं ।

उड़िसा म कोरापूट में एक पेट्रोल डिपों की स्थापना

8789. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 'कोरापुट नगर में एक पेट्रोल' डिपो खोलने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस आधार पर कोरापुट में पेट्रोल डिपो खोलने का है क्योंकि यह स्थान सुविधाजनक है और जिले में पेट्रोल के वितरण का केन्द्रीय स्थान है तथा यहां से पेट्रोल अन्य सीमावर्ती राज्यों को भी भेजा जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां। कोरापुट जिले में सुविधाजनक स्थान पर भारतीय तेल निगम द्वारा प्रपुंज पेट्रोलियम डिपो खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) भारतीय तेल निगम ने प्रस्ताव का विस्तृत अध्ययन किया और सचित किया है कि जिले में वर्तमान खपत के आधार पर कोरापुट में प्रपुंज डिपो स्थापित करना किफायती नहीं होगा। तथापि भारतीय तेल निगम के प्रबन्धकों ने अपने डिपुओं को, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश दिए हैं कि कोरापुट जिले में पी ओ एल उत्पादों की शीघ्र सप्लाई हेतु तथा बाधाओं को न आने देने के लिए सभी प्रयास किये जा रहें हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बेरोजगार स्नातकों को पेट्रोल पंपो का आबंटन

8790. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार स्नातकों ने अब तक कितने पेट्रोल पम्प खोले हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के स्नातकों के लिये उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोई आरक्षित कोटा है ; और

(ग) उनके मंत्रालय ने आवेदन पत्र आमंत्रित करने और ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) 1-1-1974 से, आई०ओ०सी० की 25% एजेन्सियां/फुटकर बिक्री केन्द्र (ए' स्थल) अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी जाती है । वर्तमान में किसी अन्य कंपनी द्वारा अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के लिए एजेंन्सियों का इस प्रकार का कोई आरक्षण नहीं किया जाता इस योजना के अंतर्गत आई ओ सी द्वारा उडीसा के अभी तक कोई फुटकर बिक्री केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है ।

(ग) आई०ओ०सी० द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में अनुसूचित जाती/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किए गए फुटकर पंपोंके बारे में ज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। सरकार द्वारा आवेदन पत्र नहीं मांगे जाते हैं।

ब्राड गेज लाईनों में बदलने के लिए अलाभकर ब्रांच लाइनों का सर्वेक्षण कार्य

8791. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 की अलाभकर ब्रांच लाइन समिति की छोटी (नैरो गज) लाइन के सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें क्या ह ;

(ख) उन ब्रांच लाइनों के नाम क्या हैं जिनका ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए/विस्तार करन के लिए अब तक सर्वेक्षण किया जा चुका है; और

(ग) उनके मंत्रालय ने अलाभकर ब्रांच लाइन सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1969 की अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की छोटे आमान की लाइनों से सम्बन्धित सिफारिशें उनकी रिपोर्ट में दर्ज हैं, जिसकी एक प्रति लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग) 1969 की अलाभप्रद शाखा लाइन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित 13 लाइनों के आमान-परिवर्तन/विस्तार के लिए यातायात सर्वेक्षण करने के आदेश दिये गये थे :-

1. कृष्णनगर सिटी-शांतिपुर (बड़ी लाइन में बदलाव)
2. गोहाना-पानीपत लाइन को फिर से बिछाना ।
3. बरहन-एटा लाइन को कासगंज तक बढ़ाना ।
4. कुरुडुवाडी-पंढरपुर (बड़ी लाइन में बदलाव) ।
5. रायपुर-धमतारी (बड़ी लाइन में बदलाव) ।
6. रुपसा-तालबंद (बड़ी लाइन में बदलाव) ।
7. पुरुलिया कोटशिला (बड़ी लाइन में बदलाव) ।
8. छोटा उदयपुर प्रतापनगर (बड़ी लाइन में बदलाव) ।
9. छुछापुर तनखाला (बड़ी लाइन में बदलाव) ।
10. रंगपाड़ा नार्थ लाइन का भूमरगुड़ी तक विस्तार ।
11. सागर-तालमुफा लाइन का हुनोंवर तक विस्तार ।
12. चिकजाजुर-चित्रदुर्ग लाइन का रायदुर्ग तक विस्तार ।
13. सतपुड़ा रेलवे के उत्तरी खण्ड का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन ।

इनमें से केवल 6 प्रस्तावों (1-4 और 11-12) को अंतिम रुप दिया गया है। सिवाय मद 2 को इन सभी परियोजनाओं को छोड़ दिया गया है क्योंकि व अलाभप्रद थीं। मद 2 भी अलाभप्रद थी लेकिन यह फिर से चालू करने का मामला था इसलिए इसे शुरु कर दिया गया है और यह काम जारी है । जहां तक मद 4 का सम्बन्ध है मिरज लातूर खण्ड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए नया सर्वेक्षण किया जा रहा है । कुरुडुवाडी-पंढरपुर लाइन इस खण्ड का एक अंग है । सर्वेक्षण रिपोर्टों की सभी दृष्टिकोणों से जांच कर लिय जाने के बाद ही इस परियोजना पर और आग विचार किया जायेगा । जहां तक मद (5-10 और 13) का सम्बन्ध, है सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही उन्हे अंतिम रुप दे दिया जायगा : मद 5 पर भी दिल्ली राजहरा रेल लाइन के निर्माण के साथ ही विचार किया जायगा ।

शेष लाइनों के लिए सर्वेक्षण शुरु करने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब उन सभी शेष परियोजनाओं की सर्वेक्षण की रिपोर्टों की जांच कर ली जायगी और निर्णय ले लिया जायेगा जिनका सर्वेक्षण (मद 5-10 और 13) किया जा चुका है ।

चीनी मिलों के अवशिष्ट पदार्थों से पोटॅश तथा अन्य पौधा पोषक पदार्थों का निकाला जाना

8792. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या चीनी मिलों के अवशिष्ट पदार्थों तथा अन्य मद्य निर्माण शालाओं के अवशिष्ट पदार्थों से पोटाश तथा अन्य पौधा पोशक पदार्थ निकालने के लिए मद्य निर्माण शालाओं तथा उर्वरक निगमों की एसोसिएशनों के सहयोग से कोई अनुसन्धान कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अनुसार, आसवन शाला और उर्वरक कारपोरेशन के संघों के सहयोग से पोटाश और चीनी मिल के अवशिष्ट और अन्य आसवन निस्त्रावों से अन्य संयंत्र पोषणत्वों को निकालने के लिए कोई अनुसन्धान नहीं किया गया है । तथा सेन्ट्रल साल्ट और मराइन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने आसवनशाला की धोवन मदिरा से ही पोटाश निकालने के लिए स्वेच्छा से एक प्रक्रिया का विकास किया है । राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र की एक पार्टी को यह प्रक्रिया दी गई है।

कलकत्ता महानगर परिवहन परियोजना के लिए आवंटित राशि को अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में लगाया जाना

8793. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अब यह निर्णय किया है कि ससाधनों की कमी के कारण कलकत्ता महानगर परिवहन योजना के लिए पहले से प्रस्तावित धनराशि का कुछ भाग अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इससे महानगर परिवहन परियोजना को क्रियान्वित करने तथा पूरा करने में कितना विलम्ब होगा ; और

(ग) क्या कलकत्ता में बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह की वर्तमान परिवहन क्षमता में वृद्धि करने हेतु कोई वकल्पिक योजनाएं बनाई गई ह ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री (बूटा सिंह) : (क) 1974-75 से आर्थिक कठिनाइयों के कारण महानगर परिवहन पारयोजानओं के लिए वार्षिक आबंटन संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न कायक्रमों तथा परियोनाओं की आपसी प्राथमिकताओं के आधार पर किय जाते है ।

(ख) कलकत्ता में द्रुत परिवहन लाइन के तैयार होने में कितना विलम्ब होगा इसका पता तभो चल सकता है जब साधनों की स्थिति में सुधार हो जाय और आगे की स्थिति को हम स्पष्ट देख पायें ।

(ग) कलकत्ता के लिए व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के विकल्प के रुप में इस जसी कोई कारगर वैकल्पिक योजना नहीं है । लेकिन 1974-75 के दौरान कलकत्ता में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को 6 करोड़ रुपये और कलकत्ता ट्रामवेज़ कम्पनी को 2 करोड रुपय की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में अनिर्णीत पड़े मामलें

8794. **श्री व्यालर रवि :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के पास कुल कितने मामले अनिर्णीत पडे हैं तथा महत्वपूर्ण मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इनमें विदेशी कम्पनियों तथा भारत में कार्य कर रही उनकी शाखाओं से सम्बन्धित मामलों की संख्या कितनी है ?

विधी न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के अध्याय 3 के अन्तर्गत आयोग के लिये पुन: जांच एवं रिपोर्ट के लिये निर्देशित किये गये चार मामले । मई, 1975 तक आयोग के पास अनिर्णीत थे, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

(ख) क्लोराइड इन्डिया लिमिटेड जो एक विदेशी बहुमत वाली कम्पनी है, के मामले में इसकी 59.3 प्रतिशत साम्य हिस्सा पूंजी क्लोराइड ईस्टर्न लिमिटेड ब्रिटेन, के पास है ।

विवरण

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	ब्यौरे
1	मोदी पान लिमिटेड	नायलौन टायर यार्न के निर्माण में सारवान विस्तारार्थ, एकाधिकार एव निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस ।
2	क्लोराइड इन्डिया लिमिटेड	स्टोरेज बटरीज के निर्माण में सारवान विस्तार करने के लिय एकाधिकारी एण्ड निबंधनकार व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस ।
3	दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड ।	रिफरेक्टरीज के निर्माण के लिये एक नवीन उपक्रम की स्थापनाथ एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत आवदन-पत्र ।
4	बेल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड ।	गोकर्ण में नमक कार्य की स्थापनार्थ, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र ।

गुजरात क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में सहायक फोरमैन की नियुक्ति

8795. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग के लगभग 20 कर्मचारी पिछले सात वर्षों से सहायक फोरमैन के पदों पर तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) उन्हें सहायक फोरमैन के रूप में नियमित नियुक्ति कब तक दिये जाने की संभावना है ;

(घ) क्या सहायक फोरमैन के पद के इन्टरव्यू के लिए जूनियर चार्जमैन को बुलाने का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इतने सारे वर्षों तक तदर्थ आधार पर फोरमैन के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके दावे की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

"इच्छानुसार यात्रा करिये" (ट्रैवल-एज-यू-लाइक) टिकटों का जारी किया जाना

8796. **एन० ई० होरो :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अधिकारियों ने विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिये 'इच्छानुसार यात्रा करिये' टिकट जारी करने की नई योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं, सरकार इन पर्यटकों को वातानुकूलित, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में किस लागत पर क्या-क्या सुविधायें देने जा रही हैं, भुगतान का क्या ढंग होगा और कितनी अवधि होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) ऐसा विनिश्चय किया गया है कि विदेशी पर्यटकों के लिए "इच्छानुसार यात्रा" टिकट जारी किये जायें। ये टिकट प्रथम यात्रा शुरू करने की तारीख से 21 दिन तक के लिए वैध होंगे और इन टिकटों से पर्यटक देश में, दूरी का ध्यान रखे बिना, किसी भी स्थान तक आ-जा सकेंगे । इन टिकटों के लिए किराया इस प्रकार होगा :—

वातानुकुल श्रेणी	200 अमरीकी डालर ।
पहला दर्जा/वातानुकूल कुर्सी यान . .	80 अमरीकी डालर ।
दूसरा दर्जा	25 अमरीकी डालर ।

वातानुकूल दर्जे के टिकट केवल विदेशी मुद्रा लेकर दिये जायेंगे, परन्तु पहले दर्जे/वातानुकूल कुर्सी-यान और दूसरे दर्जे के टिकट रुपये में भुगतान लेकर भी बेचे जायेंगे । देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है। पर्यटन विभाग, एयर इंडिया तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस योजना का अन्य ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

हाथी समिति की कोल-तार डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित करने की सिफारिश

8797. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री गजाधर माझी :

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध उद्योग के लिए मजबूत आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने का विचार से हाथी समिति ने उपयुक्त स्थानों पर कई बड़े-बड़े कोल-तार डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित किये जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सुझाये गये स्थानों के नाम क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सरकार को औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट दिनांक 6 अप्रैल, 1975 को मिली थी और उस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

सराय रोहिल्ला स्टेशन पर गैस के सिलिंडरों वाले वैगनों में आग लग जाने के कारण

8798. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

श्री शशि भूषण :

श्री के० एम० मधुकर :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री वसंत साठे :

श्री भान सिंह भौरा :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1975 के दूसरे सप्ताह में सराय रोहिल्ला स्टेशन पर गैस के सिलिंडरों वाले वैगनों में आग लगने के क्या कारण थे ;

(ख) आग लगने के कारण रेलवे, रेल कर्मचारियों और उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस मामले में उत्तरदायी ठहराये गए रेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक गैस टंकी से गैस निकलनी शुरू हो गया और माल डिब्बे में सील करने में प्रयुक्त लेम्प की लौ से उसमें आग लग गयी।

(ख) रेलों को 3,00,675 रुपये की कुल हानि हुई, जिसमें बुक किये गये परेषणों के मूल्य के 1,91,325 रुपये तथा रेल कर्मचारियों को उनकी झुग्गियों (आवास) को हुई क्षति/विनाश के लिए भुगतान किये गये 3,600 रुपये शामिल हैं। उस क्षेत्र के निकट रहने वाले अन्य व्यक्तियों को कोई हानि नहीं हुई।

(ग) विभागीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है और उसमें की गयी सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

वर्ष 1975–76 के दौरान रेल से जोड़े जाने वाले स्थानोंपर होने वाला व्यय

8799. **श्री के० लकप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार वर्ष 1975-76 के दौरान देश के किन-किन स्थानों को रेल से जोड़ने का है और उस पर कितना व्यय होगा ;

(ख) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्थानों को रेल से जोड़ने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों के निर्माण/पुनः स्थापन के कार्य 1975-76 के दौरान पूरे हो जाने की संभावना है :—

परियोजना का नाम	1975-76 में खर्च (लाख रुपयों में)
1. प्रतापगंज-फार्बिसगंज (पुनः स्थापन)	49.72
2. झांझारपुर-लौकहा बाज़ार	50.00
3. तोनागल्लु-मुदुकुलापेंटा	40.00
4. हल्दिया पोर्ट तक रेल सम्पर्क	99.70
5. कटक-पारादीप	99.30
6. गुना-मक्सी	79.00
7. साबरमती-गांधीनगर	32.67

(ख) और (ग) पांचवीं योजना के दौरान नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों के संबंध में अभी समग्र रूप से विनिश्चय नहीं किया गया है। लेकिन, उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित लाइनों के अलावा, पांचवीं योजना के दौरान निम्नलिखित नयी लाइनो का निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा अथवा चालू हो जायेगा :—

1. भूतपूर्व हवड़ा-आमता लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में बड़ी लाइन।
2. भूतपूर्व हवड़ा-शियाखला लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में बड़ी लाइन।
3. भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में बड़ी लाइन।
4. छितौनी-बगहा पुनःस्थापन।
5. सकरी-हसनपुर।
6. रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी रेल लाइन सम्पर्क।
7. रोहतक-भिवानी।
8. गोहाना-पानीपत पुनः स्थापन।
9. डलमऊ-दरियापुर पुनः स्थापन।
10. नडिकुडे-बीबी नगर।
11. बांसपानी-जाखापुरा।
12. दिवा-बसीन रोड।
13. वाणि-चनाका।
14. तिरुनेलवेलि-तिरुवनन्तपुरम-कन्याकुमारी।
15. मंगलूर-हसन।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल से जोड़े गए स्थान

8800. श्री के० लकप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो स्थान रेल से जोड़े गए हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मूलतः चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल से जोड़ा जाना था परन्तु जो अब तक नहीं जोड़े जा सके या जो पूरा होने की निश्चित तारीख से पीछे हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में (1969–70 से 1973-74 तक) निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों/लाइनों के पुनः बिछाने का काम पूरा हो चुका था तथा उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया था। इनमें से प्रत्येक की अनुमानित लागत भी उसके सामने दिखायी गयी है :—

रेलवे	क्र० संख्या	परियोजना का नाम	आमान	लम्बाई (कि० मी० में)	अनुमानित लागत (करोड रुपयों में)	खुलने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	1	सिंगरौली-कटनी	ब० ला०	254.36	20.06	7-2-72 (माल यातायात के लिए)
पूर्व	2	सहायक नहर पर एक पुल सहित बांध के दक्षिणी अत्याधार तक तिलडंगा-फरक्का लाइन का स्थायी मार्ग परिवर्तन।	ब०ला०	7.82	1.93	11-11-71
	3	फरक्का बांध पर बड़ी लाइन के रेल पुल की व्यवस्था।	ब० ला०	2.24	0.76	
	4	फरक्का बांध के बायें तट के अंत्याधार और चम्पा-ग्राम (माल्दा में अदला-बदली स्थल को छोडकर) के बीच बडी लाइन संपर्क।	ब० ला	2.40	0.23	
	5	सहायक नहर के बायें तट के साथ बलालपुर हाल्ट-तिलडांगा लाइन का मार्ग परिवर्तन।	ब० ला०	5.98	1.02	28-1-72
उत्तर	6	हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर	ब० ला०	27.56	1.17	11-1-70
	7	सिंगरौली-ओबरा .	ब० ला०	57.56	11.41	30-4-70
	8	कठुआ-जम्मू .	ब० ला०	77.10	13.82	2-10-72
पूर्वोत्तर	9	थूरमिटा-भपतियाही (पुनः बिछाना)।	मी०ला०	13.00	0.37	16-11-70
दक्षिण	10	मंगलूर-पनाम्बूर मिलाजुला संपर्क (चरण)।	मी०/बडी लाइन	25.86	27.73 (सम्पूर्ण परियोजना के लिए)	14-10-72
दक्षिण	11	कटक-पारादीप .	ब० ला०	84.31	10.11	9-7-73

(ग) नयी रेलवे लाइनों/फिर से बिछायी जाने वाली लाइनों के नाम, जिन्हें चौथी योजना के दौरान पूरा किये जाने का प्रस्ताव था और जिन्हें योजना अवधि के दौरान पूरा नहीं किया जा सका निम्नलिखित हैं। इनके विलम्ब का कारण भी प्रत्येक के सामने दिखाया गया है :—

रेलवे	क्र० संख्या	परियोजना का नाम	आमान	लम्बाई (कि० मी० में)	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6
दक्षिण	1	मंगलूर-हसन	मीटर ला०	189·21	इस परियोजना की मंजूरी 2-11-64 को दी गई थी। और पहले इसे चौथी योजना के दौरान पूरा किये जाने का प्रस्ताव था। सीमित साधनों, वित्तीय और सामान दोनों अर्थात् प्रतियोजना के लिए अपेक्षित सीमेंट, इस्पात और गर्डर की कमी के कारण इस काम के पूरा किये जाने की लक्ष्य तिथि में परिवर्तन करना पडा। आशा है कि अब यह परियोजना 31-3-77 तक पूरी हो जायेगी।
दक्षिण	2	तरांगलू-मुदकल पेंटा	ब० ला०	24	इस काम की मंजूरी 1970–71 के दौरान दी गई थी और प्रारम्भ में आशा थी कि यह दिसम्बर, 1973 तक पूरा हो जायेगा। लेकिन, योजना आयोग द्वारा रेलों को आबंटित निधि में कटौती के कारण इस परियोजना के लिए बजट आबंटन में कमी होने से इस काम के पूरा किये जाने की लक्ष्य तिथि आस्थगित करनी पड़ी। आशा है कि अब यह काम 31-7-75 तक पूरा हो जायेगा।
पश्चिम	3	गुणा-मक्सी	ब०ला०	193.35	इस काम की मंजूरी 10-4-62 को दी गयी थी और एक समय इसे चौथी योजना में पूरा करने का प्रस्ताव था। लेकिन धन के अभाव के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। अब यह लाइन 31–3–76 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन के लिए ज्ञापन

8801. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती सुमनलता भडोला के नेतृत्व में उत्तरखण्ड महिला मण्डल के एक प्रतिनिधि मण्डल उन्हें 5 अप्रैल, 1975 को एक ज्ञापन दिया जिसमें ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण तथा बद्रीनाथ एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली और गढ़वाल के बीच सीधी रेल सेवा चलाये जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार उत्तराखण्ड महिला मण्डल की इन मांगों को पूरा करेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जहां तक ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन का सम्बन्ध है, विगत में किये गये एक सर्वेक्षण से मालूम हुआ था कि 160 किलोमीटर लम्बी इस लाइन पर छोटी लाइन के रूप में सभी बहुत अधिक खर्च आयेगा और इसी लिए इस परियोजना को छोड़ दिया गया था। बीच की इस अवधि में इस क्षेत्र में कोई और विकास नहीं हुआ जिस से इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का औचित्य बन सकता । ऊपर बताये गये तथ्यों को देखते हुए तथा साथ ही वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रस्तावित लाईन के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं होगा ।

दिल्ली और कोटद्वार के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना न तो यातायात की दृष्टि से उचित है और न ही परिचालन की दृष्टी से व्यावहारिक ही, क्योंकि मार्गवर्ती खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता और दिल्ली/नयी दिल्ली तथा कोटद्वार स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं का अभाव हैं ।

राज्य विधान मण्डलों के 1972 के निर्वाचनों के बाद उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई निर्वाचन अर्जियां

8802. **श्री समर गुह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभाओं के 1972 के निर्वाचनों के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितनी निर्वाचन अर्जियां प्रस्तुत की गई ;

(ख) उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाई गई अर्जियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी अर्जियां अभी भी विचाराधीन पडी है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा (1) निपटाये गये, और (2) अभी भी उसके विचाराधीन ऐसे मामलों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(घ) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन अर्जियां निपटाने में औसतन कितना समय लगता है ;

(ङ) क्या विधान सभाओं के आगामी निर्वाचनों तक उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में कुछ निर्वाचन अर्जियां अनिर्णीत पड़ी रहेंगी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी निर्वाचन अर्जियां को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :(क) से (च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

हल्दिया पतन क्षेत्र में रासायनिक उद्योग की स्थापना के लिए जारी किये गये लाइसेंस

8803. **श्री समर गुह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के हल्दिया पतन क्षेत्र में रासायनिक उद्योग की स्थापना करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) ऐसे रासायनिक उद्योग किस प्रकार के हैं जिनके लिए लाइसेंस मांगे गये हैं;

(ग) रासायनिक उद्योगों की स्थापना करने के लिए अब तक कितने लाइसेंसों का उपयोग किया गया है; और

(घ) वहां (एक) पहले से ही स्थापित किये गए, और (दो) स्थापित किये जाने वाले सरकारी क्षेत्र के रासायनिक उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्लूकोनेट लिमिटेड को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव

8804. **श्री समय गुह :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जीवन रक्षा औषधियां बनाने वाली ग्लूकोनेट लिमिटेड को बन्द होने से बचाने के लिए इसके प्रबंध और स्वामित्व को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) मैसर्स ग्लूकोनेट लि० द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों का उत्पादन 1974 में धीरे-धीरे बंद हो गया था, कम्पनी के पुनर्वास और उत्पादन में रुकावट से उत्पन्न समस्याओं के बारे में पूरे प्रश्नों पर पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल के औषध निर्माण एककों को कच्चे माल की सप्लाई

8805. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के औषध निर्माता एककों को महाराष्ट के औषध निर्माता एककों की लना में अधिक मूल्य पर कच्चा माल मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो इस दोहरी नीति के क्या कारण है ;

(ग) क्या हाथी समिति ने यह सुझाव दिया है कि अवनत होते जा रहे इस औषध निर्मात उद्योग का पुनरुत्थान करने के लिए पश्चिम बंगाल में आई० डी० पी० एल० का एक एकक स्थापित किया जायें; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार ने क्या निर्णय किया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि पश्चिम बंगाल के औषध उद्योग को कम से कम उसी दर पर कच्चा माल सप्लाई किया जाये जिस दर पर महाराष्ट्र के एककों को किया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क), (ख) और (घ) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औषधों के सरणीबद्धन की योजना के अधीन देशी रूप से निर्मित अथवा आयातित प्रपुंज औषधों की अधिकतम बिक्री मूल्यों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अधीन नियंत्रित किया जाता है और उनको देशभर में समान रूप से लागू किया जाता है । तथापि सूत्रयोगों का निर्माण करने के मूल्यों को भाडे और बीमा प्रभारों आदि, या यदि कोई स्थानीय कर उसमें निहित हो तो उन करों के अंतर पर निर्भर करेगा ।

(ग) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध और भेषज समिति की रिपोर्ट इस चालू सत्र में सभा-पटल पर प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है ।

पश्चिम बेंगाल में औषध एककों के लिये किस्म नियंत्रण परीक्षणशाला

8806. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में, जहा बहुत अधिक संख्या में औषधि निर्माता एकक हैं, कोई किस्म नियंत्रण परीक्षणशाला नहीं है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में औषधियों किस्म नियंत्रण परीक्षणशाला न होने की वजह से अनेक बिना लाइसेंस के एकक बाजार में नकली औषधियों की बिक्री कर रही है और ऐसे बिना लाइसेंस के एककों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी औषधि किस्म नियंत्रण परीक्षणशाला थापित करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में ऐसी परिक्षणशाला कब तक स्थापित किये जाने की भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

विदेशी औषध फर्मों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने संबंधी निर्णय

8807. **श्री पी० गंगादेव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी औषध फर्मों को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में कोई मतभेद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति ने औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच की है । समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हुई थी और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

हाथी समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव

8808. **श्री डी० के० पंडा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार का कुछ कानूनों में संशोधन करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सरकार को औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट दिनांक 6 अप्रैल 1975 को मिली थी और उस पर विचार किया जा रहा है। कानून आदि के संशोधन के बारे में पश्चात्वर्ती कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्भर करेगी।

रेलवे के सक्षम निष्ठावान रेलवे कर्मचारियों की विचाराधीन शिकायत

8809. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों को दूर कर दिया गया है जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा कर मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान निष्ठापूर्वक अपनी सेवायें अर्पित की थीं ;

(ख) क्या लोक-सभा में रेल मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद ऐसे कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं ;

(ग) यदि हां, तो रेलवे के पास ऐसे कितने मामले पड़े हुए हैं और क्यों पड़े हुए हैं ; और

(घ) उनकी शिकायतों को कब दूर किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) अग्रिम वेतन-वृद्धि, नकद पुरस्कार, वफादार कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देना, सेवाकाल में वृद्धि अथवा पुनर्नियोजन जैसे कुछ पुरस्कार उन रेल कर्मचारियों को दिये जाने थे जो डराने-धमकाने और हिंसा के बावजूद भी अपने काम पर डटे रहे और जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन में बहुत निष्ठा दिखायी। लगभग 7 लाख कर्मचारियों को इनमें से एक पुरस्कार मिल चुका है।

रेल प्रशासन इस बात के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं कि उपर्युक्त कसौटी में आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाये।

नई रेल लाइनों की मांग

8810. **श्री बालकृष्ण वकन्ना नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों से इस समय किलोमीटरों में कुल कितनी नई रेल लाइनों की मांग हैं ;

(ख) मौजूदा मूल्यों के अनुसार इन लाइनों के निर्माण पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) वर्ष 1975-76 के दौरान रेल लाईनों के निर्माण का क्या कार्यक्रम है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल मंत्रालय की विभिन्न क्षेत्रों से बहुत अधिक संख्या में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए मांगें प्राप्त होती हैं और इन सभी लाइनों की विशद सूची नहीं रखी जाती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1975-76 में निम्नलिखित लाइनों के पूरा हो जाने की सम्भावना है :–

(1) झंझारपुर-लौकहाबाजार

(2) प्रतापगंज-फारबीसगंज (फिर से चलाया जाना)

(3) तारनंगल्लू-मदुकुला पेंटा

(4) हल्दिया पत्तन के लिए रेल सम्पर्क

(5) कटक-पारादीप रेल सम्पर्क

(6) गुना-मकसी

(7) साबरमती-गांधीनगर

निम्नलिखित लाइनों पर काम चालू रहेगा :—

(1) शाहदरा-सहारनपुर बडी लाइन

(2) रोहतक-भिवानी

(3) तिरूनेलवेलि-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी

(4) दिवा-बेसिन रोड

(5) वनी-चनाका

(6) मैंगलुरु-हसन

(7) हसनपुर-सकरी

(8) रामनगर और काठगोदाम के लिए बडी लाइन रेल सम्पर्क

(9) बांसपानी-जाखापुरा

(10) नडीकुडा-बीबीनगर

(11) हवड़ा-आमता

(12) हवडा-शियाखला

कुछ और लाइनों पर शेष काम पूरा कर लिया जायेगा।

धनबाद डिवीजन के कैरिज एन्ड वैगन तथा लोको विभागों में स्थानापन्न व्यक्तियों की बहाली

8811. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद डिवीजन में स्थानापन्न व्यक्तियों, विशेष रूप से उन व्यक्तियों को जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे, को हटाने के आदेश जारी करने में किस प्रक्रिया का पालन किया गया है;

(ख) धनबाद डिवीजन के कैरिज़ एण्ड वैगन तथा लोको विभागों में रेल हड़ताल के दौरान और उसके बाद कुल कितने स्थानापन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया; और

(ग) हटाये गये उन स्थानापन्न व्यक्तियों को बहाल न करने के विशेष कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जो एवजी कर्मचारी अस्थायी हैसियत प्राप्त कर चुके थे उन्हें मई, 74 की हड़ताल के संदर्भ में, भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग I के नियम 149 के अन्तर्गत सेवा से हटा दिया गया था। उनकी सेवाएं समाप्त करने से पहले, उन्हें नोटिस की अवधि के बदले 14 दिन का वेतन दे दिया गया था।

(ख) 297।

(ग) अपील-प्राधिकारीयों द्वारा कुछ ऐसे एवजी कर्मचारियों को दुबारा काम पर लगाया जा चुका है जिन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील की थी और जिनकी अपील का गुणावगुण के आधार पर औचित्य पाया गया। अन्य अपीलों पर अभी विचार किया जा रहा है।

धनबाद डिवीजन में अभिभावकों द्वारा हड़ताल में भाग लिये जाने के तर्क के आधार पर उनके स्थानापन्न व्यक्तियों की सेवा से हटाया जाना

8812. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में कैरिज एण्ड वैगन एण्ड लोको विभागों में रेल हड़ताल के संबंध में कुल कितने स्थानापन्न व्यक्तियों को 10 मई, 1974 से सेवा से हटाया गया था ;

(ख) डी० एस०, धनबाद के आदेशानुसार पाथरडीह के लोको-फोरमेन ने, इस तर्क के आधार पर कि उनके अभिभावक हड़ताल के दौरान ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, जिन स्थानापन्न व्यक्तियों के नाम हटा दिये थे, उनके नाम क्या है ; और

(ग) ऐसे अत्यधिक गैर-कानूनी कामों के लिये ऊपर निर्दिष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 123।

(ख) हड़ताल के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने के लिए गाड़ियों को चालू रखना जरूरी था और इसके लिए रेल प्रशासन को अधिक एवजी कर्मचारी रखने पड़े। यह मालूम हुआ है कि निम्नलिखित एवजी कर्मचारी नए एवजीयों को आने से रोक रहे थे, इसलिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि एवजी के रूप में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायें :—

1. एस० आर० चौधरी
2. ए० बी० सिंह
3. के० वी० करमाकर
4. राजेन्द्र शा
5. नन्द लाल
6. नरेश प्रसाद
7. आर० पी० शा

8. महबूब आलम
9. कुतुबुद्दीन अहमद
10. महेश प्रसाद
11. एस० के० पाल

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन हिंसा और तोड़-फोड़ के मामले

8813. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रेल हड़ताल के कारण धनबाद डिवीजन में हटाये गये रेल कर्मचारियों, जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है, के विरुद्ध न्यायालयों में हिंसा या तोड़-फोड़ के विशेष मामले विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो हटाये गये प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हटाये गये प्रत्येक कर्मचारी का नाम और पदनाम क्या है तथा संसद् में मंत्री द्वारा घोषित नीति के अनुसरण में उन्हें बहाल न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसद् में रेल मंत्री द्वारा घोषित नीति को धनबाद मंडल में पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है।

धनबाद के डिवीजनल रेल अधिकारी द्वारा दंडात्मक स्थानान्तरण और दमन को उग्र किया जाना

8814. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको धनबाद के डिवीजनल रेल अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर दण्डात्मक स्थानान्तरण और दमन को उग्र किये जाने के बारे में धनबाद डिवीजन के एन० सी० सी० आर० एस० के संयोजक द्वारा भेजा गया दिनांक 22 मार्च, 1975 का तार मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त डिवीजन में सामान्य स्थिति और अच्छे श्रमिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि 1975-76 का रेलवे बजट पेश करते समय रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा था, सरकार की नीति का लक्ष्य मजदूरों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी सभी सम्भव कार्रवाई की गयी है कि मई, 1974 में हुई अवैध हड़ताल के बाद रेलों पर फिर से सामान्य स्थिति लायी जाये।

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

8815. **श्री शशि भूषण :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक के बारे में निर्माण और आवास मंत्रालय ने कभी विधि मंत्रालय की राय मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार की राय दी गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) जब कभी राय मांगी गई, तब वह दी गई है और इस मंत्रालय द्वारा दी गई विधिक सलाह का प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

छह फर्मों के पास पड़े वैगनों के लिये क्रयादेश

8816. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 फरवरी, 1975 तक मैसर्स ब्रिज एण्ड रुफ के पास 1639 वैगनों के लिये, मैसर्स ब्रैथवेट के पास 4999 वैगनों के लिये, मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के पास 2930 वैगनों के लिये, मैसर्स इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी के पास 2791 वैगनों के लिए, मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी के पास 804 और मैसर्स टेक्समैकों के पास 4135 वैगनो के लिये क्रयादेश पड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इन फर्मों को दिये गये क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है और 1974-75 के दौरान उन्होंने कितने वैगन सप्लाई किये ; और

(ग) क्या कोई क्रयादेश वापिस ले लिये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 28-2-75 तक मैसर्स ब्रिज एण्ड रुफ और मैसर्स ब्रैथवेट के पास चौपहियों के हिसाब से क्रमश: 1194 और 3991 माल डिब्बों के आर्डर बकाया थे । मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी, मैसर्स इंडियन स्टैंडड वैगन कम्पनी, मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी और मैसर्स टैक्समैकों के पास माल डिब्बों के जो आर्डर, पड़े बताये गये हैं, वे सही हैं ।

(ख) 1974-75 के दौरान इन फर्मों को कोई आर्डर नहीं दिये गये । 1974-75 के दौरान इन फर्मों द्वारा सप्लाई किये गये माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

(चोपहियों के हिसाब से आंकड़े)

1. मैसर्स ब्रिज एण्ड रुफ	363
2. मैसर्स ब्रैथवेट	1365
3. मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी	345
4. मैसर्स इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी	30
5. मैसर्स जेसफ एण्ड कम्पनी	504
6. मैसर्स टैक्समैको	3428

(ग) 28-2-1975 के बाद माल डिब्बे के कोई आर्डर वापस नहीं लिए गये हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई

8817. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य की मिट्टी के तेल की मांग कितनी थी और प्रत्येक राज्य को कितनी सप्लाई की गई एवं मिट्टी के तेल की मांग और सप्लाई की इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) इस समय ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में और विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में, मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति कितनी मांग है कितनी सप्लाई की जाती है,; और

(ग) दूरवर्ती आदिवासी, बनवासी, पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1972, 1973 और 1974 और जनवरी से मार्च 1975 की अवधि के लिए भी आबंटन तथा बिक्री दिखाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9635/75]** ।

(ख) इस आधार पर सुचनाएं नहीं रखी जाती हैं ।

(ग) राज्यों को मिट्टी के तेल की कोटा नवम्बर 1974 से बढ़ाई गई है । उसके बाद राज्यों से कमी की कोई शिकायत नहीं है । तथापि मिट्टी के तेल के वितरण के लिए व्यवस्थाएं दूरवर्ती तथा पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया गया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि विशेष ध्यान दें ।

आवश्यक पदार्थ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत मिट्टी के तेल का बिक्री मूल्य सांविधिक रूप से नियंत्रित है । राज्य सरकारों को मिट्टी के तेल का फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित करने और मूल्यों को सांविधिक रूप में लागू करने के लिए अधिकार दिए गए हैं ।

सरकार ने पी ओ एल उत्पादों की वर्तमान वितरण व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करने तथा उसमें सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव देने के हेतु समिति का भी गठन किया है । समिति की मुख्य रिपोर्ट लगभग एक महीने में मिलने की संभावना है ।

पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण लागू करना

8818. **श्री चौधरी राम प्रकाश :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोल विक्रेताओं द्वारा अनधिकृत सेवा शुल्क लगाये जाने को समाप्त करने के लिए पट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल की खुदरा कीमतों पर सांविधिक नियंत्रण लागू करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) इस विषय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले

8819. **श्री राम हेंडाऊ :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में बकाया रहने वाले मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है ;

(ख) देश में उच्च न्यायालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से, उच्च न्यायालय वार अलग-अलग कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) उच्चतम न्यायालय में तीन वर्ष से अधिक समय से कितने मामले लंबित हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उच्चतम न्यायालय और चार उच्च न्यायालयों को छोड कर अन्य उच्च न्यायालयों में 1974 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या में 1973 की तुलना में वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) 31–12–1974 तक की जानकारी देनेवाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	न्यायालय का नाम	दिसम्बर, 1974 के अन्त तक तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले
	उच्चतम न्यायालय	4,335
	उच्च न्यायालय	
1.	इलाहाबाद	26,631
2.	आन्ध्र प्रदेश	361
3.	मुम्बई	18,641
4.	कलकत्ता	30,514
5.	दिल्ली	7,673
6.	गोहाटी (भूतपूर्व आसाम और नागालैंड)	377
7.	गुजरात	2,905
8.	हिमाचल प्रदेश	226
9.	जम्मू-कश्मीर	179
10.	केरल	490
11.	मध्य प्रदेश	7,032

1	2	3
12.	मद्रास	3,319
13.	कर्नाटक	127
14.	उडीसा	939
15.	पटना	8,381
16.	पंजाब और हरियाणा	12,112
17.	राजस्थान	3,019

जुआरी एग्री-केमिकल्स फैक्टरी द्वारा दूषण उत्पन्न किया जाना

8820. श्री भाऊ साहेब धामनकर :
श्री वसंत साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में जुआरी एग्रो-कैमिकल्स फैक्टरी द्वारा उत्पन्न की गई दूषण की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने गोआ सरकार को कोई निदेश दिए हैं और उन-पर गोआ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) दूषण से होने वाले हानियों को दूर करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है, करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सितम्बर, 1973 में गोआ में उर्वरक कारखाने के आस पास कुछ मरी हुई मच्छीयों के देखे जाने पर विशेष अध्ययन किये गये थे और उन से देखा गया था कि यद्यपि मच्छीयों की मर्त्यता फैक्ट्री की निस्सारी के कारण नहीं थी उनमें एरसिनिया और अमोनिया किसी समय अनुमय सीमा से अधिक था और कंपनी को स्थिति को सुधारने के लिये उपाय करने चाहिए । और सेनिक वाली निस्सारी के सम्बन्ध ने कंपनी ने अपवित्रीकरण को कम करने के लिये कुछ अल्पकालीन उपाय किये थे । दीर्घ कालीन उपाय के रूप में कंपनी ने नयी प्रक्रिया जो "वेन फलिड" प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है को अपनाने के नाम से लिये योजना तैयार की है । इस परिवर्तन के लिये भारत सरकार द्वारा आवश्यक अनुमति दी गई है । आशा है कि यह परिवर्तन शीघ्र ही लागू होगा ।

विसो रिजरवायर में बहाये जाने वाले अमोनिया निस्सारी के संबंध में उसके निपटान के लिये सन्तोष जनक प्रबन्ध अभी किये जाने है ।

अमोनिया युक्त मिश्रण जो रसायन विस्सो रिर्जवेयर में डाला जा रहा है, की संबंध में उनके निपटान के लिए सन्तोषजनक व्यवस्थाऐं अभी विकसित करनी हैं । चूंकि पहलालेप करने जैसे संसाधनों से रिर्जवेयर से रिसने की वन्द करने में सफलता नहीं मिली । अनुमेय सीमा तक मिश्रात में अमोनिया की मात्रा को कम करने के लिए कंपनी ने आवश्यक सुविधाओं की स्थापना के लिए सरकार को प्रस्ताव दिये है जिसमें कूलिंग टावर, एक स्ट्रिपर तथा एक कनडेनसर सम्मिलित हैं इन सुविधाओ के पूर्ण होने को लम्बित रखकर कंपनी ने समुद्र में निश्राव को छोडनें की अनुमतो के लिए जल प्ररिक्षण के रोकथाम एवं नियंत्रण के केन्द्रीय निकाय को कहा था । कंपनी को सूचित किया गया कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है बशर्ते कि निश्राव अर्न्तदेशीय नदीयों नें निश्राव को छोड़ने के लिए आई० एस० आइ० मानको की पुष्टि करता है ।

गोवा के जिलाधीश ने 19-4-1975 को कारखाने को बन्द करने के लिये आदेश दिया बताते है। इस विषय पर सरकार ने गोआ सरकार को कोई निदेश नहीं दिये।

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम के डी० एम० टी० एकक का बन्द होना

8821. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :**
श्री वसंत साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन निगम के डी० एम० टी० का उत्पादन करने वाले एकक को भारी मात्रा में माल जमा हो जाने के कारण बन्द करना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि० के डी० एम० टी० संयंत्र की, डी० एम० टी० के कम उठान और उसके बाद उस समय में उत्पाद के बड़े भंडार होने के कारण अस्थायी रूप में बन्द करना पड़ा था। डी० एम० टी० का उठान धीरे धीरे बढ़ गया था और संयंत्र 13 मार्च, 1975 से फिर आरंभ किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर (पश्चिम रेलवे) में सामाजिक उत्सव में शामिल होने के लिये अधिकारियों द्वारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लिया जाना

8822. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, जयपुर (पश्चिम रेलवे) ने 6 फरवरी, 1975 को जयपुर में अपनी पुत्री के विवाह का समारोह आयोजित किया और जनरल मैनेजर सहित सभी डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, विभागों के अध्यक्ष समारोह में शामिल हुए थे ;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट इन सभी रेल अधिकारियों ने इस यात्रा के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लिया था ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट इन अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों द्वारा कितना-कितना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लिया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच द्वारा तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराने के आदेश देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यह सही है कि 6-2-1975 को मण्डल अधीक्षक, जयपुर ने अपने लड़के (न कि अपनी लड़की) का जयपुर में विवाह किया था जिसमें पश्चिम रेलवे के कुछ अधिकारी और पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक भी उपस्थित थे जो संयोगवश 6-2-1975 और 7-2-1975 को राजस्थान उद्योग और वाणिज्य मण्डल और राजस्थान सरकार के साथ सरकारी बैठकों के सिलसिले में वहां गये हुए थे।

(ख) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(घ) जी नहीं ।

उर्वरक के लिये कच्चे माल संबंधी नीति का पुनरीक्षण

8823. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में क्षेत्र से अशोधित तेल की उपलब्धता के संदर्भ में सरकार के पास उर्वरक के लिए कच्चे माल सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कोयले पर आधारित किन-किन उर्वरक कारखानों को तेल पर आधारित बनाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) उर्वरक का उत्पादन करने के लिए अधिकतम सम्भव मात्रा तक फीडस्टाक का विविधीकरण करना और उसके द्वारा देशीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना सरकार की नीती है। इस नीति में कच्चे तेल सम्बद्ध गैस का उपयोग भी शामिल होगा जो बम्बई हाई से उपलब्ध होगी ।

(ग) कोयले पर आधारित संयंत्रों को तेल आधारित संयंत्रों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तीन कोल आधारित संयंत्र तालचर, रामागुण्डम और कोरवों के निकट खान के मुख कार्यान्वयनाधीन हैं ।

भारतीय समुद्र में तट से दूर पांच रिगों के संचालन संम्बधी प्रस्ताव

8824. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारतीय समुद्र में तट से दूर पांच रिगों का संचालन किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) ये रिग कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सागर सम्राट, जो इस समय पहले से ही बम्बई हाई में कार्य कर रहा है, के अतिरिक्त उस क्षेत्र में इस वर्ष के सितम्बर–नवम्बर तक दो और रिगों को कार्य में लगाए जाने की आशा है । बंगाल-उड़िसा और कच्छ के अपतटीय थालाओ में किए गए अन्वेषणो से संरचनात्मक संभावनाओ का पता चला है । किए गए विस्तृत भू-चुम्बकीय सर्वेक्षण के आंकड़ो को प्रक्रियान्वित उनका विश्लेषण किया जा रहा है यह आशा की जाती है कि परिणामों के उपयुक्त पाए जाने पर बंगाल, उड़ीसा और कच्छ अपतटीय क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक दो अन्य अपतटीय रिगों को आने वाले मानसून सीजन के बाद कार्य में लगाया जा सकेगा ।

सराय रोहिल्ला स्टेशन पर गैस के सिलिन्डरों के फटने से झुग्गियों में आग लगना

8825. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरको ने अपने उन कर्मचारियों को कोई मुआवजा दिया है जिनकी झुग्गियां अप्रैल, 1975 के दूसरे सप्ताह में सराय रोहिल्ला स्टेशन पर गैस के सिलिन्डरों के फटने से आग लगने के कारण जल गयी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पांच रेल कर्मचारिया को, जो दिल्ली सराय रोहिल्ला में झुग्गियों में रह रहे थे और जिन्हें गैस के सिलेंडरों में आग लगने के कारण हानि उठानी पड़ी, राहत के तौर पर कुल 3,600 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। अनुग्रह भुगतान की मात्रा 200 पये से लेकर 1,000 रुपये तक हैं जो सम्बन्धित रेल कर्मचारी को हुई हानि के अनुसार है। भुगतान 13-4-1975 को उसी ठौर कर दिया गया था।

भारतीय रेलवे के अनिवार्य कर्मचारियों को आवास

8826. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के कितने प्रतिशत अनिवार्य कर्मचारियों को सरकारी रिहायशी आवास मिले हुए हैं ;

(ख) वर्गवार और जोनवार इनके आवास की उपलब्धता के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अपने कर्मचारियों को अधिक क्वार्टर देने के लिए रेलवे प्रशासन की नीति के बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लगभग 56 प्रतिशत।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रेल प्रशासन की नीति, एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर ऐसे अनिवार्य कर्मचारियो को क्वार्टर देने की है और जिन्हें रात के समय अथवा दिन में बेवक्त ड्यूटी पर बुलाये जाने की संभावना हो और इसलिए उन्हें काम के स्थान के निकट रहना अपेक्षित हो। छोटे स्टेशनों तथा उन अन्य स्थानों के गैर-अनिवार्य कर्मचारियों के लिए भी क्वार्टरो की व्यवस्था की जाती है जहां पर्याप्त प्राइवेट स्थानों की अनुपलब्धता के कारण मकान मिलना कठिन होता है। यद्यपि धन की उपलब्धता की सीमा तक उपर्युक्त नीति के अनुसार प्रतिवर्ष क्वार्टरों का निर्माण कराया जा रहा है फिर भी, किसी कर्मचारी का यह अधिकार नहीं है कि उसे क्वार्टर दिया ही जाये।

विवरण

रेलवे	श्रेणी I और II	श्रेणी III	श्रेणी IV	जोड़
मध्य .	714	20,775	38,607	60,096
पूर्व .	788	28,702	47,435	76,925
उत्तर . .	826	28,088	49,752	78,666
पूर्वोत्तर .	493	13,225	21,345	35,093
पूर्वोत्तर सीमा	282	19,024	28,050	47,356
दक्षिण . .	607	19,076	20,688	40,371
दक्षिण मध्य	464	15,152	23,617	39,233
दक्षिण पूर्व	482	31,438	33,688	65,608
पश्चिम . . .	830	24,848	47,311	72,989

Shortage of Basic Laboratories for developing New Drugs

8827. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether there is a shortage of basic research laboratories in India for developing new drugs; and

(b) if so, the efforts being made to meet this shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri C. P. Majhi). : (a) & (b) In view of the importance of Research & Development in a highly research oriented industry like drugs, the public sector viz. I.D.P.L. and H.A.L., the Government laboratories including N.C.L., Regional Research Laboratories, C.D.R.I. and some of the laboratories in the private sector are playing an important role. Besides Hoechest, Sarabhais, Ciba-Geigy and Glaxo, 29 other drug manufacturing units have also registered themselves with the Deptt. of Science & Technology towards achieving better processes and for developing new drugs.

A Joint Committee consisting of the representatives of Ministries of P &C, Health, DGTD, Science & Technology, CDRI, NCL, RRL, HAL, IDPL and including the representatives of associations of the drug manuactures in the country has been meeting from time to time to coordinate, assess and suggest measures for strengthening the research structure for drugs in the country. The Committee on Drugs & Pharmaceuticals headed by Shri Jaisukhlal Hathi has also gone into the matter and their report is proposed to be laid on the Table of the House during the current Session.

Production and Import of Penicillin, Aspirin and Vitamin 'A'

8828. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the quantity of pencillin, aspirin, Vitamin 'A' and Vitamin 'C' produced in the country druing 1974-75;

(b) whether this production is sufficient to meet country's demand or they are also being imported from abroad; and

(c) the steps being taken to remove this shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) : (a) & (b) Details of production of penicillin, aspirin, Vitamin 'A' and Vitamin 'C' during the year 1974 by the units in the organised sector and imports of these items during the year 1973-74 are as follows:

Value in Rs. lakhs

S.No.	Name of the item	Unit	Production during 1974	Imports during 1973-74	
				Qty.	Value
1	Penicillin . . .	MMU	255.29	0.52 (Penicillin G potassium)	0.71
2	Aspirin . .	Tonnes	800.12	Nil	Nil
3	Vitamin A .	MMU	46.44	Nil	Nil
4	Vitamin C . .	Tonnes	254.99	306	112.65

(c) There is no shortage of these drugs in the country. For Vitamin C, indigenous production being insufficient, demand is supplemented through imports. M/s. Jayant Vitamin Ltd. (capacity 142.5 tonnes p.a.) have started production of Vitamin C during 1974 but in the case of Hindustan Antibiotics Ltd., (capacity 125 tonnes p.a.) the production is being stabilised. A number of measures like creation of new capacity, expansion of existing units etc. are being taken to augment the production of these drugs in the country. Hindustan Antibiotics Ltd. a public sector unit propose to expand their existing capacity during 5th Five Year Plan period for penicillin from 84 mmu to 160 mmu and of Vitamin C from 125 tonnes to 250 tonnes. They also propose to set up a second Penicillin Plant with a capacity of 160 mmu. They are also obtaining a high yield strain of Penicillin, and the terms of collaboration with a Japanese Company have been recently approved.

Proposal to replace Old Sleeping Coaches by new Ones in Metre Gauge Line of Khandwa-Ajmer Section

8829. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whetner Government propose to replace old sleeping coaches by new ones on the metre gauge line in the Khandwa-Ajmer Section of Western Railway;

(b) whether the sleeping coaches running at present are very old due to which the passengers experience inconvenience; and

(c) if so, the steps being taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) Metre Gauge sleeper coaches of earlier design, though not very old, have shorter berths. Later design of coaches have longer berths. It has been decided to provide newer type of sleeper coaches on phased basis, as and when they become available. Coaches on Khandwa-Ajmer Section will also get replaced accordingly in due course.

Distance between metre gauge platform and broad gauge platform of Railway Station

8830. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Railwayss** be pleased to state :

(a) whether there is a long distance between the metre gauge platform and broad gauge platform of Ratlam Station;

(b) wnether usually the passengers have to miss the connecting trains because they have to cover the long distance falling between these platform; and

(c) the action proposed to be taken by Government to remove this difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The minimum distance between the nearest broad gauge and metre gauge platform at Ratlam is 180 M and the maximum distance between the fartnest broad gauge and farthest metre gauge platform is 430 M.

(b) Adequate margin is provided for connections between the Board Gauge and Metre Gauge trains in the scheuled time-tables. In case the late running of trains upto 15 minutes additional time is allowed for securing the connections.

(c) The existing alignment on broad gauge and metre gauge is such that this distance between the platform cannot be removed witout incurring exorbitant expenditure, which is not desirable at this stage particularly in view of tight funds position.

वैतरणा रेलवे पुल की मरम्मत

8832. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अहमदाबाद–बम्बई और बम्बई–दिल्ली मार्ग पर हाल ही में यातायात को बन्द करने के बाद वैतरणा रेलवे पुल की मरम्मत कब तक कर दी गई थी और इस पर कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बटा सिंह) : दक्षिण वैतरणा रेलवे पुल पर यातायात दो अल्प अवधियों के लिए अर्थात् 24-2-75 को लगभग 12 घंटे के लिए और दोबारा 25 तथा 27 फरवरी 1975 के बीच लगभग 35 घंटे के लिए, रोक दिया गया था। यातायात इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि पानी के उतार-चढ़ाव के कारण एक पाया झुक जाने से, पुल के एक भाग पर रेलपथ का संरेखण और सतहें अस्त-व्यस्त हो गयी थीं। रेलपथ को घुमा कर और भराव पर गर्डरों को उठाने के बाद यातायात फिर से चालू कर दिया गया था। इस काम पर लगभग 200 रु० का मामूली सा खर्चा करना पड़ा। लेकिन, अक्तूबर, 1974 से इस पुल का पुनर्निर्माण चालू है जिसके एक अंश के रूप में पायों के चारों ओर गोला पत्थर भरना आदि सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं, जो पुनर्निर्माण के दौरान मौजूदा पुल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

गुजरात में बरसेन और इन्डेन गैस सिलिन्डरों की कमी

8833. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरी क्षेत्रों में बरसेन गैस और इन्डेन गैस सिलेन्डरों की सप्लाई कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या गैस की इन दोनों किस्मों की सप्लाई स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा सम्बन्धित अधिकारियों को परामर्श दे रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अहमदाबाद में वर्तमान उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लि इंडेन अथवा बर्माशैल गैस की कमी नहीं है। तथापि गुजरात में कुछ अन्य शहरी केन्द्रों में इंडेन गैस की कुछ कमी है जिसके कारण भरे हु सिलेंडरों की मांग अभी शेष है।

(ख) कोयाली सेपूर्ति वाले क्षेत्र में कड़ी सर्दी तथा कड् एल पी जी की सीमित उपलब्धता के कारण मांग में अचानक वृद्धि के कारण, कुछ बाजारो में भरे हुए सिलैण्डरों की मांग अभी शेष है।

(ग) ग्रीष्म ऋतु आने से मांग में कमी हुई है और भारतीय तेल निगम द्वारा पड़ी हुई शेष मांग को मई, 1975 के मध्य तक पूरा करने की संभावना है।

निर्वाचन सुधारों के बारे में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत

8834. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने इस वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निर्वाचन सुधारो के बार में विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था तथा किन व्यक्तियों ने वास्तव में बैठक में भाग लिया था ;

(ग) यदि इस बैठक में कोई निष्कर्ष निकले हैं अथवा समझौता हुआ है, तो वे क्या ह ; और

(घ) क्या इनको क्रियान्वित किया जायेगा और यदि हां, तो कब और कैसे किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी वाले तीन विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-9636/75]**

(ग) और (घ) निर्वाचन विधि के विभिन्न पहलुओं पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस समय विचार-विमर्श किया जा रहा है। निष्कर्ष और समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए अगली कायवाही ऐसे विचार-विमर्श के परिणाम पर निर्भर होगी।

गुजरात में रद्द की गयी रेल गाड़ियां

8835. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या ुजरात में कुछ ऐसी रल गाड़ियां हैं जो अभी तक रद्द पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रद्द की गई इन रेलगाड़ियों को पुनः कब तक चलाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, गुजरात में 2 जोड़ी बडी लाइन की, 28 जोड़ी मीटर ला न की और 9 जोड़ी छोटी लाइन की सवारी गाड़ियां अभी भी रद्द हैं ।

(ग) इन गाड़ियो को उत्तरोत्तर फिर से चलाया जा रहा है और कोयले की स्थिति में सुधार होते ही अन्य अपेक्षित सवारी गाड़ियों को फिर से चला दिया जायेगा ।

Construction work on over bridge at Gaya

8836. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether an assurance was given in 1974 by the then Minister of Railways for starting construct in work of the over bridge at Gaya (Bihar) railway station; and

(b) if so, whether Government propose to start construction of the over bridge at Gaya Station as early as possible in order to fulfil their assurance?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) The second foot-over-bridge at Gaya station, to which the Honourable Member is presumably referring, is an approved work. This bridge will connect the circulating areas on botn sides of this station as well as the platforms.

Gaya is a busy station on the electrified section and hence such a construction poses some technical problems, which requires careful and detailed planning. It is expected that this work will be completed within a year's time.

Passengers and quantity of Goods carried by Railways

8837. Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of passengers and the quantity of goods carried by the Railways during April, 1974 just before the May 1974 strike;

(b) the number of passengers and the quantity of goods carried by them since April 1974 todate, monthwise;

(c) in case there has been a fall therein, the reasons therefor; and

(d) whether Govenment have taken steps to increase the number of passengers and the quantity of goods to be carried by Railways and if so, the salie nt features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) During April, 1974, the railways carried 204.38 million passengers and lifted 12.13 million tonnes of revenue earning traffc,

(b) The monthwise figures of passengers and revenue-earning goods traffic from April, 1974, onwards are as under :

(Figures in millions)

Month	Passengers	Freight tonnage
April, 1974	204.38	12.13
May, 1974	125.21	10.28
June, 1974	204.89	14.58
July, 1974	202.59	14.07
August, 1974	198.44	15.29
September, 1974	206.00	14.26
October, 1974	200.94	14.02
November, 1974	199.10	15.52
December, 1974	210.67	15.34
January, 1975	204.95	16.34
February, 1975	190.91	14.91
March, 1975	217.82	16.70

(c) and (d) So far as goods traffic is concerned, there has been an increasing trend from June, 1974 onwards compared to the corresponding months of the previous year. As regards passenger traffic, the declining trend seen upto November, 1974 in comparison with tne previous year, has been reversed from December, 1974 onwards. Half the fall in passenger traffic in tne first eight months (i.e. April-November, 1974) as compared to the previous year is atributable to the copay 1974 strike and the other half to be unavoidable cancellation of a number of passenger trains due to shortage loco-coal.

With the improvement in the supply position of loco-coal, restoration of train is being done progressively. During the last two months 105 pairs of passenger carrying trains have been restored. As on 21-4-1975, only 152 pairs of trains remain cancelled.

ओखा-दिल्ली कोच में द्वितीय श्रेणी में शयन शायिकाओं की व्यवस्था करना

8838. **श्री जगन्नाथ जोशी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका स्टेशन के लिए 'ओखा-दिल्ली' कोच में शयन शायिका वाले द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में केवल एक ही शायिका का कोटा दिया गया है तथा जिसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी सहित द्वारका जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल के लिए शायिकाओं को बुक नहीं करा सकते है ; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दूसरे दर्जे के "ओखा–दिल्ली" दो-टियर शयन-यान में द्वारिका स्टेशन के लिए एक शायिका और दो सीटों का कोटा आबंटित किया गय है ।

(ख) द्वारिका स्टेशन के लिए दो शायिकाओं का कोटा नियत कर दिया जायेगा और 6 महीने बाद की इसकी पुनरीक्षा की जायेगी ।

रेल कर्मचारियों की वर्दियों की सप्लाई

8839. श्री जगन्नाथराव जोशी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों को सिली-सिलायी वर्दियां दी जाती है और उनमें से अधिकांश को वे वर्दियां अपने माप के अनुसार दुबारा कटवानी और सिलवानी पड़ती है जिसके कारण उन्हें आवश्यक परेशानी होती है और मंहगाई के दिनों में फालतू खर्च करना पड़ता है ; और

(ख) क्या रेलवे प्रशासन का विचार अपने कर्मचारियों को रेलवे से कपड़ा लेने और स्वीकृत दर्जियों की सूची में से किसी से अपनी वर्दी सिलवाने का विकल्प देने का है जिससे रेलवे प्रशासन पर भी खर्च का अतिरिक्त भार न पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कर्मचारियों को सिली-सिलाई वर्दिया दी जाती है जो वास्तविक माप लेने के बाद निश्चित किये गये निकटतम मानक माप की होती है । वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारियों और असामान्य माप वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जाता । उन्हें उनके अप-अपने माप की वर्दियां दी जाती हैं । कर्मचारियों द्वारा वर्दियों को उधेड़ कर दुबारा सिलाई करवाने के कोई उदाहरण प्रशासन के नोटिस में नहीं आये है । तथापि, छोटी-मोटी कांट-छांट रेलों के अपने दर्जियों द्वारा कर दी जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

तामिलनाडु में तेल की संभावनायें

8840. श्री आर० सी० स्वामीनाथन् : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अभी तक कितने स्थानों पर तेल का पता लगा है ; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये योजना आयोग से अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तमिलनाडु में हाईड्रोकार्बस के व्यापारिक स्तर के भण्डार अभी तक प्राप्त नहीं हुए है ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के 1975–76 के तमिल नाडू में भी सरकार द्वारा अनुमोदित अन्वेषी कार्य व्यवस्था है ।

तामिलनाडू में मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस की कमी

8841. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस की अत्याधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य क्या कारण हैं ;

(ग) राज्य में इन मदों की सप्लाई सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) मार्च, अप्रैल और मई, 1975 के महीनों के दौरान राज्य को इन मदों की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) तमिलनाडु में वर्तमान उपभोक्ताओं के खाना पकाने वाली गैस अथवा मिट्टी के तेल की कोई गंभीर शिकायत इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। तथापि खाना पकाने वाली गैस के नए कनेक्शनों की मांग बहुत बढ़ गई है।

(ग) राज्यों को मिट्टी के तेल का कोटा नवम्बर 1974 से बढ़ाई गई थी। उसके बाद राज्यों से कमी की कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। घरेलू गैस की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय तेल निगम तमिलनाडु में प्रत्येक मास लगभग 4500 से 5000 तक नए एल० पी० जी० कनेक्शन भी देती है।

(घ) मार्च, 1975 के दौरान तमिलनाडु को मिट्टी के तेल की 23,103 मी० टन की सप्लाई की गई थी। अप्रैल और मई 1975 के लिए सप्लाई के वास्तविक आंकड़े अब तक संकलित नहीं किए गए हैं। एल० पी० गैस की सप्लाई के आंकड़े राज्यवार के आधार पर रखे नहीं जाते हैं।

गर्मियों में पर्वतीय स्थानों को जाने वाले यात्रियों की भीड पर काबू पा के लिए कार्यवाही करना

8842. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रों और रेलवे स्टेशनों से गर्मियों मे पर्वतीय स्थानों को जाने वाले यात्रियों की भीड़ पर काबू पाने के लिये कोई तात्कालिक कार्यवाही की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो टिकट जारी करने के लिये यात्रियों को सहायता देने और इस भीड़ पर काबू पाने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) आगामी गर्मी के महीनों में पर्वतीय स्टेशनों के लिए यातायात की भीड़-भाड़ को सम्हालने के लिए विशेष गाड़ियों की मौजूदा गर्मियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जा रही है बशर्ते उनके लिए पर्याप्त यातायात हो।

(ख) यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होने वाले यात्री यातायात की आवश्यकता के अनुसार टिकट देने की अतिरिक्त खिड़कियां खोली जा रही हैं।

दिल्ली में पेट्रोल पंपों की संख्या

8843. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पेट्रोल पंपों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) दिल्ली में पेट्रोल की औसत दैनिक खपत कितनी है ; और

(ग) क्या दिल्ली में नये पेट्रोल पम्पो को खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 1-1-1975 को 199 ।

(ख) लगभग 359 किलो लीटर ।

(ग) इस समय भारतीय तेल निगम का 10 नए पेट्रोल पम्प की स्थापना करने का प्रस्ताव है और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम का 1975 के दौरान दिल्ली में एक पम्प की पुन:स्थापना का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में नए रेलवे स्टेशन

8844. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नए रेलवे स्टेशन स्थापित करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ; और

(ख) नये रेलवे स्टेशन किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे तथा सरकार का विचार वह कब कार्य आरम्भ करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों पर नये स्टेशन बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं :

(1) दिल्ली शाहदरा के निकट विवेक विहार में ।

(2) दिल्ली और शाहदरा स्टेशनो के बीच सीलमपर में ।

(3) दयाबस्ती और शकूरबस्ती स्टेशनों के बीच रामपुरा (त्रिनगर) में ।

(4) ओखला और हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशनो के बीच नेहरूनगर में ।

(5) पश्चिमी पटेल नगर और दिल्ली छावनी के बीच ।

लेकिन, इस समय, उपर्युक्त स्थानों पर स्टेशनों खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

दिल्ली मेन स्टेशन और नई दिल्ली के स्टेशन के कार्य में सुधार

8845. **श्री एच० के० एल० भगत**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कार्य में सुधार लाने हेतु वर्ष 1975–76 के लिये सरकार की योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : नयी दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों के लिए एक दूसरे पहुँच मार्ग की और अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओ की व्यवस्था के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

त्रिवेंद्रम में केरल उच्च न्यायायल की बेंच स्थापित करने का निर्णय

8846. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक पृथक् बैंच की स्थापना करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) केरल सरकार के विचार जानने के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जायेगा ।

केरल में रेलवे लाइनें बिछाने संबंधीयो जनायें

8847. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेलवे लाइनें बिछाने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेलवे लाइनों के निर्माण पर राज्य-वार विचार नहीं किया जाता बल्कि, प्राकृतिक साधनों के अधिकतम उपयोग, खनिज पदार्थों के दोहन और रेलों की परिचालन सम्बन्धी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, समग्र दृष्टि से विचार किया जाता है । किन्तु निम्नलिखित सर्वेक्षणों/परियोजनाओं पर काम जारी है, जो आंशिक रूप से या पूर्णतः केरल राज्य में पड़ते हैं :—

(i) नागरकोइल के रास्ते तिरुवनंतपूरम से तिरुनेलवेली तक एक बड़ी रेलवे लाइन और कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन की मंजूरी 14.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दी गयी है और यह काम हो रहा है ।

(ii) एर्नाकुलम से तिरुवनंतपूरम तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम हो रहा है और 1976 तक इस के पूरा हो जाने की आशा है ।

(iii) गुरुवायूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक एक रेलवे लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सवक्षण की मंजूरी दी गयी है, जिसपर 86,421 रुपये खच होंगे । इस सम्बन्ध में आगे विचार सर्वेक्षण रिपोर्टों के मिल जाने और उनके जांच कर लेने के बाद ही किया जायेगा ।

जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि पर्वतीय क्षेत्रों में रेल लाइनों का निर्माण

8848. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुर पर्वतीय राज्यो और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रो में, जैसी कि योजना आयोग के दिनांक 9 सितम्बर, 1966 के पत्र में परिभाषा दी हुई है, गत तीन वर्षों के दौरान जिन रेल लाइनों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया, निर्माण कार्य चल रहा है या पूरी हो गई है, के नाम क्या हैं ;

(ख) इन नई लाइनों में से प्रत्येक लाइन जिन पर निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है या इस अवधि में निर्माण कार्य चल रहा है, कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ग) क्या इन राज्यों/क्षेत्रों की पिछड़ी अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये उन कार्यों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी जिनका उद्घाटन किया जा चुका है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1. कठुआ जम्मू रेल सम्पर्क (जम्मू-कश्मीर में)

2. रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क (उत्तर प्रदेश में)

3. नंगल-डैम–तलवाड़ा रेल सम्पर्क (हिमाचल प्रदेश में)

(ख) और (ग) मद 1 का काम पूरा हो चुका है और 2-10-1972 को यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

मद 2 का काम अनुमोदित है और इसके लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है जिसके पूरा हो जाने के बाद निर्माण का काम प्रारम्भ किया जायेगा । मद 3 के लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम प्रगति पर हो और इसके पूरा हो जाने के बाद निर्माण का काम प्रारम्भ किया जायेगा बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

Duties of Accountant and Works Accountant in Executive Office

8849. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any post of Works Accountant in the Northern Railway;

(b) whether the duties of a Works Accountant and an Accountant in an Executive Office are the same;

(c) whether the Northern Railway treat the duties and responsibilities of both these posts equal ;

(d) whether the Works Accountant is being given lower pay scale than that of Head Clerk disregarding the fact that the authorised pay scale of a Works Accountant is higher than that of the Head Clerk and the Head Clerk works under the Works Accountant; and

(e) if so, the action being taken to remove this anomaly and to ensure that the person working against this post does not incur a loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) & (c) Though the nature of duties of Works Accountants and of Appendix III—A qualified Accountants employed in the Works Branch are the same, the two categories have never been treated on a par as the staff of the former category are required to pass a less stringent departmental examination.

(d) & (e) Allotment of Revised scale of pay to the category of Works Accountant is still under consideration.

Trollies, Khomchas and Stalls allotted to Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons in Railways during 1972, 1973, 1974 and 1975.

8850. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of trollies 'Khomchas' and stalls allotted to the persons belonging to Scheduled Casts and Scheduled Tribes in different railways separately during the years 1972, 1973, 1974 and upto March 1975;

(b) the zone-wise number of trollies and stalls being run at different stations by the same person under different names and thus having a monopoly of the trollies and stalls;

(c) the number of contractors who have been doing this work from time to time for years together and have been changing their firms and partnership; and

(d) whether any quota of stalls, 'Khomachas' and trollies has been reserved by Railwaysfor Harijans and Trials at present and if so, the quota reserved therefore and the steps being taken for allotment of full quota to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Grant of Licence to M/s Roche

8851. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4718 on the 25th March 1975 regarding licences granted to foreign drug companies under key industries'and state :

(a) the date on which licence was granted to Messrs Roche Products Limited and the value threof;

(b) the value of raw material supplied to this company since it started manufacturing todate for manufacturing drugs as also the value of drugs manuactured by the company during the last three years;

(c) whether the licence granted to this company has been utilised by the company itself for manuacturing drugs or it has been given to someother company of firm; and

(d) full facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P . Majhi): (a) M/s. Roche Products Ltd. were granted an industrial licence No. CIL. 119(74) dt. 24-4-1974 and the exfactory value of production of the items covered therein is Rs. 363.5 lakhs.

(b) to (d) : The value of import licences, if any, for the import of raw materials granted to this company for the project covered in reply to part (a) from tne date of start of manufacture and details of their utilization are being ascertained and will be laid on the Table of the House. The value of total sales turnover of drugs by this Company during the last three yers was as follows :

Year	Total sales turnover (Rs. lakhs)
1971/1971-72	892
1972/1972-73	920
1973/1973-74	928

Licences granted to M/s. Merck Sharp and Dhome

8852. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given in Unstarred Question No. 4718 on the 25th March, 1975 regarding licences granted to Foreign Drug Companies under 'key industries' category and state:

(a) the value of licences granted to M/s. Merck Sharp and Dhome of India Private Limited and the dates when such licences were granted;

(b) the value of raw material supplied to it since it went into production and the value of drugs manufactured by it during the last three years;

(c) whether the company, instead of utilizing the licence itself, passed it on to some other firm; and

(d) if so, the full facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) Details of industrial licences granted to M/s. Merck Sharp and Dhome of India Ltd. are given below:

Sl. No.	Licence No. and date	Item of manufacture & capacity p.a.	Estimated annual value of production
1	CIL. 185(74) dt. 22-6-74.	Mintezol Suspension 20,000 litres (within the overall capacity of such type of formulations)	Rs. 19.80 lakhs
2	CIL. 205 (74) dt. 4-7-74.	Radicyte Caps. 12 million	Rs. 12.72 lakhs

(b) to (d) Details regarding value of imported/canalised raw materials allowd to the company for the above project and details of their utilization are being collected and will be laid on the Table of the House. The total sales turnover of this company during the last three years was as follows:

Year	Total sales turnover (Rs. lakhs)
1971/1971-72	856
1972/1972-73	868
1973/1973-74	1,061

सिगनल तथा दूर संचार निरीक्षकों के बारे में रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशें

8853. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1968 ने यह सिफारिश की थी कि सिगनल त र दूर संचार इंस्पैक्टरों को स्टोर की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन द्वारा समूचे भारतीय रेलवे में क्षेत्रवार, इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस संदर्भ में तीसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नीचे लिखी टिप्पणी दी है :-

"रेल पथ निरीक्षकों की एक शिकायत है कि विभिन्न रेल दुर्घटना जांच समितियो की बार-बार सिफारिशों के बावजूद, उन्हें भण्डार के सामान की अभिरक्षा और हिसाब-किताब की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया । लेकिन इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि भण्डार की अभिरक्षा निरीक्षको की ड्यूटी का एक अभिन्न अंग है और इस काम के लिए मुआवज़े के रूप में विशेष वतन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है" । इस प्रयोजन के लिए यह रिपोर्ट सिगनल निरीक्षकों पर भी लागू होती है, क्योंकि उनके द्वारा की जाने वाली ड्यूटियां भी उसी प्रकार की हैं । इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।"

रेलवे में विभिन्न वर्गों के लिये स्टैंडर्ड और एक समान पदनाम

8854. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री भारतीय रेलवे में सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिये एक समान पदनामों के बारे में 20 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1363 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वर्गों के लिये स्टैंडर्ड और एक समान पदनामों की सूची पूरे भारतीय रेलवे में परिचालित की गई है और इसका अनुसरण किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पदनाम क्या हैं और इसके कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन अनुदेशों से कुछ वित्तीय जटिलतायें अथवा कुछ अन्य कठिनाइयां होती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Late arrival of trains at Delhi Railway Station during the last three months

8855. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of trains arrived in time as well as late, separately at Delhi Railway Station during the last three months viz. January, 1975 to March, 1975; and

(b) the reasons for late arrival of trains and the steps being taken by Government to improve it?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) A total of 3783 trains arrived right time and 3171 reached late at Delhi Main Station during January to March, 1975.

(b) The late arrivals have been due to various factors like alarm chain pulling/ miscreant activities, mechanical/signal failures, crossings and precedences etc. etc. A constant watch is kept on the punctuality of trains and all avoidable detentions are looked into and are taken up with the staff concerned. To curb alarm chain pulling, special raids are arranged by the Railway with the help of the Civil Police on the affected sections. Assistance of the State Government/Police authorities has been sought for arranging more such raids.

Shifting of Jayanti Janta Express running between Samastipur and Delhi

8856. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether Jayanti Janta Express trains running between Samastipur & Delhi is being run by Government between Calcutta & Delhi after shifting it from there; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :

(a) No.

(b) Does not arise.

सराय रोहिल्ला स्टेशन पर माल डिब्बों में कुकिंग गैस सिलैंडरों के फटन के कारण क्षतिग्रस्त हुए माल डिब्बे

8657. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1975 के दूसरे सप्ताह में सराय रोहिल्ला स्टेशन पर कुकिंग गैस सिलेंडरो के फटने के परिणामस्वरूप नष्ट हुए और क्षतिग्रस्त हुए माल डिब्बों की कुल संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : 6 माल डिब्बे नष्ट तथा 13 माल डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गये थे ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव

8858. श्री के० प्रधानी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ;

(ग) क्या यह धनराशि राज्यवार आबंटित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) (ख), (ग) और (घ) जानकारी गृह मंत्रालय से इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

पिछडे क्षत्रों में उद्योगों का विकास करने हेतु वहां रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में विशेष रियायत दिया जाना

8859. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षत्रो में, जहां उद्योगों का विकास करने के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा है, उद्योगों का विकास करने हेतु वहां रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में सरकार की कोई विशेष योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं जहां रेलवे ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मुख्य उद्योग धंधों के साथ सम्बद्ध रेलवे लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें से अधिकांश पिछड़े इलाकों में स्थित हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह दिखाया गया है कि इस समय कौन-कौन सी नयी लाइनों का या फिर से चालू की जानेवाली लाइनों का निर्माण हो रहा है अथवा उनके निर्माण की स्वीकृति मिल गयी हैं ।

विवरण

निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों या फिर से चालू की जाने वाली लाइनों का निर्माण इस समय किया जा रहा है या उनके निर्माण की स्वीकृति मिल गयी हैं :—

क्रम सं०	लाइन का नाम	आमान	लम्बाई (कि०मी०में)
1	भूतपूर्व हवड़ा-आमता लाईट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में बड़ी लाइन	बड़ी लाइन	73.53
2	भूतपूर्व हवड़ा-शियाखला लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में बड़ी लाइन	बड़ी लाइन	17.10
3	भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में बड़ी लाइन	बड़ी लाइन	161.00
4	प्रतापगंज-फारबीसगंज लाइन को फिर से बिछाना .	मीटर लाइन	41.00
5	छितौनी-बगहा लाइन को फिर से बिछाना .	मीटर लाइन	28.41
6	झंझारपुर-लौकहाबाजार	मीटर लाइन	42.30

क्रम सं०	लाइन का नाम	आमान	लम्बाई (कि०मी०में)
7	सकरी-हसनपुर . . .	मीटर लाइन	74.40
8	रामनगर और काठगोदाम के लिए बड़ी लाइन रेल सम्पर्क	बड़ी लाइन	168.66
9	रोहतक-भिवानी	बड़ी लाइन	49.30
10	गोहाना-पानीपत लाइन को फिर से बिछाना . .	बड़ी लाइन	43.27
11	दालमऊ-दरयापुर लाइन को फिर से बिछाना . .	बड़ी लाइन	26.00
12	तिरुनेलवेलि-तिरुवैन्द्रम-कन्याकुमारी रेल संपर्क . .	बड़ी लाइन	167.00
13	नाडी कुडै-बीबीनगर . .	बड़ी लाइन	153.00
14	दिवा-बेसिन रोड	बड़ी लाइन	41.96
15	वनी-चनाका . .	बड़ी लाइन	75.76
16	साबरमती-गांधीनगर . . .	बड़ी लाइन	27.85
17	तोरंगालू-मडूकुलापिंटा . . .	बड़ी लाइन	24.00
18	मंगलूरु-हसन . .	बड़ी लाइन	189.21
19	हल्दिया पत्तन के रेल संपर्क का शेष भाग . .	बड़ी लाइन	10.18
20	वांसपानी-झाखापुरा	बड़ी लाइन	176.00
21	गुना-मक्सी	बड़ी लाइन	193.53

सभी लाइनें पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं।

सियालदह स्टेशन पर प्रदान की गयी सुविधायें

8860. **श्री टुना उरांव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदह स्टेशन पर एक दिन में कितनी रेलगाड़ियां आती जाती हैं और एक दिन में अनुमानतः कितने यात्री इस स्टेशन का लाभ उठाते हैं,

(ख) इस स्टेशन पर हवड़ा, बम्बई तथा मद्रास स्टेशनों की तुलना में, यात्रियों की क्या सुविधायें दी गयी हैं,

(ग) इस स्टेशन पर गत तीन वर्षों में, कितने बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, और

(घ) क्या इस स्टेशन पर टिकटों की उचित रूप से जांच की जातीहै ?

रेल मंत्रालय म उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सियालदह स्टेशन पर कुल मिलाकर 406 रेलगाड़ियां प्रतिदिन आती जाती हैं। एक तरफ से औसतन लगभग 33,550 यात्री रोजाना इस स्टशन का उपयोग करते है ।

(ख) सियालदह स्टेशन पर जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है उनकी हवडा, बम्बई और मद्रास स्टेशनों की सुविधा व्यवस्था से कोई समानता नहीं है क्योंकि उन स्टेशनों पर लम्बी दूरी की गाड़ियां बहुत बडी संख्या में आती जाती हैं, जबकि सियालदह स्टेशन पर मुख्यत: उपनगरीय गाड़ियां ही आती जाती हैं। यद्यपि सियालदह स्टेशन पर सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था है, जैसे बुकिंग और पुछताछ कार्यालय, प्रतिक्षालय, विश्रामालय, भोजनालय, पीन के पा ी का प्रबन्ध खेंमचे का स्टाल, शौचालय और मूत्रालय, बुक स्टाल, डाकघर की सुविधा, लाउडस्पीकरों की व्यवस्था, बिस्तर, बर्फ के कटनर, अपेंगों के लिए कुर्सियां, गाड़ी सूचक पट्ट, बेंचें, प्लेटफार्मो पर बिजली और पंखे, टैक्सी स्टेण्ड की सुविधा आदि। सुविधाओं में वृद्धि के लिए, 1960–61 में सियालदह स्टशन के पुर्ननिर्माण का कार्य तीन चरणों में प्रारम्भ किया गया था। दो चरणों का निर्माण कार्य परा हो चुका है और तीसरे चरण का काय चालू है जो पांचवी योजना में समाप्त हो जायेगा।

(ग) सियालदह स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करते पकडे गये व्यक्तियों की संख्या :—

1972 में 2899

1973 में 2782

1974 नें 2003

(घ) कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सियालदह स्टेशन पर अधितम व्यावहारिक सीमा तक टिकटों की यथोचित जांच की जाती है ।

कोंकण रेलवे परियोजना

8861. **श्री मधु दंदवते** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोंकण रेलवे परियोजना स्वीकृत परियोजना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्वीकृति देने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) स्वीकृति कब दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बुटा सिंह :(क) सर्वेक्षण के अलावा, यह परियोजना अभी तक अनुमोदित नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) आप्ता और दसगांव के बीच अन्तिम मार्ग-निर्धारित सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और उसकी रिपोर्टों की जांच की जा रही है। दसगांव और रत्नागिरि के बीच अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम जिसमें रत्नागिरि और मंगलूर के बीच स्थान की जांच भी शामिल है- जारी है। इस परियोजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

संसद के सामने रेल कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

8862. **श्री मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों ने आल इंडिया रेलवेमैन्स फैडरेशन के तत्वावधान में 23 अप्रैल 1975 को संसद् के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल कर्मचारियों की ओर से कोई ज्ञापन दिया गया था : और

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) से (ख) कुछ प्रेस रिपोर्टें मिली है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

मंगलोर फर्टीलाइजर्स एण्ड कमिकल्स का विस्तार

8863. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर फर्टीलाइज़र एण्डकमि० ने मंगलौर स्थित अपने कारखाने के विस्तार के लिए आवेदन किया है ;

(ख) क्या यह कंपनी संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें कर्नाटक राज्य के 25% शेयर है तथा राज्य सरकारी संघ (स्टट कोआपरेटिव फैडरेशन) के 26% शेयर है ; और

(ग) क्या इस कंपनी की विक्रय एजेंसियां है यदि हां, तो एजेन्सी लेने में कौन सी फर्में रूचि रखती हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) मैसर्स मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि० ने अपने प्रायोजना उर्वरक के उत्पादन के लिए क्षमता का विस्तार करने के लिए अप्रैल, 1973 में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। प्रस्तावित विस्तार ईंधन तल के सम्भरण माल पर आधारित था। ईंधन तेल की प्रतिवर्धित तथा अनिश्चित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यदि पार्टी इछुक हो तो उसे कोयले के रूप में सम्भरण माल के आधारित

पर पुन: आवेदन पत्र भेजने की सलाह दी गई। कम्पनी ने अभ्यावेदन दिया कि मंगलौर को कोयले के परिवहन में सम्भारतंत्र सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेट्रोलियम सम्भरण सामग्री पर उनके संयंत्र को आधारित करने की अनुमति दी गयी छटी योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के विकास के लिए योजना सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

(ख) मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० के निर्माणक है कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवैल्पमेंट कारपोरेशन लि० (100% कर्नाटक राज्य सरकार की कम्पनी) कर्नाटक स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० (जिसमें कर्नाटक राज्य सरकार के 51% तथा भारत सरकार के 49% शेयर हैं), कर्नाटक स्टेट को आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि० (कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित/सहायता प्राप्त) कम्पनी में उनके शेयरों की सीमा निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

	शाम्य		तरजीह	
	(12.50 करोड़ रुपये)		(3.00 करोड़ रुपये)	
	मात्रा	शाम्य पूंजी की प्रतिशत	मात्रा	शाम्य पूंजी की प्रतिशत
के० एस० आई० डी० सी०	2.0	16.00	..	..
के० एस० ए० आई० सी०	0.70	5.60	0.30	10.00
के० एस० सी० एम० एफ०	1.20	9.60	1.30	43.33
	3.90	31.20	1.60	53.33

(ग) शेष शेयर लोक वित्तीय संस्थानों गैर-सरकारी संस्थानों तथा आम जनता के होते है। उर्वरक का समस्त वितरण, जो उत्पादित होगा, कर्नाटक स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरशन लि०, कर्नाटक स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० तथा रेलिस इण्डिया लि० द्वारा किया जायेगा। कर्नाटक स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि० तथा रलिस इण्डिया लि० प्रत्येक उत्पादन का 37.5% भाग का तथा कर्नाटक स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० 25% भाग का वितरण करेगा।

सियालदाह डिवीजन में वर्ष 1975 के दौरान चोरियां

8864. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम उनके पिताओं के नाम, पते तथा व्यवसाय क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का दंड दिया गया है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी रेल तथा जन सम्पत्ति की हानि हुई और रेलवे ने मुआवजे के रूप में कितनी धन-राशि दी ;

(घ) ऐसे मामलों में यदि कोई रेल कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं तो उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) चोरी की घटनायें रोकने के लिए किए गए उपायों के क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सियालदह-बनगांव लाइन पर रेलव डिब्बों की स्थिति

8865. श्री०एम० एस० पुरती : क्या रेल मंत्री सियालदह-बनगांव पर रेल डिब्बों की स्थिति के बारे में 8 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह-बनगांव लाइन पर डिब्बों में पंखों की और प्रकाश की 55 प्रतिशत कमी वहां के रेल अधिकारियों के कुप्रबन्ध के कारण हैं ;

(ख) इस लाइन पर रात्रि में कितनी रेल गाड़ियां चलती हैं ;

(ग) क्या इस लाइन पर अपराधी सक्रिय हैं ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में रेलवे के ध्यान में लायी गयी घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम (पिताओं के नाम सहित) व्यवसाय आदि का विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सियालदह-बनगांव लाइन पर चलने वाले सवारी डिब्बों में पंखों की काफी कमी है । यह रेल प्राधिकारियों के कुप्रबन्ध के कारण नहीं है ।

(ख) 21 (18-00 बजे और 6-00 बजे के बीच) ।

(ग) जी हां ।

(घ) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम और पते निम्नलिखित हैं :

1973

1. मोहम्मद असगर पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी उड़नपाड़ा, टीटागढ़, 24 परगना ।
2. नारंग ठाकुर पुत्र भादरेश्वर ठाकुर, निवासी मुंगरापाड़ा, श्यामनगर, 24 परगना ।
3. कन्हैया लाल गुप्ता पुत्र बिमल कुमार गुप्ता, 164, राज रोड़, टीटागढ़, 24 परगना ।
4. पारेश नाथ पुत्र भोला नाथ, टंडेल लैन, टीटागढ़, 24 परगना ।
5. राखल दास पुत्र स्वर्गीय हालधर दास (कोई घर बार नहीं) ।
6. हमीद अली मोहम्मद अली (कोई घर बार नहीं) ।

1974

1. मोहम्मद कुदिश पुत्र मोहम्मद सइयद इटेली, कलकत्ता ।
2. रबिन्द्र नाथ हजारा पुत्र बलाय हजारा, आमता, हावड़ा ।
3. मोहम्मद आलम स्वर्गीय अब्दुल सत्तार, टांगड़ा, कलकत्ता ।
4. मोहम्मद अलील पुत्र मोहम्मद कल्लू, टांगड़ा, कलकत्ता ।

5. बमबू काली हल्दार पुत्र स्वर्गीय जब्बर हल्दार निवासी आलम सजौद, पुलिस थाना कुतली ।

6. काशीनाथ मंडल पुत्र अमल कांती मंडल रामचंद्रपुर, पुलिस थाना जयनगर, 24 परगना ।

7. काली पाद पोल पुत्र राधा गोविन्द पौल, रामचंद्र पुर, पुलिस थाना जयनगर, 24 परगना ।

मार्च, 1975 तक

1. सबीर मिस्त्री पुत्र सुरेन मिस्त्री, निवासी रैंनतन बी०-आर०-एस० कालौनी, श्यामनगर, 24 परगना ।

2. भाई दास पुत्र शम्भू दास, 20, स्काट लैन, कलकत्ता-9 ।

3. रनजीत सरकार पुत्र स्वर्गीय गणेश सरकार, ह्यज रोड, पिलखाना, इर्टेली, कलकत्ता ।

4. बिरहल दास पुत्र क्रिसटी दास । (कोई घर बार नहीं)

5. रूपचंद मुल्ला पुत्र स्वर्गीय पुरली मुल्ला, रामचंद्रपुर, डाइमंड हार्बर ।

6. नालिन दास पुत्र स्वर्गीय नारायण दास, निवासी गोबिन्द नगर कालानी, 24 परगना ।

7. तारन भौमिक पुत्र हेमेन्द्र भौमिक, निवासी रबिन्द्र पल्ली, दमदम ।

8. दीपक सहा पुत्र कमल सहा, निवासी नन्दन नगर, बेलधारिया, 24 परगना ।

9. हरी राम सिन्हा पुत्र हरीश चंद्र सिन्हा ।

10. सुभाष चंद्र जायसवाल पुत्र विश्व नाथ जायसवाल, 9, घोष लैन, कलकत्ता ।

11. दिलीप जायसवाल पुत्र राधे श्याम जायसवाल, 9, घोष लैन, कलकत्ता ।

12. शंकर रंजन पौल पुत्र साधन बिहारी पौल, 42 ईस्ट सिंधी लैन, कलकत्ता ।

13. श्यामल कुमार सरकार पुत्र सुधीर कुमार सरकार, ईस्ट सिंधी लैन, कलकत्ता ।

14. आनन्द चक्रवर्ती पुत्र हरी नारायण चक्रवर्ती, सोनापुर, 24 परगना ।

15. परितोष परमानिक पुत्र भादरेश्वर परमानिक बालिया, सौरनापुर, 24 परगना ।

देश में आवश्यक औषधियों की कमी

8866. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में आवश्यक औषधियों की भारी कमी है ;

(ख) क्या गत एक वर्ष में उनके मूल्य बहुत बढ़ गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये औषधियां पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) देश में आवश्यक औषधों की कोई कमी नहीं है । तथापि इस समय निम्नलिखित औषधों की कमी की रिपोर्ट मिली है और कमी के कारणों को प्रत्येक के सामने दिखाया गया है ।

1. डेपारिन—बिजली की कमी ।

2. ट्रिपल एन्टीजन इंजैक्शन—एक निर्माता मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज ने बतलाया है कि यह उत्पाद स्थानीय प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर रहा था और वे ऐसी प्रतिक्रियाओं को कम करने के लिये उनके विचारों में और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अत: उनका उत्पाद लगभग 2 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध नहीं होगा ।

3. पैथिडाइन—देशीय उत्पादक मैसर्स ग्लूकोनेट द्वारा इस औषध का उत्पादन बन्द कर देने की रिपोर्ट मिली है ।

4. अनैस्थैटिक ईथर—देशीय उत्पादकों में से एक उत्पादक मैसर्स हैदराबाद कैमिकल्स द्वारा इस औषध का उत्पादन बन्द करने की रिपोर्ट मिली है । मैसर्स एलेंबिक वर्क्स का उत्पादन 1974 के दौरान बीच-बीच में बिजली बंद होने के कारण प्रभावित हुआ ।

5. एड्रेनालाइन—मैसर्स बोरोग्स बैल्कम जो देश में इस अवधि औषध के एकमात्र निर्माता है, ने बताया है कि वे इस औषध के निर्माण को अलाभप्रद समझते हैं ।

6. एलडोसेट—मैसर्स मर्क शार्प एण्ड दोहमे, राज्य व्यापार निगम द्वारा हंगरी से आयातित एलडोसेट के निर्माण में प्रयुक्त मेथाइल दोपा को उठाने के लिये सहमत नहीं हुए हैं ।

7. इन्डोसाइड—मैसर्स मर्क शार्प एण्ड दोहमे जो इन्डोमेथासिन के प्रमुख निर्माता है इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इन्डोसाइड के निर्माण के लिये इस प्रपुंज औषध का यू० एस० ए० में उनकी प्रमुख कम्पनियों से आयात किया जाना चाहिए ।

कुछ स्वामित्व वाली (प्रोप्राइटरी ब्रान्डेड) मदों की कभी कभी कमी होने की रिपोर्ट भी समय पर मिलती है लेकिन अन्य निर्माताओं की उसी प्रकार की औषधी आमतौर पर बाजार में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग) औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं । तथापि 50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक बिक्री न होने वाले यूनिट को अपने उत्पादों के मूल्यों में संशोधन उनका निर्धारण करने के लिये सरकार की अनुमति प्राप्त करने से छूट दे दी गई है ।

सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त करने और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा आवश्यक जांच करने के पश्चात् प्रपुंज औषधों रसायनों, मध्यवर्ती पदार्थों, पैकिंग सामग्री आदि के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ।

औषधों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कमी की रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिये मंत्रालय में आवधिक बैठकें होती हैं ।

जब कभी कमी के मामले सरकार के नोटिस में आते हैं, उनको संबन्धित निर्माताओं के पास भेजा जाता है और उनको सलाह दी जाती है कि वे ऐसी आवश्यकताओं को आयातिक आधार पर पूरा करें। उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट सात औषधों के संबन्ध में स्थिति नीचे दिखाई गई है :—

1. हेपारिन . .	पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। औषध उद्योग विशेष रूप से निरंतर प्रक्रिया वाल यूनिटों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी राज्यों से निवेदन, किया गया है।
2. ट्रिपल एन्टीगस इन्जैक्शन .	जब तक देश में पर्याप्त क्षमता का निर्माण किया जाता है, शेष आवश्यकताओं को आयात द्वारा पूरा किया जायेगा।
3. पेथिडाइन .	——वही——
4. एनैस्थिटिक ईथर	पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। मैसर्स एलैम्बिक कैमिकल्स अपने सल्फर ईथर का उत्पादन कम कर के इस औषध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं।
5. एड्रेनालाइन	देश में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। तथापि यह मद आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत आयात के लिये प्रयोज्य है। वास्तविक उपयोग करने वालों को सलाह दी गई है कि इस औषध के आयात के लिए उस सीमा तक आवेदन दें जिसकी मांगों को बारोज वैलकम पूरा नहीं कर सकते।
6. एल्डोमेट	राज्य व्यापार निगम से निवेदन किया गया है कि वे अस्थायी व्यवस्था के रूप में एस० एस० डी० (इंडिया) के लगभग 3 महीनों की हकदारी को पूरा करने के लिये यू० एस० ए० में मर्क शार्प मे एण्ड दोहमे की प्रमुख कम्पनियों से मेथाइल गेवा की कम मात्रा का आयात करें। आई० डी० पी० एल० और अन्य भारतीय एकक हंगरी से प्राप्त सामग्री से निर्माण करने को सहमत हो गये है।
7. इन्डोसिड	राज्य व्यापार निगम से निवेदन किया गया है कि वे एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में यू० एस० ए० में स्थित एम० एस० डी० की प्रमुख कम्पनियों से इन्डोमेथासिन की अल्प मात्रा का आयात करें। आई० डी० पी० एल० भी शीघ्र ही अपने इन्डोमेथासिन के सूत्रयोगो को बाजार में भेजेगा।

उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण मध्य रेलवे म सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारियों को वर्दीयां देना

8867. श्री राज देव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण-मध्य रेलवे के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कमचारियो को पुनरीक्षित वर्दी, विनियमों के अनुसार वर्दियां दी गई ह ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त रेलवे में डिवीजनवार, प्रत्येक श्रेणी को सप्लाई की गई वर्दियो का ब्यौरा क्या है, अन्तिम बार किस तारीख को वर्दी सप्लाई की गई और क्या श्रेणी चार और श्रेणी तीन के सभी कर्मचारियों को दी गई वर्दियां उत्तर रेलवे के संशोधन संख्या 9 के अनुसार है ;

(ग) यदि हां, तो सप्लाई सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

माल डिब्बा बनाने के लिए (1978 तक) वर्षवार आयोजन

8868. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ते हुए माल यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिकाधिक माल डिब्बे बनाने के लिए 1978 तक क्या वर्ष वार योजना बनाई गई है ;

(ख) अपेक्षित संख्या में चरणवार माल डिब्बे प्राप्त करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) इस कार्य के लिए किए गए वित्तीय नियतन का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) से (ग) रेलों द्वारा समग्र रूप से पंच-वर्षीय योजना के लिए माल डिब्बों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें कि योजना के दौरान यातायात में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि पर भी विचार किया जाता है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे के प्रलेख में योजना के अन्त तक मांग पूरी करने के लिए योजना अवधि में 1,00,000 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) प्राप्त करने का लक्ष्य है ।

योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 में 10,958 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) 57.40 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गये, 1975–76 की वार्षिक योजना में माल डिब्बों के लिए जो 37.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है उससे वर्ष के दौरान, 6,000 माल डिब्बे (चौप-हियों के हिसाब से) खरीदे जा सकेंगे । योजना के शेष वर्षों के दौरान खरीदे जाने वाले माल डिब्बों की संख्या धन की उपलब्धता और यातायात के रुख पर निर्भर होगी ।

आय तथा सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण में वृद्धि को रोकने के लिए एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन

8869. श्री ज्योतिर्मय बसू : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने आय तथा सम्पत्ति के कुछ ही परिवारों में केन्द्रीयकरण में वृद्धि को रोकने के लिये एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया को एक प्रभावी साधन बनाने के लिये इस अधिनियम में मौलिक संशोधन करने की सिफारिश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार तथा अधिनियम के उपबन्धो में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है, जिसकी मुख्य बातें है :—

(1) कुछ विद्यमान उपबन्धों को अधिक प्रभावी बनाना तथा आयोग की शक्तियो में जहां कहीं आवश्यक हो अन्तरिम आदेशों को पारित किये जाने के लिए प्रदत्त करना ।

(2) "वही प्रबन्ध" की अभिव्यक्ति की परिभाषा को अधिक विस्तीर्ण बनाना ।

(3) आयोग को सूचना या दस्तावेजों को प्राप्त करने में शक्ति के अवसर बढ़ाना ।

(4) एकयी विद्यमान के स्थान पर नवीन धारा 27 को जोड़ना; और

(5) अधिनियम की धारा 31 को निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं की नीति के बारे में लागू करना ।

(ग) आयोग के ये सुझाव, इस समय इस अधिनियम में आवश्यक रूप से किये जाने वाले कतिपय अन्य संशोधनो के साथ विचाराधीन है ।

गुजरात, पांडिचेरी तथा नागालैण्ड में मध्यावधि निर्वाचन

8870. श्री ज्योतिमय बसू : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात, पांडिचेरी तथा नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने से आज तक इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मध्यावधि निर्वाचन कराने के संबंध में निर्वाचन आयोग तथा उनके मंत्रालय द्वारा किये गये प्रस्तावों का मूल पाठ तथा तत्संबंधी सिफारिशें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : जहां तक गुजरात का संबंध है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन, निर्वाचन आयोग ने गुजरात के राज्यपाल से सिफारिश की है कि वह उक्त धारा के अधीन एक अधिसूचना 7 मई, 1975 को जारी करें जिसमें राज्य के सभी विधान सभा–निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा की जाए कि वे राज्य के लिए नई विधान सभा गठित करने के प्रयोजनार्थ सदस्य निर्वाचित करें । उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन निर्वाचन आयोग की अधिसूचना भी 7 मई, 1975 को जारी की जाएगी ।

पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रपति शासन तारीख 28-3-1974 को लागू किया गया था । इसके साथ ही, विधान सभा भी विघटित कर दी गई थी । राष्ट्रपति शासन की अवधि तारीख 28-3-1975 से और छह मास के लिए बढ़ा दी गई थी ।

निर्वाचन आयोग ने पांडिचेरी की नई विधान सभा गठित किए जाने हेतु साधारण निर्वाचन कराने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव या सिफारिश नहीं की है ।

जहां तक नागालैंड का संबंध है, नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा 22-3-1975 को जारी की गई थी । नागालैंड विधान सभा को निलम्बित रखा गया है, विघटित नहीं किया गया है । उस राज्य में साधारण निर्वाचन कराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुरादाबाद तथा दिल्ली डिवीजनों (उत्तर रेलवे) को कोचिंग क्लर्कों के प्रशिक्षण में समानता लाना

8871. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद डिवीजन में कोचिंग क्लर्कों को गुड्स में तथा गुड्स क्लर्कों को कोचिंग में प्रशिक्षण देने के लिए नियमित रूप से नामित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली डिवीजन में भी यह पद्धति अपनाई जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो एक ही रेलवे में एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच इस प्रकार के भेदभाव की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, इच्छुक कोचिंग क्लर्कों को माल सम्बन्धी काम तथा माल बाबुओं को कोचिंग संबंधी काम के प्रशिक्षण के लिए बुक करने की स्थानीय व्यवस्था है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मुरादाबाद मंडल में यह परिपाटी समाप्त की जा रही है ।

उत्तर सीमांत रेलवे में उठाई गिरी, चोरियों तथा क्षति पहुंचाने की घटनाओं के प्रतिशत में वृद्धि

8872. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमान्त में रेलवे सुरक्षा बल तैनात करने से वहां उठाईगीरी, चोरियों तथा क्षति पहुंचाने की घटनाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा मुआवजे के लिय कितने दावे प्राप्त हुये और कुल कितनी राशि का मुआवजा अदा किया गया तथा ऐसे मामलों की वर्षवार संख्या कितनी है जो उपरोक्त वर्षों के दौरान निर्णयाधीन रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1972–73, 1973–74 और 1974–75 (जनवरी, 1975 तक) में प्राप्त हुए नये दावों की संख्या, सभी मामलो के लिए दावों की क्षतिपूर्ति के भुगतान की रकम और निबटारे के लिए अनिर्णीत दावों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	क्षतिपूर्ति के कितने दावे प्राप्त हुए	सभी मामलों के लिए दावों की क्षतिपूर्ति के भुगतान की रकम (लाख रुपयों में)	अनिर्णीत मामलों की कुल संख्या
1972–73	41,906	110.66	कोई नहीं
1973–74	38,240	148.33	कोई नहीं
1974–75 (जनवरी, 75 तक)	32,577	123.54	7,089

पूर्वोत्तर अंचल (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में शाखा लाइनों का निर्माण

8873. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर अंचल में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत कौन् सी नई शाखा लाइनों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ख) इन लाइनों को पूरा करने पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी और प्रत्येक लाइन के पूरा होने में कितना कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अभी तक पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण की जाने वाली नयी लाइनों के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ने वाली निम्नलिखित प्रस्तावित लाइनों के सर्वेक्षण का काम या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर हैं। रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने तथा उनकी जांच कर लिये जाने के बाद ही इन प्रस्तावों के बारे में आगे विचार किया जायेगा। इन रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने के बाद ही कुल अनुमानित खर्च/काम पूरा होने का अनुमानित समय भी मालूम हो जायेगा।

(i) सिलचर-जिरबाम ।

(ii) धरमनगर-अगरतला (धरमनगर-कुमारघाट सहित) ।

(iii) अखौरा-अगरतला-सावरुम-बेलोनिया ।

(iv) बांगलादेश में आजमपुर से त्रिपुरा में अगरतला तक और त्रिपुरा में बेलोनिया स्टेशन से बेलोनिया सिटी तक साइडिंगों की व्यवस्था ।

(v) पंचरत्नघाट-दुधनई-दारंजिरी ।

(vi) लालघाट-सायरंग (सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है और इसे शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ।

(vii) गुबाहाटी-वरनईघाट ।

(viii) रंगापड़ाउ-बालीपाड़ा-भालुकपुंग ।

(ix) टिपलिंग-ईटानगर (सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है और इसे शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने की संभावना है)।

(x) मुरकांगसेलेक-पासीघाट (सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है और इसे शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की संभावना है) ।

(xi) गुबाहाटी-दधनई (सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है और इसे शीघ्र ही प्रारम्भ कि जाने की सम्भावना है) ।

श्रमिकों का दुरुपयोग तथा रेलवे सामग्री की बिक्री

8874. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री श्रमिकों के दुरुपयोग तथा रेलवे सामग्री की बिक्री के बारे में शिकायत के बारे में 20 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 3777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी पाये गये कमचारियों को किन्हीं महत्वहीन स्टेशनों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। तथापि, शिकायत में लगाये गये विशिष्ट आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि इस मामले में स्थानान्तरण न्यायोचित नहीं था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वफ़ादार रेल कर्मचारियों के बच्चों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिबंध

8875. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने मई, 1974 की हड़ताल के दौरान वफादार रहने वाले रेल कर्मचारियों के बच्चों के श्रेणी–तीन की विभिन्न सेवाओं में भर्ती किया था ;

(ख) यदि हां, तो जो कर्मचारी पहले से ही सेवा में बने हुए थे उनके बच्चों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों अथवा उनके बच्चों से कोई घोषणा-पत्र प्राप्त किया गया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जिन रेल कर्मचारियों ने असाधारण कर्तव्य-निष्ठा दिखायी थी उनके पुत्रों/पुत्रियों/संरक्षितों की रेल प्रशासन द्वारा भर्ती की गयी है ।

(ख) यह नियुक्ति संबंधित कर्मचारी के केवल पुत्र, पुत्री या संरक्षित के लिए होती है। ये नियुक्तियां केवल आरम्भिक भर्ती कोटियों में की जाती हैं न कि मध्यवर्ती पद-क्रमों में ।

(ग) केवल सामान्य औपचारिकताओं पर जोर दिया गया है जिसे नियुक्ति के लिए आने वाले उम्मीदवारों को पूरा करना आवश्यक है ।

गोयन्का कंपनी समूह को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस

8876. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री श्री आर० एन० गोयन्का तथा उनसे सम्बद्ध कम्पनियों के विरुद्ध जांच तथा उसके विरुद्ध निलंबित मामलों के बारे में 15 अप्रल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 6116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि क्या कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने पर गोयन्का का कम्पनी समूह की 7 कम्पनियों को जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ; और यदि हां, तो उनका सारांश क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उनके उत्तर शीघ्र प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : 15 अप्रैल, 1975 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6116 म उल्लिखित सात कंपनियों म से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत जारी किये गये कारण बताओ नोटीस के सम्बन्ध में कथित उत्तर के क्रमसंख्या 4 और 6 पर उल्लिखित कम्पनियों ने लिखित याचिका प्रस्तुत की जो मद्रास उच्च न्यायालय में अनिर्णीत है । जसा कि यह मामला निणयाधीन है इसलिए उत्तर का सारांश समुचित रूप से नहीं दिया जा सकता है ।

मैसर्स सन्डोज के चेयरमैन

8877. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस सं० एल०/22/166/63–सी० एच० 111 दिनांक 31 अगस्त, 1963 को जारी करते समय उद्योग मंत्रालय का सचिव तथा लाइसेंसिंग समिति का चेयरमन कौन था ;

(ख) क्या लाइसेंसिंग समिति के भूतपूर्व चेयरमन को मैसर्स सन्डोज लि० में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और उसे यह पद उस सरकारी अधिकारी के रूप में मैसर्स सैन्डोज का पक्ष, लेने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था ;

(ग) मसर्स सन्डोज के चेयरमैन की नियुक्ति की शर्तें, वेतन और उपलब्धियां क्या हैं ;

(घ) विदेशी कंपानया का भुगतान रोक देने के बारे में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव के बीच हुए पत्र व्यवहार की मुख्य बातें क्या हैं और भुगतान रोकने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस मामले में औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

राज्यों का पेट्रोल पम्पों का आवंटन करने के आधार सम्बन्धी 10 दिसम्बर 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3912 के उत्तर की शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : 10 दिसम्बर, 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3912 का उत्तर सभा पटल पर रखते हुये, मैंने भाग (क) और (ख) के उत्तर के साथ आंकड़ों का विवरण प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के लिए वर्ष 1973 के बर्माशेल पेट्रोल पम्पों की संख्या क्रमश: शून्य, 8 और शून्य दिखलाई गई थी । मैसर्ज बर्माशैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा यह आंकड़ देने में भूल हो गई । बाद में जब उत्तर की एक प्रति कम्पनी को भेजी गई तो कम्पनी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के लिए क्रमश:, 7, शून्य और 1 के आंकड़े प्रस्तुत किये । वर्ष 1973 के दौरान बर्माशैल के परचून डिपुओं की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

2. अत: मेरा सदन से अनुरोध है कि वह मेरे द्वारा दिये गये पहलें के उत्तर में उपरोक्त शुद्धि कर ले । यहां मैं यह भी निवेदन कर दूं कि पूर्व दी गई जानका ी जल्दी के कारण गलत तयार हो गई थी । कम्पनी द्वारा अपनी भूल के लिए खेद व्यक्त कर दिया है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTION

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उस स्थगन प्रस्ताव का विषय भारत के महान्यायवादी के उच्च पद का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन की वैधता को चुनौती देने सम्बन्धी रिट याचिका के मामले में दुरुपयोग को रोकने में केन्द्रीय सरकार की विफलता है। इस याचिका का सम्बन्ध प्रधान मंत्री से है और उसमें प्रधान मंत्री के चुनाव सम्बन्धी चुनाव याचिका पर न्यायालय में बहस चल रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अनुमति देकर अत्यन्त अनुचित कार्य किया है।

यह स्थगन प्रस्ताव संविधान की धारा 76 पर आधारित है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित मामला नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I agree that the Attorney General can go there in support of any law, but this writ petition is connected with the election petition. Hence it is discriminatory for the Attorney General to go there. His work has been fixed by the President. It is not his job to go for Prime Minister's election petittion.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उच्च न्यायालय के सामने उसने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना की है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

श्री श्यामनन्द मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब इस सदन द्वारा संशोधन पास कर दिया गया है तो क्या महा-न्यायवादी किसी व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग कर सकता हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव में कानून सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठाए जा सकते।

श्री मधु लिमये : यह रिट याचिका से उत्पन्न हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महा-न्यायवादी को वेतन भारत की संचित निधि में से मिलता है। अत: उसे यह कार्य करने की कैसे अनुमति दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : महा-न्यायवादी को बहुत कार्य करने होते हैं। यह काम स्थगन प्रस्ताव के रूप में कैसे आ सकता है। अत: स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे नियमों के अनुसार चलना होता है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। मैं इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे चुका हूं। मैं इस बारे में अच्छी तरह विचार कर चुका हूं।

श्री ज्योतिमय बसु : मैंने हावड़ा जेल में पांच नक्सलवादी नजरबन्दों के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था की स्थिति का मामला राज्य का विषय है। इस मामले का सम्बन्ध इस सदन से नहीं है।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

हिन्डलको के कर्मचारियों द्वारा हिन्डलको के प्रेसीडेंट को लिखे गये कथित पत्र के बारे में

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : I want to raise a question of privilege under Rule 222. On Friday, May 2 speaking on tne Finance Bill I had read out a letter written by some employees of Hindalco of Uttar Pradesh to the higher officer of that Organisation Shri Kothari. I had also mentioned how there was collusion between the Government and the trade. The Finance Minister Shri Subramanium while replying to that point referred to a letter which the Prime Minister had written to the Speaker.'

The Prime Minister and the Finance Minister had said that the letter which was referred by me is a forged letter. I understand that this is a false allegation. This allegation has been made to malign me. The Prime Minister in her letter has referred to Shri Raj Narain, a Member of Rajya Sabha and she had said that Shri Raj Narain had also raised this question, but when Shri Raj Narain was asked to give the original copy of the photostat copy of the letter then Shri Raj Narain could not produce it. Then I contacted Shri Raj Narain in this connection. Shri Raj Narain told me that he was not asked to produce the original copy of the letter. Thus the Prime Minister and the Finance Minister have misled the House by giving false statement.

I have also got that letter which Shri Raj Narain had written to the speaker in which he had said that neither the Prime Minister nor her secretary had ever asked him to produce the original copy of the letter. He was never asked whether the letter is genuine or not.

I have got the original copy of the letter with me. I am also prepared to present it to you.

A charge has been levelled against me that the letter is a forged letter. Then there is also a charge of corruption of against the Prime Minister and the Finance Minister. Thus in both these cases there is a clear case of privilege. Thus either all-party Parliamentary Committee or the Committee of Privileges should look into this matter. This is my humble submission.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I had also given notice. It is better if the hon. Minister can give reply to both at one time.

Mr.Speaker : You please hear him first.

Shri Madhu Limaye : He may give reply later. I will not take much time of the House. There are several questions involved in this matter. I want to know whether Shri Raj Narain was asked through a letter to produce that original copy? In case the hon. Minister has got any proof in that connection then he can place a copy of that before the House. Secondly I would like to know had Shri Raj Narain refused to give the original letter? If he has got any proof thereof the same can be placed before the House?

Now When Shri Raj Narain has shown the original letter to the Speaker this matter should be referred to the Privileges committee. Then the Privileges Committee should find out whether the letter is genuine or not. In case it is proved that the letter was a forged one then Shri Mishra should be taken to task. On the other hand if it is proved that the letter was genuine then serious action should be taken against both the Prime Minister and the Finance Minister.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने मामले की जांच करने का आदेश दिया था और उससे यह पता चलता है कि पूर्वोक्त फोटो कापी जाली है तथा 'हिन्डालको' के किसी अधिकारी ने ऐसा पत्र नहीं लिखा था। परन्तु जब श्री राज नारायण ने इस बात पर बल दिया कि यह पत्र वास्तविक है तो उनसे कहा गया कि वह मूल पत्र पेश करें क्योंकि आगे जांच करने के लिए मूल पत्र का होना जरूरी है। परन्तु प्रधान मंत्री के सचिवालय को श्री राज नारायण से कोई उत्तर नहीं मिला।

इसलिए यह कहना सही नहीं है कि मूल पत्र पेश करने के लिए श्री राज नारायण को नहीं कहा गया। अतः मैं समझता हूं कि इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। किसी तथ्य को गलत रूप से पेश नहीं किया गया है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि श्री राज नारायण को कहा गया कि वह मूल पत्र पेश करें परन्तु उनकी ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यदि वह अब भी मूल पत्र दे दें तो आगे जांच कराई जा सकती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय ने जो कहा है उसका यह अर्थ निकलता है कि श्री राज नारायण को पत्र भेजा गया था कि वह मूल पत्र भेजें। अब विचार करने की बात यह है कि क्या मंत्री महोदय की बात को सही माना जा सकता है। प्रश्न यह है कि जब कभी किसी को पत्र भेजा जाता है तो प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य ले लिए जाते हैं।

प्रश्न यह है कि क्या जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है उसे सही मान लिया जाये या इसे सही मान लिया जाये कि यह जाली पत्र प्रधान मंत्री के सचिवालय ने तैयार किया है? यदि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह पत्र उस व्यक्ति को मिल गया था, जिसे वह भेजा गया था तो यह माना जा सकता है कि यह एक जाली पत्र था जिसमें से मंत्री महोदय ने पढ़ा है।

दूसरी विचार करने योग्य बात यह है कि क्या किसी सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप के बारे में आपको प्रधान मंत्री द्वारा लिखा गया पत्र इस प्रकार सभा में पढ़ा जाना चाहिये था? क्या इस आरोप का खण्डन करने के लिये प्रधान मंत्री स्वयं सभा में वक्तव्य नहीं दे सकती थीं? प्रधान मंत्री ने वक्तव्य देने के बजाये आपको यह एक पत्र भेज दिया जिसका प्रयोग अभी माननीय मंत्री ने किया। यह एक औचित्य का प्रश्न है। यदि हम भी उन द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर आपको पत्र द्वारा दे कर उसका यहां हवाला देने लगें, तो सभा में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इस मामले के इस पहलू पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

अब आप को लिखे गये पत्र में प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है, इस मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है। क्या कोई भी व्यक्ति ऐसी जांच के निष्कर्षों पर विश्वास कर सकेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री सुब्रह्मण्यम इस बारे में सभा का समाधान करें कि अभी अभी पढ़ा गया पत्र श्री राजनारायण को मिल गया था। केवल तभी इस मामले पर आगे विचार हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह वह पत्र है जो मुझे लिखा गया था। इस सभा के सदस्य, श्री जनेश्वर मिश्र ने वित्त विधेयक पर बोलते हुए 2 मई, 1975 को आरोप लगाया था कि श्री एस० एस० कोठारी ने प्रधान मंत्री के निजी सचिव को 5 लाख रुपए पेश किये थे। उन्होंने यह वक्तव्य सभा में ही दिया था। यदि मंत्री ने उसका उत्तर सभा में ही दे दिया है, तो इस में किसी उचित या अनुचित बात होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री राजनारायण ने मुझे आज एक पत्र दिखाया है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : On a point of order, Sir, it is true that nothing can be said as to whether the Private Secretary to tne P.M. has taken Rs. 5 lakhs or not. Either such allegations should not be made or if they are made these should be enquired into in order to uphold the honour of this House. Either these allegations should be enquired into by a Commitee of this House or by yourself. But these must be enquired into. If tnese allegations are found correct, the Private Secretary should be removed from the Service and if it is found that Shri Janeshwar Mishra had submitted wrong papers, he should be charged with forgery and proceeded against, and given punishment.

Mr. Speaker : I will look into the matter and see what can be done in this matter.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच सतझौते में संशोधन

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 42 के अन्तर्गत भारत सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच 17 दिसम्बर, 1966 को हुए समझौते में निम्नोक्त संशोधनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिनांक 16 मार्च, 1974 का संशोधन; और

(2) दिनांक 2 जनवरी, 1975 ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9623/75 ।]

समीक्षायें, वार्षिक प्रतिवेदन और उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : मैं निम्नोक्त पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नोक्त पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) मद्रास तेल शोधनशाला लिमिटेड, मनाली, मद्रास के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास तेल शोधनशाला लिमिटेड, मनाली, मद्रास का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 9624/75 ।]

(ख) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9625/75।]

(ग) (एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1973–74 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9625/75]

(2) विदेशी फर्मों द्वारा भारी मात्रा में औषधियां बनाये जाने के बारे में सर्वश्री खमचन्द भाई चावड़ा और सत्येन्द्र नारायण सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 2919 के 3 दिसम्बर, 1974 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 9627/75]

रेल रैड टैरिफ (तिसरा संशोधन) नियम 1975 और अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के बारे में विवरण

श्री सी० पी० माझी : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से निम्नोक्त पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेल रैड टैरिफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 506 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। दखिये संख्या एल० टी० 9628/75]

(2) रेलों में भर्ती तथा पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लए आरक्षित रिक्त स्थानों पर 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुई छमाई में उनके लिए जाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखें गयें। दखिये संख्या एल टी० 9629/75]

---

18 मार्च 1975 को इलाहाबाद में हुई घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: INCIDENT AT ALLAHABAD ON MARCH 18, 1975

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : इलाहाबाद के एक पत्रकार, मुद्रक और प्रकाशक श्री गोविन्द मिश्र की 18 मार्च, 1975 को हुई गिरफ्तारी के बारे में उस समय प्राप्त जानकारी के आधार पर मैंने उस दिन सभा में वक्तव्य दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से जो

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

जानकारी प्राप्त हुई उससे पता लगता है कि श्री मिश्र को 18 मार्च को उनके पास 12 बोर के एक बैरल वाले देशी पिस्तौल जो कि भरा हुआ था और जबकि उनके पास दो अतिरिक्त कारतूस थे और जब वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कमरा नम्बर 24 की ओर जाने वाले गलियारे की ओर जा रहे थे और जोकि सुरक्षा चैक-पोस्ट से आगे है, गिरफ्तार किया गया था। उच्च-न्यायालय के उक्त कमरे में प्रधान मंत्री अपनी गवाही देने वाली थीं। पुलिस ने आर्म्स अधि-नियम की धारा 25 के अधीन श्री मिश्र के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच राज्य की सी० आई० डी० कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक की गई जांच से यह पता चलता है कि न तो श्री मिश्र और न उनका पत्र किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है।

सरकार ने 'श्री विजय' समाचारपत्र के 16 अप्रैल, 1975 के अंक को देखा है। उसमें श्री मिश्र द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा गया एक खुला पत्र छपा है। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री मिश्र का नाम उन पत्रकारों की सूची में नहीं था जिनको अदालत के कमरा नम्बर 24 में जाने की अनुमति दी गई थी। उक्त खुले पत्र में श्री मिश्र का यह कथन कि वह बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे जब पुलिस अधिकारी उनके बैग को उनसे ले गया, गलत है। यह बताया गया है कि कमरा नं० 24 तक जाने वाले गलियारे में श्री मिश्र उस स्थान से गये थे जहां पर धातु की वस्तु चैक करने का उपकरण लगाया गया था। धातु की वस्तु आदि चैक करने वाले उस उपकरण ने सिगनल दिया। वहां पर तैनात पुलिस अधिकारी ने उन्हें पकड़ा और उन्हें वहां से फिर जाने के लिए कहा। जब उपकरण से पुनः सिगनल हुआ तो श्री मिश्र की तलाशी ली गई और 12 बोर वाले एक देशी पिस्तौल जिसके साथ दो कारतूस थे, उनके बेग से निकले। यह सब कुछ गवाहों के सामने हुआ और उस समय तलाशी में पकड़ी गई वस्तुओं की सूची भी बनायी गई। इस प्रकार इन वस्तुओं के पकड़े जाने के बाद उन्हें थाने ले जाया गया।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, स्पष्टीकरण का एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उठायी गई थी और मंत्री महोदय ने उसे स्पष्ट कर दिया। मेरे विचार से, जब कोई मामला न्यायाधीन हो, तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा स्पष्टीकरण का वक्तव्य दिया जाना एक अभूतपूर्व बात है। इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि उस वक्तव्य के आधार पर और प्रश्न उठाये जायें और उनका उत्तर दिया जायें। इस प्रकार न्यायाधीन मामलों सम्बन्धी विधि कहां तक सुरक्षित रह सकेगी। मंत्री का वक्तव्य हो जाने के बाद मैं उस पर कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं बिल्कूल नियमों के अनुसार चल रहा हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरी प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाये जाने के फलस्वरूप मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाये, तब क्या वह सुरक्षित वक्तव्य समझा जाना चाहिए। क्योंकि यह वक्तव्य कतिपय प्रश्नों के उत्तर में दिया गया है और इन प्रश्नों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, तो ऐसी अवस्था में सभा का क्या कर्त्तव्य होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : न्यायाधीन मामलों के बारे में दिये गये किसी भी प्रकार के वक्तव्य पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह पूर्णतः अध्यक्ष के विवेकाधीन नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अनुसार कार्यवाही कर रहा हू। इस मामले में मेरे विवेक का कोइ प्रश्न नहींहै। इस बारे मे नियम बिल्कुल स्पष्ट है। मैं नियमों के अनुसार कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह अध्यक्ष पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप हमेशा सदस्यों का उपहास करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपनी भाषा के बारे में सावधानी बरतिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : When this is a subjudice matter, why the motion was adopted here ? Let the motion and discussion thereon be expunged.....**

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बर्दवान) : श्री गोविन्द मिश्र ने अपने बचाव में स्वयं अपने पत्र में एक वक्तव्य निकाला जबकि उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही थी। मंत्री महोदय ने कहा कि उसका यह वक्तव्य सही नहीं था। मंत्री महोदय की यह टिप्पणी हटा दी जानी चाहिए क्योंकि न्यायाधिन मामले पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सिविल प्रक्रियां सहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT BILL)

संयक्त समिति के लिये सदस्य की नियुक्ति

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं श्री लीलाधर कटकी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री नवल किशोर के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री नवल किशोर के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सुचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम समिति

छठा प्रतिवेदन

RULES COMMITTEE

Sixth Report

निर्माण तथा आवास और संसद्-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा नियम समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 2 मई, 1975 को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा नियम समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 2 मई, 1975 को सभा पटल पर रखा गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों में व्याप्त कथित असंतोष

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The new payscales as recommended by the University Grants Commission in its Report have been adopted by the States of Maharashtra and Haryana. The Gujarat State has accepted these recommendations in principle but has not implemented them. But the Madhya Pradesh Government has expressed its inability to implement these recommendations, and as a result thereof, the teachers have gone on strike in the State and the future of the Students in Universities and Colleges is in dark. As the situation in Madhya Pradesh is becoming seriously grave, the Centre is requested to intervane in the matter. I hope that the Education Minister may please give a statement on this issue and it will be ensured that the recommendations of the University Grants Commission are implemented uniformly in all the States.

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थिति देख ली है । थोडे समय में सभा को बहुत सी कार्यवाही करनी है । अत: यह मैं आप पर छोडता हूं कि हम पहल की तरह चलते रहें । मध्याह्न भोजन का अवकाश अन्तिम दिन होगा ।

कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) संशोधन विधेयक

COMPANIES (TEMPORARY RESTRICTIONS ON DIVIDENDS) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन संशोधन विधेयक, 1975 पर विचार किया जाए ।"

माननीय सदस्यों को विदित है कि गत वर्ष मुद्रा स्फीति विरोधी उपायो के रूप में सरकार ने जो कदम उठाये थे, उनमें से एक लाभांशो के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाना था। उसी के अनुसार इस सभा ने कम्पनी (लाभांशो पर अस्थायी निर्बंधन) अधिनियम पारित किया था। इन उपायों से मूल्य वृद्धि रोकने में कुछ सफलता मिली हैं और मूल्यों में कमी हुई हैं। परन्तु लाभों को लाभांशों के माध्यम से बाटने पर प्रतिबन्ध लगाने से पूंजी-बाजार पर और विशेषत: नये शेयरों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। 6 जुलाई, 1974 से, जब लाभांशों पर कर लगाने के पश्चात् शुद्ध लाभ के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने वाला अध्यादेश प्रख्यापित किया गया, स्टोक एक्सचेंज में शेयरो के 25 प्रतिशत मूल्य गिरे हैं, इससे लागत की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्तियो के मन में अनिश्चितता व्याप्त हो गई है और वे अब नये मामलों की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं हैं।

पूंजी बाजार में नये मामलों की सफलता के लिए एक संतुलित शेयर बाजार नितान्त आवश्यक है क्योंकि इससे निवेशकर्ता के मन में विश्वास पैदा होता है। ऐसे समय में जब कि उत्पादनशील निवेश के लिए ससाधनों की अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है, यह उचित नहीं है कि पूंजी बाजार में उपलब्ध ससाधनों में ह्रास नहीं होने दिया जाना चाहिए। अत: मैं सभा के समक्ष कम्पनी (लाभांशो पर अस्थायी निर्बंधन) अधिनियम, 1974 में एक संशोधन लेकर आया हूं। जिससे कम्पनियां वितरण लाभ से अधिक लाभांश की घोषणा कर पायेगी।

सदस्यो को याद होगा कि कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत वितरण योग्य लाभों से अधिक लाभांशो की घोषणा करना और उनका भुगतान करना निषिद्ध है। अधिनियम में उपबन्ध है कि (क) कर के पश्चात् शुद्ध लाभ का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत या (ख) कम्पनी के इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 12 प्रतिशत लाभांशों के भुगतान के लिए राशि की आवश्यकता तथा वरीयता शेयरों पर भुगतान योग्य लाभांश, इनमें जो भी कम हो। इस संशोधन से कम्पनियां निर्धारित सीमाओं से बढ़कर वित्तीय वर्ष के लिए कर देने के पश्चात शुद्ध लाभ में से लाभांशों की घोषणा कर सकती हैं। फिर भी लाभांश का भुगतान कथित अधिनियम में अनुबद्धित उपबन्ध के अनुसार वितरण योग्य लाभों तक लाभांश का भुगतान अनुवरत रूप से निर्बन्धित रहेगा।

विधेयक में यह उपबन्ध है कि आस्थगित लाभांश पर कोई ब्याज नहीं होगा। किन्तु मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं कि आस्थगित लाभांश पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाये।

विधेयक में एक उपबन्ध यह भी किया गया है कि आस्थगित लाभांश पर देय आयकर निवेशकर्ता द्वारा उस तारीख से 35 दिन के अन्दर दिया जायेगा जिस तारीख को ऐसी किस्त दी गई है या जब इस तरह की किस्त के लिए लाभांश वारन्ट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित किया गया हो, इनमें से जो भी पहले हो, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उस अवधि के लिए आस्थगित लाभांशों पर भुगतान योग्य कर पर कोइ ब्याज नहीं लिया जायेगा। इससे आस्थगित लाभांश पर कर के भुगतान के मामले मे निवेशकर्ता की कठिनाई दूर हो जायेगी।

यह संशोधन 1 मार्च, 1975 से लागू होगा।

मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कम्पनी (लाभांशो पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन विधेयक 1975 पर विचार किया जाए।"

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० 2 तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए। MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : अभी हाल ही में संसद ने कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1974 पारित किया है और इतना शीघ्र उसका संशोधन करने के लिए इस विधेयक को लाने से स्पष्ट होता है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्विति तथा निर्णय स्टाक एक्सचेंज की प्रतिक्रिया के आधार पर करना चाहती है गुजरात में चुनाव बहुत निकट हैं और देश में भी आम चुनाव समीप हैं। इस लिए एकाधिकार तथा बड़े बड़े व्यापार गृहों को लाभ पहुंचाया जा रहा है जो सरकार की चुनाव निधि में अपना अंशदान करेंगे।

सभा को याद होगा कि 6 जुलाई, 1974 को, जब संसद का सत्र 16 दिन के पश्चात् आरम्भ होने जा रहा था, सरकार इतना भी संयम न रख सकी और देश में मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कई अध्यादेश जारी किये गये। सरकार जनता को यह बतलाना चाहती थी कि वह देश में मुद्रा स्फीति की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण कितनी अधिक चिंतित है किन्तु उसे यह पता नहीं था कि मुद्रा स्फीति उसकी अपनी दिवालिया आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ रही है। मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए किये गये उपायों में से एक उपाय लाभांशों की घोषणा पर प्रतिबन्ध लगाने वाला अध्यादेश है।

लाभांशों पर निर्बन्धन सम्बन्धी अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक को पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि इस विधेयक से चालू लाभों पर अंकुश लगेगा, बैंक ऋण पर निगमित क्षेत्र की निर्भरता कम रहेगी और इसके फलस्वरूप मुद्रा सप्लाई के विस्तार को रोका जा सकेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि कम्पनियों द्वारा इस तरह बचाई गई धन-राशि उनके लिए पूंजीगत माल, विस्तार व विविध प्रकार के उत्पादन की आवश्यकताओं हेतु उत्पादक कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था करने में उपलब्ध होगी और इसके साथ-साथ इससे बैंकिंग प्रणाली संसाधनों से उतना अधिक धन नहीं निकाला जा सकेगा। किन्तु इस विधेयक से तत्कालीन वित्त मंत्री के लाभांशों पर निर्बन्धन हटाने सम्बन्धी नीति विषयक सभी वक्तव्य निरर्थक हो जायेंगे।

प्रस्तुत संशोधन से कम्पनियां अब पहले से निर्धारित दर से अधिक दर पर लाभांशों की घोषणा कर सकती हैं जो 1 अप्रैल, 1975 से लागू हुई समझी जायेगी। अब एक बार लाभांश घोषित किए जाने पर वह दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर कम्पनी पर देय ऋण हो जायेगा। धन अंशधारियों को देना पड़ेगा। इससे वस्तुतः लाभ किसे होगा? देश में निगमित लाभांशों का 74 प्रतिशत केवल 293 कम्पनियों द्वारा वितरित किया जाता है। इन 293 कम्पनियों में से 200 कम्पनियों ने विधेयक में उल्लिखित दर से अधिक लाभांश दिया है। अतः जहां तक संशोधी विधेयक का सम्बन्ध है, यह केवल 200 कम्पनियों पर ही लागू होता है। इन कम्पनियों पर एकाधिकार गृहों का नियंत्रण है और उनके हित सरकार के हाथों में सुरक्षित हैं।

वित्त मंत्री जी से मेरा एक प्रश्न यह है कि उस धन का अब क्या होगा जो कम्पनियों के हाथों में आयेगा? तत्कालीन वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उसका उपयोग कम्पनियों के कारबार बढ़ाने के लिए नहीं किया जायेगा।

वित्त मंत्री की उन्हें और अधिक सहायता देने की हार्दिक इच्छा यह है कि उन्हें लाभांशों के अतिरिक्त आठ प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा। सरकार एकाधिकार गृहों को यह एक और रियायत दे रही है। वह इस विधान के माध्यम से केवल कुछ ही लोगों को लाभान्वित करना चाहती है जो पहले से ही समृद्ध हैं।

सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों आदि को इस वर्ष पहले ही कई रियायतें दे चुकी है और अब इस संशोधी विधेयक के माध्यम से एक और रियायत दी जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना है। किन्तु क्या ऐसा होगा भी? सरकार के पास व्यापक शक्तियां है किन्तु प्रश्न यह है कि क्या सरकार उद्योगपतियों पर नियंत्रण भी रखेगी या ये उद्योगपति सरकार से मनमानी करवाते रहेंगे। आजकल यही हो रहा है। उद्योगपति सरकार को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। सरकार आपात स्थिति के बावजूद अपनी अतुल शक्ति का प्रयोग नहीं कर रही है। यदि सरकार इन शक्तियों का प्रयोग उद्योगपतियों और एकाधिकारियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए करती तो देश का कुछ भला होता। किन्तु यह वर्ष चुनाव का है इस लिए सरकार के लिए दोस्तों को खुश रखना निहायत जरूरी है ताकि वे वक्त पर काम आ सके।

इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत विधेयक देश के हितार्थ नहीं बल्कि सरकार अपने हितार्थ लाई है जिससे कि उसका राजनैतिक उल्लू सीधा हो सके।

सरकार के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह इस मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए लाई है और इससे वह प्रवृत्ति रुकेगी। इस बात को देश में कोई नहीं मानता क्योंकि आम जनता इस प्रवृत्ति को महसूस कर रही है। वित्त मंत्री हमें बताएं कि क्या इससे देश के निर्धन लोगों की कठिनाइयां तनिक भी कम होंगी? इस प्रकार के विधान लाकर सरकार देश से क्या छिपा रही है? प्रस्तुत विधेयक का किसी प्रकार भी समर्थन नहीं किया जा सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह अध्यादेश 6 जुलाई, 1974 को लाया गया। उस समय हमने इस अध्यादेश को लाने के लिए सत्तारूढ़ दल की आलोचना की थी क्योंकि यह उस समय लाया गया था जब लोक सभा का अधिवेशन होने में केवल छः या सात दिन रह गये थे इसके साथ ही साथ सरकार वह अध्यादेश भी ले आई जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों और अन्य सभी वेतनभोगियों के 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को अनिवार्य रूप से जमा किया गया।

इन दोनो विधेयकों का विरोध करने के दो कारण हैं। एक बात तो यह है कि विधेयक केवल आंसू पोंछने के लिए लाया गया है। सरकार ने इस बारे में कभी गम्भीरता से विचार नहीं किया है। ये सरकार तस्कर व्यापारियों, जुएबाजों तथा गदारियों का कभी विरोध नहीं करती है। यही लोग सरकार की सहायता करते हैं। आपने देखा होगा कि तस्करों के साथ राजनीतिज्ञ बन्दियों से भी अच्छा व्यवहार किया गया है। इसी तरह से सट्टा बाजार के सट्टेबाजों के खिलाफ भी कुछ नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस आधार पर महंगाई भत्ते से वंचित किया जा रहा है कि महंगाई भत्ता देने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उस मुद्रास्फीति का क्या हुआ जब 1956 में 150 करोड़ रुपए की तरल धनराशि बाजार में उपलब्ध थी। क्या इससे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी? यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सरकार उन लाखों व्यक्तियों के बारे में क्यों नहीं विचार करती जो भूख मर रहे है। उन्हें केवल उपदेश देने से तो काम चल नहीं जाएगा।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने ठीक ही पूछा है कि क्या इस धन का उपयोग आधुनिकीकरण करने के काम में लाया जाएगा ? मैं जानता हूं कि यदि निर्माता लोग 150 करोड़ रुपए इसी स्रोत से आधुनिकीकरण करने के नाम पर ले भी लेंगे तो भी वे उस मिल का आधुनिकीकरण नहीं करेंगे जिससे वह काफी मुनाफा कमाते है। जयपुरिया द्वारा चलाई जा रही स्वदेशी काटन मिल के साथ यहीं हुआ है। उन्होंने मजदूरों को गड़बड़ी का झूठा बहाना बना कर इसे बन्द कर दिया तथा जो धन यहां से कमाया था उसके साथ गाजियाबाद में एक नई मिल खोल दी। यह कपड़ा मिल एशिया की सब से बड़ी कपडा मिलों में से एक है। इसके बन्द हो जाने से 11,000 लोग सड़कों पर सड़ रहे हैं। इसी प्रकार से जे० के० रेयान मिल भी बन्द कर दी गई है जिससे कि 500 मजदूरों की छंटनी की जा सके।

श्री सुब्रहमण्यम कह सकते है कि यह विधेयक वह नहीं लाए है बल्कि उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्री लाए थे परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि इससे जनसाधारण, उपभोक्ता तथा सरकार किसी को भी सहायता मिलने वाली नहीं है।

मैं इस विधेयक का तीन कारणों से विरोध करता हूं। पहला कारण तो यह है कि इससे न तो देश, न शेयरधारियों और न ही श्रमिकों को सहायता मिलेगी। दूसरा कारण यह है कि क्या यह बात केन्द्रीय सरकार के लिए न्यायोचित है कि वह केन्द्रीय सरकार तथा अन्य वेतन-भोगियों के 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को जब्त करके तथा मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के बहाने से सरकारी कर्मचारियों को देय पांच किश्तों से वंचित करके कारखानों को कुछ रियायतें दे। तीसरी बात यह है कि व्यापार गृहों को रियायतें दी जा रही हैं जिससे न तो मंत्री को लाभ होगा तथा न ही पूंजी लगाने वालों में विश्वास का पुनः संचार होगा। इससे तो केवल व्यापारियों के बड़े बड़े मिलों को ही सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एस० आर० दामाणी (सोलापुर) : मैं ने श्री सोमनाथ चटर्जी तथा श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यानपूर्वक सुना है तथा मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के बाद अंशो के मूल्य कम हुए है। अंशों का सूचकांक भी दो प्रतिशत कम हो गया है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक से केवल कुछ ही व्यक्तियों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि 293 कम्पनियां अपने कुल लाभांशों का 75 प्रतिशत बांट रही है। परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन कम्पनियों का मालिक कौन है। इन कम्पनियों की मालिक तो जनता ही है क्योंकि इनके शेयरधारी आम लोग ही हैं। अतः यह बात कि इनके लाभांश कुछ ही पार्टियां ले लेंगी बिल्कुल गलत तथा निराधार है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि इस विधेयक को इस लिए लाया गया है ताकि पूंजी बाजार में स्थिरता लाई जा सके और पूंजी लगाने वालों में पुनः विश्वास उत्पन्न किया जा सके जब उन्हें अधिक लाभांश मिलेगा तो वे अधिक पूंजी लगाएंगे। इसके अलावा लाभांशों के रूप में जो भी बांटा जाता है वह आम लोगों को ही तो मिलता है।

गत दो वर्षों में बहुत कम कम्पनियां अस्तित्व में आई हैं। जनता अपना धन इनमें नहीं लगा रही है। जो धन इनमें लगाया भी गया है जनता उसे वापिस ले रही है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए उद्योग और उपक्रम बनें यह आवश्यक है कि पूंजी लगाने के लिए अनुकूल

वातावरण तैयार किया जाए। वित्त मंत्री ने इस विधेयक द्वारा यही प्रयास किया है ताकि लोग अपनी आय नए उपक्रमों में लगाने के लिए आगे आएं जिससे उत्पादन बढ़ेगा तथा देश में बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वित्त मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि लोग पूंजी क्यों नहीं लगाना चाहते। इस बारे में उन्हें अपने पहले मंत्री श्री टी० टी० कृष्णम्माचारी द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करना चाहिए। उनके द्वारा उठाए गए कदमों से निवेश बाजार में सुधार हुआ था। उन्हें भी वही कदम उठाने चाहिए जिससे निवेश बाजार में वास्तविक सुधार हो सके तथा देश में अधिक उद्योग और रोजगार उपलब्ध हो सके। इससे मूल्य भी गिरेंगे तथा विधेयक के अनुसार कम्पनियां लाभांशों की घोषणा भी कर सकेंगी। परन्तु चालू वर्ष में इनपर 12 प्रति शत या शुद्ध लाभ के एक-तिहाई भाग का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब कम्पनी जमा राशि पर काफी ब्याज देती है तो उस दशा में शुद्ध लाभांश 12 प्रतिशत तक देने की अनुमति दी जानी चाहिए। पहले वर्ष 12 प्रति शत दिया जा सकता है तथा शेष राशि का भुगतान दो वर्षों में किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि चालू वर्ष में मांग कुछ कम हो रही है इसलिए उद्योग से होने वाले लाभ काफी कम रहने की सम्भावना है। इसलिए यह आवश्यक है कि लाभांशों का वितरण खुले दिल से करने की अनुमति दी जाएं ताकि जो लोग लाभांशों से होने वाली आय पर निर्भर करते है तथा जो पूंजी लगा सकते है वे लगा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० मायावन (चिदाम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गये विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार द्वारा ऋण पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के पश्चात् कम्पनियों के लिए बाजार से धन लेना कठिन हो गया है। इस के साथ ही साथ जनता को यह बताना भी संभव नहीं रहा है कि इस निगमित क्षेत्र में पूंजी लगाना उनके लिए लाभदायक होगा क्योंकि लाभांशों पर प्रतिबन्ध लगने से वे हतोत्साहित हो गए हैं। वित्त मंत्री को यह कार्यवाही करनी पड़ी क्योंकि लोग यूनिट ट्रस्ट की ओर भागने लगे। जिस समय श्री कृष्णम्माचारी नें यूनिट ट्रस्ट योजना की बात की थी तो 7-1/2 प्रति शत ब्याज की दर अधिक समझी जाती थी। अब बैंक ब्याज की दर बढाते बढाते 14 प्रति शत तक पहुंच गए हैं। इन परिस्थितियों में ऐसा समझना कहां तक सही है कि कम्पनियां पुराना लाभांश ही देती जाएं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिससे पहले लगाए गए प्रतिबन्ध कम्पनियों के लिए ढीले हो गए हैं। लाभांश की अतिरिक्त राशि का भुगतान न करने से मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी क्योंकि वह अंशधारियों के खाते में जमा की जाएगी। मंत्री महोदय को इसपर विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय को तमिलनाडु सरकार द्वारा बार बार किए गए उन अभ्यावेदनों पर भी ध्यान देना होगा जिनमें कर्मचारी शेयरधारियों को आय कर की अदायगी से छूट देने का अनुरोध किया गया है। इससे निस्सन्देह उन्हें पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह तमिलनाडु सरकार के इस अनुरोध पर विचार करें।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): The Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Amendment Bill is under consideraton of the House. When restrictions were imposed on dividends it was apprehended that such measures of the Governments would not be proper. Today that apprehension has proved to

[Dr. Laxminarayan Pandeya]

be true. Government had claimed that the imposition of restrictions would bring down the prices but the prices are still rising. Government had also claimed that the money collected by the impositions of restrictions on dividend would be invested by companies for their development but the companies have not done so. The result of this is that the industrial production had not increased and at the same time the new companies have also not come up. It is due to these measures taken up by the Government that the industrial production has not gone up. The existing companies have also not developed and people have stopped making investment in these companies because people have started putting their money in fixed deposit because of high rate of interest. The economic condition of the country has been deteriorating and this Bill will not improve the situation much. I do not think the common share holder would benefit by this Bill in any way. The money that will be collected will remain with the companies and they will benefit thereby. This Bill does not create any hope for the shareholders also.

It was said that it would encourage the tendency to invest and a good amount of capital would be collected but that hope has been belied. The result is that the capital market has been depressed since the imposition of the limitations on dividends. Capital issues during the year ended March 75 totalled Rs. 61.3 crores against Rs. 70.3 crores in the previous year and Rs. 90.2 crores in 1972-73. It is all due to the defective policy of the Government. Even today there is stagnation in the capital market. The tendency to invest money is going down and down. Government should adopt such measures as would enthuse the people to invest more. The restrictions should be withdrawn.

No assurance has been given in regard to withdrawing wage freeze. Government should devise some ways whereby rate of interest may be enhanced and the rate of savings may also go up. Efforts should be made to revive the capital market and to rationalise tax structure. Government should also make economic policy in such a way so that industrial production may enhance and it may give encouragement to new industries to come up. The people should also be assured that the amount that they are going to invest is quite safe. They should also be assured that only resonable profits will be taken for their investment. I hope that the hon. Minister shall be kind enough to consider all these points raised by me here.

Shri Madhu Limaye (Banka): Last year when Government had presented the package deal of three Bills then I had said that the Compulsory deposit scheme is a useless scheme. I had also said that the dividend Bill is also a useless Bill. The main purpose of the Government for bringing forth these Bills was to make wage freeze palatable to the workers. The package deal has failed to achieve the object for which it was brought forward. May I know whether Government wants to impose this restriction only on employees and workers? The time has now come when Government should reconsider the entire package deal and withdraw restrictions imposed on workers with immediate effect. I am sorry to say that Government has not considered seriously the problem of removing stagnation in economy. I have gone through the statistics in regard to the national income published by the central statistical Organisations and am surprised to note that the per capita national income has remained static during the last decades I think that unless Government comes out with a comprehensive scheme to give a fillip to agricultural and industrial production this package deal will not make any impact on the economy. It is true that the prices have started coming down but it cannot be considered as an indication of ensuring crisis of recession. The engineering industry is facing crisis today. It is on account of the policies of the Government that the industrial sector is facing the wave of recession. The hon. Minister might feel that his credit squeeze policy or his package deal has gained ground but unless this economic stagnation is removed and production increased these policies of the Government will prove detrimental to the economy of the country.

I hope that the hon. Minister will consider the points raised by him here today. We have been seeing that during the last 27 years there has been an expansion of bureaucracy on a large scale in our country. During the British regime there used to be only five or six Officers while now in every district you can find twenty five or thirty officers. The result of it is that the central as well as state Governments are finding it difficult to balance their budget. This is not the fault of the employees. This is due to the faulty policies of the Government. Thus Government should resolve that unless the development of agricultural and industrial isation of the country is done on a large scale they will not create employment opportunities in services and offices.

I would therefore request the hon. Minister that he should give a serious thought to the Bill under the package deal. He should also place before the House the new policiehes which he shall frame after evaluating the existing production and employment policies.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मूल विधेयक के पास होने के तुरन्त बाद ही एक संशोधी विधेयक का लाया जाना इस बात का परिचालक है कि सरकार विधान सोच समझ कर नहीं बनातीहै । इसका कारण शायद यहहै कि सरकार को 1973-74 के असाधारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 1973-74 में हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री चव्हाण कुछ जटिल आर्थिक समस्याओं को हल करने में असफल रहे थे। विधान बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि इस विधेयक विशेष को अलग से नहीं देखना चाहिये । यह तो समूचे रूप से किये गये विधान का एक भाग मात्र है । मैं अब पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के अलावा अन्य विधान में भी संशोधन किया जायेगा ?

इस मामले विशेष में सरकार बहुत विचित्र रवैया अपना रहीहै । चूंकि उन्होंने वेतन और मजदूरी पाने वालों पर अनिवार्य जमा खातों का बोझ डाल दिया है, इसलिये अब वह समाज के अन्य वर्गों अर्थात् मध्यम वर्ग के लोगों, छोटे अंशधारियों तथा लाभांश कमाने वालों पर कर का बोझ बढ़ाना चाहतीहै जिससे वह यह दावा कर सके कि उसकी यह कार्यवाही न्यायसगत और उचित है । इससे सब पर बराबर का बोझ पड़ेगा । अतः सरकार लाभांशों पर भी निर्बन्धन लगाने के लिये वह विधेयक लाई थी। मूल अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के पास जो अतिरिक्त रकम जमा हो गई थी उसका उपयोग कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये नहीं किया गया, इसलिये इससे न ही अंशधारियों या सरकार को और न ही उद्योग को कोई लाभ हुआ है। अतः इस विधान से वास्तव में हमारा कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है । मंत्री महोदय को आशा थी कि लाभांशों पर निर्बन्धन लगा कर औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी । क्योंकि इससे नई कम्पनियों को प्रोत्साहन मिलेगा । परन्तु वास्तविकता यह है कि 293 एकाधिकारवादी गृह देश में 75 प्रतिशत तक लाभ ांश का वितरण कर रहे हैं। हमारे इस विधान का इन एकाधिकारवादी गृहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । वहां पर उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इन निर्बन्धनों से नयी कम्पनियों को आरम्भ करने में कोइ प्रोत्साहन नहीं मिला है ; जहां तक पूंजी निवेश का प्रश्न है, इस बारे में इन एकाधिकारवादी गृहों को कोई कठिनाई नहीं होती है और इस प्रकार वे धन लगा कर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। पता नहीं, मंत्री महोदय के ध्यान में वे कौन-सी नई कम्पनियां थीं जिन्हे वे प्रोत्साहन देना चाहते थे ।

जैसा कि 30 अप्रैल को तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि यहां पर विदेशी कम्पनियों की 538 शाखायें और उनकी 200 भारतीय सहायक कम्पनियां है जिन्होंने 1971-72

[श्री पी० जी० मावलंकर]

में लाभ के 32.95 करोड़ रुपये और लाभांश के 39.11 करोड़ रुपये विदेशों में भेजे। यह विचित्र बात है कि सरकार न अपने देश में तो कम्पनियों पर लाभांश की घोषणा करने और उनके संदाय पर निर्बन्धन लगा रखे हैं परन्तु विदेशी कम्पनियों को इससे छूट दे दी है। यह भी समझ में नहीं आता कि सरकार पूंजी लगाने वालों को तो राहत दे रही है परन्तु मजदूरों को कोई राहत नहीं दे रही है। यह बिल्कुल अन्यायपूर्ण और विषमता वाला रवैया है। चूंकि समूचे रूप से की गई व्यवस्था में अब परिवर्तन किया जा रहा है, अनिवार्य जमा खाता व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : वित्त विधेयक के अन्तर्गत समूचे रूप से जो उपाय किये गये थे, उनका उद्देश्य धन की सप्लाई को कम करना था। मैं बढ़े हुए 50 प्रतिशत भत्ते, अतिरिक्त बोनस और बढी हुई मजदूरी आयकर देने वालों द्वारा अनिवार्य जमा खातों की रकम और लाभांश की निर्बन्धित रकम को परिबद्ध करने के महत्व को स्वीकार करता हूं। परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि इस उपाय का धन के परिचालन पर लगे निर्बन्धन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है।

लाभांश की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यह शुद्ध मुनाफे का 33 1/2 प्रतिशत या 12 प्रतिशत, जो भी कम हो, है। अब प्रश्न यह है कि 2 वर्षों के पश्चात् इस रकम का क्या होगा, जो कम्पनियों को अधिक मिलेगी? क्या यह रकम अंशधारियों को दी जाये? हमारा यह उद्देश्य नहीं था कि कम्पनियों को इन दो वर्षों में होने वाला मुनाफा अंशधारियों को न मिले। हम केवल यह चाहते थे कि इस धन का हाल ही में उपयोग न किया जाये।

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : क्या आप मानते हैं कि मूल अधिनियम त्रुटिपूर्ण है और उसे जल्दबाजी में तैयार किया गया था?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। इस उपबन्ध के अन्तर्गत कर में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। हम यह उपबन्ध करना चाहते हैं कि कम्पनियां 2 वर्ष पश्चात् 1976 में लाभांश की घोषणा कर सके ताकि वे अर्जित समूचे मुनाफे को ध्यान में रख सकें। लाभांश की घोषणा करने और उसका संदाय करने पर लगे निर्बन्धनों से अंशों का मूल्य कम होता जा रहा है और इसका पूंजी बाजार पर कुप्रभाव पड़ा है। इस नये उपबन्ध के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा देय लाभांश की दर में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है किन्तु इतना किया जा रहा कि लाभांश की रकम अंशधारी को जुलाई, 1976 के पश्चात् ही देय हो। इस रकम पर 8 प्रतिशत ब्याज देने का भी उपबन्ध किया जा रहा है। अतः इन उपबन्धों का प्रभाव तो जुलाई, 1976 के पश्चात् ही पड़ेगा और इस प्रकार समूचे रूप से की गई व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दूसरी बात यह कही गई है कि इससे किसको लाभ होगा। यह तो स्पष्ट है कि यह अंशधारियों के फायदे के लिये किया जा रहा है क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सभी अंशधारी लखपति हैं। ऐसे छोटे छोटे लाखो अंशधारी हैं जो अंशों से होने वाली आय पर निर्भर करते ह। अतः यह गलत है कि इससे केवल अमीरों को ही लाभ होगा। इससे अमीर लोगों की तुलना में गरीबों को अधिक लाभ होगा क्योंकि उनकी सख्या अमीरों से कहीं अधिक है।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने का प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि तो विद्यमान पूंजी से ही करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है। उत्पादन बढाने के लिये अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़ उद्योगों वाले तो जनता से धन इकठ्ठा

कर सकते है परन्तु छोटे छोटे और मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं वे इस प्रकार पूंजी इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। हमें इन के लाभ के लिये पूंजी निवेश की स्थिति में सुधार लाना पड़ेगा। मुझे आशा है कि इन उपबन्धों से वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार हो जायेगा और पूंजी बाज़ार में कुछ धन आ जायेगा जिसे नये उद्योगों में लगाया जा सकेगा।

अंशधारियों की यह जो रकम कम्पनियों के पास रह जाती है उसका उपयोग विद्यमान कारखानों के आधुनिकीकरण और नये उद्योगों की स्थापना के लिये किया जाता है या नहीं, इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं किया गया है। इतना ज़रूर है कि हम जब कोई ऋण देते हैं तो उस समय अंशधारियों की रकम को ध्यान में रखा जाता है। इस हद तक बैंक के साधनों का उपयोग अन्य क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किया जाता है।

हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है और हम गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में कोई बाधा नहीं डालना चाहते हैं। साम्यवादी दलों का यह सुझाव कि गैर-सरकारी क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाये, औद्योगिक नीति सम्बन्धी 1956 के संकल्प से मेल नहीं खाता है क्योंकि इस संकल्प के अन्तर्गत दोनों क्षेत्रों की व्यवस्था है। यदि उनके सुझाव को मान लिया जाये, तो हमारी अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ जायेगी और इस का हम सब पर कुप्रभाव पड़ेगा।

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला (चित्तौड़गढ़) : इस विधेयक का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि कम्पनियों द्वारा सावधिक जमा रकम दिये जाने वाले ब्याज की दरों में कमी नहीं कर दी जाती। अच्छी कम्पनियां इस समय 15 से 17 प्रतिशत ब्याज द रही है, तो कौन ऐसा उद्यमी होगा जो इन कम्पनियों में धन न लगा कर इसे अंशों में लगायेगा।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस विधेयक का उस पहलू से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य तो सीमित-सा है। यह ठीक है कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसका भी अंशों में निवेश पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है परन्तु वह एक अलग बात है। अंशों में धन लगाने को बढ़ावा देने के लिये ही तो अंशों से होने वाली 3,000 रूपए तक की आय पर कोई आय कर नहीं लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन विधेयक, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड वार विचार आरम्भ करते हैं, खण्ड 2 और 3। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 4 (नई धारा 5 क का अन्तःस्थापन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 19,--

"without interest' "(ब्याज के बिना)" शब्दों के स्थान पर

"together with interest due thereon at the rate of eight per cent per annum"
"(उस पर देय ब्याज सहित प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत की दर से)" (1)

शब्द प्रतिस्थापित किये जायगे ।

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 4 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया :

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये"

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक
GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन तथा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 का भी संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा ने संविधान (सैंतीसवां संशोधन) विधेयक को पारित कर के अरूणाचल प्रदेश के लिये एक विधान सभा और मंत्रि परिषद बनाने के प्रस्ताव को मान लिया है। अब उस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया है। विचाराधीन विधेयक का उद्देश्य वहां के प्रतिनिधियों को दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामले में कुछ और शक्ति प्रदान करना है।

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

प्रस्थापना यह है कि इस समय जो प्रदेश परिषद है उसके स्थान पर 30 सदस्यों का एक निर्वाचित निकाय स्थापित किया जाये जैसा कि गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मिज़ोरम जैसे राज्यक्षेत्रों में है। इस विधेयक में अरुणाचल प्रदेश के दो निर्वाचित सदस्यों को लोक सभा में प्रतिनिधित्व देने का भी उपबन्ध है। इस समय अरुणाचल प्रदेश का एक ही नामनिर्देशित सदस्य है। चूंकि अरुणाचल प्रदेश एक अधिक विस्तृत क्षेत्र (83,000 वर्ग मीटर) है, इसलिये यह आवश्यक समझा गया है कि लोकसभा में वहां से दो निर्वाचित सदभ्य हों। राज्य सभा में इस समय जो नामनिर्देशित सदस्य है वह 1978 में अपनी अवधि समाप्त होने तक बना रहेगा। तत्पश्चात् राज्य सभा के लिये सदस्य का निर्वाचन भी विधान सभा ही किया करेगी।

सीमा की सुरक्षा के सम्बन्ध में मिज़ोरम की तरह अरूणाचल प्रदेश के प्रशासक को विशष ज़िम्मेवारी होगी। सीमांकन कार्य पूरा होने के पश्चात् नई विधान सभा के चुने जाने तक वर्तमान प्रदेश परिषद उस क्षेत्र की अस्थाई विधान सभा के रूप में कार्य करती रहेगी।

एक और उपबन्ध यह है कि इस समय एक प्रशासक और उसका सलाहकार पूर्वोत्तर प्रदेश परिषद के सदस्य हैं और इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् प्रशासक और मुख्य मंत्री प्रतिनिधित्व करेंग।

चूंकि इस विधेयक में कोई विवादास्पद बात नहीं है, इसलिये आशा है कि सभा इसका अनुमोदन कर देगी जैसे उसने सैंतीसवें संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया था।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन तथा पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 का भी संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि अरूणाचल प्रदेश के लोग बहुत अधिक समय से आन्दोलन कर रहे थे कि वहां पर लोकप्रिय सरकार बने। वास्तव में लोकप्रिय सरकार की व्यवस्था तो तभी हो जानी थी जब राज्यों का भाषायी आधार पर पुन-

[श्री दशरथ देव]

गठन किया गया था। परन्तू चूंकि इस प्रदेश के लोगों की आवाज में इतना अधिक बल नहीं था कि वे केन्द्रीय सरकार को अपनी युक्तियुक्त मांग मनवाने के लिये राजी कर सकते, इसलिये ऐसा करने में सरकार 28 वर्ष लगा दिये। इसी प्रकार नागालैंड और मेघालय के लोगों को भी अपना अलग राज्य बनवाने के लिये बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा था। इससे स्पष्टहै कि सरकार वहां के लोगों विशेषकर जनजाति के लोगों के प्रति उदासीन रही है। अब जो कुछ किया जा रहा है, वह भी अधूरा है।

सरकार ने अरूणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के लोगों की आकांक्षाओं के महत्व को समझा ही नहीं है। इन दोनो प्रदेशों में आन्दोलन जारीहै कि इन प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया जाये। यदि हमने उनकी इस मांग को मान लिया तो इससे हमारी एकता और अखण्डता को अधिक बल मिलेगा और वहां के वातावरण में बहुत सुधार हो जायेगा।

अभी गृह मंत्री ने कहा है कि सीमा सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रशासक की विशेष ज़िम्मेवारी होगी। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार को निर्वाचित मंत्रि परिषद् की अपेक्षा अधिकारियों पर अधिक विश्वास है। मेरा विश्वास है कि निर्वाचित मंत्रि-परिषद् इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करेगी। इसलिये यह जिम्मेवारी प्रशासक की बजाय मंत्रि-परिषद् को सौंपी जानी चाहिये।

सरकार ने अरूणाचल प्रदेश में सड़कें बनाई हैं, यह एक अच्छी बात है। परन्तू इन सड़कों का प्रयोग वहां के लोग नहीं कर सकते हैं। यह एक गलत बात है। हां, सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिये लेकिन यह नहीं ठीक है कि लोगों को इन सड़कों का प्रयोग बिल्कुल ही न करने दिया जाये।

मेरे विचार में अन्य राज्यों के साथ साथ इन प्रदेशों को भी अधिक स्वायत्तता के अधिकार मिलने चाहिये। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस अधिनियम को तुरन्त क्रियान्वित करें।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): I welcome this Bill. We are also happy that there will now be an elected legislative assembly in place of territorial council and the territory will be represented in Lok Sabha by two members. It is a right step but the Government should grant full statehood to all the Union territories.

Now there will be an elected legislative assembly and a Council of Ministers comprising elected representatives of the people in Arunachal Pradesh. But it is not proper that Government is placing a bureaucrat on the top of these elected bodies. The Council of Ministers should be given full powers.

The constituencies are going to be delimited. While doing the delimitation, the principle of uniformity and geographical compactness should be followed.

श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : वर्तमान विधेयक केवल 37 वे संविधान संशोधन की पूरक कार्यवाही है। यह स्वागत योग्य है।

यह कहा गया है कि लोगों की लोकतांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। यह ठीक है कि हमारे देश में सभी क्षेत्रों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए और लोगों की लोकतांत्रिक आवश्यकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि पिछड़ी तथा विभिन्न प्रकार की जनजातियों आदि से बंटा हुआ यह क्षेत्र अभी कुछ समय तक के लिए किसी भी प्रकार के सम्पूर्ण संस्थानिक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है ।

इस विधेयक की आलोचना इसलिए भी की गई है कि इसमें प्रशासन को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह ठीक है, परन्तु यदि इस प्रकार की स्थिति होती कि बिना प्रशासन के कोई कार्य चलाया जा सकता या उस क्षेत्र में प्रशासन कार्य वहाँ के लोगों को सौंपा जा सकता, तो हम इसका भी स्वागत करते। परन्तु हम कुछ वास्तविकताओं से अपना मुंह नहीं मोड़ पाये, और वास्तविकता तो यह है कि वहाँ विद्यमान पिछड़ेपन तथा विभिन्नता ने आज तक न तो परम्परागत नेतृत्व को और न ही कुछ आधुनिक योग्य जनजातियों के नेतृत्व को उस क्षेत्र में सशस्त्र राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने दिया है । वहाँ विभिन्न सस्कृतियों तथा ढंगों वाला जीवन बिताने वाली अनेक जनजातियां हैं। उनकी आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं भिन्न भिन्न हैं। उनके कुछ आपसी झगड़ भी हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे असुरक्षित प्रदेश में यदि प्रशासक को कुछ शक्तियां न दी जाये तो निश्चय ही वहाँ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाय जहाँ कि स्वयं अधिकारों का समय से पहले ही हनन हो जाये। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश एक कमजोर क्षेत्र है और यदि वहां जनजातियों तथा उपजातियों के बीच समानता रखने के लिए यदि व्यक्ति विशष को शक्ति प्रदान न की जाये, तो हमारे विरुद्ध जो शक्तियां कार्यरत हैं वह एक विरोधी दल को दूसरे विरोधी दल के विरुद्ध भड़काकर हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्यकरण में बाधा डाल दे और हमारे लिए और अधिक परेशानियां उत्पन्न कर दें ।

यदि हम अरुणाचल प्रदेश को शेष देश के साथ मिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमे सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता है और उस क्षेत्र के मूलभूत ढांचे की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भारत सरकार के सामने वास्तव में सबसे बड़ा कार्य यह है कि वह इस क्षेत्र के लोगों को देश के अन्य लोगों के साथ मिलाये ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह प्रश्न उठाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है। हम ऐसा करने से न तो हिचकिचाते हैं और न ही यह बात है कि लोगो में हमारा विश्वास नहीं है । यह तो लोगो को प्रगतिशील ढंग से प्रशासन के साथ सम्बद्ध करने का प्रश्न है जिससे कि वह प्रशासन के कार्यों से अवगत हो सके। जैसा कि सभा को मालूम है कि वर्ष 1967 में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था और वर्ष 1972 के अन्त में प्रदेश कौंसिल तथा प्रशासन को पार्षदों द्वारा राय दिये जाने की व्यवस्था लागू की गई। इस काल के दौरान हमें यह विश्वास हो गया है कि वह अपना प्रशासन सुचारू रूप से चला सकेंगे। हमसे यह अनुरोध किया गया है कि वहाँ निर्वाचित सभा का गठन करना राज्य तथा देश दोनों के ही हित में होगा ।

अत: हमें देखना यह है कि अब या कुछ समय पश्चात् उसे सम्पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। मिजोरम की तरह ही, उपयुक्त समय पर इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायेगा ।

जहाँ तक राज्यपाल की विशेष शक्तियों का सम्बन्ध है उसके बारे में भी प्रश्न इस बात का नहीं है कि हमारा लोगों में विश्वास नहीं है । इस क्षेत्र में 1,300 किलोमीटर का क्षेत्र अन्तर्राज्यीय सीमा का है और देश की सुरक्षा का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है । इसीलिए प्रशासक को कुछ शक्तियां तथा दायित्व प्रदान करना सीमा सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त समझा गया है ।

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

वहाँ लगभग 20 बड़ी जनजातियां हैं तथा 70 के करीब छोटी जनजातियां हैं। उनमें एकता लाना अनिवार्य है ताकि उनकी आपसी गलतफहमियां कम हो सके और वे एक कारगर एकक के रूप में कार्य कर सके।

जहाँ तक विकास का सम्बन्ध है अरूणाचल प्रदेश के विकास कार्यों के लिए जिस धनराशि का आबंटन किया गया है उसमें वृद्धि की जा रही है। इस समय पांचवीं योजना में इस कार्य के लिये चौथी योजना से तीन गुनी अधिक पूंजी का निवेश किया जा रहा है। हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि जहाँ तक इस क्षेत्र के विकास का सम्बन्ध है उसके लिए हमें सहायता देनी पड़ेगी और हम उपयुक्त समय पर आवश्यकतानुसार उन्हें सहायता देंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले तथा उत्तरपूर्वी परिषद् अधिनियम, 1971 का भी सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : हम खण्ड वार विचार करते हैं। इनमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 15 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 15 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक
ALL INDIA SERVICES (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के सेवा नियमों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है । अधिनियम में यह व्यवस्था नहीं की गई थी कि इस प्रकार बनाये गये नियमों का भावी प्रभाव क्या होगा और न ही इसमें यह कहा गया था कि इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकेगा । अत: यह माना गया कि इस प्रकार नियमों को भूतलक्षी प्रभाव के अन्तर्गत ही बनाया जा सकता है जिसकी कि कुछ स्थितियों में आवश्यकता हो । इस प्रकार जब कभी भी बहुत अधिक अनिवार्य हुआ, इनमें से कुछ नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया । फिर भी केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के सम्बन्ध में मुख्य न्यायवादी द्वारा इस बारे में व्यक्त दिये गये विचारों को दृष्टिगत रखते हुए हमें यह राय दी गई कि अधीनस्थ विधान को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि कानून में भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की व्यवस्था न हो । नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने की प्रथा तब से समाप्त कर दी गई और राज्य सरकारों को फरवरी, 1971 में इसके अनुरूप निर्देश दे दिये गये ।

महान्यायवादी द्वारा दी गई राय को राज्य सभा की अधीनस्थ विधान समितियों द्वारा स्वीकार भी किया गया तथा उनकी पुष्टि भी की गई । अधीनस्थ विधान समिति (चौथी लोक सभा) ने यह सुझाव दिया कि जहां कहीं भी विशिष्ट परिस्थितियों में नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना पड़े, वहां स्पष्ट रूप से यह स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि इस भूतलक्षी सम्बन्धी नियम से किसी व्यक्ति विशेष को हानि नहीं होगी ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया गया है और इसीके परिणामस्वरूप संबद्ध नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ आदि के बारे में पांच अधिसूचनाएं भूतलक्षी प्रभाव से जारी की गई हैं । हमने राज्य सरकारों तथा विभिन्न अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके इस मामले का विस्तृत अध्ययन किया गया है । यह अनुभव किया गया है कि सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने कि शक्ति प्राप्त होनी चाहिए ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं अधिनियम में संशोधन करने का हैं ताकि केन्द्र सरकार को नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाये, बशर्ते कि इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव से नियमों में परिवर्तन करने से किसी व्यक्ति विशेष के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये गये नियमों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए भी विधेयक में व्यवस्था कर दी गई हैं । यह विधेयक सभा में विचार करने योग्य है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड वार विचार आरम्भ करेंगे । विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये ।
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहिसन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

FORMER SECRETARY OF STATE SERVICE OFFICERS (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

मूल अधिनियम की धारा 8 भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारियों के स्टर्लिंग पेंशन लेने के दावे को ही समाप्त नहीं करती वरन् उन पर कानूनी दायित्व भी लगाती है कि वे पाउंड की $13\frac{1}{3}$ रुपये की दर से अधिक ली गई पेंशन लौटा दें। यह उपबन्ध कुछ सेवानिवृत्त आई० सी० एस० अधिकारियों द्वारा रुपये के अवमूल्यन के बाद न्यायालयों के माध्यम से अधिक पेंशन के दावों को रोकने की दृष्टि से किया गया था। परन्तु सिविल सर्विस विनियमों के अधीन कुछ अधिकारी अधिक पेंशन पाने के अधिकारी थे। मूल अधिनियम की धारा 8 के भूतलक्षी प्रभाव के कारण उन अधिकारियों को न केवल भविष्य के लिए बहुत सी पेंशन राशि से वंचित होना पड़ा बल्कि उन्हें पहले मिली हुई अनेक वर्षों की पेंशन राशि को वापस देना पड़ा। इन 9 अधिकारियों की औसत आयु 84 वर्ष है। इनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कुछ सेवनिवृत्त अधिकारी, जो विदेशी थे, अक्तूबर, 1972 से पहले से विदेश में रह रहे हैं। इनमें से तीन अधिकारी लन्दन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय से स्टर्लिंग में अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। शेष किसी न किसी कारण से अपनी पेंशन स्टर्लिंग में नहीं ले रहे थे परन्तु वे स्वाधीनता मिलने के बाद सेवा में थे। धारा 8 के कारण अधिकारियों के ये दोनों वर्ग स्टर्लिंग में पेंशन नहीं ले सकते। इन कुछेक व्यक्तियों की कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि मूल अधिनियम की धारा 8 का संशोधन किया जाय।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार ने सेवा-निवृत्ति की तिथि और लाभों आदि के बारे में नियमों को सभी पेंशनों के वर्गों के लिए उदार बना दिया है। परन्तु मूल अधिनियम के उपबन्धों के कारण भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारियों को यह लाभ देना सम्भव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारियों को उदार उपबन्धों का लाभ देने के लिए मूल अधिनियम का संशोधन किया जाये। विधेयक में आवश्यक आनुषंगिक उपबन्ध शामिल किये गय हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ टेस्ट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये।
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एस० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अपृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध विधेयक

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISION BILL

गृह-कार्य मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और संसद् कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन करने वाले और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में पहले के अधिनियम की तुलना में अस्पृश्यता के अपराध के लिए अधिक कड़ दण्ड की व्यवस्था की गई है । यह उपबन्ध भी किया गया है कि ऐसे अपराधों पर आपसी समझौते की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए । अस्पृश्यता के अपराधी को केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के चुनाव के लिए अयोग्य बना दिया जाना चाहिए । विधेयक के क्षेत्र को बढ़ाकर उसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि निजी मंदिरों जोकि सार्वजनिक रूप से पूजा के स्थानों की तरह उपयोग में लाये जाते हैं, पर भी यह कानून लागू होगा । ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक कारणों से अस्पृश्यता को उचित ठहराना भी एक अपराध माना जायेगा ।

यह विधेयक एक संयुक्त समिति को सौंपा गया था उसने अनेक संशोधन करके इसका क्षेत्र बढ़ा दिया है ताकि इसके उपबन्ध अधिक प्रभावी बन सकें । संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि यदि किसी क्षेत्र के लोग अस्पृश्यता पर अमल करते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ के लोगों पर सामुहिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए । अपराध से पीड़ित होने वाले या अन्य निर्दोष व्यक्तियों को ऐसे सामुहिक जुर्माने से छूट मिलेगी ।

संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि अस्पृश्यता सम्बन्धी उन अपराधों के बारे में संक्षिप्त मुकदमा होना चाहिए जिनमें कारावास की अवधि 3 महीने से अनधिक होगी । विधेयक में उपबन्ध है कि अस्पृश्यता के कारण किसी को झाड़ू लगाने, सफाई करने, जानवरों के शव उठाने जैसे कार्यों के लिए बाध्य करना अपराध होगा ।

संयुक्त समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि एक विशेष उपबन्ध द्वारा यह व्यवस्था की जाये कि अस्पृश्यता के समाप्त होने से सम्बन्धित व्यक्तियों को उसका लाभ मिलेगा । इन उपायों में कानूनी सहायता इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले मुकदमों और एहतियात आदि के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करना और अदालतें बनाना शामिल है । केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष सके द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा इस कानून के अन्तर्गत किये गये उपायों के बारे में एक रिपोर्ट स संसद् के समक्ष रखेगी ।

संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि अस्पृश्यता अपराधों की जांच और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों के भरने सम्बन्धी आदेश के प्रति उपेक्षा को भी अपराध माना जाये । हमारे विचार में इन उपबन्धों को कार्य रूप देने में गम्भीर व्यावहारिक और कानूनी कठिनाइयां होंगी ।

अतः संयुक्त समिति की इस सिफारिश को मान लिया गया है कि अस्पृश्यता अपराधों की जांच करने वाले अधिकारियों की जानबूझकर की गई उपेक्षा को ही अपराध माना जाये और सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुकदमे चलाये जायें।

हमारी सभ्यता और संस्कृति पर अस्पृश्यता एक कलंक है। विधेयक के उपबन्ध इस बुराई को समाप्त करने में काफी सहायक होंगे। मुख्य बात उन्हें ठीक तरह से लागू करना है। अधिनियम के उपबन्धों को ठीक तरह से लागू करने के लिए वर्तमान मशीनरी को और सुदृढ़ करना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कानून द्वारा बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना होगा।

अतः इस विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1963 में संशोधन करने वाले और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औलग्राम) : अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1972 जिसे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की लिए लाया गया है एक अधूरा विधेयक है। इसे अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद नहीं लाया गया है। आपको पता ही है कि आजादी के 27 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा हरिजनों को मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है। हमारे संविधान में समान मानव अधिकार दिए गए है परन्तु अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य दलित वर्गों के लोगों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। इस संशोधन विधेयक से भी उन्हें समान सामाजिक अधिकार नहीं मिलेंगे तथा उनका शोषण होता ही रहेगा। इसलिए यह कहना पड़ता है कि यह विधेयक बिना विचार किए लाया गया है। 1955 का मूल अधिनियम तथा संयुक्त समिति का बहुमत प्रतिवेदन "अस्पृश्यता" शब्द की परिभाषा करने में असफल रहे हैं। माननीय मंत्री श्री ओम मेहता ने भी विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय दिए गए अपने भाषण में "अस्पृश्यता" शब्द की परिभाषा ठीक तरह से नहीं की। इस शब्द की परिभाषा कहीं भी ठीक तरह से नहीं की गई है। जब तक इस शब्द की परिभाषा ठीक तरह से नहीं कर दी जाती तब तक इस कानून के अन्तर्गत होने वाले अपराधों के लिए दण्ड देना सम्भव नहीं है। आशा है कि माननीय मंत्री इस शब्द की सही परिभाषा सभा के समक्ष अवश्य रखेंगे।

कांग्रेस पार्टी मंत्री तथा प्रधान मंत्री यह दावा करते हैं कि हमारा देश विश्व में सब से बड़ा लोकतंत्र है। परन्तु वस्तुस्थिति तो यह है कि हमारे देश के अधिकांश लोग सामाजिक और लोकतंत्रीय अधिकारों से वंचित है। अतः जब इन सब परिश्रमी लोगों को, जो अपने खून पसीने की कमाई से देश के लिए धन पैदा कर रहे हैं, इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो उन्हें भारत को सब से बड़ा लोकतंत्र कहने का क्या अधिकार है। यह तो हमारे लिए एक शर्म की बात है।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Translated Version based on English Translation of the Speech delivered in Bengali.

[श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर]

हमारे समाज में जो सामंतवाद और पूंजीवाद पर आधारित है आतंक का ऐसा वातावरण पैदा किया गया है कि वे लोग जब के साथ ज्यादतियां की जाती है तब भी पुलिस को रपट लिखाने नहीं जाते । सामन्तवादी जमींदार लोग और मिलों के मालिक तथा बड़ी बड़ी निर्माण कम्पनियों के मालिक उनको भयभीत कर देते ह । सरकार उनकी रक्षा करने में असफल रही है । इस प्रकार के भयावह वातावरण को समाप्त करना सब से पहली बात है जिससे कि दलित वर्ग बिना किसी भय के अत्याचार के विरुद्ध शिकायत कर सके । जो इने गिने लोग इन अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत करने का साहस करते भी हैं तो उनकी शिकायतों को ठीक तरह से दर्ज नहीं किया जाता है और नही अपराध करने वालों को दण्ड दिया जाता है । हमारे लिए यह कितनी शर्म की बात है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि स्वाधीनता के 27 वर्ष पश्चात् भी अस्पृश्यता की समस्या का हल निकाला नहीं जा सका है । इस बारे में हमारे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । अस्पृश्यता अनुमूलन की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है । सरकार को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिए । पंजाब में 1969 और जून 1972 के बीच अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत 15 मामले दर्ज किए गए थे परन्तु केवल दो मामलों में अपराधियों को दोषसिद्ध किया गया । यह बहुत असंतोषजनक स्थिति है । महात्मा गांधी इन लोगों के कल्याण के लिए अपने सारे जीवनकाल में संघर्ष करते रहे । उन्होने इस बात के लिए भी प्रयास किया कि उन्हें सवर्ण हिन्दुओं के साथ मन्दिरों तथा पूजास्थानों में जाने के लिए मना न किया जाए । परन्तु कांग्रेस दल जो महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरन करने का दावा करता है इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका है । यह बड़े दुख की बात है कि जिन मन्दिरो का प्रबन्ध सरकार के हाथ में है उनमें भी अस्पृश्यता चल रही है । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में रौशनी डालें ।

इस बात का तो सब को पता ही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु तथा कर्नाटक आदि राज्यों में खुलमखुला हरिजनों, तथा अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं । बांदा जिले में विशेष रूप से अत्याचार हो रहे है । उनकी औरतों को भी नहीं बक्शा जाता है । कुछ दिन पूर्व एक घटना के बारे में इस सदन में चर्चा हुई थी जिसमें एक सौ से अधिक हरिजन मारे गए थे तो हरिजनों के सम्पूर्ण गांव को जला कर राख कर दिया गया था । मैं मंत्री महोदय का ध्यान पश्चिम बंगाल में हुई एक घटना की ओर भी दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस बारे में राज्य सरकार से पूछताछ करे तथा इसी सत्र में सभा को जानकारी दे । यह घटना 9 अप्रैल, 1975 को बर्दवान जिले के फतेवडु गांव में हुई थी । इसमें सवर्ण जाति के कुछ लोगों ने चार हरिजनों का जबरदस्ती अपहरण किया था । तब उनको एक कमरे में बन्द कर दिया गया तथा उनको बेरहमी से मारापीटा गया । इस के परिणामस्वरूप रघु जिसकी आयु 45 वर्ष थी और शुक्लाल जिसकी आयु 30 वर्ष थी, को मृत्यु हो गई । दूसरे दो व्यक्ति, मुंसी मण्डल और मनाथा कर्माकर को गम्भीर चोटें आई तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया । शिकायत मिलने के बावजूद भी पुलिस ने उन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं दी । मैं ने स्वयं बर्दवान के पुलिस अधीक्षक को टेलीफोन किया परन्तु उसने कोई परवाह नहीं की । मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय पता लगाए कि इन लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई । यह बड़ी खेद की बात है कि वास्तविक अपराधी अभी भी लापता है तथा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है । सरकार इस मामले की राज्य सरकार द्वारा पूछताछ करके सभा को इसकी सूचना दे ।

कुछ समय पूर्व सी० पी० आई० (एम०) के महासचिव श्री पी० सुन्दरैया ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के हरिजनों और आदिवासियों पर बड़े जमीदारों

और पुलिस के अत्याचारों के सैंकड़ो मामले लिख कर भेजे थे । परन्तु इसके बावजूद इन लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है । इसकी बजाय ऐसी घटनाओं की संख्या पहले से बढ़ गई है ।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को दो प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है । एक ओर तो उनके साथ समाज द्वारा अन्याय किया जाता है तथा दूसरी ओर उनके साथ राजनीतिक अन्याय हो रहा है । इन लोगों को उचित न्याय देना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक सामाजिक आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन नहीं किया जाता । इन लोगों के साथ न्याय केवल इस अधिनियम में संशोधन करके ही नहीं किया जा सकता । इसके लिए हमें सम्पूर्ण भूमि सम्बन्धी सुधारों को अविलम्ब लागू करना होगा ।

भूमि उसी की होनी चाहिए जो वास्तव में उस की काश्त करता हो । जो स्वयं काश्त नहीं करते हों उनको भूमि रखने का कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार से अनुसूचित जाति तथा जनजाति को श्रमिक वर्गों के साथ तब तक न्याय नहीं हो सकता जब तक सभी एकाधिकार उद्योगों तथा विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर दिया जाता ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE.

वर्ष 1975-76 के लिये अनुदानों की विस्तृत मांगें (नागालैंड)

सभापति महोदय : अब श्रीमती सुशीला रोहतगी वर्ष 1975–76 के लिए नागालैण्ड सरकार की अनुदानों की विस्तृत मांगें सभा पटल पर रखेंगी ।

वित्त मंत्रालय मे उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1975–76 के लिए नागालैण्ड सरकार की अनुदानों की विस्तृत मांगें सभा पटल पर रखती हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 9629/75]**

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकिर्ण उपबन्ध विधेयक––जारी
UNTOUCHABILITY OFFENCES AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISINOS BILL—Cntd.

Shri Sadhu Ram (Phillour) : Mr. Chairman, Sir, the untouchability (offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Bill is there before the House for consideration. Untouchability is an old stigma in our country which could not be removed till today.

[**श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी** पीठासीन हुए ।
SHRI DIENSH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

I fail to understand why there was division of society on the basis of caste. There should not be any difference between one man and another, because the soul of all of us is the same. In spite of so many Acts untouchability could not be removed from our country. Despite the Untouchability Offence Act 1955, Harijans are subjected to atrocities and there has been no improvement in the plight o

[Shri Sadhu Ram]

Harijans during the last 27 years. The State Governments are not taking strict action under this Act. Government should take strict measures to abolish untouchability. If State Governments fail to pay adequate attention to this problem the Chief Ministers should be admonished. It is unfortunate that the Parliament could not find time to discuss the various reports of scheduled caste commissioner which were pending for a pretty long time. Provision should be made that the Home Minister of every state should be a member of scheduled caste and fifty per cent recruitment of Police should be made from scheduled castes communities. They should also be provided other facilities only then the stigma of untouchability can be removed from our country. Unimportant things are discussed in the Parliament but time for discussion is not given even when actrocities are perpetuated on Harijans. Government and voluntary organisations can join together to remove untouchability. Twenty two crore Harijans and scheduled castes cannot tolerate these atrocities any more. The cases which are sent to courts under untouchability offences Act do not get justice in the courts.

All those *shastras* in which it has been pleaded that untouchability should be observed, should either be banned or burnt and such persons who practise untouchability should be severely punished. In every state, the Home Minister should belong to a Scheduled caste. Unless these provisions are made, we will not be able to eradicate untouchability and thus these down trodden people will not be able to get justice.

The people belonging to these castes have been supporting the Congress through thick and thin, during the last 25 years or so. But our Government has not so far taken any concrete step to ameliorate their condition. I have been repeatedly demanding that the Government should set up a separate Ministry to redress their grievances and to ameliorate their condition. Unless it is done, untouchability cannot be eradicated. A cell should be set up in Home Ministry under a senior Police Officer in each state as well as at the centre which should undertake on the spot enquiry into each case of atrocities against Scheduled Caste people. These cells should fight their cases and bear the expenses likely to be incurred in each case themselves as poor Harijans have no money to institute cases in the courts. As tribunal or a special judge should be appointed in each state to make on the pot enquiry into the cases of scheduled caste people. Government should take most strict action against those who are found guilty of atrocious behaviour with scheduled caste people.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The plight of Harijans in Eastern Uttar Pradesh particularly in Ghazipur, Ballia, Azamgarh and Jaunpur districts is indescribable. Incidents like the one that look place in Ghazipur have become the order of the day in the entire country. There are areas where Harijans ane treated as slaves and they are kept as pledge in mortgage they are subjected to forced labour. Government has failed to give them protection as envisaged in the constitution. According to the provisions of the Constitution, it is the Central Government which is primarily responsible to solve this problem and as such government should take up this problems earnestly and issue directives to state Governments to take steps to tackle this problem urgently.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे ।

आधे घण्टे की चर्चा
Half an Hour (Discussion)

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जब उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अवहेलना कर के श्री ए० एन० राय को भारत का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया गया था, तब श्री जयप्रकाश नारायण ने एक वक्तव्य दिया था और उन्होंने एक ठोस सुझाव दिया था। इस के साथ साथ उन्होंने अपने एक पत्र दिनांक 9 जून, 1973 में प्रधान मंत्री से भी अपील की थी कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करें कि संसद् में सभी दलो के प्रतिनिधियों वाली एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जो प्रमुख न्यायविदों, वकीलों के संघों तथा देश में अन्य विशिष्ट व्यक्तियों और विशेषज्ञों के साथ सलाह करके संसद् से सिफारिश कर सके कि मुख्य न्यायाधिपति तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या क्या मार्गदर्शी उपाय और किये जायें और कौन सी कसौटी अपनाई जाये। इसी सुझाव को लेकर मैंने 18 फरवरी, 1975 को अतारांकित प्रश्न संख्या 165 में पूछा था कि सरकार की इस सुझाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? इस प्रश्न का मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया था, उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें कहा गया था कि न्यायाधिपति तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो प्रथा इस समय है वह संविधान के उपबन्धों के अनुकूल है और वह संतोषजनक ढंग से चल रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय की जब 1950 में स्थापना की गई थी, उस समय से लेकर अब तक मुख्य न्यायाधिपतियों की प्रथम 12 नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर की गई हैं। परन्तु श्री ए० एन० राय की नियुक्ति के समय इस प्रथा का पालन नहीं किया गया है।

एक संघीय ढांचे में, जहां प्रादेशिक, साम्प्रदायिक और भाषायी संघर्ष हो और जहां राजनैतिक प्रभाव डाले जाते हों, वहां, मेरे विचार में, वरिष्ठता का सिद्धान्त एक अच्छा सिद्धान्त है और इसका पालन किया जाना चाहिये। सरकार ने इस सिद्धान्त को विधि आयोग की इस सिफारिश के अन्तर्गत तोड़ा है, जिस में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधिपति के उत्तराधिकारी की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर ही नहीं होनी चाहिये। परन्तु किसी उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के लिये कोई स्वस्थ्य प्रथा का भी पालन किया जाना चाहिये। प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश थी कि यदि कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो, तो उसे न्यायाधिपति के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। इस में सब से प्रथम आपत्तिजनक बात यह है कि यह प्रतिवेदन गत 15 वर्षों से उपेक्षित पड़ा रहा और दूसरा सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि अब वरिष्ठता की प्रथा का पालन नहीं किया जायेगा। यह तो ठीक है कि केवल वरिष्ठता को ही आधार नहीं बनाया जाना चाहिये। परन्तु जब तक कोई अन्य ढंग नहीं निकाल लिया जाता तब तक तो वरिष्ठता का ही सिद्धान्त ठीक था। यदि सरकार ने लोगों को वरिष्ठता के सिद्धान्त की अवहेलना करने की नीति के बारे विश्वास में ले लिया होता, तो वरिष्ठता को सिद्धान्त को भंग करने की हाल की कार्यवाही किसी को इतनी न खलती।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान, एक वरिष्ठ विधिविद, श्री सीरवाई के ग्रन्थ "कांस्टीट्यूशनल ला आफ इण्डिया" की ओर दिलाता हूं जिसमें उन्होंने वरिष्ठता के सिद्धान्त का समर्थन किया है क्योंकि यदि इस सिद्धान्त को रद्द कर दिया गया, तो ऐसा हो सकता है कि नियुक्तियों में किसी प्रकार का पक्षपात बरता जाने लगेगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कमी आ जायेगी।

[प्रा० मधु दंडवते]

मैं इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं । जब श्री ए० एन० राय को न्यायाधिपति बनाया गया तब कुछ क्षेत्रों में यह सन्देह उत्पन्न हो गया कि शायद न्यायाधिपति हेगड़े का दावा इसलिये नहीं माना गया क्योंकि उन्होने प्रधान मंत्री के विरुद्ध दायर की गई चुनाव याचिका के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के लिए कुछ अप्रिय टिप्पणियां की थीं ।

इसी प्रकार पंजाब-एवं-हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री महाजन के पश्चात न्यायाधिपति पी० सी० पंडित को मुख्य न्यायाधिपति बनाया जाना चाहिये था । परन्तु चूंकि श्री पंडित और मुख्य मंत्री श्री बंसीलाल की नहीं बनती थी, इसलिये उनके मामले में वरिष्ठता के सिद्धान्त की उपेक्षा राजनीतिक कारणों से की गई और एक कनिष्ट न्यायाधिपति को मुख्य न्यायाधिपति बना दिया गया । यद्यपि पंजाब-एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलो ने पूरी हड़ताल भी की परन्तु कोई सुनवाई न हुई । यह एक और उदाहरण है जिससे स्पष्ट होता है कि कभी-कभी राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार न्यायपालिका के स्वतंत्र स्वरूप को नष्ट कर देते हैं ।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। जब हम विपक्षी दलों की ओर से यह प्रस्ताव लेकर न्यायाधिपति, श्री हिदायतुल्ला के पास गये कि वे राष्ट्रपति पद के लिये हमारे उम्मीदवार बन जायें, तब उन्होने हमें यह सुन्दर बात सुनाई थी । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री वी० पी० नायक ने न्यायाधिपति हिदायतुल्ला से कहा था कि मैं आपको सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् उस राज्य में लोकायुक्त के सब से बड़े पद पर आसीन कर दूंगा । उस समय श्री हिदायतुल्ला ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री वी० पी० नायक से कहा था कि जब मैं एक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा था, तभी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है। क्योंकि यदि मैं यह निश्चय न करता तो हर मामले में अपना निर्णय देते समय उसी नौकरी का ही ध्यान रहता । देश में न्यायपालिका की ऐसी परम्परायें होनी चाहियें । इन परम्पराओं को बनाये रखने के लिये वह आवश्यक है कि जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कोई नयी रीति की घोषणा नहीं कर दी जाती, तब तक वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन करते रहना चाहिये । वरिष्ठता के सिद्धान्त की अवहेलना की विधि आयोग के सदस्यों अर्थात् भूतपूर्व महान्यायवादी, श्री एम० सी० सीतलवाद और न्यायाधिपति श्री चागला ने भी निन्दा की है ।

श्री जयप्रकाश नारायण का सुझाव एक ठोस सुझाव है क्योंकि वे भी यह नहीं कहते कि केवल वरिष्ठता को ही आधार बनाया जाय । यदि सरकार वरिष्ठता के सिद्धान्त को बदलना ही चाहती है, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु ऐसा करने के लिये हमें कोई स्पष्ट सिद्धांत बनाना होगा ताकि इस प्रकार बनाये गये सिद्धांत के अनुसार की गई नियुक्तियों के बारे में देश में लोगों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास उत्पन्न हो और किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रहे । तभी हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कोई मनमानी नहीं की जाती है । कोई भी सिद्धान्त बनाया जाये, उसका संसद द्वारा अनुमोदन अवश्य कराया जाये ।

यदि इन नियुक्तियों की पुष्टि संसद् द्वारा की जाये, तो सम्भव है कि जो लोग इस मामले में राजनीतिक दबाब आदि लाना चाहेंगे उनके रास्ते में संसद् में हुआ वाद-विवाद बाधक होगा । मुझे विश्वास है कि विधि मंत्री जो स्वयं न्यायाधीश रह चुके हैं, इस समस्या का कोई निष्पक्ष हल सुझायेंगे ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Is it not the high time to consider the issue of changing our pattern of judiciary on the lines of that prevailing in other socialist countries ! If it is so, whether Government propose to send an expert Committee to the Socialist countries to study how far their system of judiciary will be suitable in our our country. I want to know whether Government have come to the conclusion that our judiciary is proving an a obstacle in achieving the social objectives and if so, whether it is not possible to have an elected judiciary.

Shri M.C. Daga (Pali) : I want to kow the decisions taken in regard to the writ petitions against appointment of Shri A.N. Ray. I also want to know whether the same procedure is now being followed as recommended by the Law Commission in tneir report that appointment of Chief Justice sh ould be made not on the basis of seniority but on the basis of out look, past judgements and utterances. I want to know whether any party has suggested any other procedure which has been appreciated by you. Will the retired Chief Justice be taken back if his services are so required?

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रोफेसर दंडवते ने चर्चा के लिए जो विषय उठाया वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है । न्यायपालिका की व्यवस्था बहुत व्यापक महत्व रखती है क्योंकि न्यायाधीशों के कार्य का नागरिकों के अधिकारों और उनके जीवन आदि पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । अतः उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो की नियुक्ति सही, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए क्योंकि हमारे देश का संविधान लिखित रूप में है, इसलिए वे ही वास्तव में नागरिकों के उन मूलभूत अधिकारों के रक्षक हैं जो संविधान में दिये गये हैं । लिखित संविधान की सार्वभौमिकता तथा अखंडता सुरक्षित रखने में न्यायाधीशों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । आपको ज्ञात होगा कि अमरीका में राष्ट्रपति निक्सन ने अपने कार्यकाल में उच्चतम न्यायालय के लिए चार न्यायाधीश नियुक्त किये थे, परन्तु वहां पर न्यायपालिका की परम्पराएं ऐसी थीं कि इन्हीं न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध निर्णय दिया और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ा ।

मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है क्या वह सही है । जो नियुक्तियां सरकार ने की हैं क्या उनके बारे में सरकार स्वयं अपने निर्णयों को संतोषजनक कह सकती है । क्या न्यायाधीशो की नियुक्ति की शक्ति एक दो व्यक्तियों के हाथो में केन्द्रित हो जाने पर लोकतंत्रीय वातावरण दूषित नहीं होगा ? अतः क्या यह वांछनीय नहीं है कि वर्तमान पद्धति में कुछ सुधार किया जाये और एक समिति बनायी जाये जिसमें सरकार के तीन प्रतिनिधि और न्यायपालिका के तीन प्रतिनिधि शामिल हों ताकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में दोनों पक्ष एक दूसरे पर अंकुश लगा सकें । कुछ राज्यो में ऐसी परम्परा है । अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली का शीघ्र पुनरीक्षण करना आवश्यक है ताकि इस देश में लोकतंत्र तथा नागरिको के मूल अधिकार स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित हों रहें ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : अब तक हुई बहस से ऐसा आभास मिलता है, जो मेरे विचार में गलत है कि आजकल न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है । वास्तव में मुख्य न्यायाधीश श्री राय की नियुक्ति के बाद भी जिसके बारे में इतना कुछ कहा गया है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने अनेक ऐसे निर्णय दिये हैं जिनसे बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी न्यायपालिका उतनी ही स्वतंत्र है जितनी कि पहले कभी थी । यह कहना सही नहीं है कि ये नियुक्तियां प्रधान मंत्री अथवा अन्य किसी एक व्यक्ति के हाथ में हैं । सदस्यों को मालूम है कि अनुच्छेद 124 जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो पर लागू होता है और अनुच्छेद 217 जो उच्च-

[श्री एच० आर० गोखले]

न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में है क्रमश: उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशो और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करते हैं। इन अनुच्छेदों को पढ़ने मात्र से बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। किसी भी नियुक्ति के पूर्व विभिन्न स्तरो पर परामर्श किया जाना अनिवार्य है। उसके बाद ही भारत सरकार सिफारिश करती है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है।

अब तक सारी नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की गयी है और उच्च न्यायालय की नियुक्तियां सम्बद्ध न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की गयी हैं जैसा कि संविधान में अपेक्षित है। इन सभी नियुक्तियों में अपेक्षित प्रतिबन्धों का पूरा पूरा पालन किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय में पेश की गई थी और सभी को मालूम है कि उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया। अब उच्चतम न्यायालय में उसकी अपील विचाराधीन है और यथासमय उस पर निर्णय हो जायगा।

यह कहा गया है कि नियुक्तियों में भेदभाव और तरफदारी बरती जा रही है। प्रक्रिया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव सम्बद्ध मुख्य न्यायधीश द्वारा रखे जाते हैं। हम अपनी ओर से कोई नाम नहीं रखते। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

जहां तक कि एक समिति नियुक्त करने के सुझाव का सम्बन्ध है, यह सुझाव स्वीकार करना सम्भव नहीं है। संविधान सभा में अनेक विकल्पों पर विचार हुआ था। एक विकल्प यह भी था कि यह मामला सदन के सामने लाया जाये और सदन इसे दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत करे। संविधान सभा ने इन सभी विकल्पों को ठोस आधार पर अस्वीकृत कर दिया था।

संविधान सभा में जो तर्क इस मामले को सदन के सम्मुख लाने के विरोध में बड़े प्रभावशाली ढंग से रखे गये थे, वे समिति के नियुक्ति के बारे में और भी अधिक लागू होते हैं। इसलिए यह सुझाव स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान प्रक्रिया बहुत संतोषजनक है और गत 25 वर्षों या उससे भी अधिक समय से ठीक तरह कार्य कर रही है।

तत्पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 7 मई, 1975/17 वैशाख, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, May 7, 1975/ Vaisakha 17, 1897 (Saka)

भा०स०मु०ना०-वि० 3-19 लोकसभा/75-15-10-75—200

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

27 LSS/75—1